विषय-सूची

मानव संसाधन विकास मंत्रालय		• 'डिजी यात्रा' सेवा आरंभ	17
मध्याह्र भोजन योजना	1	• 'डिजिटल स्काई'	17
• सर्वशिक्षा अभियान	1	विदेशी मामलों के मंत्रालय	
• पढ़े भारत बढ़े भारत	2	 समीप 	18
 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 	2	उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वि	वसमा
• स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत प्रोग्राम	3	उपनाक्ता नान्स, खाद्य तथा सावजानक त	भ ारण
• शगुन पोर्टल	5	 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 	1.0
• एकलव्य विद्यालय	5	 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भशान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 	18
• विद्या लक्ष्मी पोर्टल	5	 राष्ट्राय खाद्य सुरक्षा आवानयम, 2013 जीरो हंगर प्रोग्राम 	18
• 'भाषा संगम' परियोजना आरंभ	6		19
• प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप योजना	7	संस्कृति मंत्रालय	
• उच्चतर शिक्षा वित्तीयन एजेंसी	7	• मौसम परियोजना (प्रोजेक्ट मौसम)	20
• उन्नत भारत अभियान	7	• सेवा भोज योजना	20
• 'स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन -2019'	8	• संकल्प से सिद्धी	21
• स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इंडिया 2019	9	पर्यटन मंत्रालय	
सूचना एवं संचार मंत्रालय		• 'स्वदेश दर्शन'	21
डिजिटल इंडिया मिशन	9	• प्रसाद मिशन	22
 राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क या भारत नेट 	11	कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय	
• 'भारतनेट' योजना (चरण-II)	11	•	
 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 	11	• त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	22
डिजिटल लॉकर	12	• सूक्ष्म सिंचाई	22
• साइबर सुरक्षित भारत	12	 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 	22
• उमंग एप	12	• नीरांचल राष्ट्रीय जलागम परियोजना	23
• 'मैं नहीं हम' एप लांच	13	• सूर्य शिक्त किसान योजना	24
• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम	13	• किसान क्रेडिट कार्ड	25
• देवस्थल ऑप्टिकल दूरबीन–उत्तराखण्ड	14	• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	25
 मोडिफायड स्पेशल इनसेंटिव पैकेज स्कीम 	14	• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	25
• प्रगति योजना	14	• ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार	26
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय		• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	27
·		• राष्ट्रीय गोकुल मिशन	27
• स्टार्टअप इण्डिया योजना	15	 एग्री उड़ान 	28
• मेक इन इंडिया कार्यक्रम	15	 प्रति बूंद अधिक फसल योजना 	28
• स्टैंड अप इंडिया स्कीम	15	• 'रफ्तार' योजना	28
• नागरिक उड्डयन मंत्रालय	16	• कृषि उन्नित मेला	29
• क्षेत्रीय सम्पर्क योजना-उडा़न	16	 राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 	31

•	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	31	जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्राल	य
•	कृषि यंत्रीकरण-फसल अवशेष प्रबंधन योजना	31	• 'नमामि गंगे' योजना	42
•	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान	32	स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना	43
•	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन	33		
•	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	33	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	43
•	पीएम-किसान योजना	33	● डीप ओशन मिशन-2018	43
•	गोबर-धन योजना	34	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	44
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	44
•	मेगा फूड पार्क	35	• जननी सुरक्षा योजना	44
•	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	35	 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 	44
	वित्त मंत्रालय		• राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	45
	प्रधानमंत्री जन-धन योजना	2.5	• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	45
•		35	 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 	46
•	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	36	• राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	46
•	स्वाभिमान	36	• मिशन इन्द्रधनुष	46
•	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	36	• इ-विन परियोजना	46
•	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	37	सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम	47
•	अटल पेंशन योजना	37	 मातृत्व लाभ कार्यक्रम/प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 	47
•	वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना व सार्वभौमिक स्वास्थ्य		 वात्सल्य-मातृ अमृत कोषः मानव दुग्ध बैंक 	48
	बीमा योजना	37	 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 	48
•	एस4ए स्कीम	38	राष्ट्रीय आरोग्य निधि	48
•	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना	38	 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 	49
•	'दर्पण योजना'	38	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	49
•	प्रोजेक्ट सक्षम	39	• राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	49
•	सॉवरन गोल्ड बॉण्ड स्कीम	39	• नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एण्ड मिशन संपर्क	50
•	स्वर्ण मौद्रीकरण योजना	39	• इंटरनेशनल फैमिली हैल्थ 360	50
	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय		राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान	50
•	स्वच्छ भारत अभियान	40	 प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 	51
•	स्वच्छ भारत कोष	40	प्रोजेक्ट सनगइज	51
•	स्वच्छता पखवाडा	40	 क्लीन स्ट्रीट फूड परियोजना 	51
•	दरवाजा बंद अभियान	40	^ ू • 'मिशन परिवार विकास' कार्यक्रम	51
•	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	41	मिशन परिवार विकास	52
•	स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2018	41		
•	स्वजल योजना	41	आयुष मंत्रालय	
•	स्वच्छ भारत मिशन	41	 आयुष्मान भारत प्रोग्राम 	52

भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		पेट्रोटेक-2019	65
• फेम इण्डिया योजना	54	ग्रामीण विकास मंत्रालय	
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए मंत्राल	य	🕨 इन्दिरा आवास योजना	66
प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम	54	 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 	66
 नवाचार, ग्रामीण उद्योग तथा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 	54	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना	67
 राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता कार्यक्रम 	55	भारत निर्माण योजना	67
भारतीय हथकरघा ब्रांड	55	• सांसद आदर्श ग्राम योजना	69
MSME संबंधित पोर्टल	56	राष्ट्रीय रुर्बन मिशन	69
		🕨 दीनदयाल उपाध्याय कौशल मिशन	70
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		🕨 दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना	71
• जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन	56	दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	72
• सूर्य मित्र योजना	57	🕨 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण	72
• कुसुम योजना	57	सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय	
 िकसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान 	58		.
• राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन	58	भारतमाला	73
 एकीकृत ऊर्जा विकास योजना 	59	🕨 सेतुभारतम परियोजना	73
• उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना	59	रेल मंत्रालय	
 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 	59	🕨 रेल सुरक्षा निधि	73
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय		▶ 'मिशन 41K'	74
• मानस योजना	60	र्ड-दृष्टि'	74
• उस्ताद	60	जहाजरानी मंत्रालय	
• नई रोशनी	61	• सागरमाला योजना	75
• नई मंजिल	61	जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट	75
● हुनर हाट	61	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	
ऊर्जा मंत्रालय		• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	76
• दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	61	• स्किल इंडिया पोर्टल	76
• सौभाग्य योजना	62	अटल नवोन्मेष मिशन	77
• उजाला योजना	63	🕨 प्रधानमंत्री युवा योजना	78
• स्टार्ट-अप संगम पहल	63	प्रवासी कौशल विकास योजना	79
• ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन	63	• स्ट्राइव योजना	79
तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय		• दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान ये	जिना79
• पहल योजना	64	• स्किल सारथी	80
पहल याजनाप्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा	64	• 'निपुण' पोर्टल'	80
प्रधानमंत्री जी-वन योजना	64 64	 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 	81
■ 441.141 A1.41 A1A.11	04		

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय		• 'एक्स कोप इंडिया-18'	96
• प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी)	81	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	
• 'सन् 2022 तक सबके लिए आवास' योजना	81	 डिजिटल पूर्वोत्तर दृष्टि पत्र 2022 	97
• हृदय योजना	82	 सिक्किम भारत के हवाई लिंक मानचित्र पर 	99
• स्मार्ट सिटी मिशन	82	 पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम 	99
• 100 स्मार्ट सिटी कार्यक्रम	83	-	,,,
अटल मिशन	83	केन्द्रीय खान एवं इस्पात मंत्रालय	
• 'पैसा' पोर्टल	84	 प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 	99
• लाइट हाउस परियोजना	85	• खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 2017 में संशोधन	100
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राल	य
 राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान 	86	 ग्रीन गुड डिड्स कैंपेन 	101
• राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (सबला)	86	• हरित भारत मिशन	101
 राष्ट्रीय महिला संशक्तिकरण मिशन 	87	 बांध सुरक्षा, पुनर्वास तथा सुधार प्रोजेक्ट 	102
• 'बेटी बचाओ–बेटी पढा़ओ' योजना	87	 निष्पादन, लाभ एवं व्यापार स्कीम 	102
● वन स्टॉप सेंटर	88	 ऊर्जा एवं पर्यावरणीय डिजाईन में लीडरशिप 	103
• स्वधार गृह योजना	89	• समुद्री पूर्वानुमान सिस्टम	103
 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 	89	• पास्थितिकीय सेवा सुधार परियोजना	103
 सक्षम-राजीव गाँधी किशोर सशक्तिकरण योजना 	90	• सागर वानी	104
● शी-बॉक्स	90	 फार्मर जोन : कृषि का भविष्य 	104
• नारी पोर्टल	90	● 'वुड इज गुड' अभियान	105
• पोषण अभियान	91	इंस्पायर 2017	105
• वेब-वंडर वुमन अभियान	92	 प्रोटोकॉल फॉर स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज-फ्री सिटीज 	105
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय		• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम	105
• गवाह संरक्षण योजना	92	• नीला झण्डा या ब्लू फ्लैग	106
• दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास स्कीम	93	 हिरत कौशल विकास कार्यक्रम 	106
नीति आयोग		श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	
• 'नियतम' कार्यक्रम	94	• दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम	107
 साथ कार्यक्रम 	94	विविध	
 आकांक्षी जिला कार्यक्रम 	94	 'उन्नित' इसरो का क्षमता निर्माण कार्यक्रम 	107
'इंडिया नेटवर्किंग'	96	 उन्नात इसरा का क्षमता निर्माण कायक्रम गूगल टैक्स 	107
गृह मंत्रालय		गूगल टक्सवन धन योजना	107 108
• 'इ-सहर्ज' पोर्टल	96	वनबंधु कल्याण योजना	108

योजना /परियोजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal)

- यह कार्यक्रम मूल रूप से देश की 2408 तहसीलों में 15 अगस्त, 1995 को प्रारंभ किया गया था।
- 🔾 1997-98 तक इसे देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया।
- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम लगभग 12 करोड़ ऐसे बच्चों को कवर करता है, जो सरकारी (स्थानीय निकायों सिहत), सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और शिक्षा गारंटी योजना (EGS) एवं वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा स्कीमों (AIE) के अंतर्गत चलाए जा रहे केन्द्रों में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- इस कार्यक्रम का विस्तार दिनांक 1-10-2007 से शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों (कक्षा VI से VIII तक) के लिए 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (EBB) में किया गया था।
- दोपहर का भोजन तैयार करने का खर्च केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्य
 90:10 के अनुपात में और केन्द्र तथा अन्य राज्य 75:25
 के अनुपात में उठाते हैं।
- कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर के बच्चों को 450 कैलोरी और 12
 ग्राम प्रोटीन का मध्याह्न भोजन मृहैया कराया जाता है।
- प्राथमिक स्तर से ऊपर के बच्चों के लिए 700 कैलोरी और
 20 ग्राम प्रोटीन का पोषाहार निश्चित किया गया है।
- पोषाहार मानदंडों को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार प्रति प्राथमिक विद्यालय बालक/विद्यालय दिवस 100 ग्राम की दर से और प्रति प्राथमिक विद्यालय से ऊपर के बालक/विद्यालय दिवस 150 ग्राम की दर से खाद्यात्र मुहैया कराती है।
- केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007-08 में, प्रत्येक दो वर्ष में एक बार खाना पकाने की लागत के प्रति केन्द्रीय सहायता का परिकलन करने के लिए मुद्रास्फीति समायोजित सूचकांक (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) को शामिल किए जाने की भी अनुमति दी है।
- चह प्राथमिक और प्राथमिक स्तर से ऊपर के लिए 2008-09 से लागू किया गया है।

सर्वशिक्षा अभियान (SSA)

- सर्विशिक्षा अभियान का क्रियान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है।
- 🖸 यह जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है।
- इसकी शुरुआत 86वें संविधान संशोधन द्वारा की गई जिसका उद्देश्य 6-14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में, नि:शुल्क और अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
- ◘ यह वर्ष 2001-02 में संचालित कर दिया गया था।
- योजना के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक पाँच वर्ष की तथा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा प्रयास किया जा रहा है।
- इस अभियान पर किए गए व्यय को केन्द्र व राज्य सरकारों
 द्वारा 65: 35 के अनुपात में वहन किया जाता है।
- 🗘 पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों में यह अनुपात 90 : 10 का है।
- इस योजना के समुचित रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय सर्वशिक्षा अभियान मिशन' स्थापित किया गया है।
- सभी को शिक्षा (Education for all-EFA) उपलब्ध कराने के लिए यूनेस्को ने सन् 2015 तक की सीमा निर्धारित की थी, किन्तु भारत ने सर्विशिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2010 तक ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया था।
- शिक्षा गारंटी योजना (EGS) तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (AIE), स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत लाने का सर्विशिक्षा अभियान का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- इस योजना में स्कूली शिक्षा से अभी तक छूटे प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से योजना बनाने के अतिरिक्त निम्न प्रावधान है-

योजना/परियोजना-2019

- वैकल्पिक स्कूली व्यवस्था
- विशेष जरूरतमंद बच्चे
- सामुदायिक एकजुटता या संघटन
- प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता

पढ़े भारत बढ़े भारत

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यह स्कीम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसे ट्विन ट्रैक एप्रोच पर योजनाबद्ध किया गया है;
 - समझ के साथ पढ़ने और लिखने की रूचि अपनाते हुए भाषायी विकास में सुधार करना; और
 - 2. वास्तविक और सामाजिक जगत से संबंधित गणित में स्वाभाविक और सकारात्मक रूचि उत्पन्न करना।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र पाठक और लेखक बनने में समर्थ बनाना
- पर्याप्त और दीर्घकालिक पठन और लेखन कौशल और अध्ययन में कक्षा का उपयुक्त अधिगम स्तर प्राप्त करना
- 🗴 संख्या, माप और आकारों के क्षेत्र में तर्कशीलता को समझाना
- अंक ज्ञान और स्थानिक कौशल से समस्या हल करने में स्वतंत्र होना और पढ़ने-लिखने के शुरूआती स्तर पर गणित के साथ आनंद अनुभव और वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ना है।

वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल 'ज्ञान'

- वैश्विक शैक्षिक नेटवर्क पहल (ज्ञान) उच्चतर शिक्षा का एक कार्यक्रम है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के लिए 30 नवंबर, 2015 को प्रारंभ किया गया।
- इसमें शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के साथ दुनियाभर के उत्कृष्ट शैक्षिक और उद्योग से संबंधित विशेषज्ञों सिंहत विद्यार्थियों और संकाय के साथ परस्पर संपर्क हो सकेगा।
- इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय संकाय भारतीय संस्थान में 1
 से 2 हफ्ते का पाठ्यक्रम आयोजित करता है।
- राष्ट्रीय महत्व के सभी विश्वविद्यालय और संस्थान राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) नामक उच्च गित के आंकड़े एकत्रित करने वाले नेटवर्क द्वारा जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित है। इस परियोजना को मंज्री मार्च 2010 में दी गई थी।
- NKN ज्ञान को साझा करने, इंटरनेट सुविधा के प्रावधान और सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करता है।

- 🔾 अब तक देश के 1664 संस्थान इस नेटवर्क से जुड़ चुके हैं।
- देश में सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय लगभग 350 करोड़ की लागत के wi-fi नेटवर्क के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं।
- इसके तहत सभी कक्षाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों और विद्यार्थियों द्वारा प्राय: प्रयोग किए जाने वाले स्थानों को वाईफाई हॉट स्पॉट से जोड़ा जाएगा। जिसमें 24x7 आधार पर विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक और सूचना हेतु पहुंच प्रदान की जाएगी।
- 🗘 यह परियोजना NIMCET परियोजना में कार्यान्वित की जाएगी।

महिला समाख्या योजना

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की यह योजना 1986 की नई शिक्षा नीति के आलोक में वर्ष 1988 में आरंभ की गई थी।
- माता-पिता और समुदाय को कम उम्र में शादी और किशोरावस्था में गर्भधारण करने के मामलों को और अधिक संवदेनशील तरीके से समझाने और उस पर कार्य करने के लिए सुग्राही बनाया गया है।
- पंचायत निकायों में प्रशिक्षित संघ और संघ महिला नेताओं और समुदाय कैडर के माध्यम से बाल विवाह रोकना सुनिश्चित करने के लिए इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGB)

- समग्र शिक्षा योजना के तहत मौजूदा केजीबीवी में उच्चतर प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावासों को विस्तारित/परिवर्तित करने का प्रावधान है ताकि बारहवीं कक्षा तक छात्रों को आवासीय एवं स्कूली सुविधा प्रदान की जा सके।
- इसके तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े उन सभी ब्लॉकों में कक्षा VI से XII तक की लड़िकयों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की जाएगी जहां किसी अन्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय नहीं है।

केजीबीवी एवं बालिका छात्रावास

- बालिकाओं के प्राथिमक से विरष्ठ माध्यिमक स्तर में सुचारू तौर पर स्थानांतरण के लिए केजीबीवी को बारहवीं कक्षा तक बढ़ाया जाएगा।
- बेहतरी के लिए उन केजीबीवी को प्राथमिकता दी जाएगी जहां एक ही परिसर में बालिका छात्रावास की स्थापना की गई हो।
- यह योजना मुख्य तौर पर 10 से 18 वर्ष के आयु वर्ग की उन लड्कियों पर केंद्रित है जो छठी से बारहवीं कक्षा में अध्ययन

योजना /परियोजना-2019

करना चाहती हों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं बीपीएल परिवार से संबंधित हों।

- भवन निर्माण के लिए गैर-आवर्ती अनुदानों के अलावा श्रमबल लागत सिंहत सभी खर्चों के लिए आवर्ती अनुदान इस प्रकार प्रदान किया गया है -
 - छठी से आठवीं कक्षा के लिए केजीबीवी के लिए प्रति वर्ष 60 लाख रुपये तक।
 - छठी से दसवीं कक्षा के लिए केजीबीवी के लिए प्रति वर्ष 80 लाख रुपये तक।
 - छठी से बारहवीं कक्षा के लिए केजीबीवी के लिए प्रिति वर्ष 1 करोड़ रुपये तक।
 - नौवीं से बारहवीं कक्षा के लिए एकल बालिका छात्रावास
 के लिए प्रति वर्ष 25 लाख रुपये तक।
- वर्ष 2000-01 में SSA की शुरुआत के बाद से 2017-18 तक

3,66,773 बालिकाओं के नामांकन के साथ 3,703 केजीबीवी स्वीकृत किए गए हैं।

स्वस्थ बच्चे-स्वस्थ भारत प्रोग्राम

- यह प्रोग्राम मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया है।
- यह केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक पहल है जिसमें केंद्रीय विद्यालय के 12 लाख से अधिक छात्रों के शारीरिक हेल्थ तथा फिटनेस प्रोफाइल कार्ड का निर्माण किया जाएगा।
- इस प्रोग्राम के तहत सभी आयु वर्ग के बच्चों तथा दिव्यांग बच्चों के एक व्यापक तथा समावेशी रिपोर्ट कार्ड का निर्माण किया जाएगा।
- सूचना तकनीक के जिरए छात्रों को ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक का महत्व बताया जाएगा तथा संभावित उच्च प्रदर्शन करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच में वृद्धि करना है।
- यह शैक्षणिक नियोजन तथा प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (NUEPA) द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है, जिसका उद्देश्य विद्यालयों को निर्धारित 7 मुख्य क्षेत्रों में अपने निष्पादन का मूल्यांकन करने में समर्थ बनाना है।
- यह सभी केन्द्रीय विद्यालयों को जोड़ने वाला एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य सीखने की गुणवत्ता में सुधार, विद्यालय प्रशासन की क्षमता सुधार विद्यालयों में गवर्नेंस तथा सेवाएं प्रदान करने में सुधार करना है।
- इसका उद्देश्य प्रत्येक घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर पाँच वर्ष में नामांकन दर माध्यमिक स्तर पर 90 प्रतिशत तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 75 प्रतिशत तक बढाने का है।

ई-पाठशाला

- यह मानव संस्थान विकास मंत्रालय तथा शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय परिषद् (NCERT) की एक संयुक्त पहल है।
- इसका उद्देश्य सभी शैक्षणिक-ई संसाधनों जैसे किताबें, श्रव्य, दृश्य तथा नॉन-प्रिंट विषय वस्तुओं का प्रसार करना है।
- कला को समावेशी वातावरण प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कलाओं (संगीत, रंगमंच, नृत्य, दृश्य कलाएं तथा शिल्प) को प्रोत्साहन देना।
- यह मानव संसाधन मंत्रालय की रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के साथ संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के वातावरण के अनुभव का अवसर उपलब्ध कराकर उनमें देशभिक्त की भावना को मजबूत करना है।

मैत्रेयी यात्रा

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित जम्मू तथा कश्मीर के छात्रों के लिए एक विशेष प्रोग्राम है
- इसमें जम्मू-कश्मीर के छात्रों को देश के अन्य भागों के छात्रों से संवाद का अवसर प्रदान किया जाएगा। जिससे देश के अन्य भागों के छात्र जम्मू-कश्मीर के छात्रों से संस्कृति, भाषा तथा विकास के अनुभव साझा कर सकेंगे।

इम्पेक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एण्ड टेक्नोलॉजी इण्डिया (IMPRINT)

- यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की संयुक्त पहल है,
- इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत में संबंधित तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख इंजीनियरिंग तथा तकनीकी चुनौतियों में अनुसंधान के लिए तथा इनके निवारण के लिए एक रोडमैप विकसित करना है।
- यह प्रयुक्त संस्थानों में सामाजिक संदर्भ के क्षेत्र में प्रत्यक्ष अनुसंधान पर लिक्षित है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य निर्धारित मानकों के अनुरूप विद्यमान शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता सुधार करना है
 तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों को इसके लिए रणनीतिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।
- इसका लक्ष्य 2017 तक सफल नामांकन अनुपात को 32% तक बढ़ाना था।

भुवन-रूसा पोर्टल

• इसरो के राष्ट्रीय दूर संवेदन केन्द्र (NRSC) द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि रूसा के क्रियान्वयन के लिए शैक्षणिक संस्थाओं को भू-चिन्हित फोटोग्राफ को संबंधित सूचना के साथ पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

स्वयम् (SWAYAM)

- SWAYAM –Study Webs of active learning for young aspiring minds एक स्वदेशी सूचना प्रौद्योगिक प्लेटफार्म है जो व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सहायक होगा।
- इस प्लेटफार्म के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्राप्त संस्थानों जैसे IITs, IIMs तथा केन्द्रीय विश्व विद्यालयों के शिक्षक भारतीय नागरिकों को ऑनलाइन कोर्स की सुविधा प्रदान करेंगे।

स्वयम् प्रभा

- यह परियोजना उच्च गुणवत्ता के शैक्षणिक कार्यक्रमों को DTH चैनलों के माध्यम से प्रसारित करने के लिए है।
- यह कार्यक्रम IIT PAL को भी कवर करेगा, जो कि कक्षा 11 व कक्षा 12 के उन छात्रों को जो भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में जाना चाहते है, उनमें वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देगा।

वित्तीय साक्षरता अभियान (विसाका)

- यह उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों/युवाओं में फण्ड ट्रांसफर के लिए डिजिटल कैशलेस आर्थिक तंत्र के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित अभियान है। यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय की योजना है।
- ईशान उदय: यह पूर्वोत्तर के पूर्वस्नातक विद्यार्थियों को छात्रवृति प्रदान करने से संबंधित कार्यक्रम है।
- इस योजना के अंतर्गत साधारण डिग्री कोर्स, तकनीकी तथा प्रोफेशनल कोर्स तथा मेडिकल व पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 10 हजार नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी तथा यह लाभ विद्यार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- **ईशान विकास**: पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों को IITs, NITs आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों के चयन करने से संबंधित कार्यक्रम है।

उन्नत भारत

- इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण भारत को व्यावसायिक संसाधन समर्थन प्रदान करना है।
- इसमें IITs, NITs तथा ITSERs आदि को स्थानीय समुदायों के साथ विभिन्न विकासात्मक चुनौतियों के तकनीकी समाधान के लिए जोड़ा जाएगा।

विद्यांजली स्कीम

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 16 जून, 2016 को विद्यालय स्वैच्छिक कार्यक्रम (school volunteer programme) 'विद्यांजली' (Vidyanjali) का शुभारंभ किया।
- इसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत आरंभ किया गया है।
- इस कार्यक्रम के तहत अप्रवासी भारतीय, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त पेशेवर या गृहिणी सरकारी स्कूलों में स्वैच्छिक योगदान दे सकते/सकती हैं।

शगुन पोर्टल

- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 18 जनवरी 2017 को शगुन पोर्टल (www.seshagun.nic.in) को लॉन्च किया। इसके दो मॉड्यूल हैं- (1) नवप्रवर्तन का भंडार और (2) ऑनलाइन निगरानी।
- रिपॉजिटरी: अच्छी प्रथाओं का यह भंडार सकारात्मक कहानियों एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्कूली शिक्षा में प्रदर्शन को बेहतर बना रहे हैं। इन नवीन प्रथाओं को केस स्टडी, वीडियो, प्रशंसा-पत्र और छवियों के रूप में तैयार किया जाता है।
- यह डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में पंजीकृत होने वाली सफलता की कहानियों, अभिनव विचारों से आम लोगों, मीडिया, हितधारकों, प्रभावित करने वालों और वैश्विक शिक्षाविदों को अवगत कराने के लिए है।
- राज्य सरकारों, पब्लिक स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को लाभ पहुंचाने वाले नवाचारों को इस भंडार के माध्यम से तैयार और प्रसारित किया जाता है।
- वर्ष 2018-19 में विभाग ने रिपॉजिटरी के दायरे में अपनी सभी योजनाओं और विभिन्न स्वायत्त निकायों जैसे NCERT, NIEPA, CBSE, NCTE, NIOS, KVS, NVS, और राष्ट्रीय बाल भवन (NBB) की गतिविधियों को लाने के लिए उसका विस्तार करने का निर्णय लिया।
- निगरानी: शगुन का ऑनलाइन निगरानी मॉड्यूल प्रमुख शैक्षिक संकेतकों के आधार पर राज्य-स्तरीय प्रदर्शन एवं प्रगित को मापता है जो राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के शिक्षा विभाग को वास्तविक समय पर मूल्यांकन करने में समर्थ बनाता है।
- इसके मुख्य कार्यों में रकम के उपयोग पर नजर रखना, प्रमुख शैक्षिक संकेतकों के आधार पर प्रदर्शन का आकलन करना, ऑनलाइन योजना तैयार करना एवं लक्ष्य निर्धारित करना और परिणामों की निगरानी करना शामिल हैं।
- यह पोर्टल डेटा एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान करता है और ग्राफिक्स तैयार करता है जो पहचाने गए प्रमुख मानदंडों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।
- इन प्रमुख मानदंडों में मुख्य धारा में लाए गए स्कूली बच्चों की सटीक संख्या, सरकारी और निजी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि या कमी, अधिगम परिणाम बढ़ाने और शिक्षकों के वेतन मद में खर्च में बढोत्तरी आदि शामिल हैं।

संकल्प

- DOp & PW (Department of Pensions & Pensioners' Welfare) द्वारा मंत्रालयों/विभागों के सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों हेतु 'संकल्प' नामक प्री-रिटायरमेंट काउंसलिंग (PRC) वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
- इसका उद्देश्य सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को सलाहकारी निकायों से जुड़ने हेतु परामर्श देना तथा उनकी शिकायतों को दूर करना है।
- DOP & PW द्वारा अब तक 'संकल्प' प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 3000 से अधिक कर्मचारियों के लिए प्री-रिटायरमेंट काउंसिल (सेवानिवृति पूर्व परामर्श) का आयोजन किया जा चुका है।
- 'संकल्प' कार्यक्रम के तहत सेवा का लाभ उठाने के लिए पेंशनरों, पेंशनर संघों तथा गैर सरकारी संगठनों के लिए एक वेब पोर्टल भी लांच किया गया है।
- यह कार्यक्रम संकल्प से सिद्धी योजना से विल्कुल पृथक कार्यक्रम है।

एकलव्य विद्यालय

- सरकार ने जनजातियों को उनके स्थानीय पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने हेतु एकलव्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की है।
- एकलव्य विद्यालयों के अन्तर्गत सन 2022 तक प्रत्येक ब्लॉक में 50% से अधिक अनुसूचित जनजातियों तथा 20,000 से अधिक जनजातीय छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है।
- 🗘 एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालयों के समान होंगे।
- इसमें स्पोर्ट्स तथा स्किल डेवलपमेंट के प्रशिक्षण के अलावा स्थानीय कला तथा संस्कृति के संरक्षण हेतु भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

विद्या लक्ष्मी पोर्टल

- कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने सरकार के विद्या लक्ष्मी पोर्टल के साथ अपनी शिक्षा ऋण योजना को एकीकृत किया है, जिसका आरम्भ जुलाई में हुआ।
- पोर्टल का एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित एवं रखरखाव किया जा रहा है।
- अगस्त 2015 में विद्या लक्ष्मी पोर्टल की घोषणा होने के बाद से अब तक 4.69 लाख छात्र विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम का लाभ उठा चुके हैं।

विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम से बदलाव

- इससे पहले छात्र को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने के लिए बैंक में जाने की जरूरत थी।
- इस प्रक्रिया में बहुत सारे पेपर कार्य शामिल थे। विद्या लक्ष्मी के साथ, शिक्षा ऋण आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, इस प्रकार इसमें कम लिखा पढ़ी शामिल है।
- छात्र सीधे बैंक को कोई शिकायत भी भेज सकते हैं, जिसमें उसने पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन किया है।

पृष्ठभूमि

- 15 अगस्त, 2015 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक वेब आधारित पोर्टल-विद्या लक्ष्मी-शैक्षिक ऋण पाने के इच्छुक छात्रों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ किया गया है।
- इस पोर्टल का विकास और प्रबंधन वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ (IBA) के निर्देशन में एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (NSDL ई-शासन) द्वारा किया गया है।
- विद्यालक्ष्मी पोर्टल अपनी तरह का एक ऐसा पोर्टल है, जो एकल विंडों के रुप में बैंकों एवं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों लिए जानकारियां उपलब्ध कराता है।

पोर्टल की विशेषताएं

- बैंकों की शिक्षा ऋण संबंधी योजनाओं की जानकारी
- छात्रों को दिये जाने वाले आम शिक्षा ऋण संबंधी आवेदन पत्र
- विभिन्न बैंकों में शैक्षिक ऋण आवेदन करने की सुविधा
- बैंकों के लिए छात्र ऋण आवेदन पत्र डाउनलोड करने की सुविधा
- बैंकों के लिए ऋण प्रक्रिया स्थिति अपलोड करने की सुविधा
- छात्रों के लिए बैंकों को शैक्षिक ऋण से संबंधित शिकायत/प्रश्न संबंधी ईमेल करने की सुविधा
- छात्रों के लिए अपने ऋण आवेदन की स्थिति को देखने के लिए डैशबोर्ड की सुविधा
- सरकार छात्रवृत्तियों की जानकारी और आवेदन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को इस पोर्टल से जोड़ना

उद्देश्य :

- अब तक 13 बैंकों ने विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर 22 शिक्षा ऋण योजनाएं पंजीकृत करा दी हैं, जिसमें 5 बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने छात्रों के लिए ऋण प्रक्रिया की स्थिति संबंधी जानकारी देने के लिए पोर्टल के साथ अपने सिस्टम को एकीकृत किया है।
- इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए सभी बैंकों को एक स्थान पर लाना है।

'भाषा संगम' परियोजना आरंभ

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भाषा संगम परियोजना को 27 नवंबर 2018 से आरंभ किया गया।
- इसके अनुसार छात्रों को अगले एक महीने में इन भाषाओं को सिखाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबंधित अथवा मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं प्रत्येक राज्य की भाषा सीख सकेंगे।
- 💿 इसमें कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों को शामिल किया जाएगा।

संगम परियोजना

संगम पिरयोजना के तहत 28 नवंबर को गुजराती, 29 को हिंदी, 30 नवंबर को कन्नड़, तीन दिसंबर को कश्मीरी, चार को कोंकणी, पांच को मैथिली, छह को मलयालम, सात को मणिपुरी, दस को मराठी, 11 को नेपाली, 12 को उड़िया, 13 को पंजाबी, 14 को संस्कृत, 17 को संथाली, 18 को सिंधी, 19 को तिमल, 20 को तेलुगू और 21 दिसंबर को पूरे प्रोजेक्ट का प्रसारण किया जाएगा।

भाषा संगम परियोजना के बारे में

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को हिंदी, अंग्रेजी के अलावा देश के अलग-अलग प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं को बोलना सीखना है।
- छात्र इस परियोजना के तहत हर भाषा के पांच वाक्य सीखेंगे।
 इसके बाद उन्हें प्रार्थना के समय इन वाक्यों को बोलना होगा।
- छात्रों को घर पर अभिभावकों के साथ इन वाक्यों पर विचार-विमर्श करना होगा।
- स्कूलों में प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी का वीडियो बनेगा तथा यह वीडियो सीबीएसई की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा।

- भाषा संगम प्रॉजेक्ट के तहत संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं के बारे में विद्यार्थियों को बताया जा रहा है।
- इसमें हिन्दी, असिमया, बंगाली, बोडो, तिमल, तेलुगु, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयाली, मिणपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, डोगरी भाषा छात्रों को बोलनी सिखाई जा रही है।

संविधान की आठवीं अनुसूची

- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है।
- 🖸 इनमें से 14 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था।
- 💿 वर्ष 1967 में, सिन्धी भाषा को अनुसूची में जोड़ा गया।
- इसके बाद, कोंकणी भाषा, मिणपुरी भाषा, और नेपाली भाषा को 1992 में जोडा गया।
- वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली, और संथाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप योजना

- PMRF स्कीम का उद्देश्य देश के प्रतिभावान छात्रों को IITs तथा IISc में डॉक्टरेट (Ph.D.) प्रोग्राम की ओर आकर्षित करना है ताकि ये विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में अनुसंधान कर सकें।
- इस स्कीम के तहत IIEST/IISC/IITS/NITs/IISERs तथा कोंद्र द्वारा वित पोषित IITs के B.Tech समन्वित M.Tech समन्वित M.Sc. विज्ञान तथा तकनीक में डिग्री कार्यक्रमों के पूर्व स्नातकों-स्नातकोत्तरों को योग्य माना जाएगा।
- चयनित उम्मद्वरों को IITs/IISc में Ph.D प्रोग्राम में प्रवेश का ऑफर दिया जाएगा।
- इसके अंतर्गत Ph.D. करने वाले चयनित उम्मीदवार को प्रथम दो वर्ष तक 70,000 रु. प्रति माह, तीसरे वर्ष में 75000 रु. प्रति माह तथा चौथे व पांचवे वर्षों में 80,000 रु. प्रति माह की फैलोशिप प्रदान की जाएगी।
- इसके अतिरिक्त Ph.D करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को शैक्षणिक खर्चों तथा विदेश/देश में यात्रा खर्च हेतु प्रति वर्ष 2 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
- यह योजना सन् 2018-19 से प्रारंभ होकर 7 वर्षों के कार्यकाल तक क्रियान्वित की जाएगी। इसमें सन् 2018-19 से आरंभ होकर 3 वर्षों में अधिकतम 3000 फेलो का चयन किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा वित्तीयन एजेंसी

- HEFA उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थानों (CFIS) को फण्ड का वित्तीयन करेगी। इसी क्रम में सन् 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 (Company having Charitable objectives) के सेक्शन 8 के तहत HEFA की स्थापना की गयी।
- HEFA बाजार से फण्ड जुटाने का कार्य करेगी तथा संबंधित सभी केंद्र संचालित संस्थानों को 10 वर्ष के लिए लोन प्रदान करेगी।
- 1 लाख करोड़ रुपये का कोष जुटाने के लिए HEFA को लगभग 10,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इस राशि में से 8500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाऐंगे। शेष 1500 करोड़ रुपये की राशि केनरा बैंक वहन करेगा।
- केनरा बैंक HEFA की स्थापना में केन्द्र सरकार का पार्टनर है।
- HEFA द्वारा स्वीकृत सभी प्रोजेक्ट (इनफ्रास्ट्रक्चर या रिसर्च प्रोजेक्ट) दिसंबर 2022 तक पूर्ण कर दिये जाएंगे।
- इस स्कीम के तहत, HEFA द्वारा स्वीकृत राशि प्रत्यक्ष रूप से विक्रेता या ठेकेदार को प्रदान की जाएगी।
- हालांकि यह राशि क्रियान्वयन एजेंसी तथा शिक्षण संस्थान के अनुमोदन के बाद ही प्रदान की जाएगी।
- RISE स्कीम के तहत केंद्र द्वारा वित्त पोषित सभी संस्थानों (CFIS) को ऋण के रूप में ली गई राशि 10 वर्षों की समयाविध में लौटानी पड़ेगी
- इसके अलावा ऋण की वसूली का तरीका संस्थानों के लिए अलग-अलग प्रकार से होगा। यह इन संस्थानों के आंतरिक राजस्व के आधार पर होगा।
- HEFA द्वारा लिया गया लोन 10 वर्षों की समयाविध में चुकाना अनिवार्य होगा।

उन्नत भारत अभियान

- यह अभियान मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय के अन्तर्गत प्रारंभ किया गया है।
- 🗴 इसके अंतर्गत तीन मंत्रालयों की भूमिका रहेगी।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों से संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि तकनीक के जिरए इन चुनौतियों का सामना किया जा सके।

- ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय के साथ-साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) भी उन्नत भारत अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं से जोड़ने पर सहमत हो गया है।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के निर्माण तथा क्रियान्वयन में पर्याप्त सुधार लाने का एक प्रयास है।
- इण्डियन इंस्ट्यूट ऑफ टेक्टनोलॉजी (IIT) दिल्ली को उन्नत भारत अभियान के समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है।

'स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन -2019'

- नई दिल्ली में विश्व के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल के तृतीय संस्करण-'स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन -2019' का आरंभ किया गया।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एआईसीटीई, परिसस्टेंट सिस्टम्स तथा आई4सी अपनी अत्यधिक लोकप्रिय एवं नवीन 'स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन' पहल (एसआईएच) के साथ हैट्रिक बनाने के लिए एकजुट हुए हैं।
- पहली बार अब निजी उद्योग/संगठन तथा गैर सरकारी संगठन एसआईएच-2019 के तहत छात्रों को अपनी समस्या विवरण भी भेज सकेंगे।
- एसआईएच-2019 हमारे जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए छात्रों को एक मंच मुहैया करवाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है।
- इससे नवाचार की संस्कृति तथा समस्या समाधान की मानसिकता विकसित होती है।
- एसआईएच-2019 के इस नए संस्करण में लगभग 3000 संस्थानों से एक लाख से भी अधिक छात्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के आड़े आने वाली चुनौतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा।
- विद्यार्थियों को विश्व के कुछ शीर्ष संगठनों के लिए विश्वस्तरीय समाधान निकालने का अवसर प्राप्त होगा वहीं संगठनों को प्रतिभाशाली मस्तिष्कों से संपर्क करने तथा इनके नियोजन के लिए ब्रांड बनाने का अवसर भी मिलेगा।
- आईआईएसीज, आईआईटीज, एनआईटीज और एआईसीटीई/ यूजीसी से अनुमोदन प्राप्त संस्थानों के विद्यार्थियों को समस्या समाधान की सृजनात्मक प्रतिस्पर्द्धा में बैठने तथा तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
- अपनी पूर्व कड़ी की तरह ही स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2019 के दो उप संस्करण-सॉफ्टवेयर संस्करण (36 घंटे का सॉफ्टवेयर

- उत्पाद विकास प्रतिस्पर्द्धा) तथा हार्डवेयर संस्करण (5 दिन की लंबी अवधि की हार्डवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्द्धा) होंगे।
- सार्वजिनक/निजी क्षेत्र के संगठन तथा गैर सरकारी संगठन भी कम लागत पर अपनी समस्याओं के नवीन समाधानों के लिए एसआईएच-2019 में शामिल हो सकते हैं।

एसआईएच में शामिल होने के कुछ अन्य लाभ निम्न हैं-

- अपने संगठन को राष्ट्रीय ब्रांड का बनाने के अवसर
- भारत में सभी तकनीकी संस्थानों में संगठन की मान्यता और दृश्यता।
- पूरे भारत वर्ष के युवा तकनीशियनों द्वारा आपकी समस्याओं के अभिनव समाधान।
- 4. विश्व के सबसे बड़े खुले नवाचार आंदोलन में भागीदारी
- देश की कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ काम करने का अवसर।
- पूरे भारत में प्रौद्योगिकी छात्रों द्वारा सृजनात्मक रूप से समस्याओं के समाधान हेतु प्रतिस्पर्द्धा और तकनीकी समाधान प्रस्तुत करना।
- आईआईएसीज, आईआईटीज, एनआईटीज और एआईसीटीई/ यूजीसी से अनुमोदन-प्राप्त संस्थानों के लाखों विद्यार्थियों का विशेषज्ञता दोहन।
- विश्व का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल-स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन-2019 निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ अपना विजयी अभियान चलाएगा।
- 'स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन-2019 से पहली बार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों और गैर सरकारी संगठनों से उनकी समस्या विवरणियों में हाथ बंटाने के लिए संपर्क कर रहे हैं।
- 🗘 इससे पूर्व इस अभिनव के 2 संस्करण अत्यधिक सफल रहे थे।

स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन -2017 तथा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन -2018 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं

- स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन -2017 ने भारत के 29 केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त समस्या विवरणियों का अवलोकन किया।
- 20 परियोजनाओं को परामर्श दिया गया और उन्हें सृजनात्मक रूप से तैयार किया गया।
- स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन-2018 स्मार्ट इंडिया ने 27 केंद्रीय मंत्रालयों और 17 राज्य सरकारों को जोड़ा। इसने पहली बार विशेष हार्डवेयर संस्करण की शुरूआत की।
- मंत्रालय अब 2000 से भी अधिक विजयी टीमों (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों संस्करणों के अंतर्गत) के कुछ सर्वश्रेष्ठ विचारों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया में हैं तथा परामर्श एवं समग्र समाधान तैयार करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी।

स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इंडिया 2019

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने घोषणा की कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इंडिया 2019 - सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले देश भर के 49 विभिन्न केंद्रों में एक साथ 2 और 3 मार्च, 2019 को होगा, जो 36 घंटे चलेगा। इसमें 34 हजार से अधिक विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा।
- स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन इंडिया 2019 की शुरूआत 29 अगस्त, 2018 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें छात्रों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता को प्रोत्साहित किया गया।
- इसके तहत शासन और जीवन गुणवत्ता में सुधार के तरीकों को शामिल किया गया था।
- इसके जिरये छात्रों सिहत सभी नागिरकों को यह अवसर प्रदान किया गया कि वे भारत की समस्याओं का हल करने के लिए अभिनव विचार पेश करें।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

🗘 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय

- तकनीकी शिक्षा परिषद AICTI, MIC, I4C और परिसस्टेंट सिस्टम्स के सहयोग से स्मार्ट इंडिया हैकथॉन इंडिया 2019 का आयोजन कर रहा है।
- इसमें 96 उद्योगों तथा केंद्र सरकार के 18 मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी हो रही है, जिसके कारण स्मार्ट इंडिया हैकथॉन इंडिया 2019 अपने पिछले संस्करणों के मुकाबले अधिक विशाल है।
- इसमें दो उप-संस्करण शामिल हैं सॉफ्टवेयर संस्करण, जो 36 घंटे की सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्धा है जिसका आयोजन 2-3 मार्च, 2019 को किया जा रहा है।
- हार्डवेयर संस्करण के तहत हार्डवेयर समाधान तैयार करना है
 और इसकी प्रतिस्पर्धा बाद में इसी साल होगी।
- सॉफ्टवेयर संस्करण वाले ग्रैंड फिनाले के दौरान हजारों प्रौद्योगिकी छात्रों की टीमें विभिन्न उद्योगों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के सामने आने वाली समस्याओं का अभिनव डिजिटल समाधान तैयार करेंगे।

सूचना एवं संचार मंत्रालय

डिजिटल इंडिया मिशन

- मोदी सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकार का एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है।
- इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज का उपयोग किए भी सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जनता तक पहुँच सकती है।
- केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से इस मिशन को शुरू किया गया।

तीन प्रमुख घटक

- (i) डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना।
- (ii) मांग पर सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम जनता तक पहुँचाना।
- (iii) नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment of Citizens)

मुख्य उद्देश्य :

- उपर्युक्त विजन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रॉडबैण्ड हाइवेज सृजित करना (To Provide broadband Highway) मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए वैश्विक पहुँच (Universal Access to Mobile Connectivity)।
- सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम (Public Internet Access Programme) ई-शासन (E-Governance) प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार।
- ई-क्रांति-सेवाओं का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए शून्य आयात (Net Zero Import) करना है।
- रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT for Jobs) और शीघ्र हॉर्वेस्ट कार्यक्रम उपलब्ध कराना है।

प्रमुख तथ्य :

इसी के तहत डिजिटल लॉकर प्रणाली शुरू की गई है जिसका उद्देश्य पंजीकृत संग्राहकों (Registered Repositories) के जिरए महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को ई-दस्तावेजों के रूप में सुरक्षित रखना तथा 'फिजीकल डॉक्यूमेंट्स' का उपयोग न्यूनतम करना है।

- डिस्कस 'डू', 'डिसिमिनेट' अप्रोच के जिरए प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी के लिए MyGov.in एक प्लेटफॉर्म के रूप में लागू की गई है। MyGov.in के लिए मोबाइल एप मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मोबाइल एप का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जनता और सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकेगा।
- आधार प्रमाणिकता (Adhar Authentication) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर डिजिटल रूप से किए जा सकोंगे।
- नए शुरू किए गए ई-हॉस्पिटल एप्लीकेशन के अधीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ओआरएस) शुरू किया गया है। इसके जिरए ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क के भुगतान मिलने के निश्चित समय का निर्धारण ऑनलाइन निदान रिपोर्ट (Online diagnostic reports) रक्त की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी जैसी मुख्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
- नेशनल स्कॉलरिशप पोर्टल से छात्रों के आवेदन-पत्र जमा करने, सत्यापन, स्वीकृति और लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही छात्रवृत्तियों के वितरण तक की प्रक्रिया का एकमुश्त समाधान हो सकेगा।
- रिकॉर्ड्स को व्यापक स्तर पर डिजिटलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी विभाग ने डिजिटलाइज इंडिया प्लेटफॉर्म (DIP) नामक एक पहल शुरु की है, जो नागरिकों को कुशल सेवाएं प्रदान करेगी।
- भारत सरकार ने भारत नेट (Bharat Net) नाम से एक पहल शुरू की है। यह देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए उच्चगति का डिजिटल हाईवे है।
- बीएसएनएल ने 30 वर्ष पुराने एक्सचेंजों को हटाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क (NGN) शुरू किया है, जो वॉयस, डाटा, मल्टीमीडिया/वीडियो और अन्य सभी प्रकार की संचार सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए आईपी आधारित प्रौद्योगिकी है।
- बीएसएनएल ने देशभर में वाई-फाई-हॉट-स्पॉट्स (Wi-fi-Hotspots) विकसित किए हैं, जहाँ मोबाइल उपकरणों के जिए बीएसएनएल वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है।
- नागरिक सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने ओर नागरिकों तथा प्राधिकरणों की एक-दूसरे के साथ बातचीत में सुधार लाने के लिए देशव्यापी कनेक्टिविटी की आवश्यकता को महसूस करते हुए ब्रॉडबैंड हाईवे को डिजिटल इंडिया को एक मुख्य स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है।

- विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में व अन्य राज्यों के छोटे और मुफस्सिल शहरों में बीपीओ केन्द्र खोलने के लिए बीपीओ नीति को मंजूरी दी गई है।
- नवाचार (Innovations) अनुसंधान और विकास (R & D) तथा उत्पाद और विकास को प्रोत्साहन देने उपक्रम निधियों (Venture Funds) की आत्म-निर्भर पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF) नीति लाई गई है।
- फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के उभरते हुए क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (National Centre for Flexible Electronics) स्थापित किया गया है।
- इंटरनेट ऑन थिंग्स के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence on Internet on Things) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ERNET व नैस्कॉम (NASSCOM) की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया है।

जतन तथा दर्शक

- C-DAC (Centre for Development for Advanced Computing) पुणे द्वारा 'जतन' नामक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। यह सॉफ्टवेयर म्यूजियम के अनुभवों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर देगा।
- इस नवीन तकनीक के जिए म्युजियम में प्रदर्शित सैंकड़ों कलाकृतियों को ऑनलाइन विजिटर्स त्रि-आयामी (3-D) स्वरूप में देख सकेंगे।
- यह सॉफ्टवेयर म्यूजियम का आभासी टूर उपलब्ध कराएगा।
- इस समूह ने 'दर्शक' नामक एक मोबाइल एप का भी विकास किया है जो दिव्यांगों के लिए म्यूजियम यात्रा के अनुभवों को उन्नत बनाएगा।
- इसके जिए रियल-टाइम में म्यूजियम की यात्रा करने वालों को किसी कलाकृति या वस्तु से संबंधित सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके जिए कलाकृति या वस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु केवल QR कोड (जो कलाकृति/ वस्तु के पास होगा) को स्कैन करना होगा।
- C-DAC, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना तकनीक मंत्रालय का अग्रणी अनुसंधान तथा विकास संगठन है। यह सूचना तथा तकनीक (IT) क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास (R&D) का कार्य करता है।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) या भारत नेट

- NOFN के संचालन के हेतु स्पेशल पर्पज ह्वीकल (SPV) के लिए भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (BBML) को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के तौर पर गठित किया गया हैं।
- यह ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के मध्य संपर्क अंतराल को पुरा करेगा।
- इसके माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के द्वारा 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 100 mbps बैण्डिविड्थ के साथ ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- इसका निधीयन सार्वभौमिक सेवा बाध्यता निधि (USOF) से किया जाएगा।
- यह परियोजना भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर ई-सेवाएँ जैसे-ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-प्रशासन आदि प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।
- इसके माध्यम से सभी सेवा प्रदाताओं जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSPs) इण्टरनेट सेवा प्रदाता (ISPs) केवल TV संचालकों आदि को NOFN तक भेदभाव रहित पहुँच सुनिश्चित कराई जाएगी, जिससे वे ग्रामीण क्षेत्रों तक विभिन्न सेवाएँ प्रदान कर सकें।
- यह परियोजना डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है।

'भारतनेट' योजना (चरण-II)

- केन्द्र सरकार ने ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं मुहैया कराने के लिए 'भारतनेट' परियोजना आरंभ की है।
- सरकार द्वारा आरंभ की गई इस सेवा को अब किफायती शुल्क ढांचे सहित लॉन्च किया जा रहा है।
- सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 5 नवंबर, 2017 तक 1,03,275
 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई।
- प्रखंड (ब्लॉक) और ग्राम पंचायतों के बीच असमान बैंडिविथ के लिए वार्षिक शुल्क दरें 10 एमबीपीएस तक के लिए ₹ 700 प्रति एमबीपीएस और 1 जीबीपीएस के लिए ₹ 200 प्रति एमबीपीएस तय की गई है।

प्रमुख तथ्य :

 केन्द्र सरकार द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा को मार्च, 2019 तक उपलब्ध कराने के लिए 13

- नवंबर, 2017 को भारतनेट परियोजना का दूसरा और अंतिम चरण आरंभ किया गया।
- 🤉 इस परियोजना पर लगभग ₹ 3 खरब 40 अरब खर्च होंगे।
- इस परियोजना के तहत 1.5 लाख पंचायतों को 10 लाख किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबिल के जरिए जोड़ा जाएगा।
- इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग और इंटरनेट की अन्य सुविधाओं समेत रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8 फरवरी, 2017 को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्य लक्ष्य :

- 🗘 यह विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम होगा।
- इसके तहत वर्ष 2017 में 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जबिक 2018 में इसके तहत 2.75 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- वर्ष 2019 तक इस लक्ष्य के तहत तीन करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- ₹ 2351.38 करोड़ की इस योजना का उद्देश्य मार्च, 2019 तक
 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है।
- इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीक मंत्रालय की देखरेख में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के नामित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों, 'जिला-ई-गवर्नेंस सोसायटी' डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसायटी आदि के सिक्रिय सहयोग के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- इस योजना में उम्मीदवारों को कम्प्यूटर, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण देकर ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने में मदद मिलेगी।
- इस योजना के तहत उम्मीदवारों को ई-मेल भेजना और प्राप्त करना, इंटरनेट ब्राऊज करना, डिजिटल भुगतान करना, सरकारी सूचनाओं के बारे में जानकारी खोजना और कुछ अन्य बुनियादी सूचना तकनीक के बारे में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

जिज्ञासा

- यह विद्यार्थी-वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम है।
- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगी।
- इसमें स्कूल के विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिससे विद्यार्थियों को कक्षा में सिखाई बातों को योजनाबद्ध अनुसंधान, प्रयोगशाला आधारित प्रशिक्षण के साथ समुचित रूप से जोड़ा जा सके।
- यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के New India Vision और वैज्ञानिक समुदाय और संस्थाओं के 'वैज्ञानिक-सामाजिक उत्तरदायित्व (S.S.R) से प्रेरित है।
- CSIR की स्थापना वर्ष 1942 में हुई यह एक स्वायत्त संस्था है तथा भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं।
- वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय मानव संसाधन विकास के लिए CSIR के अग्रणी सतत योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया, CSIR का एक प्रभाग मानव संसाधन विकास समूह (HRDG) के अंतर्गत कार्य करता है।

डिजिटल लॉकर (Digital-Loker)

- डिजी-लॉकर निवासी भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों के भण्डारण के लिए एक सुरक्षित एवं समर्पित ई-स्पेस प्रदान करता हैं।
- यह नागरिकों को पिब्लिक क्लाउड पर साझा निजी स्पेस उपलब्ध कराता है।
- निजी दस्तावेजों जैसे विश्वविद्यालयी प्रमाणपत्रों, पैन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, आदि को इस ई-स्पेस का उपयोग कर भण्डारित किया जा सकेगा तथा विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए ई-दस्तावेजों को भी भंडारित किया जा सकेगा।
- यह डिजिटल माध्यम से ही दस्तावेजों को सत्यापित कराने का मंच भी उपलब्ध कराएगा और इस प्रकार भौतिक दस्तावेजों के उपयोग की आवश्यकता को समाप्त करेगा।
- 🔾 इसमें दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर की सुविधा भी उपलब्ध हैं।

साइबर सुरक्षित भारत

- इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना तकनीक मंत्रालय ने साइबर सुरिक्षत
 भारत नामक पहल की घोषणा की है।
- इस मिशन का परिचालन जागरुकता, शिक्षा एवं सक्षमता के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा।

मुख्य उद्देश्य :

- साइबर-अपराध के विरुद्ध जागरुकता फैलाना तथा चीफ इन्फोर्मेशन सिक्युरिटी ऑफिसरों (CISOs) व सूचना तकनीक से संबंधित प्रमुख स्टाफ हेतु साइबर सुरक्षा से संबंधित क्षमता निर्माण करना है।
- साइबर सुरिक्षत भारत अपनी तरह का प्रथम सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम है। यह साइबर-सुरक्षा से जुड़े सूचना-तकनीक उद्योग के विशेषज्ञों को बढावा देगा।
- केंद्र व राज्यों की सरकारों के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वायुसेना, थल-सेना व नौसेना की तकनीकी शाखाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक सीरिज का आयोजन किया जाएगा।

नवाचारों के विकास के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDHI)

- यह नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए खोज से लेकर सलाहकार स्तर तक नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी शृंखला के लिए एक कार्यक्रम है।
- 90 करोड़ की लागत से आईआईटी गांधी नगर में एक अनुसंधान पार्क की स्थापना की गई है।
- यह एक अंब्रेला कार्यक्रम है जो योजना एवं नवाचारों (ज्ञान आधारित तथा तकनीक प्रेरित) को प्रोत्साहन प्रदान कर सफल स्टार्टअप्स का रूप प्रदान करता है।
- इसका लक्ष्य विद्यार्थियों के नवाचारों को नवाचार एवं उद्यमिता विकास केंद्रों (IEDC) तक ले जाकर उनके नवाचारों की यात्रा को तीव्रता प्रदान करने के लिए तथा प्राथमिक शुरुआत देने के लिए शुरुआती वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

उमंग एप

- 🤰 26 नवंबर, 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
- उमंग ऐप एक मोबाइल ऐप है, जो नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने हेतु लांच की गई है। उमंग का पूरा नाम है- (Unified Mobile Application for New-age Governance-UMANG)
- इस ऐप पर अन्य सेवाओं के साथ आधार, डिजिटल लॉकर,
 भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) जैसी सुविधाएं उपलब्ध है।
- इसके जिरए भुगतान उपयोग की तरह, राज्यों व केंद्र सरकार के विभिन्न सरकारी संगठनों की लगभग 1200 से अधिक सेवाएं प्रदान की जाने की उम्मीद की जा रही है।

- इस ऐप के जरिए नागरिक EPFO (Employees Provident Fund Organisation) सेवाएं नए PAN के लिए आवेदन तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पंजीकरण जैसी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।
- यह ऐप इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना तकनीक मंत्रालय (Meity)
 के नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन द्वारा विकसित तथा संचालित
 की जा रही है।

'मैं नहीं हम' एप लांच

- प्रधानमंत्री ने 24 अक्टूबर 2018 को 'मैं नहीं हम' पोर्टल और एप लांच किया। ये पोर्टल 'सेल्फ फॉर सोसायटी' की थीम पर काम करेगा।
- इससे आईटी पेशेवरों और संगठनों को सामाजिक सरोकार की दिशा में काम करने के लिए एक मंच मिलेगा।
- इसके माध्यम से समाज के कमजोर तबके को प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है।
- कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कई उद्योगपितयों से मिले और आईटी पेशेवरों तथा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपिनयों के कर्मचारियों को संबोधित किया।
- इस अवसर पर देश भर के 100 से ज्यादा स्थानों से आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता वीडियो कांफ्रेंस के जिए आयोजन से जुड़े।

उद्देश्य :

इसका उद्देश्य आईटी क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन होने वाले लाभ का फायदा समाज के कमजोर तबकों को पहुंचाना है, यही नहीं पोर्टल के जिए समाज की बेहतरी के लिए काम करने के इच्छुक लोगों की व्यापक सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा।

'मैं नहीं हम' नाम क्यों?

यह पोर्टल पर आईटी क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों, सामाजिक संगठनों और समाज सेवा से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का काम करेगा और इसलिए इसका नाम 'मैं नहीं हम' रखा गया है।

डिजिटल भारत का हिस्साः

मोदी सरकार का ये कदम उनके डिजिटल भारत का ही हिस्सा है, जिसके जिरए वो आम लोगों को आईटी के जिरए एक साथ मंच पर लाना चाहती है।

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें।
- इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है।

'मैं नहीं, हम' नारे का इस्तेमाल:

- 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 'मैं नहीं, हम' नारे का इस्तेमाल किया था।
- कांग्रेस से पहले इस नारे का इस्तेमाल बीजेपी ने वर्ष 2011
 में किया था।
- 'मैं नहीं, हम' का नारा नरेन्द्र मोदी ने फरवरी 2011 में ही दिया था।
- मोदी का यह कैंपेन गुजरात सरकार के कामों से जुड़ा हुआ
 था।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम (DBT)

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना केंद्र सरकार का महत्त्वपूर्ण सुधारात्मक पहल है जिसके तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाया जाता है। लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहंचायी जाती है।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का उल्लेख पहली बार तत्कालीन वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के केन्द्रीय बजट में किया था। उस समय केरोसीन, एलपीजी और उर्वरकों के लिए नकद सब्सिडी का सीधे भुगतान करने के तौर-तरीकों पर विचार करने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक कार्यदल बनाया गया, जिसने फरवरी 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
- इसी आधार पर 1 जनवरी, 2013 को देश के 43 जिलों में प्रत्यक्ष नकद भुगतान योजना आरंभ किया गया।
- बाद में योजना का नाम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कर दिया गया है। 12 दिसंबर, 2014 को देश के सभी जिलों में यह योजना लागू कर दिया गया।
- 14 सितंबर, 2015 से इस योजना को कैबिनेट सिचवालय के अधीन कर दिया गया है। दिसंबर 2017 तक इस स्कीम के तहत 56 मंत्रालयों/विभागों की 400 योजनाएं संचालित की जा रही है।

देवस्थल ऑप्टिकल दूरबीन-उत्तराखण्ड

- 🖸 यह भारत की सबसे बड़ी स्थल आधारित ऑप्टिकल दूरबीन है।
- यह दूरबीन भारत-बेल्जियम का संयुक्त प्रयास है। रिशयन एकडिमी ने इसमें सहायता प्रदान की है।
- इसका संचालन आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन सांइसेज (ARIES) द्वारा किया जाएगा, जो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त अनुसंधान निकाय है।
- भारतीय प्रधानमंत्री एवं बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने 30 मार्च,
 2016 को रिमोट के जिरए इसका उद्घाटन किया।

आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में

- (i) यह एक स्वायत्तशासी संस्थान है, जिसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई।
- (ii) यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
- (iii) इसका मुख्य उद्देश्य खगोल विज्ञान, खगोल भौतिक और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान करना है।
- यह एशिया में भी सबसे बड़ी स्थल आधारित ऑप्टिकल दूरबीन होगी, जो कि कवालूर, तिमलनाडु, स्थित बेतुबापू ऑब्जरवेटरी की अनुयायी होगी।

सूर्य ज्योति

- यह एक फोटोवोल्टेयिक एकीकृत सूक्ष्म सौर बल्ब है यह एक सरल नवाचारी तकनीक है, जिसका विकास उन लोगों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है, जिनकी विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति तक पहुँच नहीं है।
- यह बल्ब दिन में सूर्य प्रकाश को ग्रहण करेगा तथा इसी प्रकाश को अंधेरे कमरे में (शहरी बस्तियों या ग्रामीण क्षेत्रों के) उत्सर्जित करेगा।

मोडिफायड स्पेशल इनसेंटिव पैकेज स्कीम

- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने तथा पंगुता को समाप्त करने के लिए 27 जुलाई, 2012 को 'मोडिफायड स्पेशल इनसेंटिव पैकेज स्कीम' (Modified Special Incentive Package Scheme: M-SIPS) अधिसूचित की गई।
- यह स्कीम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग (ESDM) में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराती है।
- 🗘 यह स्कीम पूंजीगत व्यय पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है-विशेष

- आर्थिक क्षेत्र में निवेश पर 20 प्रतिशत एवं गैर-विशेष आर्थिक क्षेत्र में निवेश पर 25 प्रतिशत।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 18 जनवरी, 2017 को इस स्कीम में संशोधन किया ताकि वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के 'शुद्ध शून्य आयात' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- इस संशोधन का लक्ष्य रोजगार सृजन एवं आयात पर निर्भरता कम करना है।

प्रगति योजना (PRAGATI)

- यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित मल्टीमॉडल प्लेटफॉर्म है।
- 🗴 प्रगति एक विशिष्ट समेकित एवं अन्त:क्रियात्मक प्लेटफॉर्म है।
- यह आम नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई एवं भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों के अनुश्रवण तथा पुनरीक्षा पर केन्द्रित है।
- प्रगति प्लेटफॉर्म में तीन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है –
 - (i) डिजिटल डाटा मैनेजमेन्ट.
 - (ii) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं
 - (iii) भू-स्थलीय प्रौद्योगिकी।
- चूंिक इस प्लेटफॉर्म में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के सिचवों तथा राज्य सरकारों के मुख्य सिचवों को एक साथ लाया गया है। इसिलए यह सहयोगात्मक संघवाद को वास्तविकता में परिलक्षित करता है।

प्रमुख विशेषताएं :

- प्रधानमंत्री कार्यालय, संघीय सरकार के सिचवों, राज्यों के मुख्य सिचवों की समेकित सहभागिता के साथ यह थ्री टियर प्रणाली है।
- प्रधानमंत्री भारत सरकार के सिचवों तथा राज्यों के मुख्य सिचवों के साथ डाटा एवं जियो-इन्फॉर्मेटिक्स विजुअल सिहत माह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं।
- 🕹 इस प्रकार का पहला कार्यक्रम 25 मार्च, 2015 को किया गया।
- अब यह प्रत्येक माह चौथे बुधवार (प्रगति दिवस) को अपराह्र से सम्पन्न होता है।
- इसमें जन शिकायतों से संबंधित मुद्दों को उठाया जाता है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय को सामान्य नागरिकों से प्राप्त शिकायतों
 एवं सुझावों पर भी विचार-विमर्श होता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

स्टार्टअप इण्डिया योजना

- इस योजना का उद्देश्य उद्यमिता एवं नवाचार को प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप की वृद्धि के लिए एक बेहतर वातावरण स्थापित करना है।
- किसी कंपनी को स्टार्टअप कैटेगरी में आने के लिए उसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरिशप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरिशप फर्म के रूप में रजिस्टर होना जरूरी है।
- योजना के अंतर्गत, स्टार्टअप वह इकाई होगी जिसका मुख्यालय भारत में हो, जिसे स्थापित हुए 5 वर्ष से कम समय हुआ हो तथा जिसका वार्षिक टर्नओवर रु. 25 करोड़ से कम हो।
- स्टार्टअप योजना प्रदान करती है-
 - प्रमाणन आधारित एक सरल अनुपालन व्यवस्था।
 - मोबाइल एप आधारित एकल खिड्की मंजूरी व्यवस्था।
 - स्टार्टअप को उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सहायता के लिए स्टार्टअप इण्डिया हब।
 - पेटेंट परिक्षण (एप्लीकेशन) में पेटेंट लागत में 80 प्रतिशत छूट तथा वैधानिक समर्थन।
 - नए दिवालिया कानून के माध्यम से 90 दिनों के भीतर त्वरित निकासी सुविधा।
 - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से 'क्रेडिट गांरटी फण्ड'।
 - रु. 10,000 करोड़ की पूँजी से स्थापित फण्ड ऑफ फण्ड्स कोष से वित्तीय सहायता।
 - फण्ड ऑफ फण्ड्स कोष में पूँजी निवेश पर होने वाले पूँजीगत लाभ कर (CGT) से छूट।
 - स्टार्टअप को 3 वर्ष तक कर छूट सुविधा।
 - श्रम निरीक्षण (Labour Inspection) से 3 वर्ष तक छूट।
 - नीति आयोग के स्व-रोजगार एवं योग्यता उपयोग (SETU)
 कार्यक्रम के साथ अटल नवाचार मिशन (AIM) के माध्यम
 से नवाचार केन्द्र की स्थापना।
 - निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को साथ लेकर 35 नए 'एक्यूबेशन सेंटर' की स्थापना।
 - इस पहल का उद्देश्य SC/ST मिहला समुदायों में भी उद्यमिता को बढावा देना हैं।
 - स्टार्टअप इण्डिया योजना को ग्रामीण स्तर पर दीन दयाल उपाध्याय स्विनयोजन योजना के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम

- देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा 25
 सिंतबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम आरंभ किया गया।
- इस पहल के चार स्तंभ है; नई प्रक्रियाएं, नई अवसंरचना, नए क्षेत्र और नई सोच।
- 🗴 इसके तहत 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- केंद्र सरकार के मुताबिक यह पहल केवल विनिर्माण सेक्टर को ही लक्षित नहीं करता वरन् भारत में उद्यमिता के संवर्द्धन का लक्ष्य लेकर भी चलता है।
- इस कार्यक्रम के तहत भारत में विनिर्माण के लिए अनुकूल माहौल सृजित करना, आधुनिक एवं कुशल आधार संरचना का निर्माण, विदेशी निवेश के लिए नए सेक्टर को खोलना तथा सकारात्मक मानसिकता के द्वारा सरकार एवं उद्योग के बीच साझेदारी का निर्माण करना है।

स्टैंड अप इंडिया स्कीम

- प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल, 2016 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्टैंड अप इंडिया अभियान की शुरूआत की।
- 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम' केन्द्र सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत ₹ 10 लाख से ₹ 1 करोड़ तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इस योजना से ऐसे उद्यमियों को बड़ी संख्या में लाभ मिलने की संभावना है। वंचितों और दिलतों को आगे लाना स्टैंड अप इंडिया का लक्ष्य है।

मुख्य बिन्दु :

- नए उद्यम स्थापित करने के लिए कार्यशील पूंजी घटक के समग्र के तौर पर ₹ 10 लाख से ₹ 1 करोड़ तक के बीच के संयुक्त ऋण।
- 🗘 कार्यशील पूंजी के आहरण के लिए डेबिट कार्ड (रुपे)।
- 🗘 ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण इतिहास तैयार किया जाएगा।
- ₹ 10 हजार करोड़ की प्रारंभिक धनराशि के साथ भारतीय लघु
 उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के माध्यम से पुन: वित्त सुविधा
 प्रदान किया जाएगा।
- NCGTC के माध्यम से ऋण गारंटी के लिए ₹ 5,000 करोड़ के कोष का निर्माण।

योजना/परियोजना-2019

- ऋण पूर्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं, ऋण को सुविधाजनक बनाने, फैक्टरिंग और विपणन आदि के लिए सहायता के साथ ऋण लेने वाले को व्यापक समर्थन।
- 📀 ऑनलाइन पंजीकरण और सहायता सेवाओं के लिए वेब पोर्टल।
- इस प्रस्ताव का समग्र उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला ऋण प्राप्तकर्ताओं के द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के लिए बैंक ऋणों की सुविधा प्रदान करते हुए जनसंख्या के सेवाधीन क्षेत्रों तक पहुँच बनाने के लिए संस्थागत ऋण संरचना का लाभ उठाना है। इस पहल से अन्य विभागों में चल रही योजनाओं के साथ सहयोग करने का भी लाभ मिलेगा।
- 🗴 इस प्रक्रिया का नेतृत्व सिडबी के द्वारा सम्पूर्ण देश के विशेष

- संस्थानों के विभिन्न क्षेत्रों में दिलत इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से किया जाएगा।
- सिडबी के कार्यालय और कृषि एवं ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंकों को स्टैंड अप सम्पर्क केन्द्रों के तौर पर नामित किया जाएगा।
- स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के 2.5 लाख उद्यमी तैयार किए जाएंगे।
- स्टैंड अप इंडिया के तहत देश की 1.25 लाख बैंक शाखाओं की ओर से एक दलित और एक महिला उद्यमी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नोएडा में कौशल विकास केन्द्र का भी उद्घाटन किया

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

क्षेत्रीय सम्पर्क योजना-उड़ान (UDAN)

- यह वहनीय लागतों पर क्षेत्रीय हवाई सेवा उपलब्ध कराने हेतु योजना है।
- हवाई यात्रा सुविधा देने वाली कंपनियों को क्षेत्रीय हवाई सेवा प्रदान करने को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ विशिष्ट छूट देने का प्रावधान जैसे विमानपत्तन संचालकों द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न शुल्कों में छूट, एक्साइज ड्यूटी पर 2 प्रतिशत, हवाई ईंधन पर वैट 1 प्रतिशत आदि के प्रावधान किए गए हैं।
- भारतीय विमानन प्राधिकरण (AAI) इसे संचालित करने वाली एजेंसी है।
- विमान से 500 िकमी. की एक घण्टे की यात्रा तथा हेलीकॉप्टर से 30 िमनट की यात्रा के लिए िकराये की सीमा 2500 रु० की होगी।
- चुनिंदा हवाई कंपनियों को अपनी 50% सीटें क्षेत्रीय हवाई सेवा
 के लिए आरक्षित रखनी होगी, जैसे 3-7 हवाई यात्राएँ प्रति सप्ताह।
- एक क्षेत्रीय सम्पर्क निधि (RCF) बनाई जाएगी जो क्षेत्रीय हवाई सेवा को सहायिकी प्रदान करेगी।
- इस योजना के कारण होने वाली राजस्व क्षतिपूर्ति का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करेगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह अनुपात 90: 10 का होगा। 90% केंद्र सरकार तथा 10% राज्य सरकार वहन करेगी।
- यह क्षितिपूर्ति व्यावहारिक अंतराल निधियन (Viability gap funding) के माध्यम से क्षेत्रीय सम्पर्क निधि (RCF) से चयनित एयरलाइन संचालकों को की जाएगी।

- VGF उद्घोषणा से अगले 3 वर्षों तक क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के लिए प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद से 10 वर्षों तक रहेगा।
- यह सेवा केवल उन राज्यों तथा उन एयरपोर्ट्स पर संचालित की जाएगी, जो इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली छूट देने को तैयार होंगे।
- महाराष्ट्र क्षेत्रीय हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य हैं।

प्रमुख तथ्य :

- उड़ान योजना के तहत 70 विमानपत्तनों से उड़ानें संचालित करने के प्रस्तावों को मंजूरी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने प्रदान की है।
- 🖸 इनमें से 27 एयरपोर्ट ही वर्तमान में पूरी तरह संचालित हैं।
- जिन विमान सेवा कम्पिनयों को इस योजना के तहत् उड़ानों हेतु चुना गया है, उनमें एलायंस एयर, स्पाइस जेट, टर्बो मेघा एयरवेज, एयर डेक्कन व एयर ओडिशा शामिल हैं।
- 15 जून, 2016 को घोषित नागरिक उड्डयन नीति (National Civil Aviation Policy–NCAP) में घोषित क्षेत्रीय संपर्क योजना (Regional Connectivity Scheme) के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने के लिए 'उड़ान' का उल्लेख किया गया था।

उडान-2

प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को उड़ान योजना की विधि वत शुरुआत की जिसमें देश भर में 109 हवाई अड्डों/हेलीपैड को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। उड़ान स्कीम के तहत 78 हवाई अड्डे और 31 हेलीपोर्ट या हेलीपैड भी शामिल हैं और 325 मार्ग जुड़े होंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, रोजगार में बढ़ोतरी करने के साथ संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढावा देना है।

'डिजी यात्रा' सेवा आरंभ

- केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने 04 अक्टूबर 2018 को हवाई अड्डों पर विमान यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा- 'डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म' की नीति जारी कर दी है।
- इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विमान यात्रियों के लिए देश भर के हवाई अड्डों पर टिकट बुिकंग तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एकसमान व्यवस्था की गई है।

डिजी यात्रा

- यह हवाई अड्डे में प्रवेश करने और विमान पर सवार होने तक यात्रियों को यात्रा का सहज अनुभव कराएगी। इस प्रणाली के तहत यात्रियों का एक केन्द्रीयकृत प्रणाली के जिरए पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें डिजी यात्रा आईडी दी जाएगी।
- आईडी में यात्रियों का नाम, उनकी ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार न होने की स्थिति में कोई अन्य पहचान पत्र का विवरण होगा।
- 🖸 टिकट बुक कराते समय यात्री इस आईडी का इस्तेमाल कर सकेंगे।

डिजी यात्रा सेवा में क्या है विशेष?

- हवाई यात्रियों के लिए सरकार ने डिजी यात्रा नाम की नई सुविधा शुरू की है।
- यात्री के चेहरे और बायोमैटिक से एयरपोर्ट पर इंट्री कर सकेंगे।
- इसके लिए यात्रियों को आधार और पासपोर्ट के जिए ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होगा।
- यह पूरी तरह यात्रियों की मर्जी पर निर्भर करेगा कि यदि यात्री चाहेंगे तभी उनके चेहरे का उपयोग होगा।
- इससे अब यात्रियों को बोर्डिंग पास की जरूरत नहीं होगी।
- सबसे पहले इसको वाराणसी, विजयवाडा, पुणे और कोलकाता
 में 6 महीने में शुरू किया जाएगा।

- इसके बाद दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बंगलुरु के एयरपोर्ट पर शुरू किया जाएगा।
- "डिजीयात्रा" योजना, यूनिक आईडी जैसे भारतीय नागरिकों के आधार, पासपोर्ट या पैन कार्ड को पीएनआर की बुिकंग के लिए लिंक करेगी।
- बुकिंग के समय स्वचालित प्रणाली हवाई टिकट के साथ अद्वितीय पहचान (यूआईडी) लिंक करेगी।

'डिजिटल स्काई'

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में ड्रोन उड़ानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
- मंत्रालय ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल 'डिजिटल स्काई'
 की शुरुआत की है, जिसके जिरए रिजस्ट्रेशन किया जा सकता है।
- विदित हो कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में ड्रोन उड़ाने के लिए नियम एवं शर्ते तय किये थे। ये नियम एक दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं।
- इन नियमों के अंतर्गत ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को अपने ड्रोन का एक बार रिजस्ट्रेशन कराना होगा। उन्हें ड्रोन के पायलट और मालिक का विवरण भी दर्ज कराना होगा।

ड्रोन की पांच श्रेणियां

मंत्रालय की ओर से जारी की गई ड्रोन पॉलिसी 1.0 के मुताबिक, ड्रोन को वजन के आधार पर पांच श्रेणियों में बांटा गया है: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज।

नो ड्रोन जोन

- 🗘 मंत्रालय ने कुछ जगहों को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया है।
- एयरपोर्ट्स के आसपास, इंटरनेशनल बॉर्डर, दिल्ली में विजय चौक, सभी राज्यों की राजधानी में स्थित सचिवालय, मिलिट्री इंस्टालेशंस तथा अन्य कूटनीतिक लोकेशन।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- डिजिटल स्काई पोर्टल लॉन्च होने के बाद नैनो कैटेगरी के ड्रोन उडाना संभव हो गया है।
- माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज कैटेगरी के ड्रोन उडा़ने के लिए डीजीसीए से अनमैन्ड एरियल ऑपरेटर परिमट (UAOP) और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) लेने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ समय लग सकता है।
- नियमों के अंतर्गत ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों को अपने ड्रोन का एक बार रिजस्ट्रेशन कराना होगा।

विदेशी मामलों के मंत्रालय

समीप

- विदेश मामलों के मंत्रालय (Ministry of External Affairs -MEA) ने समीप नामक एक व्यापक मिशन आरम्भ किया है
- SAMEEP का पूरा नाम है Students and MEA Engagement Programme. जिसका उद्देश्य देश भर के छात्रों को भारत की विदेश नीति तथा इसके वैश्विक संबंधों के बारे में अवगत कराना है।
- देश के विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विदेश मामलों के मंत्रालय (MEA) तथा इसकी कार्य-प्रणाली के बारे में अवगत करना है।
- इसके तहत मंत्रालय के सभी अधिकारियों (अंडर सेक्रेटरी तथा इसके ऊपर की रैंक के) को विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को मंत्रालय के कार्यों की जानकारी देने के लिए कहा गया है।
- इससे विद्यार्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत किस प्रकार शेष विश्व से जुड़ा हुआ है, देश की विदेशी नीति की प्राथमिकताएं क्या है? तथा वास्तविकता में कूटनीति क्या होती है।
- यह कार्यक्रम स्वैच्छिक है तथा यह अधिकरियों को अपनी मातृ संस्था या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय (चाहे वो उनके गृहनगर में ही क्यों न हो) में जाने की स्वतंत्रता देता है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

- चावल, गेहूँ, दालें, मोटा अनाज तथा वाणिज्यिक फसलों (कपास, जूट तथा गन्ना) के उत्पादन में वृद्धि के लिए इस मिशन को प्रारंभ किया गया है।
- चावल, गेहूँ तथा दालों के उत्पादन में क्रमश: 10, 8, तथा
 4 मिलियन टन की वृद्धि तथा मोटे अनाज के उत्पादन में 3
 मिलियन टन की वृद्धि करना।
- 50:50 केंद्र-राज्यों के मध्य खाद्य फसलों के लिए तथा 100% वित्तीयन केंद्र द्वारा वाणिज्यिक फसलों के लिए।
- इसका क्रियान्वयन क्लस्टर प्रदर्शन (सामूहिक प्रदर्शन), उच्च उत्पादक बीजों HYV के वितरण, कृषि यांत्रिकीकरण तथा पेस्ट (रोग) प्रबंधन द्वारा किया जाएगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) इस मिशन से भिन्न है तथा NFSA का संचालन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा होता है।
- पूर्वी राज्यों में असम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसने इस मिशन के तहत चावल उत्पादन को बढ़ावा देने मे महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

- वर्ष 2016 नवम्बर से यह सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है।
- इसका उद्देश्य भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या अर्थात
 ग्रामीण क्षेत्रों की 75% तथा शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत

- जनसंख्या को वहनीय दरों पर खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
- यह पहले से विद्यमान विभिन्न खाद्य सुरक्षा योजनाओं को वैधानिक दायित्व प्रदान करता है अर्थात कल्याण आधारित दृष्टिकोण को अधिकार आधारित दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- इसमें मध्याह्न भोजन योजना (MDM), एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) सम्मिलित है तथा यह मातृत्व लाभों को भी सम्मिलित करता है।
- NFSA अधिनियम के तहत प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 5 किग्रा. अनाज दिया जाता है। जिसमें चावल, गेहूँ तथा मोटा अनाज क्रमश: 3, 2 व 1 प्रति किग्रा. की दर से वितिरत किए जाते हैं।
- अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत लाभार्थी पूर्ववत प्रतिमाह 35
 िकग्रा प्रति परिवार समान दरों से प्राप्त करते रहेंगे।
- यह आयु अनुसार उचित भोजन की गारंटी भी प्रदान करता है, जिसके तहत 6 माह से कम आयु के शिशुओं को आँगनबाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क आहार तथा 6-14 वर्ष आयु के बालकों को विद्यालयों में एक नि:शुल्क आहार प्रदान किया जाता है।
- प्रत्येक गर्भवती व दूध पिलाने वाली माता के लिए स्थानीय आँगनबाड़ियों के माध्यम से नि:शुल्क आहार की व्यवस्था की गई है तथा इसके साथ रु. 6000 के मातृत्व लाभ को किस्तों में प्रदान करने का भी प्रावधान है। यह मातृत्व लाभ सरकारी सेवा में नियोजित स्त्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है।
- 🗴 उपयुक्त परिवारों की पहचान का दायित्व राज्य सरकारों पर है।

पृष्ठभूमि :

- भारत सरकार की पहल पर 20 अगस्त, 2013 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तराखण्ड में 'सबके लिए खाद्य' लक्ष्य को लेकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना-2013 औपचारिक तौर पर लागू कर दी गई।
- इस योजना के लिए सरकार ने 3 जुलाई, 2013 को अध्यादेश जारी किया था।
- 28 अगस्त, 2013 को लोक सभा ने औपचारिक रूप से खाद्य सुरक्षा विधेयक-2013 पारित कर दिया, जिसे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 7 अगस्त, 2013 को लोकसभा में पेश किया था।
- 🗴 कुपोषित बच्चों, जिन्हें राज्य सरकार आंगनबाड़ी के माध्यम से

चिह्नित करेगी, को नि:शुल्क भोजन मिलेगा।

- योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारें करेंगी।
- यदि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति/बच्चे/महिला को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाती है तो उसे खाद्य सुरक्षा भत्ता, जिसकी दर का निर्धारण भारत सरकार करेगी, का भुगतान खाद्य से वंचित व्यक्ति को करना होगा।
- योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी।
- राशन कार्ड प्रत्येक परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो के नाम से निर्गत होगा।
- प्रत्येक राज्य सरकार राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी जो योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं पुनरीक्षण करेगा।

अंत्योदय अन्न योजना

- यह योजना निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंत्योदय अन्न योजना नाम से प्रारंभ की गई।
- इसके अंतर्गत देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 35 किग्रा. (1 अप्रैल, 2002 से) अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया गया जाता है।
- इस योजना से एक करोड निर्धनतम परिवार (लगभग 5 करोड लोग) लाभान्वित होते हैं।
- सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया है।

प्राथमिकता समूहों से परिवार

- (i) ऐसे परिवार जिनकी प्रमुख विधवा या मरणासन्न बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का ऐसा व्यक्ति हो, जिसके पास आजीविका का सुनिश्चित साधन अथवा सामाजिक सहारा न हो।
- (ii) विधवाएं या मरणासन्न व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति अथवा ऐसी अकेली महिला या अकेला पुरुष, जिसका कोई पारिवारिक या सामाजिक सहारा न हो।
- (iii) सभी मूल जनजातीय परिवार (विस्तारित अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जनजातीय लाभार्थियों को राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में जनजातीय आबादी के अनुपात में होना चाहिए)।
- राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे इन अतिरिक्त परिवारों की पहचान करके उन्हें विशेष राशन कार्ड जारी करें ताकि वे अंत्योदय अत्र योजना का लाभ उठा सकें।

जीरो हंगर प्रोग्राम

- विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) के अवसर पर देश के तीन जिलों ने कृषि क्षेत्र के सहयोग से देश का महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम "जीरो हंगर प्रोग्राम" आरंभ किया है।
- ये तीन जिले हैं- उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, उड़ीसा में कोरापुट तथा महाराष्ट्र में थाणे।
- यह देश में सन् 2030 तक भुखमरी के अंत के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबंधित (in sync with) कृषि आधारित

प्रोग्राम है।

- यह इण्डियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR)
 द्वारा आरंभ किया जाएगा। इसमें ICAR साथ अन्य सहयोगी
 संस्थान होंगे− इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
 (ICMR), द एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाण्डेशन तथा
 द बायोटेक्नोलॉजी इण्डस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल
 (BIRAC)।
- ये तीन जिले कृषि/बागवानी गितविधियों में एक समन्वित एप्रोच अपनाने हेतु एक मॉडल की तरह कार्य करेंगे।

- यह कार्यक्रम पोषण हेतु कृषि प्रणालियों के संगठनों, आनुवांशिक उद्यानों (gentic gardens) तथा जीरो हंगर गतिविधियों के आरंभ से मिलकर बना है।
- बायोफोर्टीफाइट (Biofartified) पादपों/फसलों हेतु एक आनुवंशिक उद्यान में प्राकृतिक रूप से बायोफोर्टीफाइड फसलों
- या पादपों के प्रजनन से उत्पन्न फसलों में जर्मप्लाज्म पाए जातें हैं।
- इसमें ऐसे पादप या फसलें होती हैं, जो दूसरी फसलों को भी लौह, आयोडीन, विटामिन ए तथा जिंक के साथ-साथ अन्य सूक्ष्म पोषकों की कमी की पूर्ति करते हैं।

संस्कृति मंत्रालय

मौसम परियोजना (प्रोजेक्ट मौसम)

- मौसम परियोजना विश्व विरासत सूची में ट्रांसनेशनल मिश्रित मार्ग (प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विरासत सिहत) प्रदर्शित करने से संबंधित है।
- इसका उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र में मानसूनी पवनों के ज्ञान एवं प्रभाव को जानना है तथा इस साझा ज्ञान तंत्र, परंपरा, तकनीक तथा विचारों को समुद्री मार्गों तक विस्तारित करना है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) इसके लिए नोडल एजेंसी है तथा इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (IGNCA) इसके लिए अनुसंधान इकाई है।
- राष्ट्रीय संग्रहालय व इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) इससे सम्बद्ध निकाय है।
- यह परियोजना पुरातत्व व ऐतिहासिक अनुसंधान को समन्वित करती है तथा 39 हिंद महासागरीय देशों के मध्य सांस्कृतिक विविधता, वाणिज्यिक व धार्मिक अंतर्क्रिया को प्रोत्साहित करती है।
- राज्यों के मध्य पुराने सम्पर्कों को पुन: विकसित करना, विश्व विरासत स्थलों तक सम्पर्क निर्माण, सांस्कृतिक भू-दृश्य को पुन: परिभाषित करना, विश्व विरासत में पार देशीय नामांकन प्राप्त करना।

सेवा भोज योजना

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कुल 325 करोड़ रुपये की लागत से 'सेवा भोज योजना' नामक नई योजना शुरू की है।

योजना के विषय में

इस योजना के तहत भोजन/प्रसाद/लंगर(सामुदायिक रसोई)/ भंडारे के लिए घी/तेल/आटा/मैदा/रवा, चावल, दाल, चीनी, बूरा/गुड़ जैसी कच्ची सामग्री की खरीदारी पर केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) का केन्द्र सरकार का हिस्सा लौटा दिया

- जाएगा, ताकि लोगों/श्रद्धालुओं को बगैर किसी भेदभाव के नि:शुल्क भोजन/प्रसाद/लंगर(सामुदायिक रसोई)/भंडारा प्रदान करने वाले परोपकारी धार्मिक संस्थानों का वित्तीय बोझ कम किया जा सके।
- वित्तीय सहायता/अनुदान के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम पांच वर्षों तक कार्यरत मंदिर, गुरूद्वारा, मस्जिद, गिरिजाघर, धार्मिक आश्रम, दरगाह, मठ जैसे परोपकारी धार्मिक संस्थानों और एक महीने में कम से कम 5,000 लोगों को निःशुल्क, भोजन प्रदान करने तथा आयकर की धारा 10 (23बीबीए) के तहत आने वाले संस्थान या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 की XXI) के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत संस्थान अथवा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक धार्मिक संस्था के बनने के समय लागू कानून के तहत जन न्यास के तौर पर या आयकर अधिनियम की धारा 12 एए के तहत पंजीकृत संस्थान इस योजना के तहत अनुदान पाने के पात्र होंगे।
- संस्कृति मंत्रालय वित्त आयोग की अविध के साथ समाप्त होने वाली समयाविध के लिए पात्र परोपकारी धर्मार्थ संस्थान का पंजीकरण करेगा।
- इसके बाद संस्थान के कार्यों का आकलन करने के पश्चात मंत्रालय पंजीकरण का नवीनीकरण कर सकता है।
- जन साधारण, जीएसटी प्राधिकारियों और संस्था/संस्थान के लिए पंजीकृत संस्थान का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
- संस्था/संस्थान को जीएसटी और आईजीएसटी का केन्द्र सरकार के हिस्से को वापस पाने के लिए राज्य स्तर पर जीएसटी विभाग के निर्धारित अधिकारी को पंजीकरण की मान्यता के दौरान निर्दिष्ट प्रारूप में भेजना होगा।
- सहयोग ज्ञापन, कर्मचारियों या नि:शुल्क भोजन सेवा के स्थान को बढ़ाने/कम करने के किसी भी प्रकार के बदलाव के बारे में मंत्रालय को जानकारी देने की जिम्मेदारी संस्थान/संस्था की होगी।

योजना/परियोजना-2019

- सभी पात्र संस्थानों का दर्पण पोर्टल में पंजीकरण आवश्यक है।
 मंत्रालय को प्राप्त हुए सभी आवेदनों की जांच चार सप्ताह के भीतर इस उद्देश्य से गठित समिति द्वारा की जाएगी।
- विशेष सामग्रियों पर सीजीएसटी और आईजीएसटी का केन्द्र सरकार का हिस्सा वापस लौटाने के लिए परोपकारी धार्मिक संस्थानों का पंजीकरण करेगा।

संकल्प से सिद्धी

- यह योजना 4 जनवरी, 2014 से प्रारंभ की गई।
- संकल्प से सिद्धी (Attainment through Resolove) कार्यक्रम सन् 2017 से 2022 तक के लिए 'न्यू इण्डिया मूवमेंट' हेतु

- केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई पहलें है।
- यह 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर
 21 अगस्त, 2017 से प्रारंभ की गई।
- इसके तहत् कृषि क्षेत्र में सात-सूत्री कार्यक्रम लागू किया जा रहा है जिसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है।
- न्यू इण्डिया मूवमेंट (नया भारत आंदोलन) का लक्ष्य सन् 2017-2022 तक देश को बहुत सारी सामाजिक बुराइयों जैसे- गरीबी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अस्वच्छता आदि से मुक्त करना है। इसके लिए जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

पर्यटन मंत्रालय

'स्वदेश दर्शन'

मेघालय के मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत लागू 'पूर्वोत्तर सर्किट का विकास: उमियम (झील दृश्य)-यू लुम सोहपेटिबनेंग -माउदिआंगडियांग-आर्किड लेक रिजॉर्ट' परियोजना का उद्घाटन किया।

मुख्य तथ्य :

- पर्यटन मंत्रालय ने 2016 में 99.13 करोड़ रुपये की लागत वाली इस 'पूर्वोत्तर सर्किट का विकास: उमियम (झील दृश्य)-यू लुम सोहपेटिबनेंग-माउदिआंगडियांग-आर्किड लेक रिजॉर्ट' परियोजना को मंज्री दी थी।
- इस परियोजना के तहत मंत्रालय ने पारंपरिक हीलिंग केंद्र, जनजातीय कायाकल्प केंद्र, पर्यटक सूचना केंद्र, बहुद्देशीय हॉल, लॉग हट्स, कैफेटेरिया, साउंड एंड लाइट शो, स्मारिका दुकानें, वाटर स्पोर्ट्स जोन, जिप लाइन, कैनोपी वॉक, ट्रेकिंग रूट, साइकिलिंग ट्रैक, अंतिम मील तक जुड़ाव, कारवां पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाएं विकसित की हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास, पर्यटन मंत्रालय का मुख्य ध्यान केन्द्रित क्षेत्र है। मंत्रालय ने इस क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास के लिए अनेक पहल की हैं।
- इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास में जो मुख्य चुनौतियाँ हैं उनमें गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढाँचा सेवाएं और इस क्षेत्र के पर्यटन उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी शामिल है।
- एक ओर मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद' जैसी प्रमुख

- योजनाओं के तहत इस क्षेत्र में पर्यटन बुनियादी ढांचे को बहुत महत्व दिया है। दूसरी ओर मंत्रालय ने अपनी इन्हीं योजनाओं के तहत सभी पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल करके 1349.04 करोड़ रुपये की 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- मंत्रालय इस क्षेत्र की विविधताओं, पर्यटन उत्पाद और समृद्ध संस्कृति पर विशेष जोर देते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम चला रहा है।
- मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में कुशल कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए होटल प्रबंधन और फूड क्रॉफ्ट संस्थान भी स्थापित किए है।

स्वदेश दर्शन योजना

- स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है।
- यह योजना एक सुयोजित और प्राथमिकता वाले तरीके से विषयक सिर्कटों के विकास के लिए शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत सरकार एक ओर पर्यटकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं उपलब्ध कराने और दूसरी ओर आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश में गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।
- यह योजना 2014-15 में शुरू की गई थी और आज तक मंत्रालय ने 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 5932.05 करोड़ रुपये लागत की 74 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
- मंत्रालय के प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दर्शाने शुरू किए है
 और पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के
 आगमन में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

- इस क्षेत्र में 2017 के दौरान कुल 1.69 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ, जो 2016 में आए 1.5 लाख पर्यटकों की तुलना में 16.7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को दर्शाता है।
- 2017 में घरेलू पर्यटकों का आगमन 95.7 लाख रहा, जबिक 2016 में 77.7 लाख घरेलू पर्यटक आए थे। इस प्रकार 2016 की तुलना में 22.8 प्रतिशत की दोहरे अंकों वाली प्रभावशाली बढ़ोत्तरी हुई।
- पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या ने इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता की है।

प्रसाद मिशन

- भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों-जो धार्मिक आस्था एवं आध्यात्मिकता के प्रतीक हैं, के विकास की 'तीर्थस्थलों के कायाकल्प एवं आध्यात्मिकता संवर्द्धन अभियान' (Piligrim age Rejuvenation and Sprituality Augmentation Drive - PRASAD) योजना का श्भारंभ किया गया है।
- इस योजना के तहत अमरावती (आंध्र प्रदेश), गया (बिहार), द्वारिका (गुजरात), अमृतसर (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), कांचीपुरम (तिमलनाडु), वेल्लनकनी (तिमलनाडु), पुरी (ओड़िशा), वाराणसी और मथुरा (उत्तर प्रदेश), केदारनाथ (उत्तराखण्ड) तथा कामाख्या (असम) का चयन किया गया है।

कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)

- इस कार्यक्रम की शुरुआत 1996-97 में राज्यों को उनकी अधूरी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं जो कि पूरे होने के कगार पर थीं, उन्हें पूरा करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए की गई, जिससे देश में अतिरिक्त सिंचाई संभाव्यता का निर्माण किया जा सके।
- साधारण श्रेणी के राज्यों के लिए केंद्रीय ऋण सहायता व राज्यों
 का अनुपात 2 : 1 है तथा विशेष श्रेणी के लिए यह 3 : 1 है।
- बाद में, विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह केंद्रीय ऋण सहायता
 का विस्तार इस कार्यक्रम के तहत् लघु सिंचाई परियोजनाओं के
 लिए भी किया जाएगा।
- प्रदान की गई सहायता पूर्व में पूरी तरह ऋण के रूप में थी,
 परंतु बाद में एक अनुदान घटक को भी इससे जोड़ा गया।
- केंद्रीय सहायता केंद्रीय अनुदान के रूप में होगी जो कि विशेष
 श्रेणी के राज्यों के लिए परियोजना लागत का 90% होगा व

- इसके तहत् सूखा प्रभावित क्षेत्रों, जनजातियों क्षेत्रों तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लाभ प्रदान किया जाएगा। साधारण श्रेणी के राज्यों के लिए यह अनुपात 25% होगा।
- इसमें विशेष श्रेणी के राज्य तथा कोरापुट, बोलंगीर, कालाहाँडी जिले (उडीसा) सम्मिलित हैं।

सूक्ष्म सिंचाई

- सूक्ष्म सिंचाई के केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम को जनवरी, 2006 में कृषि मंत्रालय और सहकारिता विभाग ने शुरू किया था। इसे जून, 2010 में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन में प्रोन्नत कर दिया गया जो 2013-14 तक जारी रहा।
- अप्रैल, 2015 में इसे पीएमकेएसवाई में समाहित कर लिया गया है।
- इसका मकसद कृषि क्षेत्र में पानी के बेहतर इस्तेमाल को बढ़ावा देना है।
- इसमें किसानों को पानी बचाने और उसके संरक्षण की प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- 2 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता
 में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति इस योजना को मंजूरी दी।,
- इस योजना के तहत् 5 वर्षों में (2015-16 से 2014-20) के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है।

उद्देश्य :

- 🗘 सिंचाई क्षेत्र में विस्तार करना।
- 🗴 जल उपयोग क्षमता में सुधार।
- स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, क्षेत्र उपयोग तथा विस्तार गतिविधियों के लिए पूर्ण समाधान।

इसमें शामिल की गयी योजनाएँ

- 1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) : जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय।
- 2. एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) : भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- 3. खेत पर जल प्रबंधन (OFWM) : कृषि तथा सहयोग विभाग (DAC)
- इसका क्रियान्वयन विकेंद्रीकृत रूप में राज्य सिंचाई योजना तथा
 जिला सिंचाई योजना के माध्यम से किया जाएगा।

- जलवायु अनुकूल कृषि के लिए एक राष्ट्रीय पहल है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा प्रारंभ की गई पहल है।
- इस मेगा परियोजना के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं- रणनीतिक शोध, तकनीक प्रदर्शन, तथा क्षमता निर्माण।
- इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के इस समय में जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों का प्रयोग करने तथा प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों का प्रयोग सतत् कृषि के लिए करने हेतु आत्म-निर्भर बनाना है।

प्रमुख अवयव

- 1. अनुकूलन एवं शमन के लिए रणनीतिक शोध।
- 100 सुभेद्य जिलों में वर्तमान जलवायु विचलनों से सामना करने के लिए तकनीक प्रदर्शन।
- 3. क्षमता निर्माण।
- 4. संकटमय अंतरालों को भरने के लिए प्रायोजित प्रतिस्पर्धी शोध (Sponsored Competitive Research)

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का लक्ष्य सिंचित क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर 'हर खेत को पानी' पहुँचाना और जल के इस्तेमाल की कुशलता में वृद्धि करते हुए 'प्रति बूंद ज्यादा फसल' हासिल करना है।
- इस लक्ष्य को स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, कार्यान्वयन और विस्तार गतिविधियों पर समग्रता के साथ ध्यान केन्द्रित कर हासिल किया जाना है।
- यह योजना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के त्विरत सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबोपी), भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) के एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम तथा कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) के खेत जल प्रबंधन कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को मिलाकर तैयार की गई है।
- इस योजना को कृषि, जल संसाधन और ग्रामीण मंत्रालय लागू करेंगे।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय को मुख्यत: वर्षा जल संरक्षण तथा खेतों में पोखर, वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं, छोटे रोक बांधों और बडे बांधों के निर्माण से संबंधित काम करना है।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को पानी के वितरण की प्रणालियों के विकास समेत सुनिश्चित सिंचाई स्रोतों, विपणन नहरों, फील्ड चैनलों तथा जल विपथन लिफ्ट सिंचाई से संबंधित विभिन्न कदम उठाने हैं।

- कृषि मंत्रालय ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइवोट और रेन गन जैसे जलप्रवाह और पानी के अधिक कुशल इस्तेमाल के उपकरणों को बढावा देगा।
- स्रोत निर्माण गितिविधियों में सहायता के लिए वह सूक्ष्म सिंचाई की ढांचागत व्यवस्था के निर्माण में मददगार होगा। वह वैज्ञानिक ढंग से नमी संरक्षण और कृषि उपायों को बढ़ावा देने की विस्तार गितिविधियों में सहयोग करेगा।
- पीएमकेएसवाई में राज्य-स्तरीय योजना निर्माण और पिरयोजना आधारित कार्यान्वयन के विकेन्द्रित ढांचे को अपनाया जाएगा।
- इससे राज्यों को जिला सिंचाई योजना (डीआईपी) और राज्य सिंचाई योजना (एसआईपी) पर आधारित खुद की सिंचाई विकास योजना बनाने की आजादी मिलेगी।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन, संसाधनों के आवंटन और मंत्रालय के बीच तालमेल की निगरानी, कामकाज के आकलन तथा प्रशासनिक मुद्दों को देखने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष के अधीन एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा।
- पाँच वर्षों में इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए 50000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
- 🗴 सरकार जल सुरक्षा और इसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देगी।
- लंबे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथिमकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।
- जहाँ कहीं संभव हो, वहां निदयों को जोड़ने पर विचार की जरूरत है ताकि जल संसाधनों को सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित करने के अलावा बाढ़ और सूखे की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
- जल संरक्षण और भू-जल रिचार्ज के लिए 'जलसंचय' और 'जल सिंचन' के जिए वर्षा के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा।
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
- इस योजना में केन्द्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केन्द्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।
- अगर इस योजना के जिए सिंचाई सुविधाओं को हर किसान तक पहुँचा दिया जाएगा तो बड़े पैमाने पर एक फसली जमीन में दो फसलें लेना संभव है और उसके चलते किसानों की आय और कृषि उत्पादन में बड़ा इजाफा संभव है।

नीरांचल राष्ट्रीय जलागम परियोजना

 नीरांचल राष्ट्रीय जलागम पिरयोजना के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण के समझौते पर दस्तखत किए गए।

- यह परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय 2016 से 2021 तक छह साल में लागू करेगा।
- इस परियोजना का मकसद जल विज्ञान और प्रबंधन, कृषि उत्पादन प्रणालियों, क्षमता निर्माण तथा निगरानी और आकलन में पीएमकेएसवाई को सहयोग देना है।
- नीरांचल परियोजना का कुल बजट 2142 करोड़ रुपए है जिनमें से 1071 करोड़ रुपए सरकार देगी और बाकी 50 प्रतिशत हिस्सा विश्व बैंक से मिलेगा।
- जलागम परियोजना लागू करने वाले सभी 28 राज्य नीरांचल से लाभान्त्रित होंगे।
- इस परियोजना का लक्ष्य 12 प्रतिशत बंजर भूमि होगी ताकि लगभग 336 लाख हेक्टेयर जमीन को कृषि योग्य बनाया जा सके।
- इस योजना को सही ढंग से लागू किए जाने पर कृषक समुदाय की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार की संभावना है।

सूर्य शक्ति किसान योजना

- गुजरात सरकार ने बिजली की समस्या से निपटने के लिए अपने राज्य में सूर्य शिक्त किसान योजना (एसकेवाई) चलाने की घोषणा की है। सूर्य शिक्त किसान योजना किसानों और बिजली से जुड़ी हुई योजना है।
- इस योजना का लक्ष्य किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और इस राज्य में जो बिजली की कमी की समस्या है, उस समस्या को खत्म करना हैं। ये योजना जुलाई के महीने से इस राज्य में शुरू कर दी जाएगी।

योजना से जुड़ी जानकारी

योजना का नाम	सूर्य शक्ति किसान योजना
किसके द्वारा शुरू की गई ये	गुजरात राज्य
योजना	
कब शुरू हुई ये योजना	2 जुलाई , 2018
योजना का लक्ष्य	बिजली की पैदावार बढ़ाना और
	किसानों की आय में वृद्धि करना
योजना का बजट	870 करोड़ रुपए

सूर्य शक्ति किसान योजना का उद्देश्य

- इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य इस राज्य की बिजली की कमी को पूरा करना है और किसानों की आय में वृद्धि लाना है।
- सरकार को उम्मीद है कि सूर्य शिक्त किसान योजना के लागू होने से इस राज्य में किसानों द्वारा हर वर्ष लगभग 175 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और ऐसा होने से इस राज्य की बिजली समस्या को कम करने में सरकार को मदद मिलेगी।

सूर्य शक्ति किसान योजना के लाभ

- सोलर पैनल लगाने के बाद जो बिजली इनसे उत्पन्न होगी उसका इस्तेमाल किसान खुद के लिए कर सकेंगे और ऐसा होने पर किसानों को बिना कोई बिजली कनेक्शन लिए मुफ्त में बिजली मिल सकेगी।
- इस योजना के मुताबिक खुद से बनाई गई बिजली को किसान सरकार को बेच भी सकेंगे और ऐसा होने से किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
- सरकार द्वारा इन किसानों से ये बिजली सात रुपए प्रति यूनिट के दर के हिसाब से खरीदी जाएगी। हालांकि बिजली खरीदने की ये दर सात सालों के लिए निर्धारित है। सात सालों के बाद सरकार किसानों से 18 वर्ष तक 3.5 रुपए के हिसाब से बिजली खरीदेगी।
- गुजरात सरकार के मुताबिक जो भी बिजली, सोलर पैनल से उत्पन्न होगी उसमें से केवल 26 प्रतिशत बिजली की जरूरत ही किसानों को पड़ेगी और बाकी के 74 प्रतिशत बिजली सरकार को किसान बेच सकेंगे।

किस तरह से दी जाएगी सब्सिडी

सूर्य शक्ति किसान योजना के तहत सोलर पैनल लगाने में जो खर्चा आएगा उस खर्चे में से पांच प्रतिशत खर्चा किसान द्वारा किया जाएगा और 60 प्रतिशत खर्च राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रुप में दिया जाएगा, जबिक बची 35 प्रतिशत राशि को किसान को कर्जे के रूप में बैंक से लेना होगा।

ब्याज दर

किसानों को कर्जे की राशि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से लेनी होगी और ये कर्जा किसानों को 4.5 से लेकर 6 प्रतिशत की ब्याज दरों पर दिया जाएगा।

योजना का बजट

- सूर्य शिक्त िकसान योजना को 25 वर्ष की अविधि तक चलाया जाएगा और इस अविधि को दो वर्षों में बांटा गया है, जिसमें से एक अविधि सात वर्ष की होगी और दूरी अविधि 18 वर्ष की होगी।
- 25 वर्ष की अविध तक चलने वाली इस बिजली योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा 870 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- गुजरात राज्य की सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली ये योजना किसानों के साथ साथ सरकार के लिए भी फायदेमंद होगी और इस योजना से जुड़कर किसान खुद के लिए बिजली उत्पन्न कर सके और बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकेंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

- इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली के द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत लोचशीलता के साथ, पर्याप्त तथा समय पर साख सुविधा प्रदान करना है।
- इसमें किसानों को कृषि तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आसान प्रक्रिया के द्वारा साख सुविधा प्रदान करना है। ये आवश्यकताएं इस प्रकार से हैं-
 - फसलों की कृषि हेतु लघु-अविध साख आवश्यकता
 - फसल कटाई के बाद के खर्चे
 - बाजार ऋण की चुनौती
 - किसान की घरेलू उपभोग आवश्यकताएं
 - कृषि तथा संबंधित गतिविधियों तथा उपकरणों के रखरखाव हेतु निवेशित पूंजी।
 - कृषि तथा संबंधित गतिविधियों हेतु निवेश साख आवश्यकताएं।
- KCC योजना के तहत ATM से युक्त रुपे-कार्ड, वन टाइम दस्तावेजीकरण सीमित बिल्ट-इन कोस्ट एस्केलेशन (Built-in Cost escalation) तथा एक सीमा में कितनी भी बार रुपये निकलवाना (drawals)
- इस योजना के अंतर्गत छोटे किसान, सीमांत किसान, शेयर क्रॉपर्स ठेकेदार तथा काश्तकार किसान लाभ के पात्र होंगे।
- इनके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा संयुक्त देयता समूह (Joint Liabilities Groups) भी लाभ के पात्र होंगे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

- यह योजना फसल क्षित की स्थिति में व्यापक बीमा कवर प्रदान करने हेतु शुरू की गई है।
- यह बीमा योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है, जो अधिसूचित क्षेत्र की निश्चित फसलों पर फसल ऋण प्राप्त करते हैं।
- फसल ऋण न लेने वाले किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है।
- अखिल भारतीय स्तर पर एक ही प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं,जो कि 1.5%, 2% तथा 5% क्रमश: रबी, खरीफ तथा बागवानी/वाणिज्यिक फसलों के लिए निश्चित की गई है।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई उच्च सीमा नहीं है अर्थात् प्रीमियम दरों तथा बीमा शुल्क के मध्य अंतर का मूल्य भुगतान किसानों

- द्वारा किया जाएगा।
- गैर अनिवार्य जोखिम जैसे-प्राकृतिक आग, आंधी, ओला वृष्टि, चक्रवात तथा जल प्लावन जैसी क्षेत्रीय विपत्तियों/विपदाओं को भी शामिल किया गया है। फसल कटाई पश्चात् क्षित को भी शामिल किया गया है।
- 'क्लस्टर एप्रोच' अपनाकर संभावित क्षित वाले जिलों को बीमा कंपनियों को आवंटित किया जाएगा।
- दावा (बीमा दावों) पूर्व की योजनाओं से तुलना के शीघ्र निस्तारण के लिए दूर संवेदन तकनीक, स्मार्ट फोन व ड्रोन का उपयोग फसल क्षित मूल्यांकन के लिए किया जाएगा।

प्रति बूंद अधिक फसल योजना

- 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लक्ष्य के तहत टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- छोटे और मझोले किसानों को अन्य कृषकों की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां लगाने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता मुहैया करायी जाती है।
- सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के दायरे में आने वाले क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तरी और हिमालयी राज्यों में यह अतिरिक्त सहायता 15 प्रतिशत होती है।
- 2013-14 से 2015-16 तक 14.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को
 टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणालियों के दायरे में लाया गया।
- इनमें से 9.04 हेक्टेयर टपक सिंचाई और 5.26 लाख हेक्टेयर भूमि फव्वारा सिंचाई प्रणाली के दायरे में लायी गई।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया।
- यह योजना किसानों को वैज्ञानिक दृष्टि से मृदा का विश्लेषण करने में मदद करेगी।
- इस योजना का उद्देश्य पोषक तत्त्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना है।
- इस कार्ड में खेत के लिए जरूरी फसलवार उर्वरकों की सिफारिश होगी और इस प्रकार किसानों को मृदा स्वास्थ्य हो जानने तथा मृदा पोषक तत्त्वों के विवेकपूर्ण चयन करने में मदद करेगा।
- देश में कुल 14.1 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और सरकार की तीन वर्ष में सभी राज्यों से 2.48 लाख नमूनों को

- लेने और मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने की योजना है। ये नमूने सिंचित इलाकों में प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र से और वर्षा आधारित क्षेत्रों में प्रत्येक 10 हेक्टेयर क्षेत्र से लिए जाएंगे।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि में उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल पर अंकुश लगाना है।
- 3 वर्ष में एक बार इस प्रकार की मृदा संबंधी रिपोर्ट दी जाएगी।
- योजना के क्रियान्वयन में केंद्र व राज्यों का अंश 75:25 आधार पर होगा।

ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)

- जुलाई, 2015 में मंत्रिमंडल ने ₹ 200 करोड़ के बजट के साथ एक ऑन-लाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना को मंजूरी दी थी, तब से इस दिशा में तेजी से प्रयास चल रहा था और आखिर 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की।
- कृषि उत्पादकों के विपणन के लिए ई-प्लेटफॉर्म की पेशकश किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अधिक विकल्प प्रदान करने के मकसद से की गई है।
- यह 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने की रूपरेखा का हिस्सा है।
- तीन वर्षों में पूरी होने वाली इस योजना में मार्च, 2018 तक देशभर के 585 थोक बाजारों को राष्ट्रीय ई-कृषि बाजार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- पहले चरण में आठ राज्यों-उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखण्ड, गुजरात, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के किसान 21 थोक बिक्री बाजारों में 25 जिंसों की ऑनलाइन बिक्री कर सकेंगे।
- इन जिंसों में फिलहाल प्याज, आलू, सेब, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज और कपास के अलावा कई अन्य चीजों को शामिल किया गया है।
- मौजूदा समय में किसान मण्डियों में ही अपने उत्पादों को बेच सकते हैं, जहाँ उन्हें कई किस्म के कर देने पड़ते हैं।
- ऑनलाइन कृषि बाजार से उम्मीद है कि इससे किसानों को अपने उत्पाद मण्डियों अथवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दोनों स्थानों पर बेचने की सुविधा प्राप्त होगी।
- ऑनलाइन व्यापार तक आसानी से पहुँच के कारण किसानों की आय बढेगी।
- यह देश की कृषि व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली एक बड़ी पहल है।

- इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी।
- सरकार चाहती है कृषि उत्पादों के विपणन के लिए ई-प्लेटफॉर्म की सुविधा देने से किसान अपने उत्पाद खुद बेच सकें।
- साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच की खासियत यह है कि अब पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होगा और एक बिन्दु पर लगने वाला शुल्क होगा।
- मूल्य का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नीलामी होगी। इसका
 असर यह होगा कि पूरा राज्य एक बाजार बन जाएगा और
 अलग-अलग बिखरे हुए बाजार खत्म हो जाएंगे।
- इससे किसानों के बाजर का आकार बढ़ेगा, वह अब अपने बाजार तक ही सीमित नहीं रहेगा और उसका शोषण भी नहीं हो पाएगा। उनके उत्पाद लोगों की नजरों और पहुँच में होंगे।
- यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, जो कि मौजूद APMC मण्डियों (कृषि उत्पाद बाजार समिति मण्डियों) को आपस में जोड़ कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करता है।
- e-NAM एक आभासी बाजार है, लेकिन यह वास्तविक बाजार (मण्डी) से जुड़ा हुआ है जिससे कृषि उत्पादों के उचित मूल्यों को प्रोत्साहन मिले।
- इसका निधीयन लघु किसान कृषि-वाणिज्य संकाय (Small Farmers Agribusiness Consortum -SFAC द्वारा गठित कृषि तकनीक अवसंरचना निधि (Agritech Infrastructure Fund-ATIF) के द्वारा होगा।
- एक उदार लाइसेंसिंग प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत व्यापारियों व कमीशन एजेंटों को राज्य प्राधिकरणों द्वारा एक लाइसेंस दिया जाएगा, जो कि राज्य के सभी बाजारों में मान्य होगा।
- सिंगल प्वाइंट लेवी अर्थात् कृषक के प्रथम थोक खरीद पर केवल एक बार ही शुल्क आरोपित होगा।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें इच्छुक राज्य अपने APMC अधिनियम में आवश्यक संशोधन पर ई-प्लेटफार्म से जुड़ सकते हैं।
- इसमें मृदा की जाँच के लिए मण्डी पिरसर में ही मृदा परीक्षण
 प्रयोगशालाओं का भी प्रावधान किया गया है।
- पिछले वर्ष 2017 के बजट में ई-नैम को सुदृढ़ बनाने तथा ई-नैम के कवरेज को 585 एपीएमसी तक पहुंचाने के संबंध में घोषणा की गयी थी अब-तक 470 एपीएमसी ई-नैम नेटवर्क से संयोजित कर दिए गए हैं तथा शेष को मार्च, 2018 तक इस नेटवर्क से संयोजित कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास हेतु राज्यों को बढ़ावा देने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007-08 में इसका शुभारंभ किया गया।
- यह योजना कृषि क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए राज्यों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में निवेश संवर्धन के लिए प्रोत्साहन देने से संबंधित है। इसके अंतर्गत राज्य कृषि विभाग 'नोडल' विभाग का कार्य करता है।
- यह राज्यों द्वारा क्रियान्वित होगी, परंतु यह 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है।
- इस योजना में वित्तीय आवंटन राज्यों द्वारा सुझाए गए कृषि क्षेत्र में व्यय के आधार पर होगा, जिसका निर्धारण वर्तमान वर्ष से पिछले तीन वर्षों में राज्य द्वारा किए औसत व्यय के आधार पर होगा।
- इस योजना में जिला एवं राज्य स्तर पर कृषि योजना तैयार करना अनिवार्य होगा तथा इसमें मनरेगा जैसे अन्य कार्यक्रमों को शामिल करने को प्रोत्साहित किया जाएगा।

योजना में शामिल उप-योजना

- 1. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (BGREI)
- 2. अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (AFDP)
- 3. केसर मिशन (Saffron Mission)
- 4. फसल विविधीकरण कार्यक्रम
- 5. पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण
- 6. मधुमक्खी पालन
- 7. लक्षित धान अजोत क्षेत्र (TRFA)

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- इसका शुभारंभ 18 जुलाई, 2014 को केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह द्वारा किया गया।
- देशी नस्लों के वैज्ञानिक संरक्षण एवं विकास के लिये यह मिशन प्रारंभ किया गया है।
- यह कार्यक्रम "राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन एवं डेयरी विकास" के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है।

मिशन के उद्देश्य :

🗴 स्वदेशी पशु नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू करना,

- ताकि आनुवांशिक सुधार और पशुओं की संख्या में वृद्धि की
- 🖸 दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए।
- नॉन-डेसक्रिप्ट पशुओं का गिर, साहीवाल राठी, थारपारकर, रेड सिंधी और अन्य कुलीन स्वदेशी नस्लों के जरिए अपग्रेडेशन करना।
- प्राकृतिक सेवाओं के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले साँडों का वितरण।
- यह परियोजना 'राष्ट्रीय पशु प्रजनन' एवं डेयरी विकास का हिस्सा है।
- इस योजना का कार्यान्वयन राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पशुधन विकास बोर्डों के माध्यम से किया जाएगा।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान इस कार्यक्रम पर 500 करोड रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।
- 'राज्य संचालक सिमितियों' एवं 'पशुधन विकास बोर्ड' द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- योजना 100 प्रतिशत अनुदान आधारित सहायिकी के आधार पर संपूर्ण देश में क्रियान्वित की जाएगी।

क्रियान्वयन :

- 1. समन्वित देशी पशु केन्द्रों के रूप में 'गोकुल ग्राम' की स्थापना।
- 2. 'गोपाल संघ' नामक प्रजनक समाजों की स्थापना।
- किसानों को 'गोपाल रत्न' तथा प्रजनकों को 'कामधेनु' पुरस्कार दिया जाएगा।
- 4. बेहतर पशु वीर्य संग्रहण एवं संरक्षण करने वाली संग्रहण संस्थाओं को सहायता।

दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

- कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना 2016 में प्रारंभ किया गया।
- योजना के अंतर्गत 100 केंद्रों की स्थापना रु. 5.35 करोड़ की पूंजी के साथ की गई हैं।
- भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा अनुमोदित "युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना तथा बनाए रखना" परियोजना को कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVKs) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नारियल व केला उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, तथा विपणन की संपूर्ण जानकारी व कौशल का विकास करना है तथा शोध और विकास संगठनों को शासित करते हुए क्षमता निर्माण करना है।

'मेरा गांव मेरा गौरव' कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री द्वारा 25 जुलाई, 2015 को पटना की रैली में 'मेरा गाँव मेरा गौरव' कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई।
- अक्टूबर, 2015 से देश के 20 हजार से अधिक कृषि वैज्ञानिक, प्रधानमंत्री के 'प्रयोगशाला से खेत तक' स्वप्न को साकार करने के लिए शोध एवं प्रसार शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के लिए इस कार्यक्रम से जुडेंगे।
- इस योजना के तहत कृषि वैज्ञानिक अपनी सुविधानुसार गाँवों का चयन करेंगे तथा कृषकों को तकनीकी एवं अन्य जानकारियां प्रदान करेंगे।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के स्तर पर चार बहुविषयक वैज्ञानिकों के समृह बनाए जाएंगे।

एग्री उड़ान

किसानों को बिजनेस स्किल्स से लैस करने और खेतीबाड़ी में नए प्रयोगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने 'एग्री उड़ान' नामक एक नई पहल हैदराबाद स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (ICAR-NAARM) द्वारा प्रारंभ की।

प्रमुख तथ्य :

- अभिनव विचारों से लैस कोई भी किसान, कृषि स्नातक एवं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताधारी तक एग्री उड़ान से जुड़ सकते हैं।
- ऐसे चयनित लोगों को ICAR-NAARM परिसर हैदराबाद में 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो प्रौद्योगिकी की वाणिज्यीकरण उत्पाद प्रमाणन, व्यवसाय नियोजन तथा निधियां जुटाने के बारे में होता है।
- इस कार्यक्रम के तहत कृषि व्यवसाय से जुड़े स्टार्ट अप्स को सफलतापूर्ण बिजनेस की राह दिखाई जाएगी।
- उन्हें तकनीकी के अलावा बिजनेस प्लान और वित्त प्रबंधन की सीख दी जाएगी।
- आईआईएम, अहमदाबाद और सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एण्ड एन्टरप्रेन्योरिशप (CIIE) भी इस योजना से जुड़े हैं।
- 'एग्री उड़ान' में स्मार्ट खेती 'इनोवेटिव फूड टेक्नोलॉजी' सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी, मत्स्यपालन, पानी व मौसम से जुड़ी तकनीक, पशुपालन, शहरी खेती, एग्री-बायोटिक, फार्म फ्रेश रिटेल सहित कई क्षेत्र हैं, जिनके स्टार्टप को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस योजना में किसानों को खेती, पशुपालन में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वह अपने रोजगार के साधनों में बढ़ोत्तरी कर सकें।

प्रति बूंद अधिक फसल योजना

- प्रति बूंद अधिक फसल के लक्ष्य के तहत टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणालियों को बढावा दिया जाएगा।
- छोटे और मंझोले किसानों को अन्य कृषकों की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां लगाने के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता मुहैया करायी जाती है।
- सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम के दायरे में आने वाले क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में यह अतिरिक्त सहायता 15 प्रतिशत होती है।
- 2013-14 से 2015-16 तक 14.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को टपक और फव्वारा सिंचाई प्रणालियों के दायरे में लाया गया।
- इनमें से 9.04 हेक्टेयर टपक सिंचाई और 5.26 लाख हेक्टेयर भूमि फव्वारा सिंचाई प्रणाली के दायरे में लायी गई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र हरित क्रांति योजना

- वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKY) नाम की उप स्कीम इस आशय के साथ शुरू की गई थी ताकि सात (7) राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल वाले पूर्वी भारत में चावल आधारित फसल प्रणालियों" की उत्पादकता को सीमित करने वाले अवरोधों को दूर किया जाए।
- वर्ष 2014-15 तक कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूर्णत: भारत सरकार की सहायता से किया गया।
- वर्ष 2015-16 से इस कार्यक्रम को भारत सरकार और राज्यों
 के बीच 60:40 तथा पूर्वोत्तर राज्य (असम) में 90:10 के
 आधार पर साझा करते हुए कार्यान्वित किया जा रहा है।

'रफ्तार' योजना (RAFTAAR)

 भारत सरकार ने वर्तमान में चल रही केन्द्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को आरकेवीवाई-रेम्यूनरेटिव एप्रोचेजेज फॉर एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड सेक्टर रिजुवेनेशन (RAFTAAR) के रूप में 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 की अवधि में चलाए जाने का निर्णय लिया है।

प्रमुख तथ्य :

- इसके लिए ₹ 15,722 करोड़ का बजटीय प्रावधान आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने लिया है।
- इस योजना के अंतर्गत सामान्य राज्यों को निधियां 60 : 40 के अनुपात में तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 90 : 10 के अनुपात में प्रदान की जाएंगी।
- कुल आवंटित धनराशि में से 50 प्रतिशत धन अधोरचना एवं आस्तियों के सृजन पर, 30 प्रतिशत धन मूल्य संवर्द्धन सम्बद्ध उत्पादन परियोजनाओं पर तथा 20 प्रतिशत धन अन्य परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
- योजना द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को अधिक आवंटन बढ़ाने में राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- यह योजना कृषि आधारभूत संरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगी जिससे गुणवत्तापूर्ण आगतों की आपूर्ति, बाजार सुविधा आदि में सहायता मिलेगी।
- योजना कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन और कारोबारी मॉडलों का समर्थन करेगी, जिससे किसानों की आय को अधिकतम करने में मदद मिलेगी।

ऑपरेशन ग्रीन

- ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर लांच किया गया है।
- इस ऑपरेशन का उद्देश्य सन् 2022 के अंत तक किसानों की आय को दो गुना करना है।
- इस ऑपरेशन का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों,
 एग्री-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं तथा व्यावसायिक
 प्रबंधन को प्रोत्साहन देना है।
- यह अनिवार्य रूप से मूल्य स्थरीकरण योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादन की उचित कीमत उपलब्ध कराना है।
- सरकार ने प्रारंभिक रूप से तीन प्रमुख सिब्जियों को लिक्षत
 किया है- आलू, टमाटर और प्याज।

कृषि उन्नति मेला

एक राष्ट्रीय स्तर का तृतीय कृषि उन्नित मेला कृषि, सहकारिता
 एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडबल्य) द्वारा

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 16-18 मार्च, 2018 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), मेला मैदान, पूसा कैम्पस, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) को ई-िनिवदा प्रक्रिया के माध्यम से पिरयोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में कृषि उन्नित मेला, 2018 आयोजित करने के लिये चयनित किया गया।
- भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिनांक 17.03. 2018 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, मेला मैदान पूसा, नई दिल्ली में कृषि उन्नित मेले का दौरा किया। उन्होंने थीम पैवेलियन एवं जैविक महाकुम्भ का दौरा किया। साथ ही 25 विज्ञान केंद्रों की आधारशिला रखी।
- उन्होंने जैविक उत्पादों के लिये एक ई-मार्केट पोर्टल का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कृषि कर्मण पुरस्कार एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किये।
- मेले का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी विकास के प्रति जागरूकता पैदा करना एवं कृषक समुदाय से इस बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त करना है जिससे संस्थान की भविष्य की शोध रणनीति तैयार हो पाए।
- मेले का मुख्य आकर्षण 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिये थीम पैवेलियन, सूक्ष्म सिंचाई का सीधा प्रदर्शन, बेकार जल का उपयोग और पशुपालन एवं मत्स्यपालन था।
- जैविक महाकुंभ पैवेलियन का विशेष आकर्षण जैविक तरीकों के माध्यम से नवीन फसल कटाई तकनीकें एवं उनका सफल क्रियान्वयन था।
- सहकारिता को प्रोत्साहन देने के लिये एक सहकार सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण विषयों पर 9 कृषक-वैज्ञानिक वार्ताएं (प्रतिदिन तीन) भी आयोजित की गई थी।
- थीम पैवेलियन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करने के तरीके जैसे सूक्ष्म सिंचाई, नीम लेपित यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कम उर्वरक के उपयोग से लागत में कमी, फसल बीमा योजना की प्रभावशीलता एवं आय अर्जन के नवीन आयाम जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गीपालन भी मेले में प्रदर्शित किये गए।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

- क्षेत्र विस्तार : निर्धारित बागवानी फसल का अतिरिक्त 76015 हेक्टेयर का निर्धारित क्षेत्र कवर किया गया है
- **कायाकल्प** : पुराने एवं जीर्ण बागों का 5060 हेक्टेयर के क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है ।
- **जैविक खेती** : 200 हेक्टेयर का क्षेत्र कवर किया गया है।
- समेकित कीटनाशी/ पोषण प्रबंधन : आईपीएम/ आईएनएम के अंतर्गत 33684 हेक्टेयर का क्षेत्र कवर किया गया है।
- संरक्षित खेती: संरक्षित खेती के अंतर्गत 22137 हेक्टेयर का क्षेत्र कवर किया गया है।
- जल संसाधन : 1814 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है ।
- **मधुमक्खी पालन** : छत्तों समेत 29102 मधुमक्खी कॉलोनियों का वितरण किया गया है ।
- **बागवानी यंत्रीकरण** : 9343 बागवानी यंत्रीकरण उपकरणों का वितरण किया गया है।
- फसल कटाई प्रबंधन अवसंरचनाएं : 3437 फसल कटाई इकाईयों की स्थापना की गई है ।
- **बाजार अवसंरचना :** 215 बाजार अवसंरचनाओं की स्थापना की गई है ।
- **किसानों का प्रशिक्षण** : मानव संसाधन विकास के अंतर्गत 98271 किसानों को विभिन्न उद्यान विद्या संबंधी गतिविधियों के लिये प्रशिक्षण दिया गया है।
- केरल प्रदेश को 56.03 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का भाग) का विशेष पैकेज प्रदान किया गया है।
- 2019 में चीन के बीजिंग में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में भारत का सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है ।
- भारत-इजराइल सहयोग के अंतर्गत 30 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 4 का इस वर्ष उद्घाटन कर दिया गया है।
- योजना के दौरान वर्ष 2014-15 से कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने बागवानी से संबंधित स्कीमों यथा
 - 1. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM),
 - 2. पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य बागवानी मिशन (HMNEH),
 - 3. राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM).
 - 4. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB),
 - 5. नारियल विकास बोर्ड (CDB),
 - 6. केंद्रीय बागवानी संस्थान (CIH), नागालैंड को मिलाकर एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) शुरू किया है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM)

- यह केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2005-06 में इस आशय के साथ शुरू की गई थी कि सभी स्टोकहोल्डर्स की सिक्रय प्रतिभागिता के साथ समृहगत प्रयास के माध्यम से समग्र संबंध सुनिश्चित करके समग्र बागवानी क्षेत्र विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाए।
- NHM के तहत 19 राज्य और 04 संघ राज्य क्षेत्रों के 384 जिलों को शामिल किया गया।
- 16 राष्ट्रीय स्तर के अभिकरणों (NLA) को भी उन विकासगत प्रयासों के सहायतार्थ शामिल किया गया है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर आदानों की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (NABM)

 पूरे देश में वर्ष 2006-07 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम DACADFW आरंभ की गई। यह वर्ष 2014-15 के दौरान समेकित बागवानी विकास (MIDH) के लिए मिशन के अंतर्गत लाई गई और जुलाई, 2015 में इसका नाम राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (NABM) कर दिया गया।

[30] निर्माण IAS

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA)

- राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) उन आठ कृषि मिशनों
 में से एक है जिसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के तहत तैयार किया गया है।
- इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि के दस मुख्य आयामों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 17 प्रदेशों के माध्यम से कृषि के सतत विकास को बढावा देना है।
- 🔾 इस मिशन के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं -

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकासः

- इसके तहत जलवायु परिवर्तन की स्थिति में उत्पादकता में वृद्धि करने और जोखिमों को कम करने के लिए समेकित कृषि पद्धित (IFS) पर ध्यान दिया जाता है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत फसल/फसल प्रणाली को बागवानी, पशुधन,मात्स्यिकी, कृषि- वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि जैसे कार्यकलापों से जोड़ा जाता है तािक किसानों को आजीिवका को बनाए रखने के लिए फार्म लाभों को अधिकतम किया जा सके।

मुदा स्वास्थ्य प्रबंधनः

इसका उद्देश्य बृहत-सूक्ष्म पोषक तत्व प्रबंधन एवं भू-प्रकारों पर आधारित उपयुक्त भू-उपयोग के साथ-साथ मृदा उर्वरता मानचित्रों के सृजन एवं समेकन द्वारा अवशेष प्रबंधन, जैविक कृषि प्रणालियों सिहत स्थान विशिष्ट व साथ ही फसल विशिष्ट सतत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढावा देना है।

रूबसिस-रबर मृदा सूचना प्रणाली

- रबर मृदा सूचना प्रणाली यानी रूबिसस (Rubber soil Information System: RubSIS) एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसके द्वारा रबर उत्पादकों के लिए विशेषीकृत बागवानी हेतु मृदा के अनुरूप उर्वरकों के उचित मिश्रण का सुझाव दिया जाता है।
- इस प्रणाली की शुरूआत 23 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में हुई थी।
- इसका विकास रबर बोर्ड के अधीन भारतीय रबर अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है।
- रबर उत्पादक मृदा के सतत एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए यह लागत प्रभावी उपकरण है।
- रासायिनक उर्वरकों के अविवेकी उपयोग एवं मृदा अवनयन को रोकने के अलावा रूबिसस से उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है, उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी की जा सकती है।

परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) वर्ष 2015 से वर्ष 2017 के बीच केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम (सीएसपी) के रूप में शुरू की गई प्रथम व्यापक योजना है, जिसे अब अगले 3 वर्षों के लिए संशोधित किया गया है।
- यह योजना 8 पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के 3 पहाड़ी राज्यों में 90:10 (भारत सरकार: राज्य सरकार) के अनुपात वाली वित्त पोषण व्यवस्था, केंद्रशासित प्रदेशों में 100 प्रतिशत की वित्त पोषण व्यवस्था और देश के शेष राज्यों में 60: 40 के अनुपात वाली वित्त पोषण व्यवस्था के साथ लागू की गई है।
- 'पीकेवीवाई' योजना को प्रत्येक क्लस्टर में 500-1000 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर के आधार पर राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- इसके तहत किसानों के एक ऐसे समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसके पास यथासंभव किसी गांव के भीतर आपस में स्पर्श करने वाला कुल मिलाकर 20 हेक्टेयर का क्षेत्र है।
- किसी भी समूह के अंतर्गत आने वाला किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ उठा सकता है और सहायता राशि की सीमा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है जिनमें से 62 प्रतिशत यानी 31,000 रुपये किसी भी किसान को जैविक रूपांतरण, जैविक संबंधी कच्चे माल, कृषि संबंधी कच्चे माल, उत्पादन से जुड़े बुनियादी ढांचे इत्यादि के लिए प्रोत्साहनों के रूप में दिए जाते हैं।
- इसे 3 वर्षों की रूपांतरण अविध के दौरान सीधे डीबीटी के जिरए प्रदान किया जाएगा। लगभग 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लक्ष्य को आने वाले 2 वर्षों में कवर किया जाना प्रस्तावित है जो पिछले तीन वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र का दोगुना है।
- कुल मिलाकर 20,000 (प्रत्येक 20 हेक्टेयर) नए क्लस्टर राज्यों को आवंटित किए गए।

कृषि यंत्रीकरण-फसल अवशेष प्रबंधन योजना

पंजाब, हिरयाणा, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली में फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन' नाम की एक नयी केंद्रीय क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया गया है।

योजना में निम्न घटक शामिल होंगे (100% केंद्र का भाग)

 यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायिरंग के लिये खेत मशीनरी बैंकों की स्थापना- किसानों की सहकारी सिमितयों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, पंजीकृत किसान सोसाइटी/ किसान समूहों, निजी उद्यमियों, महिला किसानों के समूहों या स्वयं सहायता समूहों को यथास्थान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की कस्टम हायरिंग के लिये खेत मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु परियोजना की लागत की 80% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- 2. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन हेतु कृषि मशीनरी एवं उपकरणों का अधिग्रहण करने के लिये किसानों को वित्तीय सहायता-फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनरी खरीदने के लिये किसानों को वैयक्तिक आधार पर मशीनरी/ उपकरण की 50% लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 3. फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन पर जागरूकता के लिये सूचना, शिक्षा एवं संचार- सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईसीटी) से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिये राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों, केंद्र सरकार के संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- 4. कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडबल्यू) सचिव राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित रूप से प्रगति की निगरानी कर रहे हैं, साथ ही योजना के अंतर्गत ज्वलंत मुद्दों की निगरानी भी कर रहे हैं।
- 5. योजना की प्रगति की निगरानी सचिव (कृषि, अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग) तथा महानिदेशक (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समिति द्वारा भी की जा रही है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर 2018 को एक नई समग्र योजना 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम-आशा) को मंज्री प्रदान की है।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है, जिसकी घोषणा वर्ष 2018 के केन्द्रीय बजट में की गई है।
- यह किसानों की आय के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिससे किसानों के कल्याण में काफी हद तक सहिलयत होने की आशा है।
- सरकार उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करने के सिद्धांत पर चलते हुए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) में पहले ही वृद्धि कर चुकी है।
- यह उम्मीद की जा रही है कि एमएसपी में वृद्धि की बदौलत राज्य सरकारों के सहयोग से खरीद व्यवस्था को काफी बढा़वा मिलेगा जिससे किसानों की आमदनी बढे़गी।

'पीएम-आशा' के घटक हैं:

- 🗘 मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
- 🗴 मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना (पीडीपीएस)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना (पीपीपीएस)
- धान, गेहूं एवं पोषक अनाजों/मोटे अनाजों की खरीद के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की अन्य मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ कपास एवं जूट की खरीद के लिए कपड़ा मंत्रालय की अन्य वर्तमान योजनाएं भी जारी रहेंगी, ताकि किसानों को इन फसलों की एमएसपी सुनिश्चित की जा सके।

व्यय

- कैबिनेट ने 16,550 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का फैसला किया है जिससे यह कुल मिलाकर 45,550 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है।
- इसके अलावा खरीद परिचालन के लिए बजट प्रावधान भी बढ़ा दिया गया है और पीएम-आशा के क्रियान्वयन के लिए 15,053 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।

सरकार की किसान अनुकूल पहल

- सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और बाजार ढांचे सहित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
- अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है।
- इनमें मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018 भी शामिल हैं।
- अनेक राज्यों ने कानून के जिए इन्हें अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।
- एक नया बाजार ढांचा स्थापित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, तािक किसानों को उनकी उपज के उचित या लाभकारी मूल्य दिलाए जा सकें।
- इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है, ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके।
- इसी तरह ई-नाम के जिरए एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक व्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी इन प्रयासों में शामिल हैं।

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन

- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) दरअसल राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत आने वाले कई घटकों में से एक है।
- एसएचएम का उद्देश्य जैविक खादों और जैव उर्वरकों के इस्तेमाल के साथ-साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों सिहत रासायिनक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के जिरए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देना है।
- इसके मुख्य लक्ष्य हैं: मृदा का स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता बेहतर करना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने हेतु किसानों को मृदा परीक्षण आधारित सिफारिशें सुलभ कराने के लिए मिट्टी एवं उर्वरक परीक्षण सुविधाओं को मजबूत करना।
- उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उर्वरकों, जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यकताएं सुनिश्चित करना, प्रशिक्षण और समुचित प्रदर्शनों के जिरए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के कर्मचारियों, विस्तार कर्मचारियों और किसानों के कौशल एवं ज्ञान का उन्नयन करना, जैविक खेती से जुड़ी प्रथाओं को बढ़ावा देना, इत्यादि।
- इस योजना के तहत 6 स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसटीएल), 6 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, 1561 ग्रामीण मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, 139 एसटीएल के सुदृढ़ीकरण, 2 उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं (एफक्यूीसीएल) की स्थापना और 21 एफक्यूसीएल के सुदृढ़ीकरण के लिए 7168.00 लाख रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

- भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रिमकों, घरेलू कामगारों, सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूरों तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकर्ताओं को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन' योजना 15 फरवरी 2019 से औपचारिक रुप से लागू हो गई है।
- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बताया कि हाल में बजट में घोषित की गई इस योजना से असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 42 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
- इस योजना में वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी आय 15 हजार रुपए प्रति माह तक है और 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं।

इस योजना के पात्र व्यक्ति नई पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाभ के अंतर्गत कवर नहीं किए जाने चाहिए और उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

पीएम-एसवाईएम की प्रमुख विशेषताएं

- उन्यूनतम निश्चित पेंशन : पीएम-एसवाईएम के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने 3,000 रुपये न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगा।
- परिवार पेंशन: यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु होती है तो परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी को मिलने वाले पेंशन का 50 प्रतिशत लाभार्थी के जीवन साथी को मिलेगा।
- परिवार पेंशन केवल जीवन-साथी के मामले में लागू होता है। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।
- अभिदाता द्वारा अंशदान : अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से "ऑटो डेबिट" सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
- पीएम-एसवाईएम योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी।
- केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदान : पीएम-एसवाईएम 50:50 के अनुपात आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और तालिका के अनुसार बराबर का अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु का होता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 100 रुपये का अंशदान करना होगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा बराबर का यानी 100 रुपये का अंशदान किया जाएगा।

पीएम-किसान योजना

 प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का शुभारंभ किया गया।

- लघु एवं सीमांत कृषकों की आय बढ़ाए जाने एवं उनके सुनहरे भविष्य के लिए इस योजना को भारत सरकार ने पूरे देश में लागू किया है।
- प्रधानमंत्री ने 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना का शुभारंभ किया है।
- इस दौरान उन्होंने एक करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में
 2,000 रुपये की पहली किस्त भेजी।
- इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत चुने हुए किसानों को प्रमाण-पत्र भी वितरित किये।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की घोषणा 1 फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट 2019-20 में की गई थी।
- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत/ स्वामित्व वाले छोटे एवं सीमान्त कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे।

पीएम-किसान योजना के मुख्य बिंदु

- बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि इसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिये 6,000 रुपए की आय समर्थन राशि दी जाएगी।
- यह राशि 2000 रुपए प्रत्येक को तीन किस्तों में दी जाएगी।
- यह राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जिरए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। डीबीटी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और किसानों का समय बचाएगा।
- यह योजना छोटे एवं सीमान्त किसानों (SMF) की आय में संवर्धन के लिए लागू की गई थी। इससे 12 करोड़ छोटे एवं सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचने का अनुमान है।
- प्रधानमंत्री-किसान योजना भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्राप्त एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। योग्य लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतरण हेतु यह योजना 01.12.2018 से प्रभावी हो गई है।
- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा। 01 फरवरी 2019 तक जिनके भी नाम भूमि रिकॉर्ड में होंगे उन्हें इस योजना का लाभ लेने के पात्र माना जाएगा।

उद्देश्य :

 प्रधानमंत्री-किसान योजना का उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र की समाप्ति पर अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित

- फसल स्वास्थ्य एवं उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निविष्टियों को प्राप्त करने में एसएमएफ की वित्तीय आवश्यकताओं में सहायता प्रदान करना है।
- यह उन्हें ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सूदखोरों के चंगुल में
 फंसने से बचाएगा तथा कृषि कार्यकलापों में उनकी नियमितता
 भी सुनिश्चित करेगा

किसे नहीं मिलेगा लाभ?

- यदि किसी किसान परिवार के एक या अधिक सदस्य निम्न श्रेणियों, किसी संस्थागत पद पर पूर्व में या वर्तमान में कार्यरत, मौजूदा या पूर्व मंत्री, राज्य मंत्री, लोकसभा-राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के पूर्व या मौजूदा सदस्य, नगर निगमों के पूर्व या मौजूदा मेयर और जिला पंचायतों के मौजूदा या पूर्व चेयरपर्सन में आते हैं तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- केंद्र और राज्य सरकारों के मौजूदा या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अलावा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (इसमें मल्टी टास्किंग कर्मचारी-श्रेणी चार-समूह डी के कर्मचारी शामिल नहीं हैं) को भी इस योजना का फायदा नहीं मिल सकेगा।
- ऐसे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी या पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपए या उससे अधिक है, को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

गोबर-धन योजना

- गोबर धन (Golvaninsing Organic Bio-Agro Resources) की प्रथम घोषणा सन् 2018 के बजट में की गयी।
- इस योजना का उद्देश्य पशुओं से प्राप्त गोबर (मल-अपशिष्ट) का प्रबंधन तथा रुपांतरण खेतों में खाद, बायोगैस तथा बायो-सी. एन.जी. के निर्माण में करना है।
- इसमें गांवों को स्वच्छ रखने में तथा किसानों व पशुपालकों की आय बढाने में मदद मिलेगी।
- इसके अंतर्गत ग्रामीणों को स्वयं सहायता समूह (SHGs) तथा रचनात्मक समाज निर्माण हेतु प्रेरित किया जाएगा। इससे स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित रोजगार पहलों को आरंभ करने में सहायता मिलेगी।
- इसके तहत प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन क्रियान्वयन हेतु किया जाएगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मेगा फूड पार्क

- यह योजना कृषकों, प्रसंस्करणों तथा खुदरा व्यापारियों को साथ लाकर कृषि उत्पादन तथा बाजार को जोड़ने का एक तंत्र प्रदान करता है।
- फूड पार्क का उद्देश्य मूल्यवर्द्धन को अधिकतम करना, अपव्यय को न्यूनतम करना, कृषकों की आय में वृद्धि करना तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
- यह क्लस्टर एप्रोच पर आधारित स्टेट ऑफ आर्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, बेहतर अवसंरचना तथा बेहतर आपूर्ति श्रृंखला से युक्त प्रसंस्करण क्षेत्र हैं।
- मैदानी क्षेत्रों में- परियोजना लागत का 50% एक मुश्त पूँजी अनुदान या अधिकतम 50 करोड रु०।
- पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में- पिरयोजना लागत का 75% पूँजी अनुदान तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अधिकतम 50 करोड़ रुपये।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

- केंद्र सरकार ने 23 अगस्त, 2017 को 'कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना' यानी 'प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना' को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।
- 14वें वित्त आयोग चक्र की समाप्ति के साथ वर्ष 2016-20 तक की अविध के लिए 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से इस स्कीम की शुरूआत की गई है।

- इस स्कीम का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
- 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से 2019-20 तक देश में 31,400 करोड़ रुपए के निवेश होने, 1,04,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद के संचलन, 20 लाख किसानों को लाभ प्राप्त होने और 5,30,500 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की आशा है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा।
- इससे देश में ना केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि की तीव्र गित प्राप्त होगी बिल्क यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दुगुना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के भारी अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत अग्रलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन किया जाएगा; मेगा खाद्य पार्क, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण एवं पिरिक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन एवं संस्थान।

वित्त मंत्रालय

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

- प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त, 2014 को 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' (पीएमजेडीवाई) का शुभारंभ किया।
- देश में व्याप्त वित्तीय असामानता को समाप्त करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' की शुरूआत की गई।
- इस योजना के तहत देश के सभी पिरवारों को बैंक खाते से जोड़ना है। यह योजना अब तक का दुनियां का सबसे बड़ा बैंकिंग अभियान है।

मुख्य तथ्य :

- प्रत्येक परिवार के एक बैंक खाते के साथ उन्हें बैंकिंग तंत्र से जोडना।
- हर खाते के साथ खाताधारक का एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं 'रूपे' डेबिट कार्ड की सुविधा।
- 26 जनवरी, 2015 से पूर्व बैंक खाता खुलवाने वालों को ृ 1 लाख के दुर्घटना बीमा के साथ ही ₹ 30,000 का जीवन बीमा मुफ्त।

- प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस योजना के शुभारंभ के साथ-साथ पूरे देश में 20 मुख्यमंत्रियों ने एक साथ इस योजना की शुरूआत की।
- कई केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में इस योजना की शुरूआत की।
- इस योजना में बिना इंटरनेट वाले मोबाइल से भी बैंकिंग सेवा की सुविधा।
- छह महीने खाता संचालन के बाद ₹ 5,000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा।
- 28 फरवरी, 2018 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 31.20 करोड़ लोगों ने विभिन्न बैंकों (सार्वजनिक, क्षेत्रीय तथा निजी बैंक) के खाते खुलवाए हैं।
- 28 फरवरी, 2018 तक इन सभी खातों में ₹ 75,572 करोड़ जमा किए गए।
- 23.56 करोड़ कार्ड जारी किए गए।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA)

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा बैंक के तहत एक योजना है
 जिसकी शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई।
- इस कार्यक्रम की शुरुआत गरीबों व छोटे अनुभवहीन उद्यमियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई है।
- यह योजना सार्वजिनक क्षेत्र के, क्षेत्रीय, ग्रामीण, राज्य तथा शहरी सहकारी बैंकों के माध्यम से उन गैर-कृषि आय उत्पादक विनिर्माण, व्यापार व सेवा संबंधी उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराएगी जिनकी ऋण आवश्यकताएँ, 10 लाख से कम है।
- मुद्रा योजना का लाभ तीन श्रेणियों के अंतर्गत लिया जा सकता है- शिशु श्रेणी, जिसमें 50,000 तक, किशोर श्रेणी में, 50,000 से, 5 लाख तथा तरुण श्रेणी में, 5 लाख से, 10 लाख तक की ऋण सुविधा प्राप्त की जा सकती है।
- छोटे-मोटे कारोबार में लगे स्वरोजगार प्राप्त असंगठित क्षेत्र के लोग इससे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे।
- योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने एनएसएसओ के 2013 के सर्वेक्षण के हवाले से बताया कि छोटी-मोटी दुकान, सिलाई-कढ़ाई, मैकेनिकी, विनिर्माण व सेवा गतिविधियों से जुड़ी लगभग 5.77 लघु इकाईयां देश में कार्यरत है तथा लगभग 12 करोड़ लोग इनमें संलग्न हैं।
- ऐसे 'नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर' की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फोकस करेगी। 'To

Fund the Unfunded' इस योजना का मुख्य उद्देश्य बताया गया। इस योजना में ऋण प्राप्तकर्ताओं को मुद्रा डेबिट कार्ड जारी किया गया है, जिसका प्रयोग कर किसी भी ATM से ऋण की

स्वाभिमान

राशि आवश्यकता के अनुसार निकाली जा सकती है।

- यह बैंकिंग सेवाओं को वृहद ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने पर लक्षित अभियान है।
- इस अभियान का संचालन वित्त मंत्रालय तथा भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा किया जा रहा है।
- बैंकिंग सेवाओं को एक बड़ी जनसंख्या तक पहुँचाया जा सके इसके लिए प्रयास।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

- 🕽 इसका शुभारंभ 9 मई, 2015 को किया गया।
- यह योजना किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है तथा 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनका बैंकों में बचत खाता है।
- इस योजना से जुड़ने वाले लाभार्थी समूहों को बैंक द्वारा डेबिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
- इस योजना के तहत एक वर्ष के लिए प्रति सदस्य 330 रु. वार्षिक प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर उपलब्ध है, जो कि प्रति वर्ष पुनर्नवीकृत होगा।
- योजना के अंतर्गत धारक के परिवार को उसकी मृत्यु होने पर
 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, चाहे मृत्यु दुर्घटना के कारण हो या स्वाभाविक।

महत्वपूर्ण बिंदु :

- यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) तथा अन्य निजी भारतीय जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रशासित है।
- एक व्यक्ति एक बीमा कंपनी तथा एक बैंक खाते के माध्यम से इस योजना से जुड़ सकता है।
- पात्र व्यक्ति बिना अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण दिए इस योजना से जुड़ सकते हैं।
- बीमा राशि प्राप्त करने के लिए एक मृत्यु प्रमाणपत्र तथा एक साधारण दावा पत्र भरकर जमा करना होगा तथा दावे की राशि पात्र व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

- इसका उद्देश्य 12 रुपये वार्षिक की आसान वहनीय प्रीमियम दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराना है।
- यह योजना 18 से 70 आयु वर्ग के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका बैंक में बचत खाता है तथा वे इससे जुड़ने तथा वार्षिक आधार पर पुनर्नवीकरण व खाते से ऑटो-डेबिट की सहमति देते हैं।
- योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु तथा स्थायी पूर्ण अक्षमता पर 2 लाख तथा स्थायी आंशिक अक्षमता पर 1 लाख रुपये का जोखिम कवर उपलब्ध होगा।
- यह बीमा सेवा सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपिनयों तथा अन्य साधारण कंपिनयों जो कि समान शर्तों पर यह सेवा प्रदान करने की इच्छुक हैं के द्वारा प्रदान की जाएगी।
- कोई भी व्यक्ति शर्त अनुसार योजना से निकासी तथा पुन: जुड सकता है।
- 🖸 इसमें सरल प्रक्रियाएँ तथा दस्तावेजी आवश्यकताएँ निहित हैं।
- यह बीमा सेवा को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुँचाकर तथा
 उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर वित्तीय समावेशन
 के लक्ष्य प्राप्ति की की दिशा में आगे बढ़ेगा।
- इससे अचानक तथा दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं से होने वाली क्षिति से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सुरक्षित किया जा सके।

अटल पेंशन योजना (APY)

अटल पेंशन योजना (APY), का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 9 मई,
 2015 को कोलकाता में आयोजित समारोह में किया।

मुख्य उद्देश्य :

- पेंशन के प्रावधान :— अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले उपभोक्ताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹ 1 हजार से ₹ 5 हजार प्रति माह (एक-एक हजार के गुणक के रूप में) पेंशन उपलब्ध हो सकेगी।
- इसके लिए वांछित प्रीमियम का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।
- प्रीमियम की राशि योजना में शामिल होने के समय उपभोक्ता की आयु पर निर्भर करेगी।
- इस योजना में शामिल होने के लिए उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले अंशदान में 50 प्रतिशत भाग (अधिकतम ₹ 1 हजार प्रति वर्ष) का योगदान पाँच वर्षों तक (2015-16 से 2019-20 तक) सरकार द्वारा किया जाएगा।

- यह अंशदान 31 दिसंबर, 2015 से पूर्व योजना में शामिल होने वाले ऐसे ग्राहकों को ही दिया जाएगा, जो किसी अन्य वैधानिक पेंशन योजना के सदस्य नहीं होंगे।
- 18-40 वर्ष आयु वर्ग के लोग इस योजना में शामिल होने के पात्र होंगे।
- अटल पेंशन योजना उन सभी असंगठित क्षेत्र के नागरिकों पर केंद्रित है, जो पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) की राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़ते हैं।
- यह सभी खाता धारकों के लिए खुली है, जो किसी भी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं।
- यह मुख्यत: असंगठित क्षेत्र के कामगारों को लक्षित करती है।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्तकर्ता को 60 वर्ष की आयु पर उनके योगदान के अनुसार 1000 से 5000 प्रति माह तक एक निश्चित पेंशन प्राप्त होगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। अत: योजना के अंतर्गत लाभार्थी की न्यूनतम योगदान अविध 20 वर्ष या अधिक होगी।
- योजना के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि तक 2020 तक केंद्र सरकार द्वारा भी लाभार्थी के योगदान का 50% या 1000 वार्षिक, जो भी कम हो, का सह-योगदान किया जाएगा।
- अंशदाता की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी/पित को पेंशन मिल सकेगी।
- दोनों की मृत्यु के बाद बाद पेंशन निधि नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना व सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना

विरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए 15 वर्षीय लॉक इन पीरिएड वाली विरिष्ठ पेंशन बीमा योजना तथा निर्धनता रेखा से नीचे के पिरवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (Universal Health Insurance Scheme) का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 14 जुलाई, 2003 को किया।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना की विशेषताएं

वार्षिक प्रीमियम-एकल व्यक्तियों के लिए ₹ 365, पाँच व्यक्तियों के परिवार के लिए ₹ 548 तथा सात व्यक्तियों के परिवार के लिए ₹ 730।

योजना /परियोजना-2019

- अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के खर्च के ₹ 30,000 तक की वापसी।
- परिवार के कमाऊ मुखिया की दुर्घटना-मृत्यु का बीमा ₹25,000
- अपंगता का मुआवजा ₹ 50 प्रतिदिन, अधिकतम 15 दिन के लिए (पहले 3 दिन छोड़कर), यदि परिवार के कमाऊ मुखिया को अस्पताल में भर्ती कराना पड़े, तो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वार्षिक प्रीमियम में सरकार ₹ 100 का योगदान देगी।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की विशेषताएं

- 🐧 55 वर्ष तथा अधिक आयु के व्यक्ति योग्य
- उम्र भर मिलने वाली पेंशन
- पेंशन प्राप्तकर्ता का देहांत होने पर नामांकित को क्रय मूल्य की वापसी
- च्यूनतम पेंशन ₹ 250 प्रतिमाह
- अधिकतम पेंशन ₹ 2,000 प्रतिमाह
- पेंशन का भुगतान इच्छानुसार-मासिक, तिमाही, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक

एस4ए स्कीम

- दाबित संपदा की सतत् संरचना स्कीम यानी एस4ए (scheme for sustainable structuring of stresed assets: S4A) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2016 में आरंभ की गई है।
- इसके तहत बड़ी पिरयोजनाओं में फंसे कर्ज की समस्याओं के समाधान खोजने का प्रयास किया गया है। यह स्कीम, जो कि वैकल्पिक फ्रेमवर्क है।
- इसके अंतर्गत संघंषरत कंपनियों के कर्ज को सतत व असतत हिस्सों में बांटा जाता हैं, बैंक असतत कर्ज को इक्विटी में बदलकर किसी नये स्वामी को बेच देता है जिनके पास इस व्यवसाय को संचालित करने के लिए और स्रोत होते हैं।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

- भारत सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना नाम से एक नई पेंशन योजना की औपचारिक शुरुआत की है।
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) की तरह प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) उन वरिष्ठ लोगों के लिए एक पेंशन योजना है जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है।
- भारतीय नागरिक जो कि 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के हैं वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश करने के पात्र हैं।
- चह योजना 4 मई 2017 से 3 मई 2018 तक सब्सिक्रिप्शन के लिए सभी के लिए थी किन्तु आम बजट 2018 में-

- (i) PMVVY योजना के तहत सीनियर सिटिजन 15 लाख रु० तक की राशि कम-से-कम ब्याज प्राप्त कर सकेंगे अभी यह लिमिट 7.5 लाख थी।
- (ii) PMVVY योजना को मार्च 2020 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया।
- इस पेंशन की अधिकतम सीमा पूरे परिवार के लिए है। यानि पीएमवीवीए पॉलिसी के तहत किसी परिवार को जारी की गई पेंशन की कुल राशि अधिकतम पेंशन सीमा से अधिक नहीं होगी।
- 🖸 इस पॉलिसी का टर्म अधिकतम 10 वर्ष के लिए है।
- इस पर मिलने वाला एश्योर्ड रिटर्न 8 फीसदी होता है।
- पेंशनर के हाथों में आने वाली पेंशन आय कर योग्य होगी। कर की दर उसकी आयकर स्लैब पर निर्भर करेगी।
- लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एलआईसी) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के लिए एक्सक्लूसिव एडिमिनिस्ट्रेटर होगा।

'दर्पण योजना'

- सेवा गुणवत्ता में सुधार, सेवाओं में मूल्यवर्धन तथा बैंक सेवा से वंचित ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दर्पण (डिजिटल एडवासंवेंट ऑफ रूरल पोस्टऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया) योजना लांच की गयी।
- ग्रामीण 'दर्पण योजना' आबादी के वित्तीय समावेशन के लिए दर्पण विस्तार परियोजना लांच की गई

निर्धारित लक्ष्य

- 1400 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक शाखा पोस्ट मास्टर (बीपीएम) को कम शक्ति का टेक्नोलॉजी समाधान उपलब्ध कराना है। ताकि ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। यह लक्ष्य मार्च, 2018 तक पूरा करना था।
- 'डाक विभाग की उपलब्धियाँ' पिछले 150 से अधिक वर्षों से डाक विभाग देश की संचार व्यवस्था का रीढ़ रहा है। डाक विभाग ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- डाक विभाग अनेक प्रकार से भारतीय नागरिकों के जीवन को प्रभावित करता है। इस विभाग द्वारा मेल की भी डिलीवरी की जाती है।
- 🗘 लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा स्वीकार किए जाते हैं।
- 🗴 डाक जीवन बीमा (पीएलआई) तथा ग्रामीण डाक जीवन बीमा

(आरपीएलआई) के अंतर्गत जीवन बीमा कवच प्रदान किया जाता है।

- बिल एकत्र करने तथा विभिन्न फार्मों की बिक्री जैसी खुदरा सेवाएं दी जाती हैं।
- डाक विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी वितरण तथा वृद्धावस्था पेंशन भुगतान जैसी सेवाएं नागरिकों को प्रदान करता है।
- 1.5 लाख डाक घरों के साथ डाक विभाग विश्व का सबसे अधिक विस्तृत डाक नेटवर्क है।
- शहरीकरण, वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग, सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक धन दिए जाने जैसी प्रवृत्तियों से डाक विभाग के लिए नए अवसरों के द्वार खुले हैं। इसलिए नए प्रोसेस तथा समर्थनकारी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है।
- डाक विभाग के समक्ष स्पर्धा बढ़ाने और संचार प्रौद्योगिकी विशेषकर मोबाइल टेलीफोनी तथा इंटरनेट में अग्रिम कदम बढ़ाने की दोहरी चुनौती है।
- श्रेष्ठ उपभोक्ता सेवा प्रदान करने, नई सेवाएं देने तथा संचालन संबधी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से डाक विभाग ने प्रारंभ से अंत तक आईटी आधुनिकीकरण योजना प्रारंभ किया है ताकि विभाग स्वयं को आवश्यक आधुनिक उपायों तथा टेक्नोलॉजी से लैस कर सके। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-
 - उपभोक्ता से सिक्रयता बढ़ाकर व्यापक रूप से भारतीय आबादी तक पहुंचना
 - 2. बेहतर उपभोक्ता सेवा
 - 3. नए व्यवसायों के माध्यम से विकास
 - 4. आईटी सक्षम बिजनेस प्रोसेस तथा समर्थनकारी कार्य

प्रोजेक्ट सक्षम

- इस परियोजना का उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद एवं शुल्क बोर्ड (CBEC) के एक नए अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क (तंत्र एकीकरण) का निर्माण करना है।
- यह परियोजना निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता करेगी
 - वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन में।
 - व्यापार सरलीकरण के लिए भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की इंटरफेस के प्रसार में।
 - केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) के डिजिटल इण्डिया व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत अन्य करदाता अनुकूल पहलों के क्रियान्वयन में।

सॉवरन गोल्ड बॉण्ड स्कीम (SGBs)

- सॉवरन गोल्ड बॉण्ड (SGBs) ग्राम के रूप में प्रदर्शित सरकारी स्वर्ण प्रतिभृतियाँ हैं।
- 🗴 यह भौतिक रूप में स्वर्ण रखने को प्रतिस्थापित करेंगी।
- प्रतिभूतियों का निर्गमन मूल्य इण्टरनेट बैंकिंग या किसी भी शाखा में निवेशकों द्वारा भुगतान किया जा सकेगा।
- बॉण्ड की परिपक्वता पर ग्राहक के खाते में राशि की पूर्ति कर दी जाएगी। यह बॉण्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा।
- इसके माध्यम से भौतिक रूप में स्वर्ण रखने की लागत व जोखिम समाप्त हो जाएगा।
- बॉण्ड की परिपक्वता पर निवेशकों को स्वर्ण के बाजार मूल्य तथा आवधिक ब्याज की पुर्ति के लिए आश्वस्त किया गया है।

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

- विदेशों से स्वर्ण के आयात में कमी लाने तथा देश में घरों एवं संस्थानों में निष्क्रिय पड़े हजारों टन स्वर्ण के उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल के लिए दो स्वर्ण योजनाओं को लाने के इरादे की घोषणा वित्त मंत्री ने 2015-16 का बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में की थी।
- प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को औपचारिक तौर पर 5 नवम्बर,
 2015 को जारी कर दिया गया।
- इससे सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड (Sovereign Gold Bond– SGB) योजना व संशोधित स्वर्ण मौद्रीकरण योजनाओं को शुरू करने को मार्ग प्रशस्त हो गया है।

प्रमुख तथ्य :

- सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड योजना के तहत भारत सरकार की ओर से स्वर्ण बॉण्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
- सार्वभौमिक गारंटी वाले यह बॉण्ड ग्राम आधारित स्वर्ण के वजन (Denominated in Grams of Gold) में निरुपित होंगे तथा केवल निवासी भारतीयों (Resident Indians) द्वारा नकद भुगतान द्वारा यह खरीदे जा सकोंगे।
- न्यूनतम 5 से 7 वर्ष की अविध वाले इन बॉण्ड्स पर देय ब्याज की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- ब्याज की गणना निवेश के समय सोने के मूल्य के आधार पर की जाएगी।
- सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड सरकार के सार्वभौमिक उधार (Sovereign Borrowing) का अंश होंगे। अत: इनकी बिक्री राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के लक्ष्य तक सीमित रहेगी।

योजना /परियोजना-2019

- किसी एक व्यक्ति को बेचे जाने वाले बॉण्ड्स की अधिकतम सीमा एक समुचित स्तर पर रखी गई है, जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 500 ग्राम से अधिक नहीं होंगी।
- भारत सरकार ने इन बॉण्डों पर 2.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर का निर्धारण किया है, जो प्रत्येक छमाही पर देय होगी।
- बॉण्डों की अवधि 8 वर्ष है। 5 वर्ष की अवधि पूरी होने पर योजना से बाहर आया जा सकता है।
- न्युनतम निवेश दो इकाई है।
- निवंशकों द्वारा इन बॉण्ड्स का इस्तेमाल ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में किया जा सकेगा। इन

- बॉण्ड्स का विपणन स्टॉक एक्सचेन्जों में किया जा सकेगा, जिससे निवेशक अपनी इच्छा से इस बाजार से बाहर निकल सकेंगे।
- एसजीबी (सार्वभौमिक गोल्ड बॉण्ड) की बिक्री से प्राप्त राशि का इस्तेमाल अपनी उधारियों के रूप में सरकार द्वारा किया जा सकेगा तथा इस उधारी पर बचाई गई ब्याज नए सृजित किए जाने वाले स्वर्ण भंडार निधि (Gold Reserve Fund) में जमा की जाएगी।
- इस निधि का उपयोग स्वर्ण के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम से निपटने के लिए किया जाएगा।

<u>पेयजल</u> एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत अभियान

- स्वच्छता एवं साफ-सफाई के प्रति जागरुकता सृजित कर देश को साफ-सुथरा व गंदगी से मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का औपचारिक शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर किया।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि भारत में गंदगी के कारण प्रत्येक नागरिक को सालाना औसतन ₹ 6,500 का नुकसान होता है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण होता है।
- गाँवों में स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को ₹ 20-20 लाख के सालाना अनुदान की घोषणा केन्द्र ने की है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 11.11 करोड़ शौचालयों के निर्माण के लिए 1.34 लाख करोड़ की मंजूरी केन्द्र सरकार ने पहले ही प्रदान कर दी है। अभियान की विभिन्न मंत्रालयों ने भी अपने-अपने स्तर पर कार्यान्वित करने को पहल की है।
- कॉरपोरेट सेक्टर ने भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। इस अभियान के तहत् केन्द्रीय बजट 2015-16 में कुल ₹ 6000 करोड आवंटित किए गए हैं जिन्हें दो मदों पर खर्च किया जाएगा।
- क्सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयासों में राज्यों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम हेतु ₹ 2,500 करोड का प्रावधान।
- ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान हेतु 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

स्वच्छ भारत कोष (SBK)

2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के

लिए यह कोष स्थापित किया गया है, जिसमें निगमित क्षेत्र से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (CSR Founds), विभिन्न व्यक्तियों एवं अन्य मानव प्रेमियों से वित्तीय योगदान आकर्षित किया जाएगा।

स्वच्छता पखवाड़ा

- अप्रैल 2016 में शुरू किया गया स्वच्छता पखवाड़ा माननीय प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण से प्रेरित है जिसमें स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को जोड़ना शामिल है।
- इन पखवाडों में स्वच्छता के मसलों और अभ्यासों पर गहन ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- मंत्रालयों में एक वार्षिक कैलेंडर पूर्व वितरित किया जाता है तािक वहां पखवाड़े से जुड़ी गितिविधयों की योजना बनाई जा सके।
- 2018 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा साल 2016 और 2017 के लिए स्वच्छता पखवाडा वार्षिक पुस्तकें जारी की गई।

दरवाजा बंद अभियान

- 30 मई 2017 को केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने देशभर के गांवों में शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दरवाजा बंद अभियान का शुभारंभ किया।
- अभिनेता अमिताभ बच्चन के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर शौचालय के प्रयोग हेतु अभियान प्रारंभ हुआ।
- इस अभियान को विश्व बैंक से समर्थन प्राप्त है और इसे देश
 भर में चलाया जाएगा।

मुख्य उद्देश्य :

- उन लोगों के व्यवहार में पिरवर्तन लाना है जिनके घरों में शौचालय है फिर भी वे इसका इस्तेमाल नहीं करते है।
- 🗴 देश में 64% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)

- उ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (National Rural Drinking Water Programme: NRDWP), भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यत: निजी आपूर्ति के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहायता देना है। इसे वर्ष 2009 में आरंभ किया गया था।
- 10 नवंबर, 2017 को इसके संशोधित कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई थी। संशोधित योजना में कार्यक्रम की निधि का 2% जापानी इन्सेफलाइटिस/एईएस प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवंटित किया गया।
- इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत फरवरी 2017 में एक उप-कार्यक्रम आरंभ किया गया है जिसका नाम है 'राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन' (National Water Quality Sub-Mission: NWQSM), जिसके तहत आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित 28,000 बस्तियों में त्वरित आधार पर स्वच्छ पेयजल की आपर्ति सनिश्चित करना है।

स्वच्छ भारत समर इंटर्निशिप 2018

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के साथ मिलकर 'स्वच्छ भारत समर इंटर्निशिप (एसबीएसआई) 2018' की शुरुआत की जिसका उद्देश्य गर्मियों की छुट्टियों के दौरान गांवों में स्वच्छता से जुड़े कार्यों से कॉलेज के छात्रों और नेहरु युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के युवाओं को जोड़ना है।
- एसबीएसआई ने देश भर में लाखों शिक्षित युवाओं को जोड़ा है, स्वच्छता क्षेत्र के लिए उनके कौशल व उन्मुखता को विकसित करने में मदद की है और स्वच्छ भारत मिशन के जन जागरूकता वाले पहलू को ज्यादा बढ़ाया है।
- इस इंटर्निशिप के हिस्से के तौर पर आवेदकों को करीब के गांवों में या उनके आसपास श्रमदान, स्वच्छता ढांचे का निर्माण, व्यवस्था निर्माण, व्यवहार परिवर्तन अभियान और अन्य सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) पहलों समेत स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों के लिए 100 घंटे का काम करना था।
- SBSI 2018 के लिए 3.8 लाख छात्रों ने पंजीकरण करवाया।

स्वजल योजना

- स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान में 'स्वजल योजना' नामक पायलट प्रोजेक्ट लांच किया है।
- स्वजल एक समुदाय आधारित पेयजल कार्यक्रम है जो कि पेयजल आपूर्ति को बनाए रखने हेतु है।
- इस प्रोजेक्ट के जिए प्रत्येक परिवार/घर को एक वर्ष की समयाविध में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और इसके साथ ही इससे रोजगार सृजन की भी सम्भावनाएँ बढ़ने की उम्मीद हैं।
- इस प्रोजेक्ट में खर्च होने वाली राशि का 90% सरकार द्वारा और शेष 10% स्थानीय समुदाय द्वारा वहन किया जाएगा।
- इस प्रोजेक्ट का संचालन तथा प्रबंधन स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन

- भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता हेतु शुरू िकए गए स्वच्छ भारत िमशन ने 2 अक्टूबर, 2017 को (महात्मा गांधी की 148वीं जयंती) को अपने तीन वर्ष पूरे कर िलए हैं।
- इसका उद्देश्य मुख्यत: महात्मा गांधी की 150वीं जयंती अर्थात्
 अक्टूबर, 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है।
- 2 अक्टूबर, 2017 तक देशभर के पांच राज्यों द्वारा लगभग 200 जिलों और तकरीबन 2.4 लाख गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया।
- स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शहरी क्षेत्रों में तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है।

उद्देश्य

- 🖸 खुले में शौच से मुक्ति।
- हाथ से मैला साफ करने की समाप्ति।
- 🗴 आधुनिक एवं वैज्ञानिक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
- स्वच्छता गतिविधियों के लिए व्यवहार में प्रभावी परिवर्तन लाना।
- 🗴 शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता में वृद्धि करना।
- निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए एक सहयोगी वातावरण का निर्माण करना

मिशन के घटक - 6 प्रमुख घटक

- घरेलू शौचालय, अस्वास्थ्यकर शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना।
- 🗘 सामुदायिक शौचालय

योजना/परियोजना-2019

- सार्वजिनक शौचालय
- जागरूकता तथा IEC (सूचना, शिक्षा व संचार)
- 📀 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- क्षमता निर्माण

- 🗴 लक्ष्यः यह मिशन 2 अक्टूबर, 2019 तक लागू रहेगा।
- वित्तीयन: सामान्य क्षेत्रों में केंद्र-राज्य के मध्य 75: 25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर में 90: 10 के अनुपात में मिशन के घटकों के लिए योगदान किया जाएगा।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

'नमामि गंगे' योजना

- 13 मई, 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण के तहत् समेकित गंगा संरक्षण मिशन/कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई। केन्द्र सरकार की इस फ्लैगशिप योजना का नाम नमामि गंगे है।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत् गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्वच्छ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- इस योजना पर अगले पाँच वर्ष में ₹ 20 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत् गंगा स्वच्छता मिशन में राज्यों और जमीनी स्तर के संस्थान, जैसे शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को शामिल किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम 'स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन' (नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा-एनएमसीजी) द्वारा लागू किया जाएगा।
- राज्यों में एनएमसीजी के समकक्ष संगठन, जैसे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स (एसपीएमजीएस) द्वारा यह कार्यक्रम लागू किया जगागा।
- इस मिशन की निगरानी करने के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है -
 - (i) राष्ट्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया जाएगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर एनएमसीजी की मदद करेगा।
 - (ii) राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित की जाएगी जो एसपीएमजीएस की मदद करेगी।
 - (iii) जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी।
- इस योजना के तहत आने वाली सभी गतिविधियों एवं परियोजनाओं का पूर्ण वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा 10 वर्ष तक इसकी सभी परिसम्पत्तियों के परिचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था की जाएगी।
- इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए गंगा इको
 टास्क फोर्स की चार बटालियन का गठन किया जाएगा।
- गंगा इको टास्क फोर्स एक प्रादेशिक सैन्य इकाई होगी। इसके अलावा गंगा में प्रदूषण रोकने और इसे संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाएगा।

- गंगा स्वच्छता कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय की व्यवस्था में सुधार लाने पर बल दिया जाएगा।
- शहरी विकास मंत्रालय के तहत् ढांचागत सुविधाओं के विकास के कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
- गंगा नदी में नालियों से बहने वाले कचरे एवं सीवेज के परिशोधन के लिए नई तकनीक की व्यवस्था की जाएगी।
- इस योजना का सामाजिक-आर्थिक लाभ भी होगा और इससे रोजगार का भी सुजन होगा।
- यह गंगा के पुनरुद्धार के लिए हो रहे वर्तमान प्रयासों के समेकन तथा भविष्य के लिए एक मजबूत कार्ययोजना तैयार करने से संबंधित एक एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम है।
- यह कार्यक्रम 8 राज्यों: उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली को शामिल किया गया है।
- इसके अंतर्गत केदारनाथ, हिरद्वार, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना तथा दिल्ली में बहुक्षेत्रीय तथा बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से घाटों का विकास तथा नदी तटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

गंगा पुनरुद्धार में शामिल मंत्रालय:

- (a) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
- (b) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- (c) जहाजरानी मंत्रालय
- (d) पर्यटन मंत्रालय
- (e) शहरी विकास मंत्रालय
- (f) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
- (g) ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- संपोषणीय नगरीय सीवेज प्रबंधन (शहरी विकास मंत्रालय के साथ समन्वय से)
- 🗘 ग्रामीण क्षेत्रों से सीवेज प्रबंधन।
- उद्योगों से निकले प्रदुषकों में कमी का प्रबंधन।

योजना/परियोजना-2019

- गंगा के किनारे नदी नियामक क्षेत्रों का प्रवर्तन करना, आर्द्रभूमियों का संरक्षण एव पुनर्भरण, प्रभावी सिंचाई पद्धिति प्रयोग।
- जलीय जीवन तथा जैव-विविधता के संरक्षण द्वारा पारिस्थितिकीय पुनर्निर्माण को सुनिश्चित करना।
- पर्यटन एवं जहाजरानी को विवेकपूर्ण एवं संपोषणीय रूप से प्रोत्साहन।
- 👽 गंगा ज्ञान केंद्र द्वारा गंगा पर ज्ञान प्रबंधन।
- गंगा सफाई के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMCG) तथा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (SPMGs) के तत्वाधान में राज्य, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएँ इस परियोजना में सम्मिलत होंगी।
- नदी संरक्षण के लिए नागिरकों के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए 'स्वच्छ गंगा निधि' की स्थापना की गई है।
- 🗘 यह कार्यक्रम 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त है।
- 2020 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

स्मार्ट गंगा सिटी परियोजना

केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 13 अगस्त, 2016 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जिरए देश के 10 प्रमुख शहरों में स्मार्ट गंगा सिटी पिरयोजना की शुरुआत की। ये शहर हैं-हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृन्दावन, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, साहिबगंज और बैरकपुर।

मुख्य तथ्य :

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने सीवेज उपचार के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए हाइब्रिड एन्यूटी आधारित सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर कार्य हेतु प्रथम चरण में इन शहरों का चयन किया है।
- कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए जिला स्तर पर भी निगरानी सिमितियों का गठन किया जाएगा। इस परियोजना ये देश की कंपनियों के अलावा कई विदेशी कंपनियों ने भी हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर साथ-साथ काम करने की सहमति जताई है।
- पहले चरण में 10 शहरों को शामिल किया गया है, लेकिन धीरे-धीरे इनमें बाकी के शहर भी शामिल किए जाएंगे।
- इन 10 शहरों में यह कार्यक्रम करते समय इन शहरों की निदयों की जैव विविधता और उससे जुड़ी सांस्कृतिक विरासत का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
- अगले दो महीनों में कुछ अन्य शहरों में भी यह कार्यक्रम शुरू
 िकए जाएंगे।

पथ्वी विज्ञान मंत्रालय

डीप ओशन मिशन-2018

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जनवरी, 2018 में 'डीप ओशन मिशन' की शुरुआत की।
- इस मिशन की शुरूआत से समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की स्थिति और बेहतर होगी।
- भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसे गहरे समुद्र में खनन अन्वेषण हेतु पर्याप्त क्षेत्र दिया गया था।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1997 में भारत को केंद्रीय हिन्द महासागर बेसिन में पॉलिमेटालिक नोड्यूल्स में अन्वेषण का मौका मिला था।
- राष्ट्रीय पॉलिमेटालिक मॉड्यल कार्यक्रम के अंतर्गत माड्यूल खनन के लिए सीएसआईआर (CSIR), एनआईओ (NIO) द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन, सी.एस.आई.आर.-नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेट्री और सी एस आई आर खनिज एवं धातु प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा धातु निष्कर्षण प्रक्रिया विकास और

- राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा खनन प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया गया।
- भारत के पास लगभग 100 मिलियन टन सामिरक धातुओं, जैसे
 कॉपर, निकेल, कोबाल्ट, मैगनीज और आयरन का लगभग
 75000 वर्ग किमी. क्षेत्र है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य :

- 😊 यह कार्यक्रम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
- यह योजना भारतीय मौसम विभाग द्वारा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही हैं
- यह कृषक समुदाय के कल्याण के लिए उन्हें मौसम तथा अवस्थिति अनुकूल फसल उपजाने संबंधी कृषि सलाह प्रदान करती है।
- द्विसाप्ताहिक मौसम आधारित खबरें तैयार करने के लिए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के अंतर्गत कृषि मौसम सलाह सेवाएं (AAS) संचालित की जा रही है।

- इसमें सूचनाएं मल्टीमीडिया चैनल या SMS के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे कृषक अपनी कृषि संबंधी गतिविधियों को नियोजित कर सकें।
- समुद्री विज्ञान में शोध के क्षेत्र में भारत का वर्तमान में 15वाँ स्थान है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)

- इस कार्यक्रम की शुरूआत 12 अप्रैल, 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु की गई थी।
- इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें
 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्य उद्येश्य :

- इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है।
- मिशन के संभावित निष्कर्षों में शिशु मृत्यु दर (IMR) में 30/1000 जीवित जन्म से नीचे तक कटौती, मातृ मृत्यु दर (MMR) के 100/1,00,000 जीवित जन्म से नीचे आने तथा कुल प्रजनन दर (TFR) के 2012 तक 2.1 पर लाना सम्मिलत है।

जननी सुरक्षा योजना (JSY)

- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए एक नई जननी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ की गई है।
- 100% केन्द्र प्रायोजित इस योजना ने पूर्व में संचालित राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme) का स्थान लिया है तथा यह 2005-06 के बजट में प्रस्तावित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का घटक है।
- मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality) व शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality) पर अंकुश लगाकर गर्भवती महिलाओं के हितार्थ लागू की गई उस योजना का लाभ 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो जीवित प्रसवों के समय प्राप्त होता है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (Maternity Benefit Act, 1961) के दायरे में आने वाली कार्यशील महिला किर्मयों को मिलने वाली मातृत्व बोनस राशि में वृद्धि की गई है।
- इसके लिए मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक 2007 मार्च, 2008 में संसद में पारित किया गया था।

- लक्षित महिलाओं को देय मातृत्व बोनस की राशि 250 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के दायरे में 10 से अधिक महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले ऐसे कारखाने, दुकान, बागान व संस्थान आते हैं, जो कर्मचारी बीमा अधिनियम (ESI Act) के अधीन नहीं हैं।

मुख्य उद्देश्य :

- इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं को 1400 रु. की सशर्त सहायता भी प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत माता की आयु, बच्चों की संख्या तथा संस्था का प्रकार जैसे सार्वजनिक या निजी स्वास्थ्य संस्था, जैसी सीमाएँ नहीं हैं।
- इस योजना के तहत निम्न संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों -उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा तथा जम्मू एवं कश्मीर की सभी गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन राज्यों को निम्न निष्पादक राज्यों (LPS) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- उच्च निष्पादक राज्यों (HPS) में जहाँ संस्थागत प्रसव का स्तर संतोषजनक है वहाँ इस योजना के तहत बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह योजना आशाओं को उनके निष्पादन अनुसार प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)

- यह योजना 12 अप्रैल, 2005 में गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
- यह योजना उन सभी गर्भवती महिलाओं को जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से प्रसव कराती है, को पूर्णतः निःशुल्क प्रसव सुविधा प्रदान कराती है।

योजना/परियोजना-2019

- 🖸 सभी व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
- गर्भवती महिलाओं को घर से स्वास्थ्य संस्थानों तक नि:शुल्क परिवहन सुविधा भी प्राप्त होगी।
- योजना के तहत नि:शुल्क दवाएँ, नि:शुल्क परीक्षण, नि:शुल्क रक्त, नि:शुल्क आधार सामान्य प्रसव के तीन दिवस तक, जैसे लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- इस प्रकार के समान लाभ जन्म से 30 दिन तक उन नवजात शिशुओं को भी उपलब्ध होंगे जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए पहुँचते हैं।
- यह पहल मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर व रोगों में कमी लाएगी।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

- 1 मई, 2013 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ₹ 22,507 करोड़ की लागत से चलने वाले राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को स्वीकृति प्रदान कर दी।
- यह मिशन देश के 779 शहरों एवं कस्बों जिनकी जनसंख्या 50000 या इससे अधिक होगी, में चलाया जाएगा। 7.75 करोड़ लोग इस मिशन के अंतर्गत आच्छादित होंगे।

मुख्य उद्देश्य <u>:</u>

- शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के सामान्य रूप से तथा निर्धनों एवं वंचितों को विशेष रूप से, के स्वास्थ्य स्तर में समुन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के द्वारा गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तथा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित करके सुधार लाना।
- समुदायों एवं स्थानीय नगर निकायों को शामिल करके सेवाओं को लक्षित करना।
- 🗘 शिशु मृत्यु दर तथा मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना।
- पुनरोत्पादक स्वास्थ्य देखभाल तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना।
- सभी स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों को अभिकेन्द्रित करना।

प्रमुख तथ्य :

- यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) की तर्ज पर संचालित होगा।
- इस मिशन के अंतर्गत 50 से 60 हजार की जनसंख्या पर एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा बड़े शहरों में पाँच से छ: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- प्रत्येक 10000 हजार की शहरी जनसंख्या पर एक सहायक प्रसेविका (ANW) तथा 200 से 500 परिवारों पर एक आशा (ASHA) (सामुदायिक सम्पर्क कार्यकर्ता) की तैनाती की जाएगी।

- 4. मिशन की कुल लागत 22,507 करोड़ रुपए में से केन्द्र सरकार 16,955 करोड़ रुपए प्रदान करेगी जो कि कुल लागत का 75% होगा। 25% लागत राज्य सरकारें वहन करेंगी।
- पूर्वोत्तर राज्यों तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों-जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड के लिए लागत सहभारिता 90:10 होगी।
- क्रियान्वयन का आधार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होगा तथा आवश्यकताओं को चिह्नित करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण होगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- 🗴 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं-
 - 1. मातृ मृत्यु दर (MMR) को 1/1000 जीवित जन्म पर लाना।
 - 2. शिशु मृत्यु दर (IMR) को 25/1000 जीवित जन्म पर लाना।
 - 3. कुल प्रजनन दर (TFR) को 2.1 पर लाना।
 - 4. 15-49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम एवं बचाव
 - संचारी एवं गैर-संचारी रोगों से होने वाली रूग्णता एवं मृत्यु से बचाव एंव रोकथाम।
 - 6. कुल स्वास्थ्य देखभाल पर परिवारों के होने वाले अधिक व्यय को कम करना।
 - 7. क्षय रोग (टीबी) के मामलों व इससे होने वाली वार्षिक मृत्यु के मामलों को आधे तक कम करना।
 - कोढ़ के मामलों को जनसंख्या के 1/10,000 से कम पर लाना तथा सभी जिलों में इसके प्रभाव को शून्य करना।
 - 9. वार्षिक मलेरिया मामलों को 1/1000 से कम करना।
 - सभी जिलों में सूक्ष्म फाईलेरिया की व्यापकता को 1 प्रतिशत से कम करना।
- 11. कालाजार की 2015 तक समाप्ति तथा सभी ब्लॉकों में इसके मामलों को जनसंख्या के 1/10000 से कम पर लाना। (भारत सरकार ने बजट 2017-2018 में वर्ष 2017 तक कालाजार की समाप्ति का लक्ष्य रखा है)
- 🗴 इस मिशन के अंतर्गत दो उप मिशन हैं
 - 1. राष्टीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा
 - 2. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
- 🕽 2 घटक हैं-
 - (i) तृतीयक देखभाल कार्यक्रम
 - (ii) स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन
- NHM के अंतर्गत दो गितविधियों को शामिल किया गया है

योजना/परियोजना-2019

- (a) मिशन इंद्रधनुष और
- (b) कायाकल्प
- नोटः सार्वजिनक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, अतः राज्यों/ संघ क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उनकी स्वास्थ्य सेवाओं की वितरण व्यवस्था के सशक्तिकरण के लिए समर्थन प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

- यह कार्यक्रम बच्चों की स्वास्थ्य जाँच तथा पूर्व देखभाल सेवाएँ
 और विद्यालयों में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रम को सिम्मिलित करता है।
- यह योजना जन्म से 18 वर्ष तक के 27 करोड़ बच्चों में 4 प्रकार के विकारों यथा जन्म संबंधी विकार, कोई अपूर्णता, रोगों तथा अक्षमता को सम्मिलित करते हुए किसी प्रकार के विकास में विलम्ब की पूर्व पहचान तथा पूर्व जाँच पर केंद्रित है। यह योजना वर्ष 2013 से जारी है।
- 0-6 वर्ष आयु समूह के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच का विशिष्ट प्रबंधन डिस्ट्रिक्ट अर्ली इण्टरवेन्शन सेंटर (DEIC) स्तर पर तथा 6-18 वर्ष आयु समूह के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन विद्यमान सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर किया जाएगा।
- DEIC दोनों आयु समृह के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करेगा।
- 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जाँच आँगनबाड़ी केंद्रों पर तथा 6-18 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जाँच स्थानीय विद्यालयों पर (सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त) वर्ष में कम से कम एक बार की जाएगी।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)

- इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 जनवरी, 2014 को गुलाम नबी आजाद (तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री) द्वारा किया गया।
- यह एक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जो मुख्यत: 10-19 वर्ष के किशोरों की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर केंद्रित है।
- इसके मुख्य सिद्धांत िकशोर सहभागिता तथा नेतृत्व, समता तथा समावेशन, लैंगिक समता तथा अन्य क्षेत्रकों व हिस्सेदारों के साथ रणनीतिक सहभागिता हैं।

फोकस क्षेत्र :

- कुपोषण की व्यापकता में कमी लाना तथा किशोर व किशोरियों में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में कमी लाना।
- लैंगिक एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार।
- 3. मानसिक स्वास्थ्य सुधार

- 4. हिंसा व क्षति से बचाव
- 5. संसाधन दुरुपयोग से बचाव
- गैर-संचारी रोगों जैसे हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कार्डियो-वस्कुलर रोग तथा मधुमेह का निवारण।
- यह कार्यक्रम भारत के सभी किशोरों को उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण के संबंध में दायित्वपूर्ण निर्णय लेने तथा अपनी पूर्ण संभाव्यता को पहचानने में समर्थ बनाता है।

मिशन इन्द्रधनुष

- यह मिशन टीकाकरण द्वारा उपचारित उन सात रोगों के उपचार के लिए वर्ष 2020 तक उन सभी बच्चों को कवर करने पर लक्षित है, जो कि टीकाकरण कार्यक्रम से बाहर है या आंशिक रूप से टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है।
- इन सात रोगों में डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस, पोलियो, क्षय रोग (टीबी) खसरा तथा हेपिटाइटिस-B शामिल है।

मुख्य उद्येश्य :

- गर्भवती महिलाओं तथा 2 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह मिशन प्रथम चरण में देश के उन 201 उच्च फोकस जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जहाँ लगभग 50 प्रतिशत गैर टीकाकृत व आंशिक टीकाकृत बच्चे हैं।
- ♦ यह मिशन सार्वभौमिक सुरक्षा कार्यक्रम-2020 का भाग है।
- इसमें मंत्रालय की WHO, UNICEF, रोटरी इण्टरनेशनल तथा अन्य दाता भागीदारों द्वारा तकनीकी समर्थन प्रदान किया जा रहा है।
 - (a) इसके 4 चरण पूरे हो चुके है।
 - (b) 2.94 करोड़ बच्चों तथा 76.84% लाख महिलाओं का टीकाकरण पूरा-कर लिया गया है।
 - (c) 76.36 लाख बच्चों को पूर्णतया प्रतिरक्षित कर लिया गया है।
 - (d) प्रतिरक्षण कवरेज वृद्धि दर 1% से बढ़कर 6.7% हो गयी है।

इ-विन (E-VIN : Electronic Vaccine Intelligence Network) परियोजना

- यह भारत की स्वदेश में विकसित तकनीक प्रणाली है जो टीका भंडारों का डिजिटलीकरण करती है और स्मार्टफोन के माध्यम से कोल्ड चेन की निगरानी करती है।
- भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने "सार्वभौम टीकाकरण कार्यक्रम" (Universal

- Immunisation Programme UIP) के तहत 12 राज्यों में ई-विन परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- इस योजना का लक्ष्य उपर्युक्त राज्यों में टीका भंडार एवं वितरण और सभी कोल्ड चेन प्वाइंटस् में भंडारण तापमान पर वास्तविक समय जानकारी प्रदान कर सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की सहायता करना।
- तकनीकी नवाचार ई-विन का भारत में कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के (UNDP) द्वारा द वैक्सीन एलायंस की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है।
- मई 2017 में 5 देशों फिलीपींस, थाइलैंड, इंडोनेशिया, बांग्लादेश
 और नेपाल का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधमंडल भारत आया।
- भारत यात्रा का उद्देश्य-भारत की स्वेदश में विकसित ई-विन परियोजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करना था।
- इस परियोजना के भारत में कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी प्राप्त की साथ ही इस संबंध में भी परिचर्चा की कि किस प्रकार वे अपने देश में इस परियोजना का कार्यान्वयन कर सकते हैं।
- भारत में यह परियोजना अक्टूबर 2015 से प्रारंभ हुई। यह असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ओड़िशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 371 जिलों में लागू की गई है।

सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (UIP)

- 26 मार्च, 2016 को इसके अंतर्गत रोटा वायरस टीके 'रोटा बैंक' का शुभारंभ किया।
- इस कार्यक्रम में 10 रोगों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है-टीबी के लिए बीसीजी, पोलियों के लिए ओपीवी, खसरा के लिए मोनोवेलेंट मीसल्स वैक्सीन (MMV), डायिरया के लिए रोटावायरस वैक्सीन, जापानी इंसैफेलाइटिस के लिए जेईवी (JEV) वैक्सीन तथा डिप्थीरिया, कालीखांसी, टिटनेस, हेपिटाइटिस-B निमोनिया के लिए पैण्टावैलेण्ट वैक्सीन आदि का उपयोग महत्वपूर्ण है।
- अब इसमें मीसल्स रूबेला वैक्सीन (MRV) को भी जोड़ दिया गया है।
- भारत में 2020 तक खसरा को समाप्त करने तथा रूबेला वायरस के कारण होने वाले कॉन्जीनीटल रूबेला सिड्रोम (CRS) को नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- टीका निवारणीय बारह (12) रोगों से बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर एवं रूग्णता में कमी लाना।
- 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा 2.7 करोड़ नवजात बच्चों के टीकाकरण का वार्षिक लक्ष्य

- (i) भारत में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (UIP) की शुरूआत 1985 में की गयी।
- (ii) भारत में सर्वप्रथम सार्वभौमिक टीकाकरण नीति 1978 में लायी गई।
- इसके तहत चलाए गये प्रमुख कार्यक्रम : (a)मिशन इन्द्रधनुष
 (b) सघन मिशन इन्द्रधनुष (c) पोलियो उन्मुलन अभियान।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम/प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना

- सन 2005 से जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत अस्पताल में प्रसव कराने वाली गरीब महिला को प्रथम दो डिलीवरी तक 1400 रु. की राशि प्रदान की जाती थी।
- सन् 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) द्वारा प्रत्येक महिला को (आय के आधार पर भेदभाव किए बिना) कम से कम 6000 रु. की राशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गयी।
- इसलिए मंत्रालय ने इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का निर्माण किया।
- इसका क्रियान्वयन समन्वित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए देश के चयनित 53 जिलों में किया गया।
- मातृत्व लाभ कार्यक्रम (Maternity Benefit Programme)
 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को ही पूरे भारत में विस्तारित किया गया है।
- इस योजना के तहत गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिला को नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

सहायता राशि प्रदान किए जाने के कारण

- गर्भावस्था के दौरान महिला की मजदूरी का नुकसान होता है। इस कारण से इस प्रोत्साहन राशि से महिला को प्रसव-पूर्व तथा प्रसव के बाद पर्याप्त आराम करने में मदद मिलती है।
- इसमें गर्भावस्था तथा स्तनपान के दौरान उन्हें स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण स्तर बनाये रखने में मदद मिलती है।
- शिशु को जन्म के बाद प्रथम 6 माह तक स्तनपान कराने में मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि बच्चे के विकास हेतु प्रथम 6 माह तक स्तनपान कराना बहुत आवश्यक है।
- इसके तहत सभी गर्भवती महिलाएँ तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं (PM-LM) लाभ प्राप्त करने की पात्र है परन्तु वे महिलाएं जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की किसी ईकाई में कार्यरत है या किसी अन्य नियम के तहत इसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं, पात्र नहीं होंगी।

मुख्य उद्देश्य :

- स्तनपान कराने वाली तथा गर्भवती महिलाएं जो पात्र है, तीन किश्तों में 500 रु. की नकद लाभ राशि प्राप्त करेंगी।
- प्रथम प्रसव (Firs live birth) के दौरान 3 किश्तों में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, क्योंकि प्रथम प्रसव के दौरान महिला को नई प्रकार की चुनौतियों तथा मानसिक दबाव का सामना करना पडता है।
- बच्चों में कुपोषण तथा रुग्णता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंगनबाड़ी सेवाएं सभी गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं (PW-LM) को प्रदान की जाएगी। इसमें द्वितीय गर्भावस्था वाली महिलाएं भी शामिल होंगी।
- आंगनबाड़ी कार्यक्रम एक सार्वभौमिक (Universal) कार्यक्रम है।
- राशि का हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के रूप
 में आधार से जुड़े निजी बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाएगा।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी लागत का विभाजन केंद्र तथा सामान्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा यक्त) में
- 60 : 40 तथा उतर-पूर्वी व हिमालयी राज्यों के साथ 90 : 40 के अनुपात में किया जाएगा। विधानसभा रहित केंद्रशासित प्रदेशों में 100% राशि का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- इस प्रकार प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के तहत गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली महिला (PW - LM) को 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- यद्यपि जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत प्रत्येक महिला को 6000 रुपये की कुल राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है, इसलिए शेष बची राशि (1000 रु.) महिला को संस्थागत प्रसव के बाद प्रदान की जाएगी।

वात्सल्य-मातृ अमृत कोषः मानव दुग्ध बैंक

- यह एक राष्ट्रीय मानव (मातृ) दुग्ध बैंक और दुग्धपान परामर्श केंद्र है।
- यह समूचे उत्तर भारत में सार्वजिनक क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय (मातृ) दुग्ध बैंक और दुग्धपान परामर्श केंद्र होगा।
- "वात्सल्य-मातृ अमृत कोष" की स्थापना नॉर्वे की सरकार,
 ओस्लो विश्वविद्यालय और निपी-नॉर्वे इंडिया पार्टनर इनीशियेटिव के सहयोग से हुई है।

ज्ञातव्य है कि देश में देश में मातृ दुग्ध के प्रति लोगों में जागरुकता का अभाव है जबिक माता का दूध बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सबसे अच्छा स्रोत है। इस बारे में जागरुकता फैलाने के लिए माँ-मदर्स एबसल्यूट अफेक्शन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- इस योजना के अंतर्गत उन गर्भवती महिलाओं, जो अपने गर्भ की दूसरी या तीसरी तिमाही अविध में है, को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच तथा प्रतिमाह नि:शुल्क उपचार सुविधा प्रदान की जाएगी।
- यह स्वास्थ्य जांच प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं की न्यूनतम सेवाओं जैसे गर्भावस्था के दौरान देखभाल तथा दवाओं जैसे आयरन-फोलिक अम्ल (IRA) पूर्ति, कैल्शियम पूर्ति आदि को सम्मिलित करती है।
- यह रोग कुछ चिह्नित सरकारी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों पर पूर्णतः
 निःशुल्क है।
- यह कार्यक्रम निजी क्षेत्र के साथ व्यवस्थित उपागम अनुबंध कर अनुसरण करता है।
- अतः यह प्रसवपूर्ण देखभाल में गुणवत्ता एवं कवरेज सुधार पर लक्षित है जिसमें जाँच एवं सलाह सेवाएं प्रजनन मातृत्व नवजात शिशु बालक तथा किशोर (RMNCHA) रणनीति के एक भाग के रूप में सम्मिलत है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)

- राष्ट्रीय आरोग्य निधि का गठन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1947 में किया गया। इसका उद्देश्य गरीबी-रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता देना था जो जानलेवा बीमारियों से पीड़ित हैं ताकि वे इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकें।
- योजना में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार तथा सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होगे।
- इसमें मरीजों को वित्तीय सहायता 'एक मुफ्त अनुदान' के रूप में प्रदान की जाएगी, जो कि उस अस्पताल के चिकित्सकीय अधीक्षक द्वारा जारी होगा, जिसमें मरीज को उपचारों की सुविधा प्राप्त हो।
- राज्यों को अपनी राज्य रोग वित्तीय निधियों का निर्माण करना होगा, जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा तथा इसमें से चिकित्सीय अधीक्षक को निधि जारी की जाएगी।

- राज्य सरकारें व्यक्तिगत मामलों में रु. 1.5 लाख तक का अनुदान प्रदान कर सकती है तथा इससे अधिक के मामलों को राज्य आरोग्य निधि मुख्यालयों को भेज सकती है।
- यह एक 'परिक्रमण निधि' होगी, जिसे केन्द्र सरकार के 12 अस्पतालों/संस्थानों में स्थापित किया गया है।
- ये अस्पताल रु. 5 लाख तक की वित्तीय सहायता को अनुमित प्रदान कर सकते है इससे अधिक के मामलों को राज्य आरोग्य निधि मुख्यालयों को भेजना होगा।
- इसका उद्देश्य उन बीपीएल मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो बहुत ही घातक रोगों से पीडि़त हों, तथा उन्हें 13 सूचित सुपर स्पैशियलिटी संस्थानों या सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY)

- इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रों में वहनीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना हैं तथा पूरे देश में गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाना है।
- इसके दो मुख्य अवयव हैं :
 - 1. AIIMS जैसे संस्थानों की स्थापना
 - 2. सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय संस्थानों का उन्नयन करना।
- इस योजना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY)

- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) का शुभारंभ 1 अप्रैल, 2017 को नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एवं मौजूदा उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल श्रेणी के विरष्ठ नागिरकों को शारीरिक सहायक यंत्र और जीवन सहायक उपकरण प्रदान करना है।
- इस योजना को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) नामक एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा। यह एजेंसी सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक नि:शुल्क देखरेख करेगी।
- ये उपकरण विरष्ठ नागिरकों को आयु संबंधी शारीिरक दिक्कतों से निपटने में करेंगे और पिरवार के अन्य सदस्यों के ऊपर उनकी निर्भरता को कम करने हुए उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर देंगे।
- ज्ञातव्य है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में विरष्ठ नागरिकों की आबादी 10.38 करोड़ थी। विरष्ठ नागरिकों की 70 फीसदी से भी अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। विरष्ठ नागरिकों का एक बड़ा प्रतिशत वृद्धावस्था में होने

- वाली अक्षमताओं से पीड़ित है। एक अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2026 तक उम्रदराज लोगों की आबादी बढ़कर करीब 173 मिलियन हो जाएगी।
- केन्द्र सरकार ने वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों से पीड़ित, गरीबी रेखा से संबंध रखने वाले विरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करने के लिए ही योजना शुरू किया है।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम

- भारत दुनिया में पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था।
- वर्ष 1952 की अपनी ऐतिहासिक शुरूआत के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रम ने नीतियों और वास्तविक कार्यक्रम क्रियान्वयन के अनुसार परिवर्तन किया है।
- इसमें नैदानिक दृष्टिकोण से प्रजनन बाल स्वास्थ्य दृष्टिकोण में क्रमिक बदलाव हुआ है और इसके बाद राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) 2000 ने समग्र व लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण निर्धारित किया जिससे प्रजनन क्षमता को कम करने में सहयोग मिला है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)

- इससे पूर्व भी यह योजना वर्ष 2008 से चल रही थी, किन्तु सरकार ने 2014 में इसे दोबारा लांच किया जिसका कार्य
 - आपात स्वास्थ्य लागतों के प्रति वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
 - यह एक केन्द्र प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो बीपीएल परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों यथा निर्माण मजदूर, स्ट्रीट वेंडर आदि को लक्षित करता है।

मुख्य उद्देश्य :

- (i) बीपीएल परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के अन्य सुभेद्य समूहों की गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच बढ़ाना।
- (ii) योजना की प्रीमियम लागत केन्द्र व राज्यों द्वारा साझा की जाएगी।
- (iii) योजना के अंतर्गत लाभार्थी रु. 30,000 वार्षिक के चिकित्सीय कवरेज, जिसका लाभ परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकेगा के अधिकारी होंगे।

मुख्य बिंदु :

यह कवर परिवार के अधिकतम पाँच सदस्यों तक विस्तृत होगा जिसमें एक परिवार का मुखिया, एक उसका जीवनसाथी तथा तीन अन्य आश्रित शामिल हैं तथा इसमें नि:शुल्क परिवहन व्यय का भी प्रावधान है।

- लाभार्थियों को रु. 30 वार्षिक का पंजीकरण शुल्क भुगतान करना होगा।
- लाभार्थियों को एक बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा जिसमें उनके फिंगरप्रिंट व फोटोग्राफ होगा तथा यह केन्द्रीय स्मार्ट कार्ड व अन्य कल्याणकारी योजनाओं यथा आम आदमी बीमा योजना तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को भी सम्मिलित करेगा।
- 🖸 इससे पूर्व यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत थी।

नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एण्ड मिशन संपर्क

- स्वास्थ्य तथा पिरवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व एड्स दिवस (1 दिसंबर) 2017 को 'नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एण्ड मिशन संपर्क' लांच किया।
- अ HIV/AIDS STI (Sexually Transmitted Infections) पर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-24 लांच किया गया है।

मुख्य उद्देश्य :

- यह प्लान न केवल 90:90:90 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा बल्कि सन् 2030 तक एड्स महामारी की समाप्ति की रणनीतिक योजना को भी सफल बनाने का कार्य करेगा।
- सन् 2020 तक HIV से संक्रमित सभी लोगों में कम से कम 90% की पहचान की जाएगी। सन् 2020 तक HIV संक्रामित पहचाने गए लोगों में से कम से कम 90% लोगों को लगातार एंटीरेट्रोवायरल थैरेपी दी जाने की व्यवस्था की जाएगी तथा सन् 2020 तक यह थैरेपी प्रदान किए जाने वाले कम से कम 90% लोगों को HIV के वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- इससे संबंधित रणनीतिक योजना में सन् 2020 तक HIV/ AIDS की पूर्ण समाप्ति का लक्ष्य है।
- इसके उद्देश्यों में सन् 2020 तक गर्भवती महिला से उसकी संतान में HIV के संक्रमण को रोकना सुनिश्चित करना तथा HIV पीड़ित लोगों से भेदभाव करने व उन्हें कलंकित मानने की सामाजिक धारणा को भी बदलना शामिल है।
- मिशन संपर्क को आरंभ करने का उद्देश्य उन HIV पीडि़त लोगों को पुन: उपचार के दायरे में लाना है जो इससे पूर्व एंटी रेट्रो वायरल ट्रीटमेंट (ART) ले रहे थे परन्तु अब छोड़ चुके हैं।
- नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम (NACP) का उद्देश्य सन् 2024 तक नए (HIV) संक्रमणों को 80% तक कम करना है इसके लिए सन् 2010 की बेसलाइन को आधार माना जाएगा।

इंटरनेशनल (FHI)-फैमिली हैल्थ 360

- मानव विकास तथा जीवन में स्थायी सुधार लाने के लिए समर्पित एक गैर लाभकारी संगठन।
- यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में HIV व्यापकता में वृद्धि का सामना करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।
- इसका लक्ष्य 90 प्रतिशत ड्रग व्यसनी तथा HIV ग्रसित लोगों की जाँच तथा उपचार 2020 तक करना है।
- यह HIV/AIDS से पीड़ित एक लाख लोगों को उपचार तथा स्वास्थ्य देखभाल स्विधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराएगी।

राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 8 फरवरी से अपने राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान का 8वां चरण आरंभ किया।
- इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के संक्रमण से होने वाले एसटीएच रोग अर्थात् आंतों में परजीवी कृमि को खत्म करना है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले 64 फीसदी आबादी को कृमि संक्रमण का खतरा है।

महत्वपूर्ण बिन्दु :

- कृमि मुक्त अभियान 2015 में शुरू िकया गया था। इस कार्यक्रम के 8वें चरण में 30 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में एक से 19 आयु वर्ग के 24.44 करोड़ बच्चों और िकशोरों को लिक्षित किया गया है।
- यह अभियान महिला और बाल विकास तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाया गया है।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्कूली शिक्षकों ने आज आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में बच्चों को कृमि से बचाव की दवाएं दीं। आशा कार्यकर्ता भी सामुदायिक सहयोग से इसमें मदद कर रही हैं।
- प्रत्येक चरण के साथ अभियान की सफलता बढ़ती जा रही है। फरवरी 2015 में जहां 8.9 करोड़ कृमि की दवा दी गई, वहीं अगस्त 2018 में यह संख्या बढ़कर 22.69 करोड़ हो चुकी है।

लाभ :

- कृमि मुक्त अभियान कम लागत वाला एक ऐसा अभियान है,
 जिसके तहत करोड़ों बच्चों को कृमि से बचाव की सुरक्षित दवा अलबेंडेजौल दी जाती है।
- इस दवा से बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है, जिससे स्कूल में उनकी अनुपस्थिति कम हुई है तथा उनमें पोषक तत्वों को ग्रहण करने और पढ़ाई पर बेहतर ध्यान देने की क्षमता बढी है।

- अलबेंडेजौल की दवा वैश्विक स्तर पर कृमि निरोधक प्रभावी दवा मानी गई है। कृमि मुक्त दिवस वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों में मनाया जाता है।
- इस अभियान के तहत आम लोगों को खुले में शौच करने से कृमि संक्रमण के खतरों तथा उनमें साफ-सफाई की आदतों के प्रति जागरूक बनाया जाता है।

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना

- फार्मास्यूटिकल विभाग की यह एक बाजार हस्तक्षेप आधारित योजना हैं।
- योजना का उद्देश्य वहनीय मूल्यों पर सभी को जेनेरिक दवाएँ, मुख्यत: गरीबों को उपलब्ध कराना हैं। देश भर में इस हेतु 'जन औषिध स्टोर' (JAS) खोले जाएंगे।
- यह योजना डॉक्टरों को जेनेरिक दवाओं के निर्धारण एवं प्रति
 व्यक्ति इलाज के लिए कम व्यय हेतु प्रोत्साहित करेगी।
- राज्य सरकारें जन औषि स्टोर के लिए उचित स्थान एवं सरकारी अस्पतालों में स्थान उपलब्ध कराएंगी।
- फार्मा ब्यूरो ऑफ इण्डिया इसे क्रियान्वित करने वाली एजेंसी होगी, जो कि स्टोर की स्थापना के लिए एकमुश्त सहायता प्रदान करेगी।
- यह सरकारी सहायिकी पर आधारित न होकर स्वपोषित व्यवसाय पर आधारित योजना होगी।
- जन औषि केन्द्र खोलने में सरकार द्वारा करीब 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है।

प्रोजेक्ट सनराइज

- यह कार्यक्रम 6 फरवरी, 2016 को 'इम्फाल' (मणिपुर) से प्रारंभ किया गया।
- 🗴 इसकी अनुमानित लागत 70 करोड रुपए है।
- यह एक पंचवर्षीय पिरयोजना है जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम (एनएसीपी) का पूरक है जिसमें इंजेक्शन के जिरए ड्रग्स लेने वाले लोगों को HIV से बचाने पर बल दिया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO), सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (CDC) (वित्तीय एवं तकनीकी सहायता) तथा फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल- 360 (क्रियान्वयन) के सहयोग से क्रियान्वित की गई।

क्लीन स्ट्रीट फूड परियोजना

केन्द्रीय स्वास्थ्य और पिरवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 13 मार्च,
 2016 को क्लीन स्ट्रीट फूड अभियान शुरू किया।

फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड्स अथॉिरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) के इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर बिकने वाले स्ट्रीट फूड के सुरक्षा मानकों में इजाफा करना है।

मुख्य उद्देश्य :

- इसके तहत पहले चरण में सड़क के किनारे फूड आइटम बेचने वाले 20000 लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्त्व से परिचय कराया जाएगा।
- क्लीन स्ट्रीट फूड पिरयोजना के एक हिस्से के तौर पर एफएसएसएआई, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर दिल्ली में 40 से ज्यादा केन्द्रों पर खाद्य आइटम बेचने वाले को प्रशिक्षण देगा।
- इन लोगों को रिकॉगनिशन ऑफ प्रियर लर्निंग यानि आरपीएल श्रेणी के तहत टेनिंग दी जाएगी।
- यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीआई) के तहत चलाया जाएगा।
- यह कार्यक्रम गैर संगठित क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण देने का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा।
- 🖸 देश में पटरियों पर सामान बेचने वाले 20 लाख लोग हैं।
- इस परियोजना से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के प्रशिक्षण में मदद मिलेगी और इससे बीमारियों की रोकथाम में भी सहिलयत होगी।
- यह सरकार के नियामक संगठन और वैसे कॉर्पोरेट और एनजीओ के बीच गठबंधन का भी प्रतीक है, जो स्ट्रीट फूड बेचने वालों के कौशल में बढ़ोत्तरी करने के लिए एक साथ आए हैं। यह अभियान स्ट्रीट फूड बेचने वालों की मदद करेगा और इससे उनकी जीविका के विकल्प बढ़ेंगे।
- दिल्ली परियोजना से सीख लेकर एफएसएसएआई और स्किल इंडिया देशभर के राज्यों में ऐसे ही कार्यक्रम चलाएगा।
- दिल्ली परियोजना के तहत स्ट्रीट फूड बेचने वाले 20,000 विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनका आकलन किया जाएगा और उन्हें सात प्रशिक्षण सहभागियों की ओर से प्रमाणित किया जाएगा।

'मिशन परिवार विकास' कार्यक्रम

- केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर, 2016 को देश की सबसे अधिक जन्म-दर वाले 145 जिलों हेत् शीघ्र ही 'मिशन परिवार विकास' कार्यक्रम शुरू किया गया।
- इस मिशन का उद्देश्य-उच्च गुणवत्ता वाले परिवार कल्याण उपाय के विकल्पों तक पहुँच स्थापित करने में तीव्रता लाना है, जो सूचना, विश्वसनीयता सेवाओं और आपूर्ति पर आधारित है।

प्रमुख तथ्य :

- यह 145 जिले सात राज्यों-उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम में स्थित हैं, जहाँ पर यह मिशन प्रारंभ किया गया।
- लक्षित 145 जिलों की पहचान कुल जन्म दर, सेवाओं की उपलब्ध और बंध्याकरण गतिविधियों के आधार पर की गई है।
- हालिया आंकड़ों के अनुसार इन 145 जिलों में कुल प्रजनन दर 3.0 से अधिक या बराबर है जिसे इस मिशन के तहत वर्ष 2025 तक घटाकर 2.1 के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इन 145 जिलों में देश की 28 प्रतिशत आबादी (लगभग 33 करोड़) रहती है।
- सात राज्यों में स्थित इन 145 जिलों में मातृत्व मृत्यु दर लगभग
 25-30 प्रतिशत और शिश् मृत्यु दर 50 प्रतिशत है।
- उल्लेखनीय है कि इस मिशन का मुख्य रणनीति फोकस सुनिश्चित सेवाओं को उपलब्ध कराना, नई प्रोत्साहन योजनाओं, सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण, कारगर माहौल बनाने, निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से गर्भ निरोधकों तक पहुँच में सुधार करना है।

 ध्यातव्य है कि यह मिशन सभी 145 जिलों में एक साथ प्रारंभ हुआ।

मिशन परिवार विकास

- इस कार्यक्रम की शुरुआत 23 सितंबर, 2016 को केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई।
- इस मिशन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता युक्त परिवार नियोजन तक पहुँच में तेजी लाना है।
- इस पहल का मुख्य ध्यान विभिन्न सुनिश्चित सेवाएं प्रदान कर, नयी प्रोत्साहन योजनाओं से जोड़कर, उत्पाद सुरक्षा सुनिश्चित कर, सेवा प्रदाताओं में क्षमता निर्माण कर, एक सहायक वातावरण का निर्माण तथा बेहतर निगरानी व क्रियान्वयन के द्वारा गर्भनिरोधक उपायों तक पहुंच में सुधार करना है।
- यह प्रांरिभक तौर पर उन 7 राज्यों के 145 जिलों में क्रियान्वित की जाएगी जहां कुल प्रजनन दर (TFR) अधिकतम है।
- ये 145 जिले यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा असम राज्यों से चयनित किए गए है।
- लक्षित 145 जिलों में विशेष एवं तीव्र प्रयासों के जिए कुल प्रजनन दर लगभग 3.0 से घटाकर वर्ष 2025 तक 2.1 पर लाना है।

आयुष मंत्रालय

आयुष्मान भारत प्रोग्राम

- सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में घोषित नई योजना आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत दो नई पहलों को आरंभ किया है।
- इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य को तीनों देखभाल प्रणालियों के तहत लक्षित किया है-प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय केयर सिस्टम
- 🖸 इस प्रोग्राम के तहत निम्न पहलें हैं-
 - स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र
 - 2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना
- स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्र (Health and Wellness Contre)
 भारत में स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापना के क्रम में नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा कल्याण केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया।
- इसके तहत लोगों को उनके घरों के पास ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
- इन केंद्रों में व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी जिसमें गैर-संचरणीय रोगों के साथ मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाएं

भी शामिल होंगी।

- इसमें नि:शुल्क आवश्यक दवाएं तथा जांच सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जाएगी।
- इसमें कॉर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्व (CSR) के तहत निजी सहयोग और मानव कल्याण संस्थाओं की स्थापना भी की जाएगी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम): इसमें केंद्र प्रायोजित दो पूर्व योजनाओं को समन्वित किया जाएगा। ये दोनों योजनाएं हैं-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) तथा सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम (SCHIS)।
- इसमें 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों (सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना 2011 के अनुसार) को कवर किया जाएगा। इसके साथ इसमें कुल लगभग 50 करोड़ लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत द्वितीयक तथा तृतीय स्तर की चिकित्सा सेवाओं हेतु प्रति परिवार 5 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना /परियोजना-2019

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से पृथक रहेंगे।
- 🖸 इसमें परिवार के आकार तथा आयु संबंधी कोई सीमाएं नहीं होंगी।
- इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व तथा पश्चात के खर्चे भी शामिल होंगे।
- इसमे लाभार्थियों को अस्पताल हेतु परिभाषित परिवहन भुगतान भी किया जाएगा।
- NHPS में हेल्थ केयर को तीव्र गित से लागू किया जा रहा है तथापि RSBY की तरह NHPS में भी बाहरी मरीज को स्वास्थ्य देखभाल के तहत शामिल नहीं किया जाएगा।
- हेल्थ केयर सेवा प्रदान करने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की रहेगी।
- NHPS में राज्यों से बाय-इन (buy-in) प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें 40% वित्तीयन का सहयोग करना पड़ेगा।
- राज्यों को इस योजना को क्षैतिज तथा लम्बवत (Horizontally and Vertically) दोनों रूपों में लागू करने की छूट होगी। उन्हें क्रियान्वयन का मॉडल चयन करने की स्वतंत्रता होगी।
- राज्यों को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के निर्माण की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी क्रियान्वयन एजेंसी का निर्माण करना होगा।
- यह योजना, एक प्रभावी, मॉडयूलर तथा अंतर सिक्रयात्मक सूचना तकनीक प्लेटफॉर्म के साथ कार्य करने हेतु नीति आयोग के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म में पेपरलैस तथा कैशलेस ट्रांजेक्शन लागू होगा।
- इसके अलावा देश में विद्यमान जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ 24 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल स्थापित किए जाऐंगे।
- इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक 3 संसदीय मतदाता क्षेत्रों में कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज हो।
- इसके साथ देश के प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 सरकारी कॉलेज भी सुनिश्चित किया जाएगा
- इसके जिरए स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बढाई जाएगी
- ऐसा माना जा रहा है कि यह विश्व का सबसे अधिक सरकारी वित्तीय वाला स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (National AYUSH Mission–NAM) को प्रारंभ करने की अनुमित 5 सितंबर, 2014 को प्रदान की।
- इसके तहत आयुष स्वास्थ्य सेवाओं/शिक्षा के द्वारा देश में विशेष रूप से कमजोर और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के

बीच के अंतर को कम करने के राज्य और केन्द्रशासित सरकारों के प्रयासों को मदद दी जाएगी।

मुख्य उद्देश्य :

- 1. लागत प्रभावी तथा उचित आयुष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
- 2. आयुष प्रणाली को पुनर्जीवित तथा मजबूत करना।
- 3. आयुष शिक्षा प्राप्त करने में शैक्षणिक संस्थाओं को सक्षम बनाना।
- आयुष दवाओं के निर्माण में गुणवत्ता मानकों को अपनाने को प्रोत्साहन तथा आयुष के लिए कच्चा माल की सतत आपूर्ति को उपलब्ध कराना।

मिशन के अनिवार्य अवयव (संसाधनों का 80% निर्धारित)

- 1. आयुष सेवाएं
- 2. आयुष शैक्षणिक संस्थान
- आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी तथा होम्योपैथिक दवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण
- 4. चिकित्सकीय पौधों का विकास

मिशन के लोचशील अवयव (संसाधनों का 20% निर्धारित)

- 1. आयुष कल्याण केन्द्र योग तथा नैचुरोपैथी को सम्मिलित करते हुए
- 2. सूचना शिक्षा संचार (IEC) गतिविधियाँ
- 3. टेली-मेडिसिन
- 4. आयुष के माध्यम से खेल चिकित्सा
- 5. सार्वजनिक निजी सहभागिता (PPP) से आयुष में नवाचार
- 6. निजी आयुष शैक्षणिक संस्थानों के लिए ब्याज आधारित सब्सिडी
- 7. परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति
- 8. चिकित्सीय पौधों से संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास
- 9. बाजार प्रोत्साहन, बाजार आसूचना तथा व्यवधानों की पुनर्खरीद
- 10. चिकित्सीय पौधों के लिए फसल बीमा।
- 11. स्वैछिक प्रमाणन योजना परियोजना आधारित
- राज्यों/संघ क्षेत्रों को जनसंख्या, पिछड़ेपन तथा निष्पादन के आधार पर संसाधनों का आवंटन प्रस्तावित है।
- समर्पित प्रबंधन सूचना तंत्र (MIS) निगरानी तथा केन्द्र/राज्य स्तर पर मूल्यांकन सेल की स्थापना की जाएगी।
- राज्य सरकारों को राजकोष मार्ग से अनुदान अंतरण किया जाएगा तथा वे इस निधि को राज्य आयुष सोसायटी को राज्य अंश के साथ अंतरित करेंगे।
- भारत को आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धितियों की अतुलनीय विरासत प्राप्त है। आयुष मिशन का लक्ष्य इनका लाभ उठाना है।

भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

फेम इण्डिया योजना (FAME India Scheme)

- देश में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य
 से राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना के तहत 2015
 में 'फेम इंडिया स्कीम' की शुरुआत की गई।
- फेम इण्डिया योजना (FAME-Faster adoption and manufacturing of hybrid & electric vehicles in India) को हाइब्रिड/विद्युत वाहन बाजार के विकास तथा विनिर्माण वातावरण को समर्थन देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है।
- यह योजना 4 मुख्य क्षेत्रों पर केन्द्रित है- तकनीकी विकास, मांग सृजन, पायलट परियोजनाएं तथा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।
- 😊 2022 तक देश को पॉल्यूशन मुक्त बनाना।
- ग्राहक को सस्ते दामों पर हाइब्रिड व इलेक्ट्रिकल वाहन उपलब्ध कराना।
- फेम इण्डिया योजना वाहनों के सभी वर्गों दुपिहया, तिपिहिया, यात्री चार पिहया वाहन, हल्के वाणिज्यिक वाहन तथा बसों के प्रोत्साहन पर लक्षित है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए मंत्रालय

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त, 2008 को हुई।
- यह सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के सतत् अवसर उपलब्ध कराने के लिए नए उद्यमों की स्थापना के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का प्रावधान करता है।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम दो योजनाओं से मिलाकर बनाया गया है— (a) प्रधानमंत्री रोजगार योजना (b) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission - KVIC) को इसकी नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- 2018-19 के बजट अनुमान में इसके लिए आवंटित राशि को 1024 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1800 करोड़ रु० कर दिया गया है।
 - (i) गैर कृषि क्षेत्र में लगभग 88000 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिये स्वरोजगार के अवसर को सृजित किया जा सके।
 - (ii) इससे लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

नवाचार, ग्रामीण उद्योग तथा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

- सरकार ने हाल ही में 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल से आगे 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमित प्रदान की है। इसके लिए कुल 5500 करोड़ रुपये की राशि भी स्वीकृत की गई है।
- 🗘 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) MSME

- मंत्रालय द्वारा सन् 2008-09 से क्रियान्वित किया जा रहा प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है।
- इस योजना का उद्देश्य शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत शिल्पियों (artisans) तथा बेरोजगार युवाओं की मदद से गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जिरए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
- इसके लिए खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC) राष्ट्रीय स्तर पर नोडल क्रियान्वयन एजेंसी है।
- राज्यों के स्तर पर खादी तथा ग्रामीण उद्योग आयोग (KVIC) खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड (KVIB) तथा जिला उद्योग केंद्र (DIC) क्रियान्वयन एजेंसियां है।
- 🗴 इस योजना में हाल ही में किए गए संशोधन
- देश के सभी जिलों में से कम से कम 75 जिलों/प्रोजेक्टों को समावेशी ग्रोथ हेतु पुरस्कृत किया जाएगा।
- 🤉 इसके लिए गणना हेतु लक्ष्य भी स्थापित किए गए हैं-
 - 1. राज्य के पिछडेपन का स्तर
 - 2. बेरोजगारी का स्तर
 - 3. पिछले वर्ष के लक्ष्यों को पूरा करने का रिकॉर्ड
 - 4. राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की जनसंख्या
 - 5. परंपरागत कौशल तथा कच्चे पदार्थों (प्राकृतिक संसाधनों) की उपलब्धता
- ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, SC/ST,OBC, दिव्यांगों तथा NER आवेदनकर्ताओं को सर्वाधिक दर पर सहायिकी (25-35%) दी जाएगी।
- बेहतर प्रदर्शन करने वाली PMEGP इकाईयों को अधिक कुशल बनाने हेतु 15% की सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

- PMEGP इकाईयों के लिए आधार कार्ड तथा पैन कार्ड अनिवार्य शर्त है।
- 🔾 GUY (Goir Udyani Yojna) का PMEGP में विलय।
- PMEGP की नकारात्मक सूची में भी संशोधन करने नॉन वेजिटेरियन योजना बेचने वाले होटल/ढाबों को तथा ऑफ फार्म या कृषि से संबंधित गतिविधियों को अनुमित प्रदान की गई है।
- विनिर्माण इकाईयों के लिए कार्यरत पूंजीगत घटकों (working captial component) पर प्रोजेक्ट लागत की 40% तक की सीमा (Cap) तथा सेवा या व्यापार क्षेत्र के लिए प्रोजेक्ट लागत की 60% तक की सीमा (Cap) का निर्धारण किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य तकनीकी केन्द्रों, इन्क्यूबेटर केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना हैं, जिससे उद्यमिता को प्रोत्साहन मिले तथा ग्रामीण एवं कृषि आधारित उद्योगों में नवाचार व उद्यमिता के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है।
- ASPIRE योजना के अंतर्गत तकनीकी व्यावसायिक इन्क्यूबेटर्स (TBI) आजीविका व्यावसायिक इन्क्यूबेटरस (LBI) की स्थापना की जाएगी तथा इन पहलों के लिए सिडबी (SIDBI) के साथ एक 'फण्ड ऑफ फण्ड्स' का निर्माण किया जाएगा।

राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता कार्यक्रम

- राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता कार्यक्रम भारतीय सूक्ष्म, लघु,
 मध्यम उद्यमों में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के विकास के लिए एक
 नोडल कार्यक्रम है।
- विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के "तकनीकी उन्नयन द्वारा" इस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य शृंखला में वृद्धि करना।
- इसके लिए बजटीय आवंटन वर्ष 2018-19 में 506 करोड़ रु० से बढ़ाकर 1006 करोड़ रु० कर दिया गया है।

लीन विनिर्माता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम

- लीन विनिर्माता प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम (Lean Manufacturing Competitiveness Scheme: LMCS) सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय के 'राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम, 'एनएमसीपी' (National Manufacturing Competitiveness Programme: NMCP) का भाग है।
- यह स्कीम लीन विनिर्माण अवधारणा की मदद से बर्बादी में कमी के द्वारा MSME की संपूर्ण उत्पादकता में सुधार का लक्ष्य लेकर चलती है।
- यह स्कीम वर्ष 2009 में 100 क्लस्टर में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर आरंभ की गई थी। बाद में इसका विस्तार 500 और क्लस्टर में कर दिया गया।

 इस स्कीम के आरंभ से ही राष्ट्रीय निगरानी एवं क्रियान्वयक इकाई के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (नेशनल प्रोडिक्टिविटी काउंसिल) जुड़ा हुआ है।

भारतीय हथकरघा ब्रांड

- हथकरघा उद्योग को तेजी से बढ़ते आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को नई दिशा देने की आवश्यकता है। स्थायी आधार पर इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के महेनजर यह भी अत्यंत आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के विश्वास को जीतने के लिए नए डिजाइन के साथ गुणवत्तायुक्त कपड़ों का उत्पादन किया जाए।
- कच्चे माल, प्रसंस्करण, अलंकरण, बुनकर डिजाइन और अन्य मानदंडों के अलावा उपभोक्ताओं के विश्वास को हासिल करने के लिए सामाजिक और पर्यावरण के अनुकूल हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता की पुष्टि करे।
- प्रधानमंत्री ने हाल ही में चेन्नई में भारतीय हथकरघा ब्रांड का शुभारंभ किया।
- हथकरघा उद्योग को तेजी से बढ़ते आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के द्वारा उत्पन्न की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को नई दिशा देने की आवश्यकता है।
- समकालीन उपभोक्ता संदर्भों के अनुसार दोषमुक्त उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा वस्त्रों के उत्पादन के साथ-साथ उचित मजदूरी को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी इस व्यवसाय को चुने।
- स्थायी आधार पर इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के मद्देनजर यह भी अत्यंत आवश्यक है कि उपभोक्ताओं के विश्वास को जीतने के लिए नए डिजाइन के साथ गुणवत्तायुक्त कपड़ों का उत्पादन किया जाए।
- इसमें उल्लेखित बातों पर विशेष ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित करना है, उच्च गुणवत्ता युक्त, हाथ से बुने हुए, प्रामाणिक 'उत्तम किस्म' के उत्पादों का उत्पादन, पूर्ण दोषमुक्त, प्रामाणिक पारंपरिक डिजाइन, पर्यावरण पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं, सामाजिक अनुपालन इत्यादि।

लाभ

- ग्राहक को विशिष्टता के अनुसार उत्पाद की गुणवत्ता का आश्वासन दिया जाएगा।
- भारत के हाथ से बने प्रामाणिक कपड़ों के लिए एक अलग बाजार स्थापित करने और स्त्री/पुरुष के डिजाइन उत्पादों के

- अनुसार थोक खरीदारों और निर्यातकों को स्रोत गुणवत्ता वस्त्रों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा।
- बुनकर सीधे बाजार के साथ वार्तालाप के द्वारा थोक आदेश और अधिक मजदूरी प्राप्त करने में सक्षम होगा।
- 🖸 यह महिलाओं और वंचित वर्गों को भी सशक्त बनाएगा।

प्रांडिंग के लिए चिह्नित उत्पाद

- सूती साड़ी: जमद्दानी, तांगेल, शांतिपीरी, विचित्रपुरी, बोम्केइ, कोटपाद, पोचमपल्ली, वेंकटगिरि, उप्पडा, सिद्धिपेट, नारायणपेट, मंगलागिरि, चेतिनाद, बलरामपुरम, कैसरगौड़, कुथमपल्ली, चेंदमंगलम, धोती।
- रेशमी साड़ी: बलूचारी, मूंगा सिल्क, सल्कच सिल्क, खांडुआ, बेरहमपुरी, बोमकेई सिल्क, बनारस ब्रोकेड, तनचोई बनारसी, बूटीदार, जंगला, बनारसी कटवर्क, कोचमपल्ली, धर्मावरम, कांचीपुरम, अरनी सिल्क, मोलकामुरु, पेथानी, पटोल, चंपा सिल्क, आशावल्ली सिल्क, सेलम सिल्क (धोती), उप्पडा, जामदानी।
- सूती रेशम साड़ी: चंदेरी, महेश्वरी, कोटा दोरिया, इलकाल, गदवल, कोवड़ कोरा, कॉटन।

परिधान सामग्री

- **कपास**: ओड़िशा इकाट, पोचमपल्ली।
- रेशम: तंचौई, बनारसी, कटवर्क, ओडिशा इकाट, पोचमपल्ली इकाट, टस्सर फ्रैब्रिका.
- हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करने वाली ईमानदार कंपनियां/ संस्थान, जिनमें शामिल हैं –
 - प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां
 - स्वयंसहायता (एसएचजी), भागीदारी, निर्माता कंपनियां, संयुक्त देयता समृह (जेएलजी)
 - बुनकर उद्यमी

कपड़ों और अन्य वस्तुओं के निर्माता इस शर्त के साथ कि वे 'भारतीय हथकरघा' ब्रांडेड कपड़ों का उपयोग करेंगे और सिलाई, मानक आकारों आदि के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप अतिरिक्त गुणवत्ता का अनुपालन करेंगे।

MSME संबंधित पोर्टल

- यह सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उपक्रम (MSME) मंत्रालय द्वारा घोषित सार्वजनिक खरीद पोर्टल है।
- इसका उद्देश्य सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज द्वारा सार्वजिनक खरीद के क्रियान्वयन की निगरानी करना है।
- सन् 2012 में लांच खरीद नीति के अनुसार सरकारी विभागों/ CPSUs को MSEs से खरीदना अनिवार्य है।
- प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/PSU वर्ष के प्रारंभ में MSME क्षेत्र से खरीद का एक वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसमें इनकी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20% भाग MSME से उत्पादित सेवाओं या वस्तुओं से खरीदने का लक्ष्य होना चाहिए।

पंरपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना

- इस योजना का उद्देश्य परंपरागत उद्योगों तथा दस्तकारों को समूह में संगठित कर उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने तथा समर्थन प्रदान कर उनके उत्पादों की बाजार पहुँच में वृद्धि कर, दस्तकारों में कौशल सुधार कर तथा उनके समूह प्रशासन तंत्र को मजबूत कर व उन्हें सामान्य सुविधाएँ प्रदान कर उनकी दीर्घाविधक संपोषणीयता सुनिश्चित करना है।
- परंपरागत उद्योगों का पुनरुद्धार तथा पुनर्सृजन करना
- बजट 2018-19 में इसकी आवंटित राशि को पूर्व के 10 करोड़
 रु. से 125 करोड़ रु. कर दिया है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM)

 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM)
 जो वर्ष 2005-06 से 2011-12 तक सात वर्ष की अविध के लिए है।

इसके दो मुख्य घटक हैं :

 शहरी निर्धनों को बुनियादी सेवाएं (Basic Service for Urban Poor-BSUP) कार्यक्रम।

- समेकित आवास एवं गंदी बस्ती कार्यक्रम (Integrated Housing and Slum Development Programme - IHSDP) जो दिसंबर, 2005 में BSUP के साथ-साथ शुरू किया गया था।
- गैर BSUP शहरों में आवास और गंदी बस्ती उन्नयन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
- इसे राष्ट्रीय सौर मिशन के रूप में भी जाना जाता है तथा यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत 8 मिशनों में से एक है।

- इस मिशन के तहत 2022 तक 20,000 MW के ग्रिड कनैक्टेड सौर ऊर्जा नेटवर्क की स्थापना का लक्ष्य था, जिसे बाद में 2022 तक 1,00,000 MW कर दिया गया।
- इस लक्ष्य के अंतर्गत 40 गीगावॉट रूॅफटाप तथा 60 गीगावॉट वृहद् एवं मध्यम स्तरीय ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं के द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत सौर फोटोवोल्टेयिक उपकरणों जैसे सौर प्रकाशीय तंत्र, सौर फोटो वोल्टिक ऊर्जा इकाईयाँ तथा सौर पंप को जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा मिशन की सौर ऑफ-ग्रिड उपयोग योजना के तहत संपूर्ण भारत में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगवाने के लिए 30% पूँजी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

सूर्य मित्र योजना

- यह योजना मार्च 2020 तक 50,000 प्रशिक्षित सोलर फोटोबोल्टेयिक तकनीशियनों को तैयार करने पर लक्षित है।
- यह पाठ्यक्रम 600 घंटे (3 माह) का कौशल विकास कार्यक्रम होगा जिसमें प्रशिक्षुओं को यंत्र लगाने, उसे चालू करने, तथा विद्युत गृहों व उपकरणों का संचालन एवं रखरखाव करने संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्य उद्देश्य :

- ग्रामीण तथा शहरी युवाओं, महिलाओं को रोजगार व उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है। इसमे SC/ST/OBC वर्गों के युवाओं के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए योग्यता ITI (इलैक्ट्रिकल तथा वायरमैन) इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (इलैक्ट्रिकल, इलैक्टॉनिक्स तथा मैकेनिकल) निर्धारित है।
- उच्च योग्यता प्राप्त प्रतिभागी जैसे बी.टेक डिग्रीधारी इस कार्यक्रम के लिए योग्य नहीं होंगे।
- वित्तीय प्रबंधन तथा क्रियान्वयन— इस कार्यक्रम का वित्तीयन 100% भारत सरकार द्वारा किया जाएगा तथा सौर ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय संस्थान (NISE) पूरे भारत में इसे क्रियान्वित करने वाली एजेंसी होगी।
- इसके अतिरिक्त लघु पनिबजली के लिए लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्यमिता विकास, सौर उपकरणों के संचालन एवं रखरखाव तथा सह-उत्पादन इकाइयों में बॉयलर संचालन के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- सौर ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय संस्थान (NISE) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।

सौर सिटी

- इसका मूल उद्देश्य स्थानीय सरकारों को नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकें तथा ऊर्जा उपयोग क्षमता के उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- सौर सिटी 5 वर्षों में परंपरागत ऊर्जा की माँग में न्यूनतम 10% कमी करने का उद्देश्य रखती है।
- सौर सिटी में सभी प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाएँ स्थापित की जाएंगी।

कुसुम योजना

- कुसुम योजना के तहत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा यंत्र लगा सकते हैं तथा उससे उत्पन्न ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि किसान अपनी भूमि पर सौर ऊर्जा यंत्र लगाते हैं तो सरकार किसानों को कुल लागत का 60% हिस्सा सब्सिडी के रूप में देगी।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण यही है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके।
- इस योजना के तहत सरकार किसानों की भूमि पर सौर ऊर्जा लगाने पर किसानों को सब्सिडी प्रदान करेगी।
- बैंक किसानों को बैंक ऋण के रूप में कुल व्यय का 30% हिस्सा प्रदान करेगी। सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में यंत्र की कुल लागत का 60% हिस्सा प्रदान करेगी
- किसानों को सौर ऊर्जा यंत्र को लगाने के लिए सिर्फ 10% राशि का अग्रिम भुगतान करना होगा
- केंद्रीय सरकार किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में सब्सिडी प्रदान करेगा तथा इससे किसानों को किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पडेगा
- केंद्रीय बजट 2018-19 में 28,250 मेगावाट की कुल ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने के लिए सरकार 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी

कुसुम योजना के अवयव

- केंद्र सरकार किसानों को सौर कृषि पंप लगाने के लिए 17.5 लाख रुपये सब्सिडी देगा।
- सरकार किसानों की बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट का सौर ऊर्जा यंत्र लगाएगा
- सरकार मौजूदा कृषि पंप को सोलारेट करेंगे, जिसमें 7250 मेगावाट की क्षमता होगी जिसका कुल खर्च 15,750 करोड़ रुपये होगा।

- 8250 मेगावाट क्षमता वाले सरकारी ट्यूबवेलों का कुल खर्च 5000 करोड़ रुपये होगा
- यह योजना सौर कृषि पंपों के साथ मौजूदा डीजल पंप को बदलने में भी मदद करेगी।

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान

- यह किसान उन्मुख सौर ऊर्जा योजना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों
 में ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट तथा ऑफ ग्रिड सोलर पम्पों की स्थापना की जाएगी।
- इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 28, 250 मेगावॉट तक की विकेंद्रित सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा।
- इसका एक उद्देश्य किसानों को सौर संयत्र से अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड को बेचकर आय बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत किसानों को खेतों में सौर ऊर्जा चालित पम्पों के उपयोग तथा बंजर भूमि में 60,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष तक की अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है।
- इसमें नलकूपों तथा लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्टों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने के प्रावधान है।
- इसका क्रियान्वयन नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

योजना के घटक/अवयव

- किसानों द्वारा बंजर भूमि के उपयोग से 10,000 मेगावाट तक ऊर्जा का उत्पादन तथा ग्रिड को इसकी बिक्री।
- इनके द्वारा उत्पादित ऊर्जा को खरीदने के लिए डिस्कॉम (DISCOMS) का प्रोत्साहित करना।
- किसानों को कुल 17.5 लाख ऑफग्रिड सोलर फार्म पम्प खरीदने के लिए सहायिकी (Subsidy) प्रदान करना।
- 7250 मेगावाट क्षमता के साथ ग्रिड-कनेक्टेड फार्म पम्पों का सौर्योकरण करना।

पंपों का सौर्यीकरण (Solorisation)

- 1. ऊर्जा स्थानांतरण में होने वाली हानि में कमी आएगी।
- कृषि सहायिकी को कम करने से बचने वाले वित्त के द्वारा डिस्कॉमों की वित्तीय दशा को सहायता प्रदान की जा सकेगी।
- राज्यों को उनके नवीकरणीय खरीद उत्तरदायित्व (Renewable Purchose obligation-RPO) के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- 4. ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन तथा किसानों को जल सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन

- ऊर्जा भंडारण मिशन के निर्माण हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा भारत के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन के निर्माण हेतु एक मसौदा तैयार किया गया है।
- सिमिति के अनुसार, भारत में ग्रिड से जुड़े ऊर्जा भंडारण को शुरू करने, एक विनियामक ढाँचा स्थापित करने और बैटिरियों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन का मसौदा तैयार करने की उम्मीद जताई गई है।

राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन सात लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो निम्न हैं:

- स्वदेशी विनिर्माण;
- प्रौद्योगिकी और लागत के रुझान का मूल्यांकन;
- एक नीति और नियामक ढाँचा;
- व्यापार मॉडल और बाजार निर्माण के लिये वित्त पोषण:
- अनुसंधान और विकास;
- मानकों का निर्धारण तथा परीक्षण:
- ऊर्जा भंडारण के लिये ग्रिड योजना

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पावर ग्रिड द्वारा वर्तमान में भंडारण विकल्पों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को आसानी से एकीकृत करने में मदद करते हैं।
- राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन का मसौदा अगले पाँच वर्षों में ग्रिड से जुड़े भंडारण को 15-20 गीगावाँट घंटे (GW/H) का "यथार्थवादी लक्ष्य" निर्धारित करता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के संग्रहण की समस्या क्या है?

- भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में लगभग पाँचवां हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का हैं। हालाँकि, यदि पावर ग्रिड सौर और पवन ऊर्जा की उत्पादन की क्षमता में वृद्धि भी करते हैं, तब भी नवीकरणीय स्रोतों की सर्वोच्च आपूर्ति हमेशा सर्वोच्च मांग को पूरा नहीं करती है।
- गौरतलब है कि अक्षय ऊर्जा स्वाभाविक रूप से अस्थायी स्रोत है, अत: इसके साथ एक समस्या अनुचित समय पर किये जाने वाले ऊर्जा संग्रहण की भी है।
- सौर ऊर्जा उत्पादन दोपहर में अपने चरम पर होता है, लेकिन जब उसे सही समय पर संगृहीत नहीं किया जाएगा, तो रात में घरों को प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा।

- इसी प्रकार जिस दिन जब हवा नहीं बहती या आकाश में बादल छाए रहेंगे तब भी संग्रहण में समस्याएँ होंगी।
- इसके साथ ही संबंधित निविदाओं के रद्द होने की घटनाएँ सामने आई हैं, वर्ष 2017 में SECI के साथ-साथ NTPC और NLC ने ग्रिंड स्टोरेज के लिये कम से कम नौ निविदाएं रद्द कर दी थीं।
- अत: इस प्रकार की घटनाएँ वैश्विक और भारतीय स्तर पर उन कंपनियों के निर्माताओं को नकारात्मक संकेत भेजती है, जो लीथियम आयन बैटरी विनिर्माण में विविधता लाने की तलाश में हैं।

राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के बारे में

- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन का लक्ष्य दीर्घकालिक नीति, बड़े स्तर पर नियोजन लक्ष्यों, महत्त्वाकांक्षी अनुसंधान एवं विकास तथा महत्त्वपूर्ण कच्चे माल, अवयवों तथा उत्पादों के घरेलू उत्पादन के माध्यम से देश में सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना है।
- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (National Solar Mission) का उद्देश्य जीवाश्म आधारित ऊर्जा विकल्पों के साथ सौर ऊर्जा को प्रतिस्पर्द्धी बनाने के अंतिम उद्देश्य सिंहत बिजली उत्पादन एवं अन्य उपयोगों के लिये सौर ऊर्जा के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना है।
- इसका परिणाम यह है कि जीवाश्म ईंधन आधारित सृजन की तुलना में नवीकरणीय ऊर्जा निरंतर लागत प्रतिस्पर्धी बनती जा रही है।

लक्ष्य:

- भारत सरकार ने 2022 के अंत तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इसमें से 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से, 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से,
 10 गीगावाट बायोमास ऊर्जा से तथा 5 गीगावाट लघु पनिबजली से प्राप्त किया जाना शामिल है।

एकीकृत ऊर्जा विकास योजना (IPDS)

- इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में गुणवत्ता और विश्वसनीय
 24x7 निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करना है।
- निगरानी समिति ने दिसंबर 2017 तक 3,616 शहरों के लिए कुल 26,910 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की थी।
- राज्यों से संबंधित संस्थाओं को 23,448 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य दिया गया है।

- इस योजना में आईटी और तकनीकी सहायता के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में 24x7 बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा, लेकिन बिलिंग और संग्रहण दक्षता में भी सुधार करने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान में भी कमी आएगी।
- दिसंबर 2017 तक R-APDRP के तहत 1363 शहरों को 'गो-लाइव' घोषित किया गया है एवं 52 शहरों में स्काडा नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की गई है।
- 20 स्काडा शहरों में कार्य पूरा कर लिया गया है और इस योजना के भाग-1 के तहत 21 डेटा केंद्रों में से 20 अधिकृत हो चुके हैं।
- भारत में 45/57 डिस्कॉम (निजी सिंहत) में उपभोक्ताओं के लिए ऑल इंडिया शॉर्ट कोड '1912' की शुरूआत हो चुकी है।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY)

- यह योजना (UDAY), जो बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय और परिचालन को घाटे से उबार कर लाभ में लाने के लिए एक योजना है, सरकार द्वारा 20 नवंबर, 2015 को आरंभ की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपयों के लंबे समय से कर्ज और भविष्य में संभावित नुकसान का स्थायी समाधान करना है। इस योजना में सभी क्षेत्रों; उत्पादन, प्रेषण, वितरण, कोयला और ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने हेतु उपायों की परिकल्पना भी की गई है। योजना की वैधता अविध 31-03-2017 को समाप्त हो गई।
- UDAY के अंतर्गत प्रतिभागी राज्यों के कार्य-प्रदर्शन की गहन निगरानी सुनिश्चित करने हेतु UDAY के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यप्रणाली स्थापित की गई है।
- अब तक UDAY में 27 राज्य और 4 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने 10 मार्च, 2016 को मंजूरी दी थी। 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बिलया में प्रधानमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया।
- इस स्कीम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना है।
- स्कीम का लक्ष्य वर्ष 2019 तक पांच करोड़ एलपीजी कनेक्शन
 देना था। परंतु फरवरी 2018 में 4800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त

[59]

योजना/परियोजना-2019

- आवंटन के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का संशोधित लक्ष्य वर्ष 2020 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 🗘 इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18 के आखिर तक 3
- करोड़ कनेक्शन जारी करने का मूल लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जनवरी 2018 तक 3.35 करोड़ से भी ज्यादा कनेक्शन जारी कर दिए गए।
- इस स्कीम के तहत प्रति बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन लिए 1600 रुपये प्रदान किए जाते हैं।

अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय

मानस योजना

- MANAS अखिल भारतीय स्तर का प्रशिक्षण फ्रेमवर्क प्रदान करने वाली एक कौशल विकास संरचना है।
- अल्पसंख्यक मामलों की तत्कालीन मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्ला ने 29 मार्च, 2016 को अभिनव, उद्यमशीलता एवं कौशल विकास कार्यक्रम 'मौलाना आजाद नेशनल अकादमी फॉर स्किल्स' (मानस) की शुरुआत नई दिल्ली में की।

मुख्य बिन्दु :

- मानस अपनी तरह का पहला और अनोखा कदम है जिसके तहत विभिन्न कौशल क्षेत्रों में शानदार काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति कौशल विकास परियोजनाओं में सहयोग करेंगे जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों को अत्यधिक लाभ होगा।
- 'मानस' का गठन अल्पसंख्यक का कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त विकास निगम द्वारा 11 नवंबर, 2014 को किया गया था।
- इसका लक्ष्य 'स्किल इंडिया' के विचार को सफल बनाना है, ताकि भारत सरकार के 'सबका साथ सबका विकास' का ध्येय पुरा हो सके।
- इसमें मदरसों, मकतबों और अल्पसंख्यकों के संस्थानों को 'मानस' के जिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रम में जोड़ा गया है।
- मानस अखिल भारतीय स्तर पर सार्वजिनक निजी साझेदारी के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित प्रशिक्षक सहयोग करते हैं।
- यह प्रशिक्षण फ्रेमवर्क राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगठनों के साथ पीपीपी दर आधारित है, जो कि वर्तमान माँग के अनुसार अल्पसंख्यक जनसंख्या को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- यह फ्रेमवर्क अल्पसंख्यक समुदायों को रियायती ऋण भी उपलब्ध कराएगा, जिससे वे कौशल प्राप्त करने के पश्चात् नए व्यवसायों की स्थापना या विद्यमान व्यवसायों का विस्तार कर सकेंगे।

उस्ताद (USTAAD)

- 🖸 यह 100% केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों, दस्तकारों के परंपरागत कौशलों को उन्नत कर उनकी क्षमता निर्माण करता है ये प्रशिक्षित मास्टर शिल्पकार/दस्तकार विभिन्न विशिष्ट कला/ दस्तकारी में अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के विकास तथा बाजार पहुँच में वृद्धि करने के लिए उनकी सभी महत्वपूर्ण परंपरागत कलाओं/दस्तकारी में उन्हें कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा।
- 🧿 उस्ताद योजना पूरे देश में लागू होगी।

अन्य योजनाएँ :

- पढ़ो परदेस : अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को परदेस
 में पढ़नें के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की योजना है।
- हमारी धरोहर : भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित की जाएगी।
- जियो पारसी: पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- सीखों और कमाओ : अल्पसंख्यक युवाओं में विभिन्न संस्थाओं के लिए संकाय विकास कार्यक्रम है।
- मौलाना आजाद सेहत योजना : अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित करने की योजना है।
- साइबर ग्राम : इसे बहुक्षेत्रीय विकास के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कौशल प्राप्त करने में समर्थ बनाना है।
- बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति : अल्पसंख्यक समुदाय की मेरिट प्राप्त करने वाली छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना, जो कि मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

महिला समृद्धि योजना : महिला सहयोगी व्यवसायों में कौशल प्रशिक्षण की योजना है, जिसमें एक निश्चित वेतन तथा स्वयं सहायता समूहों के गठन के साथ प्रशिक्षण अविध में आय सृजन के लिए सृक्ष्म ऋणों की व्यवस्था भी है।

नर्ड रोशनी

- 🗘 यह अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना है।
- इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक महिलाओं को ज्ञान तकनीक व उपकरण प्रदान कर उन्हें सरकारी तंत्र, बैंकिंग प्रणाली व अन्य सभी स्तर की संस्थाओं से जोड़कर उनमें विश्वास जगाना व उन्हें सशक्त करना है।

नर्ड मंजिल

- गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को सतत् तथा लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों के साथ एकीकृत करना है।
- इसके अंतर्गत युवाओं को व्यावसायिक कौशल में एकीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- इसके अन्य उद्देश्यों में स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल में जागरूकता बढ़ाना, अल्पसंख्यक युवाओं की विद्यालय ड्रॉप आउट दर को औपचारिक शिक्षा तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) व राज्य मुक्त विद्यालयों के माध्यम से 10वीं या 12वीं तक प्रमाणन प्रदान कर कम करना शामिल है।

- इस योजना को पहली बार जम्मू-कश्मीर में 2016 में प्रारंभ किया गया, जहाँ अल्पसंख्यक समुदायों की लड़िकयों को स्थानीय रूप से प्रासंगिक सात क्षेत्रों में 3 माह का कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- इस योजना में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के 17 से 35 वर्ष आयु समूह के लोगों के साथ-साथ मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को भी शामिल किया जाएगा।
- उन्हें 4 पाठयक्रमों मे ट्रेड आधार पर कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराने की योजना है जैसे—(a) विनिर्माण, (b) इंजीनियरिंग, (c) सेवाएँ (d) सरल कौशल

हुनर हाट (Skill Haat)

- हुनर हाट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक समुदायों के दस्तकारों द्वारा निर्मित हस्तकलाओं, कढ़ाई आदि की प्रदर्शनी है।
- यहाँ उन्हें निशुल्क स्टॉल, पिरवहन सुविधा तथा दैनिक व्ययों की पूर्ति संबंधी सभी सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- अब तक इस प्रकार के दो हाटों का आयोजन किया जा चुका है तथा मंत्रालय सभी राज्यों में 'हुनर हब' स्थापित करने की ओर कार्य कर रहा है, जिससे यहाँ हुनर हाट तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें।
- वर्ष 2018 की थीम "सम्मान के साथ विकास" (Development with Dignity) थी।

ऊर्जा मंत्रालय

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर, 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

योजना के प्रमुख संघटक

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की न्यायोचित आपूर्ति हेतु कृषि तथा गैर-कृषि फीडर अलग-अलग करना;
- (ii) ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं-कृषि एवं गैर-कृषि को उप सम्प्रेषण तथा वितरण हेतु अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण;
- (iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए स्वीकृत आवंटन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को हस्तांतरित करना।

- इस योजना के तहत कराए जाने वाले कार्य हैं-फीडर पृथक्कीकरण, वितरण के मीटर लगाने सिहत, उप-सम्प्रेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।
- इस योजना के अंतर्गत विशेष वर्ग के राज्यों में केन्द्र सरकार का हिस्सा 90% तथा वितरण कम्पनियों का हिस्सा 10% होगा। अन्य राज्यों के लिए यह 75: 25 के अनुपात में होगा।
- परियोजना की कुल लागत का 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से जुटाया जाएगा।
- इस योजना के तहत गैर-विद्युतीकृत 124786 गांवों के विद्युतीकरण आंशिक रूप से विद्युतीकृत 602910 गांवों के सघन विद्युतीकरण तथा निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे 405.42 लाख ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने की 921 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।
- 31 दिसंबर, 2014 तक गैर-विद्युतीकृत 108913 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था, 314160 आंशिक विद्युतीकरण

- गांवों का सघन विद्युतीकरण किया जा चुका था तथा 221.17 लाख निर्धन परिवारों को नि:शुल्क कनेक्शन दिया जा चुका था।
- 1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गांवों में बिजली पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने 2016-17 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्वीकृत स्कीमों हेतु ₹ 8,500 करोड़ की व्यवस्था की थी।

सौभाग्य योजना

- केन्द्रीय विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर के सिंह ने 29 नवंबर, 2018 को घोषणा की कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत 8 राज्यों ने 100 प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया हैं।
- इसके साथ, देश में अब कुल 15 राज्यों में 100 प्रतिशत घरों का विद्युतीकरण हो गया है।
- ये आठ राज्य मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू और कश्मीर,
 मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल हैं।
- सौभाग्य योजना के अंतर्गत अब तक 2.1 करोड़ कनेक्श्न जारी किये गये हैं।

विद्युतीकरण से वंचित

- महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विद्युतीकरण से वंचित घर कम संख्या में बचे हैं और उम्मीद है कि सभी घरों का विद्युतीकरण हो जायेगा।
- विद्युतीकरण की वर्तमान गित के मुताबिक देश के सभी 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य 31 दिसम्बर, 2018 तक पुरा हो गया।
- 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण वाले राज्यों में कोई घर वंचित न रह जाए यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बारे में सभी क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलायें ताकि किसी वंचित हुए घर को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत लाभ मिल सके।

24×7 बिजली देने का रिकॉर्ड:

- देश में 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण से सभी के लिए 24×7 बिजली देने का रिकॉर्ड कायम होगा।
- सरकार 31 मार्च, 2019 तक सभी के लिए 24×7 बिजली पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

विद्युतीकरण से होने वाले लाभ

🖸 घरों के विद्युतीकरण से लोगों के जीवन में नई रोशनी आई

- है। विद्युतीकरण का दैनिक जीवन के सभी पक्षों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पडता है।
- विद्युत नेटवर्क के विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार जैसी आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार होगा।
- इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगीं जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन होगा तथा आय में वृद्धि होगी और गरीबी का उपशमन होगा।

सौभाग्य योजना क्या है?

- केंद्र सरकार ने सितंबर, 2017 में 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' (सौभाग्य) लांच की थी।
- इसका उद्देश्य 31 मार्च, 2019 तक देश में सम्पूर्ण रूप से घरों के विद्युतीकरण लक्ष्य को हासिल करना है।
- इस योजना के लांच होने के बाद से राज्य के विद्युत विभागों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के सहयोग से 1.65 करोड़ घरों का विद्युतीकरण हुआ है।
- यह योजना केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का एक हिस्सा है।
- सौभाग्य एक ऐसी योजना है जिसमें 16,000 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा और इसमें से 25 प्रतिशत को इस परियोजना के लिए तैनात किए जाने वाले मानव संसाधन एवं उनके पारिश्रमिक पर खर्च किए जाने का अनुमान है।

सौभाग्य योजना के तहत पुरस्कार योजना

- विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों/राज्य के विद्युत विभागों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए 300 करोड़ रुपये की पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है।
- 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण के कार्य को पूरा करने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां/विद्युत विभाग को कर्मचारियों के लिए 50 लाख का पुरस्कार और वितरण संरचना पर खर्च के लिए 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
- पुरस्कार के उद्देश्य से राज्यों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है
 और इन सभी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे।

पुरस्कार तीन श्रेणियों में

- पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे। यह श्रेणियां हैं:
- डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों (7 पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तराखंड) के विद्युत विभाग को दिए जाएंगे।

- डिस्कॉम/विशेष दर्जा के अलावा अन्य राज्यों (बिहार,छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) जिनमें विद्युतीकरण से वंचित पांच लाख से अधिक घर है।
- डिस्कॉम/विशेष दर्जा वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्य जहां पांच लाख से कम घर विद्युतीकृत हैं।
- 31 दिसम्बर 2018 तक 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण का काम करने वाले राज्यों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होगा।

उजाला (UJALA) योजना

- यह योजना 'बचत लैम्प योजना' के स्थान पर 1 मई, 2015
 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू की।
- UJALA उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल एक ऊर्जा दक्षता योजना है जिसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल व बिजली के बिलों में कमी लाने वाले उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए जागरूकता पैदा करना है।
- इस योजना के अंतर्गत ग्रिड से कनैक्टेड उपभोक्ताओं को बाजार मृल्य के 40% मृल्य पर LED बल्ब वितरित किए जाएंगे।
- इस योजना को विद्युत वितरण कंपनी तथा ऊर्जा दक्षता सेवाएँ लिमिटेड (EESL) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) ने मेलाका, मलेशिया में उजाला (सभी के लिए सस्ती उन्नत ज्योति) योजना की शुरूआत की।

कोल (Coal) मित्र वेब पोर्टल

- घरेलू कोयले के उपयोग में लोचशीलता लाने के लिए इस पोर्टल को डिजाइन किया गया है।
- यह पोर्टल घरेलू कोयला भण्डारों को अधिक लागत दक्ष राज्य/ केंद्र के या निजी क्षेत्र के उत्पादक स्टेशनों को हस्तांतरित करने में सहायक होगा, जिससे विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आए तथा अंतत: उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर विद्युत की उपलब्धता हो सके।

स्टार्ट-अप संगम पहल

- यह पहल पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई।
- 🗘 यह प्रोग्राम स्टार्ट-अप्स इण्डिया योजना का एक भाग है।

- स्टार्ट-अप्स संगम प्रोग्राम का उद्देश्य इस उच्च तकनीक वाले क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स का वित्तीयन करना है।
- इस योजना के तहत देश की राज्यों द्वारा संचालित कंपनियों को 30 से अधिक उन स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता दिखानी होगी जिन्हें सरकार के 320 करोड़ के कोष द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए सहायता दी जाएगी।

मुख्य उद्देश्य :

- भारी तेल तथा गैस उद्योगों में तकनीक के क्षेत्र में आने वाले अवरोधों को दूर करना तथा नवोन्मेषों को प्रोत्साहन देना।
- इस कोष में भारतीय तेल निगम (IOC), ONGC, ऑयल इण्डिया आदि के द्वारा वित्तीय सहयोग किया जाएगा।
- यह चयनित स्टार्ट-अप्स ऊर्जा से संबंधित कई क्षेत्रों में कार्य करेंगे जैसे- कचरा प्लास्टिक को पेट्रोलियम ईंधन में बदलना, सोलर स्टोव, कृषि अपिशष्ट बायोमॉस से बहुउपयोगी ईंधन निर्माण, LNG
- सिलेण्डरों से लिकेज का पता लगाने हेतु लिंक डिटेक्टर्स का निर्माण आदि।
- तकनीक के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्टार्ट-अप्स को प्रूंफ ऑफ कॉन्सेप्ट जमा करने के लिए 30 माह का समय दिया जाएगा जबिक बिजनेस आइंडिया से जुड़े स्टार्ट-अप्स को 18 माह का समय दिया जाएगा।
- ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि ईंधन के वैकिल्पिक स्रोतों में नवोन्मेष होने से ईंधन-आयात पर निर्भरता कम होगी।

ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन

- ग्रामीण विद्युतीकरण (गर्व) एप : नागरिकों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण को ट्रैक करने के लिए।
- विद्युत प्रवाह एप : विद्युत मूल्य एवं उपलब्धता की रीयल
 टाइम जानकारी प्राप्त करने के लिए।
- ऊर्जा (URJA) अर्बन ज्योति अभियान एप : शहर विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए जिससे उपभोक्ता संपर्क, परियोजना निगरानी तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण, नए सेवा कनेक्शन जारी करना आदि के आधार पर निष्पादन मूल्यांकन की सूचना प्रदान करने के लिए।
- ई-तरंग एप : प्रेषण तंत्र की रीयल टाइम स्टेट्स मॉनीटिरंग के लिए।
- ई-ट्रान्स एप : अंतर राज्यीय ट्रांसिमशन परियोजनाओं में बेहतर मृल्य प्राप्त करने के लिए।

तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

पहल योजना

- पहल का अर्थ है प्रत्यक्ष हस्तांतिरत लाभ जो एलपीजी (डीबीटीएल) योजना के लिए एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण है, जो केन्द्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 को एलपीजी उपभोक्ताओं को लाभ देने के उद्देश्य के लिए आरंभ हुई थी।
- इस योजना के अंतर्गत, एलपीजी सिलेंडर को नकद हस्तांतरण अनुवर्ती (कैश ट्रांसफर कम्प्लीएंट या सीटीसी) आधार पर उपभोक्ताओं को बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचा जाएगा, जबिक नकद छूट को प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में निम्न पद्धतियों के द्वारा हस्तांतरित किया जाएगा -
 - प्राथमिक: वे उपभोक्ता जिनके पास आधार नम्बर हैं, उन्हें इसे अपने बैंक खातों में छूट की राशि को प्रत्यक्ष रूप से लेने के लिए बैंक खातों के संग जोड़ना होता है।
 - 2. द्वितीयक: वे उपभोक्ता जिनके पास आधार नम्बर नहीं है, उन्हें एलपीजी वितरकों के पास प्रासंगिक बैंक खातों का विवरण जमा करने के बाद खातों की सब्सिडी राशि मिल जाएगी। (खाता संख्या, खाता धारक का नाम, आईएफएससी कोड आदि।)
- वे उपभोक्ता जिन्हें उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से छूट मिल रही है, उन्हें नकद हस्तांतरण अनुवर्ती (सीटीसी) उपभोक्ता कहा जाता है।
- गैर-सीटीसी उपभोक्ताओं के लिए हालांकि एक तीन माह की अनुकम्पा अविध (3 माह की अतिरिक्त पार्किंग अविध के संग) सीटीसी उपभोक्ता बनने के लिए दी गई है, पर इस अविध के दौरान गैर-सीसीटी उपभोक्ताओं को बाजार निर्धारित मूल्य पर ही एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।
- पहल के साथ जुड़ने वाले प्रत्येक सीटीसी उपभोक्ता को एक बार में प्राप्त होने वाली रियायत का अग्रिम प्रदान किया जाता है।
- संशोधित योजना को आरंभिक रूप से देश के 54 जिलों में दोबारा से आरंभ किया गया था और देश के अन्य हिस्सों में 1 जनवरी, 2015 से आरंभ किया गया है।

प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा

- प्रधानमंत्री ने अक्टूबर, 2016 में वाराणसी में इस परियोजना की नींव रखी थी।
- ऊर्जा गंगा पिरयोजना अत्यंत महत्वाकांक्षी गैस पाइपलाइन पिरयोजना है जिसका लक्ष्य देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराना है।

- पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नेशनल गैस ग्रीड प्रोजेक्ट (प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा) का एक भाग जगदीशपुर-हिल्दया तथा बोकारो-धर्मा नेचुरल गैस पाइपलाइन (JHBDPL) है।
- 2665 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूर्वी राज्यों को नेशनल गैस ग्रिड से जोडना है।
- इससे लाभ प्राप्त करने वाले राज्य उत्तर-प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा तथा पश्चिम-बंगाल है।
- इस प्रोजेक्ट से पूर्वी भारत में स्थित उर्वरक तथा ऊर्जा संयंत्रों, रिफायनिरयों, स्टील प्लांटों तथा अन्य उद्योगों को प्राकृतिक गैस पर्यावरणीय दृष्टि से स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा।
- इस प्रकार इस प्रोजेक्ट की सफलता से पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास का आरंभ होगा और इसे गित मिलेगी।
- इससे पाइपलाइनों के माध्यम से पूर्वी भारत के शहरों में घरों में तथा परिवहन साघनों को भी स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी।
- GAIL इण्डिया (राज्य संचालित गैस युटिलिटी) ने हाल ही में 400 किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन का ऑर्डर दिया है।

प्रधानमंत्री जी-वन योजना

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की सिमिति ने प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना के लिए वित्तीय मदद को मंज्री दे दी है।
- इसके तहत ऐसी एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को, जो लिग्नोसेलुलॉसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का इस्तेमाल करती है, उसके लिए वित्तीय मदद का प्रावधान है।

वित्तीय प्रभाव

- जी-वन योजना के लिए 2018-19 से 2023-24 की अवधि में कुल 1969.50 करोड़ रुपये के वित्तीय पिख्यिय को मंजूरी दी गई है।
- परियोजनाओं के लिए स्वीकृत कुल 1969.50 करोड़ रुपये की राशि में से 1800 करोड़ रुपये 12 वाणिज्यिक परियोजनाओं की मदद के लिए, 150 करोड़ रुपये प्रदर्शित परियोजनाओं के लिए और बाकी बचे 9.50 करोड़ रुपये केन्द्र को उच्च प्रौद्योगिकी प्रशासनिक शुल्क के रूप में दिए गए।

विवरण

🗘 इस योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं

को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को दो चरणों में वित्तीय मदद प्रदान की गई:

- पहला चरण (2018-19 से 2022-23): इस अविध में 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन के स्तर वाली परियोजनाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- दूसरा चरण (2020-21 से 2023-24): इस अविध में बाकी बची 6 वाणिज्यिक परियोजनाओं और 5 प्रदर्शन स्तर वाली परियोजनाओं को मदद की व्यवस्था की गई है।
- परियोजना के तहत दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और मदद करने का काम किया गया है।
- इसके लिए उसे वाणिज्यिक पिरयोजनाएं स्थापित करने और अनुसंधान और विकास गितविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का काम किया गया है।
- EBP कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को मदद पहुंचाने के अलावा निम्नलिखित लाभ भी होंगे -
 - जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयात पर निर्भरता घटाने की भारत सरकार की परिकल्पना को साकार करना।
 - जीवाश्म ईंधन के स्थान पर जैव ईंधन के इस्तेमाल का विकल्प लाकर उत्सर्जन के CHG मानक की प्राप्ति।
 - बायोमास और फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का समाधान और लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना।
 - 4. दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल परियोजना और बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
 - बायोमास कचरे और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के संग्रहण की समुचित व्यवस्था कर स्वच्छ भारत मिशन में योगदान करना।
 - दूसरी पीढ़ी के बायोमास को इथेनॉल प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करने की विधि का स्वदेशीकरण।
- योजना के लाभार्थियों द्वारा बनाए गए इथेनॉल की अनिवार्य रूप से तेल विपणन कम्पनियों को आपूर्ति, तािक वे ईबीपी कार्यक्रम के तहत इनमें निर्धारित प्रतिशत में मिश्रण कर सके।

अन्य पहलू :

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2022 तक पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 10 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- इथेनॉल की कीमत ज्यादा रखने और इथेनॉल खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद 2017-18 के दौरान इथेनॉल की खरीद 150 करोड़ लीटर ही रही, हालांकि

- यह देशभर में पेट्रोल में इथेनॉल के 4.22 प्रतिशत मिश्रण के लिए पर्याप्त है।
- इसी वजह से बायोमास और अन्य कचरों से दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्राप्त करने की संभावनाएं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तलाशी जा रही हैं।
- इससे ईबीपी कार्यक्रम के तहत किसी तरह होने वाली कमी को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री जी-वन योजना इसी को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।
- इसके तहत देश में दूसरी पीढ़ी की इथेनॉल क्षमता विकसित करने और इस नए क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।
- इस योजना को लागू करने का अधिकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक तकनीकी इकाई सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है।
- इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक प्रोजेक्ट डेवलपरों को अपने प्रस्ताव समीक्षा के लिए मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति को सौंपने होंगे।
- सिमिति जिन पिरयोजनाओं की अनुशंसा करेगी उन्हें मंत्रालय के सिचव की अध्यक्षता में संचालन सिमिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

पृष्ठभूमि:

- भारत सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम 2003 में लागू किया था। इसके जिए पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण कर पर्यावरण को जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान से बचाना, किसानों को क्षितपूर्ति दिलाना तथा कच्चे तेल के आयात को कम कर विदेशी मुद्रा बचाना है।
- वर्तमान में EBP 21 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत तेल विपणन कम्पनियों के लिए पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाना अनिवार्य बनाया गया है।
- मौजूदा नीति के तहत पेट्रोकेमिकल के अलावा मोलासिस और नॉन फीड स्टाक उत्पादों जैसे सेलुलोसेस और लिग्नोसेलुलोसेस जैसे पदार्थों से इथेनॉल प्राप्त करने की अनुमित दी गई है।

पेट्रोटेक-2019

- 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी पेट्रोटेक-2019 का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 10 से 12 फरवरी, 2019 को किया गया।
- 🗴 भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हाल ही में हुई बाजार और निवेश

योजना /परियोजना-2019

के अनुकूल घटनाओं को इस विशाल तीन दिवसीय आयोजन के दौरान प्रदर्शित किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

- इस सम्मेलन के दौरान लगभग 70 देशों के 86 से ज्यादा प्रमुख वक्ताओं और 7000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है, जिनमें प्रौद्योगिकीविद्, वैज्ञानिक, योजनाकार, नीति निर्माता, प्रबंधन विशेषज्ञ, उद्यमी, सेवा प्रदाता और वेंडर्स शामिल होंगे।
- इस सम्मेलन के साथ-साथ इस दौरान इंडिया एक्स्पो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 20,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
- पेट्रोटेक-2019 प्रदर्शनी में उत्खनन और उत्पादन, प्रक्रिया नियंत्रण, रिफाइनिंग और पाइपलाइन सेवाओं, प्रणालियों, उत्पादों, ऑयल फील्ड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, विश्लेषणात्मक उपकरण, नवीकरणीय, अनुसंधान एवं विकास, एचएसई, प्रशिक्षण और तकनीकी साहित्य के प्रकाशन के क्षेत्र में हुए विकास पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
- पेट्रोटेक-2019 प्रदर्शनी में 13 से ज्यादा देशों के मंडप शामिल हुए और 40 से ज्यादा देशों के 750 प्रदर्शकों ने भाग लिया।
- इसमें मेक इन इंडिया और नवीकरणीय ऊर्जा थीम के लिए विशिष्ट स्थान थे। पेट्रोटेक के दौरान अनेक स्टार्ट-अप कंपनियों ने भी अपनी प्रौद्योगिकी और विकास का प्रदर्शन किया

ग्रामीण विकास मंत्रालय

इन्दिरा आवास योजना (IAY)

इन्दिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 में (मई, 1985 में)
 RLEGP की एक उप-योजना के रूप में आरंभ की गई थी।

मुख्य उद्देश्य :

- अनुसूचित जाति/जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को नि:शूल्क आवास उपलब्ध कराना है।
- 1989-90 में RLEGP को IRY में मिला दिए जाने के बाद इस योजना को भी JRY का अंग बना दिया गया, किन्तु वर्ष 1996 में इसे JRY से अलग करके इसे एक स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया है।
- वर्तमान में यह भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटकों में से एक है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- संविधान के अनुच्छेद 41 (नीति निर्देशक तत्व) के आलोक में भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरूआत 15 अगस्त, 1995 को हुई थी।
- वर्ष 2007 में इस योजना को पुनर्गठित किया गया। वर्ष 2009 में इस योजना के दो और घटक (विधवा पेंशन व विकलांगता पेंशन) शामिल किए गए।
- इस कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- वर्तमान में इस कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक हैं;
 - 1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (National Old Age

- Pension Scheme NOAPS) (वर्तमान में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना)। इस योजना में अन्नपूर्णा योजना का भी विलय कर दिया गया।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (National Family Benefit Scheme – NFBS)
- 3. राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme NMBS)
- सभी योजनाएं वृद्धावस्था, पिरवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इन योजनाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं -

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना)

- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी 60 वर्ष (1 अप्रैल, 2011 से आयु सीमा 65 वर्ष से घटकार 60 वर्ष कर दी गई है) या इससे अधिक आयु वाले वृद्ध 19 नवम्बर, 2007 से वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हो गए।
- अभी तक निर्धन परिवारों के बेसहारा (Destitute) वृद्धजन ही इस योजना के तहत मासिक पेंशन के पात्र थे।
- योजना के लिक्षतों में 'बेसहारा' शब्द हटाने का फैसला केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर, 2007 में एक बैठक में किया था।
- 19 नवंबर, 2007 को इस योजना का नाम बदलकर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया है।
- इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर ₹ 400 प्रित माह पहले ही किया जा चुका है। इसमें ₹ 200 प्रित माह का योगदान केन्द्र सरकार का व शेष राज्य सरकार का होता है।

1 अप्रैल, 2011 से केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के तहत 80 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को देय पेंशन राशि में भी वृद्धि सरकार ने की है। ऐसे लोगों को अब ₹ 200 प्रतिमाह के स्थान पर ₹ 500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। पेंशन में राज्य सरकार के घटक में भी इसके अनुरूप ही वृद्धि संभावित है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

- 🗘 यह स्कीम वर्ष 2009 में शुरू की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों की 40 से 59 वर्ष की विधवाओं को प्रतिमाह 300 रुपए की सहायता दी जाती है।
- 60 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना

- वर्ष 2009 में आरंभ इस स्कीम के तहत BPL परिवारों के 18 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिमाह 300 रूपए की सहायता राशि/पेंशन दी जाती है।
- 60 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

BPL परिवार में 18 से 59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक संतप्त बीपीएल परिवार को 20,000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

अन्नपूर्णा

1 अप्रैल, 2000 को आरंभ इस योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थियों, जो पात्र हैं तो किंतु उन्हें पूर्ववर्ती राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में शामिल नहीं किया गया, को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

राष्ट्रीय प्रसव लाभ योजना

इसके अंतर्गत निर्धन पिरवारों की 19 वर्ष तथा उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर मातृत्व देखभाल हेतु ₹ 500 की वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

 ग्रामीण सड़कों द्वारा गांवों को जोड़ने का उद्देश्य न केवल देश के ग्रामीण विकास में सहायक है, बिल्क इसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में एक प्रभावी घटक स्वीकार किया गया है।

- इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह योजना 25 दिसंबर, 2000 से प्रारंभ की गई।
- भारत सरकार ने 'ग्रामीण सड़कों' को भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक घटक बनाया है तथा जिसमें मैदानी क्षेत्रों में 1000 और इससे अधिक जनसंख्या (वर्ष 2001 की जनगणनानुसार) और पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में (अनुसूची ट) में 500 एवं इससे अधिक जनसंख्या वाली सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों की बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत निर्माण योजना

- गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ 16 दिसंबर, 2005 को नई दिल्ली में किया। इस योजना का प्रस्ताव 2005-06 के बजट में किया गया था।
- इस महत्त्वाकांक्षी पिरयोजना के तहत देश के ग्रामीण आधारिक संरचना के 6 प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को 4 वर्षों में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। सिंचाई, जलापूर्ति, आवास, सड़क, टेलीफोन एवं विद्युतीकरण इनमें शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक निम्नलिखित प्रकार थे सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण जलापूर्ति।

महिला समृद्धि योजना (MSY)

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाित वित्त एवं विकास निगम ने, वर्ष 2003-04 के दौरान, माइक्रो क्रेडिट वित्त योजना की तुलना से 1 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज छूट दर पर 25,000 रुपए प्रति इकाई तक ऋण प्रदान करने के लिए महिला लाभार्थियों के लिए एक अन्य माइक्रो क्रेडिट योजना के रूप में महिला समृद्धि योजना (MSY) आरम्भ की।
- वर्ष 2006-07 के दौरान, महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रति इकाई लागत सीमा को 30,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया जिसे पुन: 2012-13 में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है ताकि महिला लाभार्थी अपेक्षाकृत अधिक निवेश के साथ आय उपार्जक कार्यकलाप आरम्भ कर सकें।
- महिला समृद्धि योजना के तहत ऋण लौटा देने के बाद लाभार्थी एक बार फिर से NSFDC योजना के तहत ऋण का लाभ ले सकते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (MNREGA)

- केन्द्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 2 फरवरी, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया।
- पहले चरण में वर्ष 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन किया गया था।
- इसमें सर्वाधिक 23 जिले बिहार के सिम्मिलित थे, जबिक गोवा के 2 जिलों में से कोई भी जिला इसमें शामिल नहीं था।
- पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए चयनित 200 जिलों में वह 150 जिले शामिल थे, जहाँ काम के बदले अनाज (Food for Work) कार्यक्रम पहले से चल रहा था।
- 'काम के बदले अनाज' योजना व 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' का विलय अब इस नई योजना में कर दिया गया है।
- 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। वर्तमान में 684 जिलों के 6863 विकास खण्डों की 262839 ग्राम पंचायतों में लागू है।
- इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। (प्रत्येक परिवार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है तथा इसका विभाजन परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच किया जा सकता है।)
- जिन आदिवासियों को वन अधिकारों अधिनियम, 2006 के तहत कितपय अधिकार प्राप्त हुए हैं, वे किसी वर्ष अधिकतम 100 दिवस का रोजगार प्राप्त कर लेने के उपरांत 50 अतिरिक्त दिनों का गारंटीशुदा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इन्हें अलग रंग का जॉब कार्ड दिया गया है।
- सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में किसी वित्तीय वर्ष में गारंटीशुदा रोजगार दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया था।
- राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए लागू वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान इसके लिए किया जाता है जो 60 रुपए से कम नहीं होगी।
- वर्ष 2011-12 (नवम्बर 2011 तक) में वास्तविक मजदूरी दर को बढ़ाकर 120 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
- केन्द्र सरकार के महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) का नाम 2009 में बदलकर अब औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) कर दिया गया है।
- केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 'मनरेगा' के तहत मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की दरों को खेतिहर मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index for Agricultural Labourers) से सम्बद्ध करने की घोषणा 6 जनवरी, 2011 को की थी।

मुख्य उद्देश्य :

- कार्य करने की इच्छा रखने वाले अकुशल ग्रामीण मजदूर तथा मौसमी बेरोजगार।
- इसके अंतर्गत मजदूरी तथा सामग्री अनुपात 60: 40 का बनाए रखना होता है।
- किसी मशीनरी व ठेकेदार की अनुमित नहीं है।
- मजदूरी की दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि मजदूर) CPI-(AL) पर आधारित होंगी।
- केंद्र सरकार अकुशल मजदूरों के लिए मजदूरी लागत का 100 प्रतिशत वहन करेगी तथा सामग्री लागत का (कुशल तथा अर्द्धकुशल
- मजदूरों की मजदूरी लागत को शामिल करते हुए) 75 प्रतिशत वहन करेगी।
- यदि आवदेन के 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं कराया गया तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।
- मनरेगा का क्रियान्वयन मुख्यत: ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा।
- न्यूनतम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ होंगीं।
- ग्राम सभाओं द्वारा प्रत्येक 6 माह में एक बार सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा।

[68]

योजना /परियोजना-2019

- यह अधिनियम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्थायी पिरसम्पत्तियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- आर्थिक विकास संस्थान द्वारा मनरेगा के प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटक तथा सतत् आजीविका पर उसके प्रभाव का आँकलन किया गया है जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है—
 - (i) यह आकलन 30 राज्यों में किया गया।
 - (ii) मनरेगा से आय परिवारों की आमदनी में लगभग 11% तथा अनाज उत्पादन में 32.3% की वृद्धि दर्ज की गयी है।
 - (iii) जल स्तर मे वृद्धि हुई है।
 - (iv) सार्वजनिक क्षेत्र और मझोले तथा छोटे किसान परिवार लाभान्वित हुए है।
 - (v) मनरेगा में आमदनी के माध्यम से पारर्शिता, समयबद्धता, संपत्ति निर्माण और आमदनी वृद्धि के मामले के उल्लेखनीय कार्य किया है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने गांवों के समग्र विकास के लिए 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' (एसएजीवाई) की शुरूआत 11 अक्टूबर, 2014 को की।
- एसएजीवाई का क्रियान्वयन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की देखरेख में किया जा रहा है।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसद वर्ष 2019 तक तीन गांवों में बुनियादी एवं संस्थागत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी उठाएंगे, जिनमें से एक आदर्श गांव को वर्ष 2016 तक विकसित किया जा चुका है।

मुख्य उद्देश्य :

- इस योजना के तहत चयनित गांवों में कृषि, स्वास्थ्य, साफ-सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों का एकीकृत विकास किया जाएगा।
- एसएजीवाई के तहत केवल ढांचागत विकास पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि गांवों में रहने वाले लोगों को कुछ खास मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे अन्य लोगों के लिए आदर्श साबित हो सकें।
- जन भागीदारी, अन्त्योदय, महिलाओं के साथ समानता का भाव, महिलाओं का सम्मान, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना, स्वच्छता, पर्यावरण अनुकूलता का ध्यान रखना, शांति व सद्भाव का ख्याल रखना, आपसी सहयोग, स्थानीय स्तर पर स्वशासन, पारिस्थितिकी संतुलन, आत्मिनर्भरता और सार्वजिनक जीवन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही इत्यादि इन मूल्यों में शामिल हैं।
- ग्राम पंचायत विकास के लिए बुनियादी इकाई होगी। इसकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3000-5000 और पहाड़ी जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होगी। जिन जिलों में इकाई का आकार उपलब्ध नहीं है, वहाँ अपेक्षित आबादी वाली ग्राम पंचायतों का चयन किया जा सकता है।

- सांसद आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित करने के लिए किसी भी उपयुक्त ग्राम पंचायत का चयन अपनी मर्जी से कर सकेंगे। इसमें सांसद का अपना या उनकी पत्नी/पित का गांव शामिल नहीं होगा।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सामुदायिक भागीदारी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- सामाजिक कार्यों को पूरा करने में ग्रामीण समुदाय की भागीदारी से गांव में अन्य विकास कार्य भी पूरे हो सकते हैं।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना का एक उद्देश्य सभी के लिए शिक्षा सुविधाएं, वयस्क साक्षरता, ई-साक्षरता सुलभ कराना भी है। शिक्षा के अलावा, इन गांवों में उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं भी होंगी। इससे शत-प्रतिशत टीकाकरण, शत-प्रतिशत संस्थागत डिलीवरी, आईएमआर तथा एमएमआर में कमी, बच्चों में कुपोषण की समस्या से निजात, इत्यादि मिलना संभव हो पाएगा।

राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (NRUM)

- 🗘 इस मिशन की शुरुआत फरवरी, 2016 को की गई।
- इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन भी कहा जाता है तथा इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक व भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण करना है।
- इसका उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास, मूलभूत सेवाओं में वृद्धि तथा सुनियोजित रुर्बन समूह अर्थात् स्मार्ट गाँवों के निर्माण का प्रोत्साहन देना है।

स्मार्ट गाँव

- एक ऐसा क्षेत्र होगा जो अपनी आवश्यक मूल विशेषताएँ बनाए रखते हुए शहरी आर्थिक विशेषताएँ व जीवनशैली से युक्त होगा।
- यह समूह आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करेगा तथा राज्य सरकारें भौगोलिक रूप से समीपस्थ ग्राम पंचायतों जो कि मैदानी व तटीय क्षेत्रों में 25000 से 50,000 की जनसंख्या तथा

- मरुस्थलीय, पहाड़ी व जनजाति क्षेत्रों में 5000 से 15,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगी।
- इन समूहों का विकास आर्थिक गतिविधियों, कौशल विकास व स्थानीय उद्यमिता विकास तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं को प्रदान कर दिया जाएगा।
- यह कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, सचल चिकित्सा इकाई, नागरिक केंद्रित सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, ई-ग्राम संपर्क, सार्वजनिक परिवहन, अंतरग्राम सड़क संपर्क आदि की व्यवस्था करेगा।

रूर्बन मिशन के 14 घटक

- 1. आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कौशल विकास शिक्षण कार्यक्रम
- 2. कृषि प्रसंस्करण / कृषि सेवा / संग्रहण और भण्डारण
- 3. डिजिटल साक्षरता
- स्वच्छता
- 5. स्वच्छ जल की आपूर्ति का प्रावधान
- 6. ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
- 7. गाँव की सड़क और नालियाँ
- 8. स्ट्रीट लाइट
- 9. मोबाइल हेल्थ यूनिट
- 10. उन्यन स्कूल उच्च शिक्षा की सुविधा
- 11. इंटर-गॉॅंव सडक संपर्क
- 12. नागरिक केंद्रित सेवाओं / ई ग्राम कनेक्टिविटी की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी के लिए नागरिक सेवा केंद्र
- 13. सार्वजनिक परिवहन
- 14. LPG गैस कनेक्शन

सिक्युर (SECURE)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ने (SECURE) नामक सॉफ्टेवयर को स्वीकृत कर लिया है।
- SECURE का पूरा नाम है- Software for estimate calculation using rural rates for employment
- इसका उद्देश्य तकनीकी विशिष्टताओं, कार्यों तथा कार्यप्रवाह का विश्लेषण करके कार्य की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- MGNREGS के अन्तर्गत सूचना प्रबंधन प्रणाली के सभी आंकलन सिक्युर सॉफ्टवेयर के उपयोग से आंकलित किए जाएंगे।
- यह 1 अप्रैल. 2018 से प्रभावी हो गया।

दीनदयाल उपाध्याय कौशल मिशन

- DDU-GKY ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढा़वा देने के लिए की गई विभिन्न पहलों में से एक है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी की निरंतर बढ़ती गरीबी
 में कमी लाना है। DDU-GKY को 25 सितंबर 2014 को शुरू
 किया गया था।
- सरकार का लक्ष्य DDU-GKY से 5.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाकर उन्हें रोजगार दिलाना है।

DDU-GKY के उद्देश्य?

- ग्रामीण क्षेत्रों में 15-35 साल के युवाओं की कुशलता विकसित कर उन्हें रोजगार करने योग्य बनाना।
- निर्धन ग्रामीण युवाओं को सरकार द्वारा स्किल देने के बाद निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के समान या उससे ऊपर के मजदूरी पर रोजगार दिलाना है।
- युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर कुशलता विकसित करने हेतु चयन।
- रोजगार के अवसर के हिसाब से ज्ञान, उद्योग से जुड़े कौशल और विजन उपलब्ध कराना।

DDU-GKY के लाभ?

- आवश्यक प्रशिक्षण की उपलब्धता होने से युवाओं के करियर में प्रगति होगी।
- 💿 विकास की सहायता से गरीब और हाशिए पर खड़े लोग सक्षम होंगे।
- 🔾 ग्रामीण इलाके से पलायन कम किया जा सकेगा।
- अधिकतर लोगों की पहुंच रोजगार तक सुनिश्चित की जा सकेगी।
- DDU-GKY सामाजिक रूप से वंचित वर्ग को समाहित करने का लक्ष्य लेकर कार्य करता है। इसमें पात्र युवाओं का पूरा सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य है।
- इस योजना हेतु आवंटित धन का 50% अनुसूचित जाति-जनजाति, 15% अल्पसंख्यकों के लिए और 3% विकलांग व्यक्तियों के लिए तय किया गया है।
- इस तरह के कुशलता कार्यक्रम में युवाओं की कुल संख्या में एक तिहाई संख्या महिलाओं के लिए तय की गयी है।

कौन-कौन से क्षेत्र होंगे शामिल?

 डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत खुदरा कारोबार, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, निर्माण, ऑटो, चमडा, बिजली, पाइपलाइन, रत्न और

- आभूषण इत्यादि क्षेत्र में युवाओं को योग्यतानुसार कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इसमें शर्त यह है कि कुशलता मांग पर आधारित होनी चाहिए. साथ ही कम से कम 75% युवाओं को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए।
- DDU-GKY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का एक भाग है। यह ग्रामीण गरीब परिवारों की आय में विभिन्नता जोड़ने और ग्रामीण युवाओं की व्यवसाय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दोहरे उद्देश्यों के साथ प्रयासरत है।
- DDU-GKY गरीब परिवारों से 15 से 35 साल की उम्र के बीच ग्रामीण युवाओं पर विशेषत: कोंद्रित है।
- कौशल भारत अभियान के एक भाग के रूप में यह Make In India, Digital India, Smart City और Start Up India, Stand Up India जैसे सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों के समर्थन में अहम भूमिका निभाता है।
- DDU-GKY 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 568 जिलों में संचालित है। यह युवाओं को 6,215 से अधिक खंडो से प्रभावित करता है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 2.7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 1.34 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
- DDU-GKY ने 2012 से अब तक 5,600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश भी किया है, जो भारत के ग्रामीण युवाओं को प्रभावित करता है।
- DDU GKY के तहत आवेदक के प्रशिक्षण के दौरान आवास और भोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत चुने गए युवाओं को 6 महीने के लिए रोजगार दिलाने (Placement) का समर्थन, स्थानान्तरण (Migration) का समर्थन प्रदान करना इसकी मुख्य विशेषता है।
- रोजगार दिलाने की (Placement) परामर्श सुविधा और 1 वर्ष के लिये ट्रेकिंग सिंहत विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करना जिनके लिए किसी औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।
- DDU GKY के तहत कम से कम 75% उम्मीदवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी इस योजना के तहत रखी गयी है।
- इस योजना में जम्मू कश्मीर के गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजना पर विशेष बल दिया गया है।
- साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 27 जिलों पर भी अधिक ध्यान दिया गया है।

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना (DAY)

- भारत सरकार के शहरी एवं ग्रामीण मंत्रालय द्वारा 25 सितंबर, 2014 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ किया गया।
- यह विद्यमान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को प्रतिस्थापित करती है।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को इसमें सिम्मिलित कर दिया गया है।
- NULM का उद्देश्य सार्वभौमिक कवरेज द्वारा शहरी गरीबों में कौशल विकास करना तथा उन्हें सामाजिक सुविधा उपलब्ध कराना है।
- यह मुख्य रूप से शहरी गरीबों को मूलभूत संस्थानिक स्तर पर संगठित करने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने तथा उन्हें रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए साख सुविधाओं तक आसान पहुँच कराने पर केन्द्रित है।
- इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आश्रय युक्त आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा शहरी रेहड़ी-पटरी वालों की आजीविका संबंधी चिंताओं को दूर करना है।
- फॉण्डंग प्रारूप : केन्द्र राज्य- 75 : 25 तथा पूर्वोत्तर राज्यों
 व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए 90 : 10 के अनुपात में।

प्रमुख तथ्य :

- यह कार्यक्रम अब देश के सभी 4041 सांविधिक शहरी निकायों में लाग है।
- यह कार्यक्रम कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, व्यक्तिगत एवं समूह, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना, स्वयं सहायता समूहों का गठन, बेघर लोगों के लिए शरणस्थलों के निर्माण, अधोरचना सृजन द्वारा फेरीवालों की सहायता, कचरा बीनने वालों के लिए नवोन्मेष सहायता, अपंगों के लिए अभिनव सहायता द्वारा शहरी निर्धनों के लिए रोजगार अवसरों के सृजन और आय में वृद्धि के लिए प्रयास करता है।
- शहरी निर्धनों के कौशल प्रशिक्षण एवं पदस्थापना हेतु प्रति व्यक्ति ₹ 15,000 खर्च किया जाएगा। (पूर्वोत्तर में ₹ 18,000 प्रति व्यक्ति)।
- प्रत्येक स्वयं सहायता समूह को ₹ 10,000 तथा पंजीकृत क्षेत्रीय परिसंघ को ₹ 50,000 की आर्थिक सहायता।
- व्यक्तिगत उद्यम स्थापना हेतु ₹ 2 लाख तथा समूह उद्यम स्थापना हेतु ₹10 लाख का ऋण एवं 5-7% की ब्याज सब्सिडी।
- शहरी बेघर लोगों के लिए शरण-स्थिलयों के निर्माण हेतु
 शत-प्रतिशत वित्त पोषण।

दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DDUNRLM)

- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिसे अब एक सर्वव्यापक कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम से पुनर्गठित किया जा रहा है) गाँवों में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की एक अकेली योजना 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ की गई।
- इस योजना में पूर्व से चल रही निम्नलिखित 6 योजनाओं का विलय किया गया है -
 - 1. समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (IRDP),
 - 2. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM),
 - 3. ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWCRA),
 - 4. ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (SITRA),
 - 5. गंगा कल्याण योजना (GKY) तथा
 - 6. दस लाख कुआँ योजना (MWS)।
- 1 अप्रैल, 2012 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" के रूप में चलाया जा रहा है।
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना के तहत शुरुआत के बाद से 42.69 लाख स्व-सहायता समूह बनाए गए।
- विविधीकृत एवं लाभकारी स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार अवसरों के प्रोन्नयन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की निर्धनता में कमी लाना इस मिशन का उद्देश्य है।
- इससे सम्पोषणीय आधार पर निर्धनों की आय में वृद्धि होगी जो दीर्घकाल बृहत आधारित समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए आय एवं धन के वितरण की असमानताएं कम करेगी।
- इसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है। 1 अप्रैल, 2016 से इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAYG) कर दिया गया है।

मुख्य उद्देश्य :

2016-17 से 2018-19 की अवधि में कच्चे घरों/झोपड़ियों/ टूटे-फूटे घरों में रहने वाले एक करोड़ परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना।

- घर का न्यूनतम आकार 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर 25 वर्गमीटर किया गया।
- 🖸 घर में स्वच्छ रसोईघर का प्रावधान।
- मैदानी इलाकों में प्रति आवास सहायता ₹ 70,000 से बढ़ाकर
 ₹ 1,20,000 तथा पहाड़ी इलाकों, दुर्गम क्षेत्रों एवं IPA जनपदों
 में ₹ 75,000 से बढ़ाकर ₹ 1,30,000 की गई।
- लाभार्थी मनरेगा के तहत 99.95 व्यक्ति दिवस अकुशल रोजगार पाने का हकदार।
- शौचालय निर्माण हेतु सहायता स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण मनरेगा एवं अन्य समर्पित वित्तीयन कार्यक्रमों की समाभिरुपिता (Convergence) से।
- पिरयोजना की लागत केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 60: 40 अनुपात में (मैदानी राज्य)/विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में 90: 10 अनुपात में।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

- 20 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का शुभारंभ आगरा से किया।
- इसके अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित कराने का प्रावधान है।
- नवीन योजना में तालमेल के माध्यम से लाभार्थी को प्रति इकाई लगभग ₹ 1.50-1.60 लाख उपलब्ध होंगे।
- लाभार्थी की इच्छा पर ₹ 70,000 की राशि के ऋण का भी प्रावधान है।
- मार्च, 2019 तक एक करोड़ घर निर्मित किए जाएंगे। लाभान्वितों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया गया है।
- भवनहीन तथा एक या दो कमरे की कच्ची छत, कच्ची दीवार के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।
- स्थानीय निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग के साथ रसोई,
 बिजली कनेक्शन, एलपीजी, स्नानघर व शौचालय के प्रावधानों
 से युक्त कर आवास को एक पूर्ण रूप दिया जाएगा।
- लाभान्वितों को भुगतान पूरी तरह आईटी/डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा तथा आईसीटी व स्पेस टेक्नोलॉजी (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी) के उपयोग से कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आवास सॉफ्ट एमआईएस पर किया जाएगा।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय

भारतमाला

आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन को गित प्रदान करने के उद्देश्य से संघीय मंत्रिमंडल ने 24 अक्टूबर, 2017 को 7 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय वाली राजमार्ग विकास की मेगा परियोजना भारतमाला को अनुमोदन प्रदान किया।

प्रमुख तथ्य

- भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और कनेक्टिविटी में सुधार के बाद प्रमुख आर्थिक और वाणिज्यिक केन्द्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग के गिलयारों के विकास) के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है।
- इसके तहत् 2022 तक 6.9 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 83,000 किलोमीटर सड़कें विकसित करने और विस्तार करने का लक्ष्य है।
- इस परियोजना में 9,000 किमी. आर्थिक गलियारों, 6,000 किमी. अंतर-गलियारे और फीडर मार्ग, 5,000 किमी. राष्ट्रीय गलियारों में दक्षता सुधार, 2,000 किमी. की सीमासड़कें और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, 2,000 किमी. तटीय सड़कों और बंदरगाह कनेक्टिविटी तथा 800 किमी. के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं।
- यह पहली परियोजना है, जिसमें चीन के करीब लगी सरहद के पास सड़क को बनाया जाएगा।
- भारतमाला देश के 50 राष्ट्रीय गलियारों का निर्माण करेगी, जो वर्तमान में छह हैं।
- यह कार्यक्रम वर्तमान में लगभग 300 जिलों की तुलना में राष्ट्रीय राजमार्गों के जिरए 550 जिलों को जोड्ने में मदद करेगी।
- 3-5 वर्ष की अवधि के पहले चरण की कुल लागत 5.5 लाख करोड रुपए होगी।
- परियोजना का वित्तीयन विभिन्न स्रोतों से -
 - ₹ 2.09 लाख करोड बाजार से
 - ₹ 1.06 लाख करोड़ प्राइवेट निवेश से
 - ₹ 2.19 लाख करोड़ सड़क निधि या टोल शुल्क संग्रहण से

- प्रति किमी. संभावित लागत ₹ 13 करोड़।
- परियोजना गुजरात राज्य से प्रारंभ होकर राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई मणिपुर एवं मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा तक जाएगा।
- प्रतिवर्ष 10,000 किमी. लम्बी सङ्कों के निर्माण से 40
 मिलियन मानव दिवस रोजगार सृजन की संभाव्यता।

सेतुभारतम परियोजना

- प्रधानमंत्री ने 4 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में सेतुभारतम परियोजना का शुभारंभ किया।
- वर्ष 2019 तक सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाना है।
- इस परियोजना के तहत ₹ 20,800 करोड़ की लागत से 208 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया जाएगा।
- इन 208 रेलवे ओवर ब्रिज का ब्यौरा इस प्रकार है आंध्र प्रदेश-33, असम-12, बिहार-20, छत्तीसगढ़-5, गुजरात-8, हिरयाणा-10, हिमाचल प्रदेश-5, मध्य प्रदेश-6, महाराष्ट्र-12, ओडिशा-4, पंजाब-10, राजस्थान-9, तिमलनाडु-9, उत्तराखंड-2, उत्तर प्रदेश-9 तथा पश्चिम बंगाल-22।
- इसके अलावा करीब 1500 पुराने और खस्ता हाल पुलों को करीब ₹ 30 हजार करोड़ की लागत से चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापना/ चौड़ीकरण/मजबूत बनाकर सुधारा जाएगा।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में नोएडा
 स्थित इंडियन अकेडमी फॉर हाइवे इंजीनियर में एक भारतीय
 पुल प्रबंधन प्रणाली (आईबीएमएस) भी स्थापित की है।
- इस उद्देश्य के लिए 11 सलाहकार कम्पिनयों को नियुक्त किया
 गया है। अभी तक 50 हजार पुलों का ब्यौरा तैयार किया गया है।
- सर्वेक्षण का पहला चक्र जून, 2016 तक पूरा होना निर्धारित था। यह अपनी तरह का सबसे बड़ा डाटा बेस होगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही और सुगम होगी।

रेल मंत्रालय

रेल सुरक्षा निधि

 नई रेल सुरक्षा निधि 'राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष' का उपयोग सुधारों को ट्रैक करने, रेल सेतु पुनर्स्थापना कार्य व निरीक्षण सुधार कार्य आदि के लिए किया जाएगा।

यह एक न खत्म होने वाली निधि होगी, जिसका निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, चूँिक पहली बार केंद्रीय बजट व रेल बजट का विलय हो रहा है।

- इसमें निधि बजट आवंटन तथा केंद्रीय सड़क निधि से प्राप्त होगी।
- केंद्रीय सड़क निधि का संग्रहण डीजल व पेट्रोल पर सेस लगाकर (सुरक्षा संबंध कार्यों के लिए) संगृहीत किया जाएगा।
- रेल सुरक्षा निधि की स्थापना अनिल काकोदकर सिमिति की अनुशंसा पर की गई थी। अनिल काकोदर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं।

प्रोजेक्ट नीलगिरी

- देश के 400 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे 'प्रोजेक्ट नीलिंगरी' के तहत गूगल के साथ समझौता किया है। भारतीय रेलवे के रेलटेल ने गूगल के साथ समझौता किया।
- इस परियोजनाओं के तहत उपभोक्ताओं को रेलवे स्टेशनों पर वन टाइम पासवर्ड के तहत 30 मिनट के लिए नि:शुल्क वाई फाई सुविधा प्रदान की जाएगी। उसके पश्चात गति धीमी कर दी जाएगी।

'मिशन 41K'

- रेल मंत्री ने भारतीय रेलवे की ऊर्जा संबंधी पहलों पर बाह्य हितधारकों के साथ गोलमेज परिचर्चा के दौरान 'मिशन 41के' का प्रस्ताव रखा।
- इसके तहत रेल मंत्रालय ने अगले दशक में रेलवे की ऊर्जा लागत में 41,000 करोड़ रुपये की बचत करने के लिए 'मिशन 41K' तैयार किया है। विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ इस व्यापक रणनीति पर अमल के लिए नियामकीय रूपरेखाओं से लाभ उठाया जाएगा और नई प्रौद्योगिकियों पर गौर किया जाएगा।
- भारतीय रेलवे ने 1000 मेगावाट सौर बिजली और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है।
- कुल माल ढुलाई के 45 फीसदी को ढोने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब इससे ढुलाई करना किफायती साबित होगा। इसके परिणामस्वरूप रेलवे अब सड़क क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी है। मौजूदा समय में 70 फीसदी ढुलाई बिजली कर्षण (विद्युत ट्रैक्शन) पर होती है। अगले 6-7 वर्षों में 90 फीसदी ढुलाई विद्युत ट्रैक्शन पर करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- खुली पहुंच के जिरये बिजली की खरीद सुनिश्चित करने से विद्युत खरीद की लागत काफी कम हो गई है, जिसका संचालन व्यय में 25 फीसदी हिस्सा होता है।

ई-दृष्टि'

- 🖸 केन्द्रीय रेल मंत्री ने ई-दृष्टि सॉफ्टवेयर लांच किया हैं।
- इस सॉफ्टवेयर की सहायता से रेलों की समयनिष्ठता की निगरानी की जा सकती है, इसका उपयोग यात्री रेलगाडि़यों तथा मालगाडियों दोनों के लिए किया जा सकता है।
- इस सॉफ्टवेयर की सहायता से रेल मंत्री अब रेल भवन स्थित अपने कार्यालय में बैठे-बैठे ट्रेनों की आवाजाही, राष्ट्रीय परिवहन की आय और अन्य गतिविधियों सिहत पूरे रेल नेटवर्क पर नजर रख सकेंगे।

उपयोग

- 🖸 इसका उपयोग देश में कहीं भी किया जा सकता है।
- इस सॉफ्टवेयर का विकास केन्द्रीय रेलवे सूचना प्रणाली (सीआरआईएस) द्वारा किया गया है।
- 🗘 यह प्रणाली आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी।
- रेलवे पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अपने परिसरों ने इसके लिए स्क्रीन लगाने पर विचार कर रही है।

ई-दृष्टि सॉफ्टवेयर के विषय में

- इस सॉफ्टवेयर की मदद से मंत्री मालगाड़ी और यात्री ट्रेनों से होने वाली कमाई, मालगाड़ियों में सामान की लदाई और उसे उतारने, ट्रेनों के समय पर पहुंचने, बड़ी पिरयोजनाओं, शिकायतों, ट्रेनों का लाइव स्टेटस, स्टेशनों की जानकारी और अन्य तमाम चीजें देख सकेंगे।
- इस तरह के तमाम एप को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करके ई-दृष्टि का नाम दे दिया गया है।
- रेलवे के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिए अब रेल मंत्री और रेलवे के उच्च प्रशासिनक अधिकारियों को रेलवे से जुड़ी सभी ताजा जानकिरयां उनके कम्प्यूटर या मोबाइल पर हर वक्त मौजूद रहेंगी।
- इसे भारतीय रेल कैटरिंग व पर्यटन कारपोरेशन (आईआरसीटीसी)
 के बेस किचन से भी जोड़ा गया है, इसकी सहायता रेल में
 परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से सम्बंधित शिकायतों की निगरानी भी की जाती है।
- रेल मंत्री लाइव विडियो के माध्यम से भी आईआरसीटीसी के रसोईघर की निगरानी कर सकते हैं। खाने में गड़बड़ियों के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतों के कारण रसोई को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है।
- इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रेन की आरिक्षत व अनारिक्षत सीटों की जानकारी भी मिलेगी तथा किसी भी समय पर ट्रेन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है।

जहाजरानी मंत्रालय

सागरमाला योजना

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 14 अप्रैल, 2016 को मुम्बई में 'मेरीटाइम इंडिया सिम्मिट' के शुभारंभ के अवसर पर 'राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना' जारी की, जिसमें 'सागरमाला' की रूपरेखा का ब्यौरा दिया गया है।
- सागरमाला सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम (Flagship Program) है, जिसका उद्देश्य देश में बंदरगाहों की अगुवाई में विकास की गति तेज करना है।

मुख्य बि<u>न्दु</u> :

- 'राष्ट्रीय पिरप्रेक्ष्य योजना' केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अहम हितधारकों और पोत, बंदरगाह, जहाज निर्माण, विद्युत, सीमेंट एवं इस्पात क्षेत्रों की सार्वजनिक और निजी कम्पनियों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद तैयार की गई।
- यह न्यूनतम निवेश के साथ निर्यात-आयात एवं घरेलू व्यापार की लागत काफी हद तक कम करने संबंधी सागरमाला के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम् कदम है।
- रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि इस कार्यक्रम से लॉजिस्टिक्स लागत में लगभग ₹ 35,000 करोड़ की वार्षिक बचत संभव हो सकती है।
- इसके साथ ही वर्ष 2025 तक भारत के व्यापारिक निर्यात के बढ़कर 110 अरब डॉलर के स्तर पर पहुँच जाने की संभावना है। यहीं नहीं, लगभग 1 करोड़ नए रोजगार सृजित होने का अनुमान है, जिनमें से 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार होंगे।
- लगभग 7,500 किमी. समुद्री तटरेखा के साथ तथा 13 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैले भारत को प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर एक रणनीतिक स्थान प्राप्त हैं।
- 🗘 यह योजना चार रणनीतिक पहलुओं पर आधारित है
 - (i) घरेलू कार्गो की लागत घटाने के लिए मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट का अनुकूलन करना।
 - (ii) निर्यात-आयात कार्गो लॉजिस्टिक्स में लगने वाले समय एवं लागत को कम करना।
 - (iii) बल्क उद्योगों को लागत के और करीब स्थापित कर लागत को घटाना।
 - (iv) बंदरगाहों के पास पृथक विनिर्माण क्लस्टरों की स्थापना कर निर्यात के मामले में प्रतिस्पर्द्धी क्षमता बेहतर करना।
- 🗅 सागरमाला का लक्ष्य चार व्यापक क्षेत्रों में 150 से भी ज्यादा

- परियोजनाओं और पहलों के जरिए आवश्यक सकारात्मक असर सुनिश्चित करना है।
- भारत के बंदरगाह ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 5-6 नए बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

मुख्य उद्देश्य :

- सागरमाला पिरयोजना का प्रमुख उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को प्रोत्साहन देना तथा वस्तुओं की शीघ्र, लागत-प्रभावी आवाजाही के लिए अवसंरचना प्रदान करना है।
- सागरमाला जिसे आंतिरक जलमार्गों के विकास से एकीकृत किया गया है के द्वारा वस्तुओं की आवाजाही में लागत व समय में कमी आएगी तथा इससे उद्योगों व निर्यात/आयात व्यापार को भी लाभ होगा।

तीन स्तंभ

- अंतर-एजेंसी तथा मंत्रालयी/विभागीय/राज्यों के सहयोग से संस्थागत फ्रेमवर्क के माध्यम से बंदरगाह आधारित विकास को समर्थन प्रदान करना।
- आधुनिकीकरण तथा नए बंदरगाहों की स्थापना व बंदरगाह आधारित उद्योगों के विकास द्वारा बंदरगाह अवसंरचना में सुधार।
- 3. तटीय भीतरी प्रदेशों से जहाजों की सरल निकासी व प्रवेश।
- यह परियोजना प्रमुख तथा गैर-प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता में वृद्धि पर कोंद्रित है।
- यह तटीय आर्थिक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या के सतत विकास को भी सुनिश्चित करेगा।
- सामुदायिक विकास निधि का निर्माण भी तटीय समुदाय के विकास के लिए परियोजना व गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
- राष्ट्रीय सागरमाला सर्वोच्च समिति (NSAC) का गठन पूर्ण नीतिगत निर्देशन व उच्च स्तरीय समन्वय के लिए किया गया है।
- राज्य स्तर पर, राज्य सरकारों द्वारा राज्य सागरमाला समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री या बंदरगाह/ जहाजरानी प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी।

जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट (JMVP)

- सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) के हिल्दिया-वारणसी विस्तार पर नौवहन बढ़ाने हेतु JMVP के प्रथम चरण को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- 🗴 जहाज-रानी मंत्रालय ने इस हेतु इनलैण्ड वाटर वे अथॉरिटी

- ऑफ इण्डिया (IWAI) को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
- जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट का उद्देश्य नेशनल वाटर-वे (water-ways) प्रोजेक्टों की क्षमता में वृद्धि करना है।
- इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में तकनीकी तथा वितीय सहायता विश्व बैंक (IBRD) द्वारा प्रदान की जाएगी।
- यह प्रोजेक्ट मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण-मित्र तथा लागत-प्रभावी परिवहन की वैकल्पिक व्यवसाय का निर्माण होगा।
- यह संबंधित क्षेत्रों में इनफ्रास्ट्रक्चर विकास को गित प्रदान करेगा जैसे-मल्टी-मॉडल तथा इंटर मॉडल टिमिनल्स, रोल ऑन-रोल ऑफ (RO-RO) फेसिलिटिज, फेरी सिर्विसेज (ferry services) तथा नेविगेशन सहायता
- वाणिज्यिक दृष्टि से संभावित प्रमुख समस्याओं में एक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में सुरक्षित नौवहन को लेकर है।
- फरक्का नदी में जल धारा की गहराई कम है क्योंकि इसकी सहायिकाओं से जल की बहुत कम मात्रा प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा गंगा नदी की हाइड्रो-मॉर्फोलॉजिकल विशेषताएं भी अनुकुल नहीं है।
- देश में यह प्रथम प्रोजेक्ट होगा जो रिवर इन्फोर्मेशन सिस्टम से युक्त होगा।
- रिवर इन्फोर्मेशन सिस्टम, एक सूचना तकनीक आधारित प्रणाली है जो जल जिनत परिवहन श्रृंखला के संसाधन प्रबंधन हेतु उपयुक्त है। यह जहाजों के मध्यम सूचना आदान-प्रदान, लॉक तथा ब्रिज, टिर्मिनल्स तथा पोर्टस, उचित किराया-निर्धारण, विपदा न्यूनीकरण आदि में मदद प्रदान करती है।
- आन्तरिक जलमार्गों के विकास तथा नियमन हेतु IWAI सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन वर्ष 1986 में किया गया था।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ किए जाने के प्रस्ताव को अनुमित प्रदान की गई।
- इसके अंतर्गत ₹ 1,120 करोड़ से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कुशल श्रमिक बनाया जा सकेगा।
- प्रशिक्षण में सॉफ्ट कौशल (Soft Skill), वैयक्तिक विकास, स्वच्छता हेतु व्यवहार में परिवर्तन, नैतिक कार्य परिस्थितियों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

प्रमुख तथ्य :

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल मिशन की शुरूआत हुई।
- यह मिशन विभिन्न मंत्रालयों में बटे कौशल संबंधी पहलों का समन्वय करेगा और 31 क्षेत्रों में कौशल विकास परिषदों की प्रक्रियाओं और परिणामों का मानकीकरण करेगा।
- गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और उत्पादक क्षमता के विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना लाई गई है।
- इसके तहत ₹ 1,500 करोड़ दिए गए हैं जिसका वितरण डिजिटल वाउचर के द्वारा उत्तीर्ण छात्र के बैंक एकाउंट में सीधे जमा किया जाएगा।
- निम्न और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों को इच्छानुसार उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक आईटी आधारित विद्यार्थी वित्तीय सहायता प्राधिकरण बनाया गया है, जो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के द्वारा छात्रवृत्तियों के साथ-साथ शिक्षा-ऋण योजनाओं पर भी नजर रखेगा।
- इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छात्र केवल
 पैसे के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहे।

स्किल इंडिया पोर्टल

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने स्किल इंडिया पोर्टल के शुरूआत की घोषणा की।
- यह बेहतर कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली, सभी हितधारकों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में एक मजबूत एकीकृत मंच पर लाने के लिए शुरू-से-अंत तक समाधान प्रदान करेगी।
- स्किल इंडिया पोर्टल का उद्देश्य सभी उम्मीदवारों और प्रशिक्षण भागीदारों के डेटाबेस को एक मंच पर लाना है।
- यह एक एकीकृत इंटरफेस होगा जो कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, एनएसडीसी और कॉर्पोरेट्स द्वारा संचालित सभी कुशल पहलों और योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में काम करेगा।
- यह पोर्टल उम्मीदवारों को संग्राहक बनाकर उनके कुशल जीवनचक्र, प्लेसमेंट आदि के द्वारा कौशल प्रशिक्षण को सशक्त बनाने में मदद करेगा और बेहतर विश्लेषण के लिए एक समृद्ध डेटा पूल होगा, जो भविष्य के विकास कार्यक्रमों के लिए सूचित निर्णय लेने में सशक्त करेगा।
- नैसकॉम, एसएपी, आईबीएम, एडोब जैसे कॉर्पोरेट्स के साथ सहयोग से भविष्य की नौकरियों के लिए एकरेखित पाठ्यक्रम बनाने में मदद मिली है।

यह कार्यक्रम कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा, जिसमें नई पीढ़ी के तकनीकी क्षेत्र जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन. रोबोटिक्स और ब्लॉक-चेन तकनीक शामिल हैं।

अटल नवोन्मेष मिशन

- नीति के अंतर्गत अटल नवोन्मेष मिशन रूपी एक अभिनव योजना। इसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को संज्ञान में लाएंगे।
- यह मंच सरकारी और निजी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय नवोन्मेष हब होगा जो श्रेष्ठ परम्पराओं को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में इस प्रयोजन के लिए ₹ 150 करोड़ की राशि निश्चित की गई है।
- इसके द्वारा भारत के पारंपिरक ज्ञान के आधार को और अधिक समृद्ध बनाने हेतु नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।

कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना

 टेक्सटाइल क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत महिलाओं को रोजगार मिलेगा

इस योजना से लाभ

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल सिमिति ने संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर कपड़ा क्षेत्र की समूची मूल्य शृंखला को शामिल करते हुए एक नई कौशल विकास योजना को मंजूरी दी है। इसे कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (SCBTS-Scheme for Capacity Building in Textile Sector) नाम दिया गया है।
- इस योजना को 1300 करोड़ रुपए के लागत खर्च के साथ 2017-18 से लेकर 2019-20 तक की अवधि के लिए स्वीकार किया गया है।
- इस योजना में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानकों के आधार पर राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे।

मुख्य उद्देश्य :

संगठित कपड़ा क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के संबंध में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मांग-आधारित, प्लेसमेंट संबंधी कौशल कार्यक्रम, कपड़ा मंत्रालय के संबंधित संगठनों के माध्यम से कौशल विकास और कौशल उन्नयन को प्रोत्साहन देना तथा देशभर के हर वर्ग को आजीविका प्रदान करना है।

कौशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन

- श्रम शक्ति की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कपड़ा उद्योग/इकाई द्वारा.
- कपड़ा उद्योग/इकाईयों के साथ रोजगार समझौते के तहत प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, और
- कपड़ा उद्योग/इकाईयों के साथ रोजगार समझौते के संबंध में कपड़ा मंत्रालय/राज्य सरकारों के संस्थानों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।

योजना की रणनीति

- संबंधित कार्य को ध्यान में रखते हुए कौशल लक्ष्य विभिन्न स्तरों के लिए तय कौशल में कमी से निर्धारित होंगे जैसे प्रवेश-स्तर के पाठ्यक्रम, कौशल उन्नयन/पुन: कौशल प्रशिक्षण (सुपरवाइजर, प्रबंधन प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए उन्नत प्रशिक्षण आदि) पहले सीखे हुए को मान्यता (आरपीएल), प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास।
- उद्योग के साथ सलाह करके समय-समय पर कौशल की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाएगा।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के हर पक्ष के संचालन के लिए वेब-आधारित निगरानी की जाएगी।
- 4. हथकरघा, हस्तिशिल्प, पटसन, रेशम इत्यादि जैसे परम्परागत क्षेत्रों की कौशल संबंधी जरूरतों पर संबंधित क्षेत्रीय उपखंडों/संगठनों के जिरए विशेष पिरयोजनाओं के स्वरूप पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 'मुद्रा' ऋणों के प्रावधानों के जिरए उद्यमशीलता के विकास के संबंध में कौशल उन्नयन को समर्थन दिया जाएगा।
- 5. नतीजों की पड़ताल के लिए सफल प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन किया जाएगा। मान्यता-प्राप्त मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।
- 6. प्रमाणित प्रशिक्षुओं में से कम से कम 70% प्रशिक्षुओं को दिहाड़ी रोजगार वर्ग में रखा जाएगा। योजना के तहत रोजगार मिलने के पश्चात उन पर अनिवार्य रूप से नजर रखी जाएगी।
- इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के बाद महिलाओं के रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी भागीदार संस्थानों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे, तभी वे इस योजना के तहत वित्तपोषण के पात्र होंगे।
- यह योजना देशभर में समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए लागू की जाएगी, जिसमें ग्रामीण, दूरदराज के इलाके, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

- योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगों, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर वर्गों को वरीयता दी जाएगी।
- 12वीं योजना के दौरान कपड़ा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित कौशल विकास की तत्कालीन योजना के तहत 10 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं थी।
- इस योजना के तहत परिधान उद्योग एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिलता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजना में इसे शामिल किया गया है।
- इस योजना के जिरए कपड़ा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न वर्गों में 10 लाख लोगों का कौशल विकास होगा और उन्हें प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। इनमें से एक लाख लोग परम्परागत क्षेत्रों में होंगे।

संकल्प

- आजीविका जागरूकता के लिए कौशल संवर्धन और ज्ञान संवर्द्धन (संकल्प) परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएस) के जनादेश को लागू करना है।
- इसकी शुरूआत कौशल विकास मंत्रालय ने 15 जुलाई को अपने मुख्य उप-मिशनों के माध्यम से किया था। इस परियोजना को विश्व बैंक के सहयोग से मिशन मोड में लागू किया जाएगा।
- जनवरी 2018 में इस परियोजना को 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संकल्प में भाग लेने में अपनी सहमित प्रदान करने के बाद प्रभावी किया गया। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।
- रोल आउट की सुविधा के लिए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। विकेन्द्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए, संकल्प के अंतर्गत "जिला कौशल विकास योजना (डीएसडीपी) में उत्कृष्टता पुरस्कार" की शुरूआत की गई है।
- 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 223 जिलों ने इसमें भाग लिया।
 कौशल विकास में आकांक्षापूर्ण जिलों को सहायता प्रदान करने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आकांक्षात्मक कौशल अभियान शुरू किया गया है।
- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रणाली में निर्णय लेने और पारदर्शिता को अधिक मजबूत बनाने के लिए, संकल्प के अंतर्गत कौशल भारत पोर्टल की शुरूआत की गई है।
- आने वाले वर्षों में, स्किल इंडिया पोर्टल एक ऐसा मंच होगा,
 जहां केंद्र और राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों की कौशल योजना संबंधी अधिकांश डेटा उपलब्ध होंगे।

- कुशल भारतीय श्रमिकों का विदेश में रोजगार का वर्तमान परिदृश्य और भविष्य के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने के लिए एक वैश्विक कौशल अंतर का अध्ययन किया गया है।
- सिंगापुर पॉलीटेक्निक के साथ सहभागिता का उद्देश्य प्रशिक्षकों
 और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए अकादिमयों को
 अधिक मजबूत करना है।

प्रधानमंत्री युवा योजना (PMYY)

- प्रधानमंत्री युवा योजना (PMYY) को केन्द्र सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) के राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर 9 नवम्बर, 2016 को शुरू किया गया था।
- योजना का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा (Global Competition) के लिए अच्छी तरह से तैयार करना है।
- प्रधानमंत्री युवा योजना (PMYY) राष्ट्र के सभी युवा उद्यमियों के लिए है। देश का हर वो युवा जिसकी आयु 30 वर्ष से कम है इस योजना का लाभ उठा सकता है।
- इस योजना के तहत केन्द्र सरकार युवाओं के लिए अगले 5 साल के लिए उद्यमिता शिक्षा (Entrepreneurship Education) और प्रशिक्षण कार्यक्रमों (Training programs) की व्यवस्था करेगी।
- प्रधानमंत्री युवा योजना "Start up India" का अनुसरण करता है। जहाँ 'स्टार्ट अप इंडिया' लोगों को अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है वहीं प्रधानमंत्री युवा योजना उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कौशल विकास में मदद करता है।

मुख्य उद्देश्य :

- प्रधानमंत्री युवा योजना, युवा उद्यमियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत सभी युवा उद्यमियों के लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो कौशल विकास कार्यक्रम और Learning Facility के माध्यम से अपने कौशल का विकास कर सकें।
- इस योजना के तहत 3050 कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान हैं जहाँ आवेदक अगले 5 सालों के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- परियोजना के पहले चरण के कार्यकाल के लिए 5 साल किए गए हैं।
- इस योजना के तहत लगभग 2200 उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कॉलेज, प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय हैं। 500 ITI, 300 स्कूल और 50 कौशल विकास और उद्यमिता केन्द्र (Skill Development and Entrepreneurship) हैं।

- योजना के साथ युवाओं के लिए एक way-out का निर्माण करने के लिए जानकारी और संरक्षक नेटवर्क (Mentor network), Credit और Advocacy की आसान पहुँच की पेशकश करेगा।
- संबंधित स्कूल, महाविद्यालय और संस्थानों की प्रशिक्षण प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से प्रशिक्षुओं को आसानी से घर पर भी अध्ययन सामग्री प्राप्त हो सकेगी।
- योजना 5 साल में 7 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षा और उद्यमशिलता के बारे में प्रशिक्षण की पेशकश करेगा।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर संस्थानों द्वारा खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम/Massive Open Online Courses (MOOCs) के माध्यम से ही किया जाएगा।

प्रवासी कौशल विकास योजना

- प्रधानमंत्री 9 जनवरी, 2017 को एक नई प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) की शुरुआत की।
- यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है, जो भारतीय युवाओं को विदेशों में रोजगार की मांग पर लक्षित है।
- यह 14वें प्रवासी भारतीय दिवस पर भारत के आईटी हब बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन के बाद शुरू किया गया था। पुर्तगाली प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे।

प्रमुख तथ्य :

- इस योजना का उद्देश्य विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं की कौशल विकास क्षमता में संवर्द्धन करना है।
- इस योजना के तहत विदेशों में नौकरी की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- PKVY अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ लाइन में चुने हुए क्षेत्रों में विदेशों में रोजगार की मांग कर रहे भारतीयों को प्रमाणित और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
- यह अपने प्रशिक्षण के भागीदारों के माध्यम से और विदेश मंत्रालय और केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री के साथ विचार-विमर्श करके राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा लागू किया जाएगा।
- यह योजना भारतीय युवाओं के आत्म-विश्वास को बढ़ाने के लिए करना है, तािक जब वे व्यवसाय के लिए अपनी पसंद के एक देश की भूमि पर जाते हैं, तो वे अजनिबयों की तरह महसूस नहीं करते हैं।

स्ट्राइव योजना

- भारत ने 'औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिचालन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना' हेतु 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए विश्व बैंक के साथ वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- भारत सरकार ने 'औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिचालन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) परियोजना' हेतु 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर (समतुल्य) के आईडीए ऋण के लिए राष्ट्रीय राजधानी में विश्व बैंक के साथ एक वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- वित्त पोषण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक (भारत) के कार्यवाहक कंट्री निदेशक ने हस्ताक्षर किए।
- स्ट्राइव योजना के इस पिरचालन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं बाजार मांग के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण तक बेहतर पहुंच सिनिश्चित करना है।
- इस परियोजना के परिणाम क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का बिंद्या प्रदर्शन, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु सहायता के लिए राज्य सरकारों की बेहतर क्षमता, उत्कृष्ट शिक्षण एवं ज्ञान प्राप्ति और बेहतर एवं विस्तृत प्रशिक्षु (अप्रेंटिसशिप) प्रशिक्षण शामिल हैं।
- 🗘 इस परियोजना की समापन तिथि 30 नवम्बर, 2022 है।

दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना

- 🗴 यह योजना संचार मंत्रालय के अंतर्गत है।
- यह एक कौशल विकास योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को मोबाइल टावर के रखरखाव, ऑप्टिकल फाइवर की मरम्मत तथा अन्य संचार तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- दूरसचार विभाग, कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करेगा। इससे टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ हेतु टेलीकॉम से संबंधित कुशल मानवशिक्त की आपूर्ति होगी।
- इस पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण में 10 ग्रामीण क्षेत्रों (10 स्थानों पर) में यह कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा तथा 10,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- यह योजना प्रारंभिक रूप से उतर-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब तथा हरियाणा में क्रियान्वित की जाएगी।

- यह कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्कील क्वालिफकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) पर आधारित होगा।
- इसके प्रारंभिक पायलट चरण का वित्तीयन दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाएगा।

स्किल सारथी

- एक मेगा काउंसिलंग प्रोग्राम-स्किल इंडिया ने स्किल सारथी जैसी पहल के माध्यम से सामर्थ्य उम्मीदवारों को कौशल-आधारित कैरियर परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंच भी बनाया है।
- कुशल युवाओं के विकास के लिए मार्गदर्शन और परामर्श एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह छात्र की सहायता प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सभी स्तरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- यह उम्मीदवारों को उनके कौशल और सीखने की क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। कौशल सारथी जैसी पहल, निर्णय लेने के कौशल के साथ संभावित कार्यबल, पूर्व-नियोजन कौशल, वर्कर की परिपक्वता में वृद्धि, अभिवृद्धि की दर में कमी, अभिरुचि की दर में वृद्धि और अभ्यर्थियों के रोजगार, अभिरुचि और प्रशिक्षण के अनुसार उनके रोजगार की दर मे वृद्धि के माध्यम से उद्योग की मांग और व्यापार के पक्ष को भी ध्यान में रखती है।

कौशल विश्वविद्यालय

- इसका उद्देश्य शैक्षणिक मार्गों के प्रति उदासीन लोगों के बीच इसकी उपलब्धता के बारे में बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाना है, जबिक औपचारिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोगों को और अधिक मार्ग प्रदान करना है।
- पीएमकेवीवाई के अंतर्गत विशेष पिरयोजनाएं जिसे विशेष रूप से आदिवासी आबादी पर ध्यान केंद्रित कर 2018 में शुरू की गई। इनमें से कुछ हैं:
 - (i) **C:** प्रोजेक्ट : इस परियोजना का उद्देश्य मिजोरम के ब्रू जनजाति को कौशल प्रदान करना है, जो विस्थापित हो गए थे और वर्तमान समय में उत्तर त्रिपुरा के जिलों में आंतरिक विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी) शिविरों में रह रहे हैं। इस परियोजना के अंतर्गत 556 उम्मीदवार लाभान्वित हुए हैं।
 - (ii) कटकरी आदिम जनजाति : इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र के कटकरी जनजाति के 1020 उम्मीदवारों को कौशल प्रदान करना है।

'निपुण' पोर्टल'

- दिल्ली पुलिस के अधिकारी लॉग इन करके इस पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
- दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों को ज्यादा प्रोफेशनल और जनता के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण में विशेष गतिविधियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
- दिल्ली पुलिस के आयुक्त अमूल्य पटनायक ने 15 नवंबर 2018 को जवानों को प्रशिक्षण देने के लिए ई-ट्रेनिंग पोर्टल 'निपुण' की शुरुआत की।
- तकीनीकी ज्ञान मुहैया कराने के लिए दिल्ली पुलिस के डिजिटल होने की ओर एक और कदम कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल पर जवानों को अनेक विषयों पर जानकारी मिल सकेगी।

'निपुण' ई-लर्निंग पोर्टल

पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, फिक्की, एनएचआरसी, एनसीपीसीआर तथा जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट सीएलएपी के तहत तैयार किया गया है।

र्ड-शिक्षा

- ई-शिक्षा (ई-लर्निंग) को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के सन्दर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है।
- सूचना एवं संचार प्रणालियां शिक्षा प्रक्रिया को कार्यान्वित करने वाले विशेष माध्यम के रूप में अपनी सेवा प्रदान करती हैं।
- ई-शिक्षा के समानार्थक शब्दों के रूप में सीबीटी (CBT) (कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षा), आईबीटी (IBT) (इंटरनेट-आधारित प्रशिक्षा) या डब्ल्यूबीटी (WBT) (वेब-आधारित प्रशिक्षा) जैसे संक्षिप्त शब्द-रूपों का इस्तेमाल किया जाता है।
- इस पोर्टल पर कानून, स्थायी आदेश, जांच-पड़ताल चेकलिस्ट, केस फाइल के लिए फॉर्म, उच्च न्यायायम तथा सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय उपलब्ध होंगे।
- दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली पुलिस के कुछ एक विशेष कोर्स तैयार करने के लिए सहयोग देने पर सहमित प्रकट की है।
- इस कोर्स से छानबीन करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी काफी लाभ होगा।

इस कोर्स को कभी भी कहीं पर भी देखा जा सकता है. इससे पुलिस आसानी से अपने कौशल में वृद्धि कर सकती है और अपनी रोजाना की कार्यशैली में समन्वय स्थापित कर सकती है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

- DDU-GKY राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का भाग है।
- DDU-GKY को दो लक्ष्यों को ध्यान में रखकर क्रियान्वित किया जाएगा। ये लक्ष्य हैं-ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों की आय को वितरणमूलक बनाना तथा ग्रामीण युवाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।

DDU-GKY के तहत विशेष पहलें

- हिमायत-जम्मू तथा कश्मीर के युवाओं (ग्रामीण तथा शहरी दोनों) हेतु विशेष योजना
- 2. रोशन- 9 राज्यों के वामपंथी उग्रवाद (Left-wing Extremist) से ग्रसित 27 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के युवाओं हेत् विशेष पहल।

प्रमुख उद्देश्य :

- ग्रामीण युवाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मिनिर्भर तथा वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में परिवर्तित करना है।
- इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के 15 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को लक्षित किया जाएगा।

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी)

- यह 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना है तथा इसमें राजीव आवास योजना और राजीव ऋण योजना को सम्मिलित कर दिया गया है।
- यह शहरी गरीबों तथा स्लम निवासियों को आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता को निम्न प्रकार से पूरा करेगा-
 - निजी डेवलपर्स की सहभागिता से झुग्गी-झोपडियों का पर्नस्थापन
 - 2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्गों को वहनीय आवास उपलब्ध कराना।
 - 3. पीपीपी सहभागिता से वहनीय आवासों का निर्माण
 - 4. व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए लाभार्थी को सब्सिडी
- यह 2011 की जनगणना पर आधारित सभी 4041 सांविधिक शहरों को कवर करता है, जिसमें मुख्य फोकस तीन चरणों में श्रेणी I के 500 शहरों पर है।
- इसमें केन्द्र व राज्यों का हिस्सा 75 : 25 के अनुपात में तथा पूर्वोत्तर राज्यों व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में यह 90 : 10 के अनुपात में होगा।
- शहरी गरीब, जिनके पास अपना पक्का आवास नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा निम्न आय समूह (LIG) यह केवल क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के लिए पात्र होंगे।
- राज्या/संघ क्षेत्रों को मंत्रालय की अनुमित से वार्षिक आय की सीमा निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।
- इस मिशन के तहत लाभार्थी को किसी एक घटक के तहत लाभ लेने की अनुमित होगी।

- हुडको तथा राष्ट्रीय आवास वोर्ड (NHB) ऋणदाताओं तक सब्सिडी पहुंचाने वाली केन्द्रीय नोडल एजेंसी होंगे।
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी- यह एक ब्याज आधारित सब्सिडी है, जिसमें ब्याज रियायत स्कीम के लाभों की मध्यम आय समूह तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

प्रमुख प्रावधान

- (a) मध्यम आय समूह-1 के लिए 9 लाख के ऋण पर 4% ब्याज की रियायत
- (b) मध्यम आय समूह-2 के लिए 12 लाख के ऋण के लिए 3% की रियायत दी जाएगी।
- आवासों का आंवटन मुख्य रूप से परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है।
- राजीव आवास योजना-'स्लम फ्री इण्डिया' के उद्देश्य से समावेशी तथा न्यायसंगत मूलभूत अवसंरचना तथा सामाजिक सुविधाओं से युक्त आवास नागरिकों को उपलब्ध कराना।
- राजीव ऋण योजना- उचित ऋण प्रवाह के माध्यम से EWS/ LIG समूहों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने की यह योजना है।

'सन् 2022 तक सबके लिए आवास' योजना

- संघीय मंत्रिमंडल ने 18 जून, 2015 को 'सन् 2022 तक सबके लिए आवास' योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों
 को 6.5% के ब्याज अनुदान पर आवास ऋण मुहैया कराएगी।

- नई योजना के तहत आय सीमा का निर्धारण निम्नवत किया गया है –
 - आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (EWS) : ऋण सीमा
 ₹ 3.0 लाख तक
 - नीची आय समूह (LIC) : ऋण सीमा ₹ 3.0 लाख से
 ₹ 6.0 लाख तक
- साख सम्बद्ध ब्याज सिब्सिडी संघटक के तहत 15 वर्ष की अविध के लिए प्राप्त ऋणों पर 6.5 प्रतिशत की ब्याज सिब्सिडी प्राप्त होगी।
- निबल वर्तमान मूल्य आधार पर सब्सिडी प्रति आवास लगभगृ 2.3 लाख होगी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों को प्रति आवास ₹ 1.5 लाख की केन्द्रीय सहायता मिलेगी। सात वर्षों में लगभग ₹ 2.0 करोड़ नए आवासों का निर्माण होगा।
- दूसरे संवर्ग में साख-सम्बद्ध सब्सिडी योजना के अंतर्गत EWS तथा LIG लाभार्थियों को प्रत्येक आवास ऋण पर 6.5% की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- शहरी आवास मिशन 4041 शहरों एवं कस्बों में लागू किया जाएगा। प्रारंभ में एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों एवं कस्बों को शामिल किया जाएगा।
- देश की 75 प्रतिशत से अधिक शहरी जनसंख्या इन्हीं शहरों में रहती है।
- मार्च, 2017 तक के पहले चरण में 100 शहर, अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक के तीसरे चरण में 200 शहर तथा 2019-22 तक के चौथे चरण में शेष शहरों को शामिल किया जाएगा।

हृदय योजना

- शहरी विकास मंत्रालय ने 14 जुलाई, 2015 को पंजाब स्थित अमृतसर से देश के 12 शहरों के लिए राष्ट्रीय विरासत विकास और संबर्द्धन योजना का शुभारंभ किया।
- योजना से देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया जाएगा।
- देश के चुनिंदा विरासत के सर्वोन्मुखी विकास, इन शहरों में स्थित ऐतिहासिक इमारतों की बेहतरी तथा वहाँ पर सुदृढ़ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक विरासत शहर विकास की उन्नित योजना (Heritage City Development and Augmentation Yojna–HRIDAY) केन्द्र सरकार द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू की गई।
- इस योजना का उद्देश्य इन शहरों में विरासत स्थलों को अपनाकर उनका विकास करना, ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत करना तथा ठोस आर्थिक गतिविधियों को वहाँ बढ़ावा देकर इन शहरों का सर्वोन्मुखी विकास करना है।

जिन शहरों में इस योजना का कार्यान्वयन संभावित है उनमें वाराणसी, अजमेर, गया, अमृतसर, मथुरा, कांचीपुरम व वेंलकन्नी (दोनों तिमलनाडु), पुरी, द्वारका, बादामी, वारंगल व अमरावती शामिल है। इस योजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी मिशन

- प्रधानमंत्री ने 25 जून, 2015 को शहरी भारत के कायाकल्प की तीन बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें 100 शहरों की स्मार्ट सिटी मिशन, 500 शहरों में शहरी सुधार एवं पुनरुद्धार के लिए अटल मिशन (AMRUT-अमरुत) एवं शहरी आवास मिशन (प्रधानमंत्री आवास मिशन)।
- इसका उद्देश्य सतत् तथा समावेशी शहरों को प्रोत्साहन देते हुए नागरिकों को आधारभूत अवसंरचना तथा बेहतर जीवन शैली प्रदान करना, एक स्वच्छ एवं संपोषणीय पर्यावरण तथा स्मार्ट समाधान प्रदान करना है।
- इसका मुख्य फोकस एक प्रतिकृति मॉडल का निर्माण करना है जिसका उपयोग स्मार्ट सिटी के भीतर एवं बाहर उदाहरण स्वरूप होगा तथा देश के विभिन्न भागों में इसी प्रकार के समान स्मार्ट शहरों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

स्मार्ट सिटी का वित्त पोषण

- इसे एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाएगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा मिशन को पाँच वर्ष में 48,000 करोड़ रुपए, करीब प्रति शहर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए औसत वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।
- उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 13 स्मार्ट सिटी बनेंगे। इसके अतिरिक्त तिमलनाडु-12, महाराष्ट्र-10, गुजरात एवं कनार्टक-6, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान-4, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब-3, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़-2, जम्मू-कश्मीर, केरल, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़-1 एवं दिल्ली-1।

आधारभूत अवसंरचना के तत्व :

- 🗘 जलापूर्ति
- 🗘 विश्वस्त विद्युत आपूर्ति
- 🗘 स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए।
- 🗘 प्रभावशाली शहरी गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहन
- 🗘 वहनीय आवास: विशेषकर गरीबों के लिए

- ☼ सुदृढ़ IT कनैक्टीविटी तथा डिजिटलीकरण
- 🕹 सुशासन-विशेषकर ई-गवर्नेंस तथा नागरिक सहभागिता
- संपोषणीय पर्यावरण
- 🖸 नागरिक सुरक्षा मुख्यत: महिलाओं, बच्चों व वृद्धों के लिए
- 🗘 स्वास्थ्य एवं शिक्षा।

स्मार्ट सिटी मिशन के घटक

- 1. शहर सुधार
- 2. शहर नवीनीकरण (पुनर्विकास)
- शहर विस्तार एक पैन-सिटी पहल जिसमें शहर के बड़े क्षेत्र को कवर करते हुए स्मार्ट सॉल्यूशन अपनाया जाएगा।
- 🗴 दृष्टिकोण : क्षेत्र आधारित विकास
- चयन प्रक्रिया : प्रत्येक राज्य में कम से कम एक स्मार्ट शहर होगा।
- प्रत्येक शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसे 'सिटी चैलेंज' कहा गया है तथा चयन प्रक्रिया के दो स्तर होंगे।
- उ राज्यों/संघ क्षेत्रों को संभाव्य स्मार्ट शहरों को चिह्नित करना होगा।
- प्रथम स्तर अंतर्राज्यीय (राज्यों के भीतर) प्रतिस्पर्द्धा का होगा, जिसमें निर्धारित मापदण्ड पर उच्च अंक प्राप्त करने वाले शहरों की अनुशंसा शहरी विकास मंत्रालय को दी जाएगी।
- इस प्रकार 100 संभाव्य स्मार्ट सिटी का नामांकन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा व इनके लिए स्मार्ट सिटी योजना तैयार की जाएगी तथा इसका दूसरी अवस्था में गहन मूल्यांकन होगा और शहरों के वित्तीयन के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित की जाएंगी।
- चयनित शहरों को 5 वर्ष की अविध में केंद्रीय निधि से 500 करोड रुपए प्राप्त होंगे।
- क्रियान्वयन : स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से किया जाएगा जिसमें राज्यों/संघ क्षेत्रों तथा शहरी स्थानीय निकायों की 50: 50 की समान अंशधारिता होगी।

100 स्मार्ट सिटी कार्यक्रम

- भारत सरकार ने देश के चुनींदा 100 शहरों को 'स्मार्ट सिटी' के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है।
- उ पहले चरण में 20 शहरों का चयन किया गया है।
- स्मार्ट सिटी की अवधारणा का प्रमुख तत्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता, पूंजी एवं सम्पोषणीयता के बीच सम्पर्क बनाना तथा एक-दूसरे के साथ अवगुंठित होने में है।

- स्मार्ट सिटी जल, स्वच्छता, विश्वसनीय उपयोगिता सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल जैसी उत्कृष्ट अवसंरचना प्रदान कराने, निवेश को आकर्षित करने, वाणिज्यिक क्रियाओं के सुगम संचालन में सहायक परिवहन प्रणाली को विकसित करने, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने तथा नागरिकों को सुरक्षित तथा सुखमय जीवन बिताने लायक वातावरण विकसित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- स्मार्ट सिटी परियोजना की औपचारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केन्द्र की सत्तासीन हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने जुलाई, 2014 में पेश किए गए पहले बजट में की थी।
- स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किए जाने वाले शहरों का चयन एक 'सिटी चैलेंज' प्रतियोगिता के जिरए इस साल के अंत तक किया जाएगा।
- राज्य शहरों के नाम प्रस्तावित करेंगे और उन शहरों का आकलन विभिन्न मानकों पर किया जाएगा। जैसे-ऋण देने की क्षमता, बिजली आपूर्ति, जल, राजस्व संग्रहण, निगम योजना और उनके द्वारा की जाने वाली साझेदारियां अंतिम चयन निष्कासन प्रक्रिया के जिरए किया जाएगा।
- सरकार का दावा है कि इन शहरों के चयन में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, बिल्क शहरों के चयन का पैमाना सिर्फ और सिर्फ योग्यता होगा। माना जा रहा है कि न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लुमबर्ग इस चयन प्रक्रिया में मदद करेंगे।
- केन्द्र इस परियोजना में समन्वयक होगा और सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। राज्य इसके लिए उद्योगों के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर काम करेंगे।
- जहाँ तक विदेशी साझेदारी की बात है तो अमरीका, फ्रांस, स्पेन, सिंगापुर, जर्मनी और नीदरलैंण्ड्स समेत 14 देश पहले ही इस परियोजना से जुड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं।

अटल मिशन (AMRUT)

- इसके अंतर्गत एक लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को शामिल किया जाएगा।
- इसके तहत कुल 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
- अमरुत योजना के अंतर्गत सर्वाधिक शहर उत्तर प्रदेश (64) राज्य से होंगे।
- इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना निर्माण से है, जिसका सीधा संबंध नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने से है।

- यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक परिवार एक विश्वस्त जलापूर्ति तथा सीवरेज कनेक्शन से जुड़ा हुआ है।
- यह शहरों में हिरयाली विकास तथा सार्वजिनक परिवहन अपनाने की ओर बढ़ते हुए तथा प्रदूषण में कमी के द्वारा सुविधाओं में वृद्धि को प्रस्तावित करता है।
- प्रधानमंत्री ने कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन की घोषणा 25 जून, 2015 को किया। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनेगी और वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित करेगी।
- अमृत योजना पिरयोजना के अंतर्गत जिन कस्बों या क्षेत्रों को चुना जाएगा वहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे-बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, सेप्टेज, मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली आदि विकसित की जाएगी।
- इनके अतिरिक्त ई-गवर्नेंस के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं दी जाएगी जो लोगों के जीवन को सुगम बनाएंगी। हर क्षेत्र के अंतर्गत नगर निकाय की कमेटियाँ होंगी, जो इस परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठाएगी।
- अमृत से जुड़ी महत्त्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए-कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस परियोजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जाएगा। बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स आदि सभी सुविधाएं ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी।
- जो राज्य बेहतर ढंग से इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए बजट में 10 प्रतिशत तक का आवंटन किया जाएगा।
- यह उसी कस्बे में लागू होगी, जहाँ की जनसंख्या एक लाख से ज्यादा है।
- उन छोटे शहरों में लागू होंगी जहाँ से छोटी-छोटी निदयां गुजरती हैं। उन पहाड़ी इलाकों व द्वीपों पर लागू होंगी, जहाँ पर्यटन की संभावना ज्यादा है।
- जिन राज्यों की सरकारें इसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगी उनके लिए बजट आवंटन भी बढ़ा दिया जाएगा। अमृत के अंतर्गत वो परियोजनाएं भी आएंगी, जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अधुरी रह गई।

योजना के अंतर्गत शामिल शहर

- 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा अधिसूचित नगर-निगमों व छावनी बोर्डों वाले शहरों व कस्बों को,
- राज्यों/संघ क्षेत्रों के सभी राजधानी शहरों/कस्बों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

- शहरी विकास मंत्रालय को हृदय योजना के अंतर्गत वर्गीकृत विरासत शहरों/कस्बों को.
- 75,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या वाले मुख्य निदयों के किनारे वाले 13 शहरों व कस्बों को.
- पहाड़ी राज्यों, द्वीपों तथा पर्यटक स्थलों से 10 शहरों (प्रत्येक राज्य में एक से अधिक नहीं) को इसमें शामिल किया गया है।
- यह योजना जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण (JNNURM)
 मिशन का एक नया रूप है
- JNNURM के विपरीत AMRUT एकल परियोजनाओं का मूल्यांकन नहीं करेगाी तथा केवल राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं का ही मूल्यांकन करेगी।
- यह एक केंद्रीय प्रयोजित योजना है, जिसके तहत राज्यों व संघ क्षेत्रों को निधियों का आवंटन किया जाएगा।
- केंद्र सरकार से निधि प्राप्त करने के 7 दिनों के भीतर राज्य शहरी स्थानीय निकायों को निधि अंतरित करेंगे।
- 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों व कस्बों के लिए केंद्रीय सहायता परियोजना लागत का 50% होगी तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों के लिए यह परियोजना का एक-तिहाई होगा।

'पैसा' पोर्टल

- केंद्र सरकार ने 26 नवम्बर 2018 को छोटे कारोबारियों को सस्ता लोन और ब्याज दर में छूट के लिए 'पैसा' पोर्टल का शुभारंभ किया।
- यह पोर्टल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है।

'पैसा' पोर्टल के विषय में

- यह पोर्टल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत लाभार्थियों को बैंक लोन पर ब्याज अनुदान की प्रोसेसिंग के लिए एक केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।
- इस वेब प्लेटफॉर्म को इलाहाबाद बैंक ने तैयार किया है।
 इलाहाबाद बैंक को इसका नोडल बैंक बनाया गया है।
- इस पोर्टल के जिरए योजना के लाभार्थी सीधे सरकार से जुड़ सकोंगे और सेवाओं की आपूर्ति में पारदर्शिता और कुशलता आएगी। इससे छोटे कारोबारियों को समय पर मदद मिल सकेगी।
- वर्ष 2018 के अंत तक सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इससे जुड़ जाएगीं। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

- केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस पोर्टल का लोर्कापण करने के बाद कहा कि 'पैसा' पोर्टल से लोगों को कारोबार के लिए सस्ता ऋण हासिल करने और ब्याज पर छूट लेने में आसानी होगी।
- यह पोर्टल मंत्रालय द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऋण सुविधा और नगर नियोजन पर दिनभर चली कार्यशाला के दौरान इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया।

51,177 लाख रुपए का लोन स्वीकृत

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत अभी तक कुल 36,258 लाभार्थियों के लिए 51,177 लाख रुपए का लोन स्वीकृत किया गया है। इसमें 16,577 मिहला लाभार्थी भी शामिल हैं। लाभार्थियों को अभी तक ब्याज में 145 लाख रुपए की राहत भी दी जा चुकी है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 23 सितम्बर 2013 को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की जगह इस मिशन की शुरुआत की गई।
- इस मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लाभोन्मुखी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है तािक शहरी गरीब परिवारों को उनकी गरीबी एवं किठनाइयों को सही तरह से निपटाया जा सके।
- इसके अलावा मिशन के तहत क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके स्व-रोजगार स्थापित करने में उनकी मदद भी की जाएगी।
- मिशन का लक्ष्य शहरी बेघर हेतु आवश्यक सेवाओं से सुसिज्जित आश्रय प्रदान करना है।
- मिशन शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान देगा।
- सरकार ने शहरी गरीबी निवारण के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में देश के लगभग सभी स्थानीय निकायों को शामिल करने का फैसला किया है।

लाइट हाउस परियोजना

केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जीएचटीसी-इंडिया
 के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए पूरे देश
 में 6 स्थलों का चयन करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों

- के लिए एक चुनौती की शुरूआत की है।
- मंत्रालय ने इस चुनौती में सिक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया है।
- निर्धारित मानदंडों के अनुसार सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले 6 राज्यों /केन्द्रशासित प्रदेशों को लाइट हाउस परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

- राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और अन्य संबंधित कारकों के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) का भी प्रावधान किया गया है।
- लाइट हाउस पिरयोजनाओं के लिए चयन किये गए स्थलों का सीधे प्रदर्शन के लिए खुली प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- इसके अलावा शिक्षाविद (सिविल इंजीनियरिंग, योजना और वास्तु कला), सार्वजिनक और निजी व्यवसायी, नीति निर्माता (केन्द्रीय और राज्य) और मीडिया इसके बारे में उचित ध्यान देंगे और इसके अलावा ग्रांड-एक्सपो एवं सम्मेलन में सहायता/ मान्यता भी प्राप्त होगी।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले ही वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-इंडिया (जीएचटीसी इंडिया) की शुरूआत की है।

इस चुनौती के तीन घटक हैं-

- i) ग्रांड एक्सपो एवं सम्मेलन का आयोजन करना
- ii) दुनिया भर से प्रमाणित प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना
- iii) उष्मायन और तीव्र सहायता के लिए किफायती, स्थायी आवास त्वरितों की स्थापना के माध्यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढावा देना।
- अंतिम रूप से चयनित वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ढांचे के अंदर लाइट हाउस परियोजनाओं की योजना बनाने और निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

योजना/परियोजना-2019

- राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा भागीदारी की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2019 है।
- राज्यो/केन्द्रशासित प्रदेश अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द 20 फरवरी 2019 तक भेज सकते हैं।
- चयनित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों को जीएचटीसी-इंडिया के तहत अपने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में इन लाइट हाउस परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन करना होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रचलित रूप में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के नाम से जाना जाता है।
- यह एक प्रमुख संस्थान है जो महिलाओं और बच्चों के विकास के समग्र क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्य शोध, प्रशिक्षण और प्रलेखन की तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसकी स्थापना सोसाइटी रिजस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत सन् 1966 में नई दिल्ली में हुई। यह संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है।
- देश के क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यह संस्थान, एक लंबे समय में, चार प्रादेशिक केन्द्रों गुवाहाटी (1978), बेंगलुरु (1980), लखनऊ (1982) और इन्दौर (2001) की स्थापना की गई।

- समेकित बाल विकास सेवाओं संस्थान (ICDS) (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) के प्रशिक्षण अधिकारियों के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- एक नोडल रिसोर्स एजेंसी के रूप में, समेकित बाल संरक्षण योजना (इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम–ICPS) की एक नई योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण की जिम्मेदारियां और क्षमता निर्माण सौंपे गए हैं।
- इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नोडल इंस्टीट्यूट के रूप में सार्क देशों के संस्थानों के विशेषज्ञता हेतु दो महत्वपूर्ण मुद्दाओं बाल अधिकार और महिला और बच्चों की ट्रैफिकिंग की रोकथाम पर प्रशिक्षण सुझाव के लिए भी मनोनीत किया गया है तथा इसके प्रदर्शन को 1985 में UNICEF द्वारा मान्यता दी गई थी जब इसे बाल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मॉरिस पेट अवार्ड (Maurice Pate Award) प्रदान किया गया था।

हौसला-2018 (HAUSLA-2018)

- हाल ही में बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) के बच्चों हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय बाल समारोह- 'हौसला-2018' का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया।
- इस समारोह में 18 राज्यों के बाल देखभाल संस्थानों के 600 से अधिक बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे-पेंटिंग प्रतियोगिता, खेलकूद, फुटबॉल, शतरंज प्रतियोगिता और भाषण लेखन आदि में भाग लेंगे।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।
- इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों की देखरेख करने वाले संस्थानों के बच्चों को प्रेरणा मिल सकती है और वे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिये राष्ट्रीय मंच तक पहुँच सकते हैं।
- इस कार्यक्रम का विषय 'बच्चों की सुरक्षा' है।
- बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे-वाद-विवाद, पेंटिंग, खेलकूद, फुटबॉल, शतरंज प्रतियोगिता और सुरक्षित पड़ोसी दिवस आदि विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (सबला)

- ि किशोरियों के हितार्थ, एक नई राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना 'सबला' का शुभारंभ 19 नवम्बर, 2010 से किया गया।
- इस योजना से 11-18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों के सही मानसिक व शारीरिक विकास में मदद मिलेगी।
- इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत इस योजना को पायलट आधार पर 200 चुनिंदा जिलों में फिलहाल शुरू किया गया है।

- जिन 200 जिलों में यह योजना पायलट आधार पर लागू की गई है, उनमें उत्तर प्रदेश के 22, मध्य प्रदेश के 15, बिहार के 12, राजस्थान के 10, झारखंड के 7, हरियाणा के 7, हिमाचल प्रदेश के 4 व दिल्ली के 3 जिले शामिल है। 2017 में इस योजना के तहत 303 जिले और शामिल किए गए।
- इस योजना के तहत लिक्षत किशोरियों को जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उनमें रियायती दर पर पौष्टिक आहार शामिल है।
- वर्ष 2012-13 के बजट में इसके लिए ₹750 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं-पोषण और गैर-पोषण। इस कार्यक्रम के तहत हर वर्ष करीब 100 लाख किशोरियों को लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।

सबला के तहत प्रदत्त सेवाएं

- 🗘 पोषण प्रावधान
- आयरन और फोलिक एसिड (आईएफए) जैसे पूरक तत्त्वों की व्यवस्था करना।
- स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं
- 🖸 पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (एनएचई)
- परिवार कल्याण, एआरएसएच, बाल देखभाल पद्धतियों और गृह प्रबंधन के बारे में परामर्श/मार्गदर्शन।
- 💿 जीवन कौशल शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच
- राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के तहत 16 वर्ष और उससे अधिक आयु की लड़िकयों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण।

मुख्य उद्देश्य :

- किशोरियों को आत्म-विकास में सक्षम बनाना और उनका सशक्तिकरण करना।
- 🖸 उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
- उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोरावस्था प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (एआरएसएच) तथा परिवार और बच्चों की देखभाल के बारे में जागरुगता पैदा करना।
- उनके घरेलू कौशल, जीवन कौशल का उन्नयन करना और व्यावसायिक कौशल के लिए उन्हें राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) के साथ जोड़ना।
- स्कूली शिक्षा की मुख्यधारा से कटी हुई किशोरियों और औपचारिक/गैर-औपचारिक शिक्षा में शामिल करना।
- मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि पीएचसी, सीएचसी, डाकघर
 बैंक, पुलिस स्टेशन आदि के बारे में जानकारी/मार्गदर्शन देना।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

- इस योजना का अनुमोदन 11वीं योजना (2010-11) के अंतिम वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषण सहित केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना के रूप में किया गया था।
- महिला सशक्तिकरण मिशन योजना का अनुमोदन महिलाओं के लिए केन्द्र तथा राज्य/संघशासित प्रदेश, दोनों स्तर पर कार्यक्रमों, नीतियों तथा स्कीमों के अन्तरक्षेत्रीय अभिसरण को सृदृढ़ करने हेतु तक शासनादेश द्वारा किया गया था। बाद में इस योजना का महिला शक्ति केंद्र में विलय कर दिया गया।
- भारत सरकार ने सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वित करने के लिए महिला शक्ति केंद्र (तत्कालीन राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन योजना का विलय करके) नामक एक नई योजना को मंजूरी दी।
- इस योजना के हिस्सा के रूप में 115 सबसे पिछड़े जिलों में कॉलेज के छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से समुदायों की भागीदारी की संकल्पना की गई है।

प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 1986-87 से यह स्कीम संचालित किया जा रहा है।
- केंद्रीय क्षेत्र की इस स्कीम के तहत महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
- स्टेप स्कीम का उद्देश्य ऐसे कौशल प्रदान करना है जो महिलाओं को नियोजनीयता देते हैं और ऐसी क्षमता और कौशल प्रदान करना है जो महिलाओं को स्व-नियोजित/उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है।
- स्कीम देश में ऐसी महिलाओं को, जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, लाभान्वित करने के लिए अभिप्रेक्षित हैं।

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना

- प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' योजना एवं सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किया।
- बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना एवं लड़िकयों को सुशिक्षित बनाना है।

प्रमुख तथ्य :

 सुकन्या समृद्धि खाता योजना को बेटियों की सामाजिक सुरक्षा के तौर पर शुरू किया गया।

- इस अवसर पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के नाम पर डाक टिकट जारी करने के साथ ही प्रचार वाहन जन जागरण के लिए रवाना किए गए। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कम लिंगानुपात वाले देश के 100 जिलों पर विशेष अभियान चलाकर इसके प्रति लोगों में जन-जागरूकता फैलाने की घोषणा की।
- इनमें हरियाणा के 12 जिले शामिल हैं।
- अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने को बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
- इस योजना का संपूर्ण लक्ष्य बालिकाओं का स्वागत करना तथा उन्हें शिक्षा देना है। इसके उद्देश्य हैं, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित लिंग चयन को खत्म करना व बालिकाओं के जीवन, सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना।
- कार्यक्रम की निगरानी के लिए आठ लक्ष्य चुने गए हैं, जो मुख्यत: चयनित जिलों में सालभर में जन्म लिंगानुपात में 10 अंगों का सुधार करेंगे।
- वर्ष 2011 में पाँच वर्ष की आयु के बच्चों में मृत्यु दर के अंतर को आठ अंक से कम कर 2017 में चार अंक पर लाना।
- पाँच वर्ष से कम आयु की न्यूनभार तथा रक्ताल्पता वाली बालिकाओं (एनएफएचएस के तीन स्तरों से) के पोषण स्तर में सुधार लाना।
- आईसीडीएस की सार्वभौमिकता को सुनिश्चित करना,
 आईसीडीएस तथा एनआरएचएम के संयुक्त मातृ-शिशु सुरक्षा
 कार्डों के प्रयोग से बालिकाओं की समान देखभाल व उपस्थिति
 पर निगरानी रखना।
- बाल लिंग अनुपात संकट वाले 100 जिलों के प्रत्येक स्कूल में
 2017 तक शौचालयों की व्यवस्था करना।
- वर्ष 2013-14 में माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं का नामांकन 76% से बढ़ाकर 2017 तक 79% तक लाना।
- यौन अपराधों में बाल सुरक्षा कानून (पॉस्को एक्ट), 2012 लागू कर बालिकाओं के लिए सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ावा देना।
- बाल लिंग अनुपात में सुधार व बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के बाद मनोनीत प्रतिनिधि अथवा जमीनी स्तर पर काम करने वालों को बतौर 'कम्युनिटी चैम्पियन' समुदायों से तैयार करना।

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का विस्तार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 19 अप्रैल, 2016 को 11 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के कम लिंगानुपात वाले 61 अतिरिक्त जिलों में 'बेटी बचाओ–बेटी पढाओ' कार्यक्रम (BBBP) की औपचारिक शुरूआत की।

- इस योजना के पहले वर्ष में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई।
- उन्होंने कहा कि बीबीबीपी जिलों में जन्म के समय लिंगानुपात में न्यूनतम 10 अंगों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है और अगले 5 वर्षों में धीरे-धीरे इसे सममुल्य करना है।
- इस अवसर पर मेनका संजय गांधी द्वारा एक पुस्तिका 'बेटी बचाओ–बेटी पढाओ–एक यात्रा' की लोकार्पित की गई।
- ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरूआत
 उचनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले में की थी।
- यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में 100 चयनित जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्यवाहियों को संकेन्द्रित करते हुए भी सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन

- केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 13 नवंबर,
 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन की शुरूआत की थी।
- बाल स्वच्छता मिशन प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है।
- कार्यक्रम राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया जाएगा।
- बाल स्वच्छता मिशन के छह विषय-स्वच्छ आंगनबाड़ी, स्वच्छ आसपास का माहौल/खेल का मैदान, व्यक्तिगत स्वच्छता (साफ रहने की आदत/बच्चों का स्वास्थ्य), साफ भोजन, पीने का साफ पानी, साफ शौचालय।
- विद्यालय शिक्षा विभाग 'शहरी विकास' पेयजल एवं स्वच्छता व सूचना-विज्ञान विभागों के सहयोग से बाल स्वच्छता मिशन को लागू करने के लिए विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभाग को कहा गया है।

वन स्टॉप सेंटर

- हिंसा और यौन उत्पीडन की शिकार महिलाओं को अब एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी और काउंसिलिंग की सुविधा मिल सकेगी।
- इसके लिए केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश में छ: सौ से अधिक वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) खोलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में ही 52 वन स्टॉप सेंटर खोले जाने को स्वीकृति मिली है।
- इन केंद्रों पर सभी तरह की हिंसा से पीडि़त महिलाओं और बालिकाओं को अस्थाई रूप से रहने की सुविधा मिलेगी।

ओएससी का उद्देश्य :

- ओएससी का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में फिर से लाना है।
- पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाना है।
- 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेंटर से जोडना।

निर्भया कोष से लिया गया धन

- हिंसा से पीडि़त महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और काउंसिलिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना को एक अप्रैल 2015 को लागू किया।
- इस योजना के संचालन के लिए धन निर्भया कोष से लिया गया है।
- इस योजना के तहत मिहलाओं से संबंधित मुद्दों को जल्द ही सुलझाने के लिए फास्ट ट्रैक मिहला अदालतों का भी गठन किया जाना है।

स्वधार गृह योजना

- 18 अक्टूबर, 2015 को हरियाणा सरकार ने 'स्वधार गृह' योजना को स्वीकृति प्रदान की।
- इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में पीडि़त महिलाओं के लिए सहायक संस्थागत कार्यक्रम तैयार करना है ताकि वे दृढ़ विश्वास व गरिमा के साथ अपना जीवन-यापन कर सकें।
- इस योजना के तहत ऐसी मिहलाओं के लिए आश्रय, खाद्य, कपड़ा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की उन महिलाओं को कवर किया जाएगा, जो अकेली है और बिना किसी आर्थिक और सामजिक सहायता के है।
- इसके अलावा इसमें घरेलू हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं तथा एचआईवी एड्स से पीड़ित महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत 30 महिलाओं की क्षमता के 'स्वधार गृह' प्रत्येक जिलों में स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का नया नाम दिया है।
- महिला और बाल कल्याण विभाग के अनुसार पहले की गर्भावस्था सहायता योजना इतनी सफल नहीं थी, यहां तक कि बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे।
- केंद्रीय सरकार द्वारा बहुचर्चित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को देश के राज्यों/जिलों में लागू कर दिया गया है।
- इस मातृ वंदना योजना के तहत केंद्र द्वारा देश में इसका लाभ पात्र महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का उद्देश्य देश की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार पहली बार गर्भवती होने पर प्रत्येक के खाते में पोषण के लिए पांच हजार रुपये प्रदान करेगी। इस योजना में सभी आय वर्ग की गर्भवती महिलाओं को पात्र बनाया जाएगा।
- इस महिला योजना का लाभ देश के सभी जिले में 1 जनवरी 2017 से ही लागू मानी जाएगी। यानि 31 अक्टूबर 2017 के पहले व एक जनवरी 2017 के बीच जिन गर्भवितयों की डिलीवरी हो चुकी है, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

उद्देश्य :

- काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य
 में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के
 प्रभाव को कम करना।

पीएम मातृ वंदना योजना की मुख्य बातें

- प्रधानमंत्री द्वारा पीएम मातृ वंदना योजना को जनवरी, 2017 में शुरू किया था। इसके तहत गर्भवितयों को पौष्टिक आहार के लिए सीधे उनके खाते में उक्त सहायता राशि भेजी जाएगी।
- इस योजना पर सीधे प्रधानमंत्री व राज्यों के मुख्यमंत्री निगरानी रखेंगे।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दोनों योजनाओं से पहली बार गर्भवती होने वाली ग्रामीण महिला के खाते में कुल 6400 रुपये व शहरी गर्भवती के खाते में कुल 6000 रुपये पहुंचेंगे।

- इस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के द्वारा पात्र गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में एक हजार रुपये गर्भ के 150 दिनों के अंदर, दूसरी किस्त में 2000 रुपये 180 दिनों के अंदर व तीसरी किस्त में 2000 प्रसव के बाद व शिशु के प्रथम टीकाकरण चक्र पूरा होने पर मिलेंगे।
- इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने नजदीक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवितयों को अपना आधार व खाता नंबर देना होगा।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) निम्न श्रेणी के गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए लागू नहीं होगी।
 - जो केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में हैं।
 - जो किसी अन्य योजना या कानून के तहत समान लाभ प्राप्तकर्ता हैं।

सक्षम-राजीव गाँधी किशोर सशक्तिकरण योजना

- यह सबला योजना के प्रारूप पर बनाई गई किशोरों के संपूर्ण विकास पर केंद्रित योजना है।
- यह किशोरों के चहुँमुखी विकास पर केंद्रित है तथा यह उन्हें आत्मिनर्भर, लैंगिक-संवदेनशील व जागरूक नागरिक के रूप में विकसित करेगा।
- यह योजना 11-18 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए है तथा इसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय न जाने वाले किशोरों पर फोकस करना है।
 - किशारों को लैंगिक संवेदनशील, आत्मिनर्भर तथा सशक्त बनाना।
 - किशारों की शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना।
 - महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों से निपटने के लिए संवेदनशील अंहिसा संदेशवाहकों का निर्माण करना।
 - युवाओं की भविष्य में कार्य-सहभागिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक सूचनाएँ एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोर प्रजनन व यौन स्वास्थ्य (ARSH) तथा परिवार एवं बाल देखभाल के विषय में जागरूकता प्रोत्साहन।
- यह योजना एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के तहत निर्मित संरचनाओं का उपयोग करेगी।
- इसके अंतर्गत आँगनबाड़ी केंद्र सेवाओं की डिलीवरी के लिए केंद्रीय बिंदु होंगे, यदि आँगनबाड़ी अवसंरचना अपर्याप्त होगी, तो इसकी पूर्ति स्थानीय पंचायतों या नगर सिमितियों द्वारा की जाएगी।

शी-बॉक्स

- भारत सरकार ने महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित और संरक्षित कार्य-स्थल बनाए जाने के उद्देश्य से महिलाओं का कार्य-स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम (लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम), 2013 बनाया है।
- यह अधिनियम संगठित और असंगठित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं पर लागू है और इसमें महिलाओं की शिकायतों के निपटान के लिए निराकरण तंत्र की स्थापना का प्रावधान है।
- यह अधिनियम अपनी व्यापकता के कारण अद्वितीय है। इसके अंतर्गत चाहे संगठित क्षेत्र में अथवा असंगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में, पदानुक्रम को ध्यान में रखे बिना किसी भी पद पर कार्यरत सभी महिलाएं शामिल हैं।
- 🖸 घरेलू नौकरानियां भी इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं।
- अधिनियम में 'कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न' को व्यापक तरीके से परिभाषित किया गया है।
- किसी महिला को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी का वायदा करना अथवा नौकरी से हटाए जाने की धमकी देना अथवा महिला के लिए कार्य करने का प्रतिकूल वातावरण बनाना या उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करना, जिसमें उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुष्प्रभाव पड़े, लैंगिक उत्पीड़न है।
- यह लैंगिक उत्पीड़न इलैक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) प्रत्येक मिहला को, चाहे वह किसी भी पद पर कार्यरत हो और चाहे वह संगठित अथवा असंगठित, निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करती हो, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने का भारत सरकार का एक प्रयास है।
- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का सामना करने वाली कोई भी महिला इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। एक बार 'शी-बॉक्स' में शिकायत दर्ज करने के पश्चात यह शिकायत सीधे उस संबंधित प्राधिकारी को भेज दी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में उस मामले में कार्रवाई करना आता है।
- शी-बॉक्स के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने के लिए एक वैध ई-मेल आईडी अपेक्षित है।

नारी पोर्टल

 इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी, 2018 को श्रीमित मेनका गांधी द्वारा की गई।

- 🗘 नेशनल रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर विमेन।
- महिला संबंधित सूचना का राष्ट्रीय केन्द्र। यह एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में काम करेगा, जिससे देश भर की महिलाओं को लाभ पहुँचाने वाली सभी प्रकार की जानकारी होगी।
- इस पोर्टल में महिला कल्याण की लगभग 350 विभिन्न योजनाएं हैं और उन्हें नियमित रूप से अद्यतन भी किया जाएगा।
- इसके बाद यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की महिलाओं से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी प्रदान करेगा।
- नारी पोर्टल पर विभिन्न योजनाएं दी गई हैं, जिन्हें आठ श्रेणियों में बांटा गया है। कोई भी महिला अपने आयु वर्ग के अनुरूप संबंधित योजनाओं की जानकारी ले सकती है।
- पोर्टल ने सुविधा के लिए इन योजनाओं को चार आयु वर्गों में बांट दिया है। ये आयु वर्ग हैं - 0-6 वर्ष, 7-17 वर्ष, 18-60 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक।
- आठ विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार हैं: 1. स्वास्थ्य, 2. शिक्षा,
 रोजगार, 4. आवास, 5. हिंसा से छुटकारा, 6. निर्णय लेना,
 सामाजिक सहायता एवं 8. कानूनी सहायता।
- प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला के नाम पर मकान की रिजस्ट्री को प्राथमिकता दी जाती है और कई राज्य सरकारें बालिका की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता देती है।
- नागरिक मिहला शिक्त केनद्र, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ,
 जननी सुरक्षा योजना जैसे विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के विवरण एवं लिंक के साथ-साथ यह पोर्टल ऑनलाइन आवेदन तथा शिकायत निवारण को भी सुगम बनाता है और समुचित पोषण, स्वास्थ्य जांच एवं पोषण के बारे में सलाह देता है, प्रमुख बीमारियों की जानकारी देता है, नौकरी तलाशने एवं साक्षात्कार के बारे में सलाह देता है और निवेश तथा बचत की सलाह भी देता है।
- प्रयोगकर्ता सुरक्षा, गोद लेने और प्रत्यक्ष लाभ से जुड़े विषयों
 पर भी जानकारी और सलाह ले सकते हैं।
- पोर्टल पर 'नॉलेज कॉर्नर' प्रयोगकर्ताओं को निम्न प्रतिक्रियाओं की जानकारी प्रदान करता है -
 - मतदाता पहचान-पत्र बनवाना
 - आधार कार्ड बनवाना
 - बैंक खाता खोलना
 - पासपोर्ट के लिए आवेदन करना

- बचत एवं निवेश के बारे में जानना
- मातृत्व अवकाश जैसे बुनियादी महिला अधिकारों की जानकारी प्रदान करना।
- पोर्टल पर प्रयोगकर्ता 'ग्रेट इनवॉल्व्ड' सेक्शन में जाकर बेहतर भारत के लिए सरकार के प्रयासों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पालक सेवा (फोस्टर केयर) आदि से हाथ भी बंटा सकता है।
- इस पर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों तथा उनकी सूचना देने की प्रक्रिया की जानकारी मिल सकती है और कानूनी सहायता प्रकोष्ठों के संपर्क सूत्रों तथा गोद लेने की सरलीकृत प्रक्रिया का पता भी चल सकता है।

पोषण अभियान

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) ने नई दिल्ली में पोषण अभियान के तहत भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक आयोजित की थी।
- इसकी अध्यक्षता एनआईटीआई आयोग (नीति आयोग) के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने की थी।

बैठक की मुख्य विशेषताएं :

- राष्ट्रीय परिषद ने चालू वर्ष में पोषण अभियान के तहत 32 नए
 जिलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
- यह चरण-प्रथम और चरण -2 के तहत छोड़े गए केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के सभी जिलों को शामिल करने में मदद करेगा।
- यह उन राज्यों को भी पूर्ण कवरेज भी प्रदान करेगा, जहाँ 5
 जिलों को छोड़ दिया गया था।
- इस प्रकार 8 नए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करने की सुविधा और पोषण अभियान के तहत कवर किए गए राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 23 तक पहुंच गई।
- इसने शहरी क्षेत्रों में आँगनबाड़ी केंद्रों और आँगनबाड़ी सेवाओं के तहत झोपड़ियों के निर्माण के लिए दिशा-निर्देशों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी।
- बैठक के दौरान, डब्ल्यूसीडी मंत्रालय ने राष्ट्रीय पोषण संस्थान की सहायता से विकसित पोषण के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम से तीन मॉड्यूल प्रस्तुत किए।
- इन पाठ्यक्रमों को डब्लूसीडी मंत्रालय और पोषण पोर्टलों के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा स्वतंत्र रूप से होस्ट किया जाएगा।
- हर साल राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सितंबर महीने का जश्न मनाने की भी घोषणा की गई।

पोषण अभियान के विषय में

- पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधान मंत्री की पोषण योजना) मार्च 2018 में राजस्थान के झुंझुनु में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माँ और बच्चों का समग्र विकास और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है।
- लक्ष्य : यह विभिन्न पोषण संबंधी योजनाओं के अभिसरण सुनिश्चित करके पोषण और अन्य संबंधित समस्याओं के स्तर को कम करना है।
- यह स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीिमया (युवा बच्चों, मिहलाओं और किशोर लड़िकयों के बीच) और कम जन्म दर को भी लिक्षित करता है।
- घटक: इसके बड़े घटकों में 2022 तक देश के सभी जिलों में चल रहे विश्व बैंक की एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस), सिस्टम सुदृढ़ीकरण और पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) द्वारा समर्थित हस्तक्षेपों की क्रमिक स्केलिंग शामिल है।

वेब-वंडर वुमन अभियान

- 9 जनवरी को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन अभियान 'www.Web.WonderWomen' लांच किया है।
- 🗘 इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना और उनके

असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं।

मुख्य तथ्य :

- इस अभियान के माध्यम से मंत्रालय तथा अभियान के साझेदार का उद्देश्य विश्व की भारतीय महिला दिग्गजों की दृढ़ता को मान्यता देना है, जिन्होंने समाज में परिवर्तन के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से सार्थक अभियान चलाया है।
- यह अभियान इन मेधावी मिहलाओं के प्रयासों को मान्यता देगा। भारतीय मिहलाएं हमेशा से उद्यमी रही हैं और उन्होंने अपने कठिन परिश्रम, अनुभव तथा ज्ञान के बल पर समाज पर सार्थक प्रभाव डाला है।
- अभियान में निर्धारित मानक के अनुसार पूरे विश्व से नामांकन के माध्यम से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं।
- नामांकन 31 जनवरी, 2019 तक होगा।
- विश्व में कहीं भी कार्य कर रहीं या बसी हुई भारतीय मूल की महिलाएं नामांकन की पात्र हैं। चयनित प्रविष्टियों को ट्वीटर पर सार्वजनिक वोटिंग के लिए खोला जाएगा और निर्णायकों के पैनल द्वारा फाइनल में पहुंचने वालों का चयन किया जाएगा।
- स्वास्थ्य, मीडिया, साहित्य कला, खेल, पर्यावरण संरक्षण और फैशन सहित अनेक श्रेणियों में नामांकन आमंत्रित किए गए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

गवाह संरक्षण योजना

- सुप्रीम कोर्ट ने 05 दिसंबर 2018 को केंद्र की गवाह संरक्षण योजना के मसौदे को मंजूरी दे दी है।
- सभी राज्यों को इस संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक इसका पालन करने का निर्देश दिया है।
- जिस्टस एक सीकरी और जिस्टस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि उसने इस योजना में कुछ बदलाव किए हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह सुरक्षा योजना, 2018 संविधान के अनुच्छेद 141 और 142 के तहत तब तक 'कानून' रहेगा जब तक इस विषय पर संसद या राज्य द्वारा उचित कानून नहीं बनाए जाते।
- केंद्र सरकार वित्तीय और अन्य तरीके से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग करना चाहिए।

- उचित सुरक्षा मुहैया : गवाहों के अपने बयान से पलट जाने की मुख्य वजहों में से एक राज्यों द्वारा उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया ना कराना भी होता है।
- योजना तैयार : केंद्र सरकार ने 18 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, पांच राज्य कानून सेवा प्राधिकारियों और सिविल सोसाइटी, 3 हाई कोर्टों के साथ-साथ पुलिसकर्मियों समेत खुले स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह योजना तैयार की है

गवाही देने के लिए परिसर

- एक साल के भीतर यानी कि साल 2019 के अंत तक सभी जिलों में 'गवाही देने के लिए परिसर' बनाया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को लागू करने के लिए केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो से परामर्श के बाद अंतिम रूप दिए गए गवाह संरक्षण योजना के मसौदे में गवाहों को खतरे के आकलन के आधार पर तीन श्रेणियों में रखा गया है।
- गवाह संरक्षण योजना, 2018 के मसौदे के अनुसार यह गवाहों को संरक्षण मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहला गंभीर प्रयास है।
- मसौदे में कहा गया है कि न्याय की आंख और कान होने वाले गवाह अपराध करने वालों को न्याय के कठघरे तक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इस योजना में गवाह की पहचान को सुरक्षित रखना और उसे नई पहचान देने सिंहत गवाहों के संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान हैं।
- केंद्र सरकार ने अप्रैल 2018 में न्यायालय को सूचित किया
 था कि उसने गवाह संरक्षण योजना का मसौदा तैयार किया है
 और इस पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राय जानने के लिए उनके पास भेजा गया है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवाह संरक्षण योजना कम से कम संवेदनशील मामलों में तो लागू की जा सकती है और इसके लिए गृह मंत्रालय व्यापक योजना तैयार कर सकता है।

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास स्कीम

- दिव्यांगजनों के समग्र सशिक्तकरण के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्यू नडी) 18 फरवरी, 2019 को कोलकाता में 'दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस)' पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा।
- यह पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के 13 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा को कवर करेगा।
- इसमें हितधारकों अर्थात् डीडीआरएस के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों, राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला स्तर अधिकारियों की भागीदारी होगी।

स्कीम से संबंधित बिन्दु :

 इस स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष 600 से अधिक एनजीओ को दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए विशेष विद्यालय, पूर्व विद्यालय

- एवं आरंभिक उपाय, हाफवे होम्स एवं समुदाय आधारित पुनर्वास जैसी उनकी परियोजनाओं के परिचालन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- वित्त पोषित एनजीओ प्रतिवर्ष 35000 से 40000 से अधिक लाभार्थियों को पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
- एनजीओ को सहायता अनुदान जारी करने में जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं राज्य सरकार की अनुशंसा महत्वपूर्ण होती है।
- सम्मेलन का उद्देश्य संशोधित स्कीम के प्रावधानों को प्रसारित करना तथा विभिन्न हितधारकों को इसके बारे में संवेदनशील बनाना है।
- यह सम्मेलन सभी हितधारकों के बीच परस्पर संपर्क के लिए एक अनुठा अवसर भी उपलब्ध कराता है।
- यह सम्मेलन योजना स्कीम की प्रभावोत्पादकता के पहलुओं पर अंत: क्षेत्रीय विचारों का आदान-प्रदान एवं इसमें सुधार लाने की संभावनाएं सुनिश्चित करेगा।

<u>स्कीम</u> का प्रभाव

- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास स्कीम को संशोधित किया गया है, जिससे कि इसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- जिन मॉडल पिरयोजनाओं को इष्टतम बनाया गया है उनकी सूची में-पूर्व-विद्यालय, आरंभिक उपाय एवं प्रशिक्षण: बौद्धिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए विशेष विद्यालय, सुनने एवं बोलने संबंधी विकलांगता; दृश्य विकलांगता; प्रमस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित बच्चों के लिए पिरयोजनाएं; कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास; मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों का उपचारित एवं नियंत्रित मनोवैज्ञानिक-सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफवे होम; घर आधारित पुनर्वास तथा गृह प्रबंधन; समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम (सीबीआर); निम्न दृष्टि केंद्र एवं मानव संसाधन विकास शामिल हैं।
- इस सम्मेलन का दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास स्कीम के कार्यान्वयन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- यह संशोधित स्कीम में लाए गए बदलावों के बारे में एनजीओ को संवेदी बनाएगा तथा प्रमुख हितधारकों नामत: राज्य सरकार एवं जिला स्तर अधिकारियों तथा एनजीओ के बीच इस स्कीम को और लोकप्रिय बनाने के लिए जागरूकता सृजित करेगा और इस प्रकार दिव्यांगजनों के कल्याण को बढ़ावा देगा।

नीति आयोग

'नियतम' कार्यक्रम

- राज्यों के प्रशासन में दक्षता को बढ़ाने और राज्यों द्वारा जारी लोककल्याण कार्यों की समीक्षा हेतु नीति आयोग ने 'नियतम' (Niti Intiative to Yield Asprirational Targets and Actionable Means— NIYATAM) पहल आरंभ किया है।
- 'नियतम' के तहत नीति आयोग संबंधित राज्यों से समन्वय बनाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और मोबाइल की पहुंच जैसे विकास के सूचकांकों पर उक्त राज्य की प्रगति की समीक्षा करेगा।
- हालांकि इस आधार पर एक राज्य की दूसरे राज्य की तुलना नहीं की जाएगी। इन क्षेत्रों के कुल 25 संकेतक लिए जाएंगे।
- 'नियतम' के अंतर्गत राज्यों में मौजूदा योजनाओं और विभागों की संख्या कम की जाएगी। आदर्श स्थिति में किसी भी राज्य में 20 से अधिक विभाग नहीं होने चाहिए।

'भारत को जानो' कार्यक्रम

- युवा प्रवासी भारतीयों के लिए 'भारत को जानो' कार्यक्रम के 53वें संस्करण में 40 युवा (24 युवती और 16 युवा) फिजी, गुयाना, मॉरीशस, पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सूरीनाम तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं।
- ये युवा भारत को जानने की कोशिश कर रहे है।
- इस संस्करण के सहयोगी राज्य महाराष्ट्र तथा दमन और दीव हैं।
- "भारत को जानो" कार्यक्रम विदेश मंत्रालय आयोजित करता है इसका उद्देश्य 18-30 वर्ष की आयु समूह के प्रवासी युवा भारतीयों को देश के विकास और उपलब्धियों से अवगत कराना और उन्हें अपने पूर्वजों की धरती के निकट लाना है।
- यह कार्यक्रम भारतीय मूल के विद्यार्थियों तथा पेशेवर युवाओं को भारत भ्रमण, विचार, आकांक्षाओं और अनुभवों को साझा करने तथा समकालीन भारत के साथ निकटता के लिए विशष्ट मंच प्रदान करता है।
- "भारत को जानो कार्यक्रम" से प्रवासी युवाओं को भारतीय परंपराओं, विरासत तथा पारिवारिक संपर्क को जानने में मदद मिलेगी।
- 8 देशों के प्रवासी युवा 23 जनवरी से 16 फरवरी तक भारत भ्रमण पर हैं। इस दौरान सभी युवा महाराष्ट्र, दमन और दीव तथा आगरा गये।

साथ कार्यक्रम (SAATH)

- नीति आयोग ने सहकारी संघवाद की कार्यसूची पर अमल के लिए 10 जून, 2017 को 'साथ' यानी 'सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांस्फार्मिंग ह्यूमन कैपिटल' अर्थात् मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प करना है।
- नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों की मशीनरी के साथ सहयोग करते हुए हस्तक्षेप का सुदृढ़ रोडमैप तैयार करेगा, कार्यक्रम कार्यान्वयन का ढांचा विकसित करेगा और निगरानी एवं अन्वेषण व्यवस्था कायम करेगा।
- नीति आयोग ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया था, जिनमें से 14 राज्यों ने अपने प्रेजेंटेशन किए।
- इन 14 राज्यों में से पाँच का चयन किया गया है। इनमें से 3 राज्यों का चयन अंतिम रूप से किया जाना है, जिनमें यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरूआत प्रधानमंत्री ने 05 जनवरी 2018 को की थी। इसका उद्देश्य उन समस्त जिलों में तेजी से बदलाव लाना है, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से कम प्रगति की है और वे अल्पविकसित के रूप में उभरे हैं जिस कारण वे संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए चुनौती बने हुए हैं।
- यह कार्यक्रम अपनी पूर्ण क्षमता का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भाग लेने वाले लोगों की क्षमता में सुधार लाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।
- स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास और बुनियादी ढांचा इस कार्यक्रम के मुख्य केन्द्र हैं।

पहली डेल्टा रैंकिंग

आकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 29 जून, 2018 को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा जारी की गई थी। जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा आधारभूत ढांचे के पांच विकासपरक क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन पर आकांक्षी जिलों

- को स्वयं दिए गए आंकड़ों को आधार मानकर अप्रैल और मई 2018 के महीनों के लिए सुचीबद्ध किया था।
- 'आंकाक्षी जिला कार्यक्रम' के अंतर्गत जारी इस डेल्टा रैकिंग में 31 मार्च, 2018 और 31 मई, 2018 के मध्य विभिन्न जिलों द्वारा प्राप्त की गई विकासात्मक वृद्धि को मापा गया है।
- विभिन्न जिलों की रैंकिंग 49 महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और मूलभूत बुनियादी ढांचे जैसे पैमानों के आधार पर निष्पक्ष ढंग से की गई है।
- इन रैंकिंग को 'चौंपियनशिप ऑफ चेंज डैशबोर्ड' के जिरए सार्वजिनक तौर पर उपलब्ध कराया गया है।
- जिलों ने 1 अप्रैल, 2018 से चौंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड में डेटा दर्ज कराना शुरू किया और कुल 112 में से 108 जिलों ने इस रैंकिंग में भाग लिया।
- अधिकतर जिलों ने अपने द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर ही आकांक्षी जिलों की अप्रैल और मई, 2018 के महीनों में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग जारी की है।
- इस रैंकिंग में सार्वजनिक सुधार करने वाले जिलों (Most Improved Districts) में शीर्ष 5 जिले इस प्रकार हैं-
- 1. दाहोद, गुजरात (19.8 अंक)
- 2. पश्चिमी सिक्किम, सिक्किम (18.9 अंक)
- 3. रामनाथपुरम, तमिलनाडु (17.7 अंक)
- 4. विजयनगरम, आंध्र प्रदेश (17.5 अंक)
- 5. वाई.एस.आर. आंध्र प्रदेश (14.9 अंक)
- सबसे कम सुधार करने वाले (Least Improved Districts) 5
 जिले इस प्रकार हैं-
- 1. कुपवाडा, जम्मू-कश्मीर (0.5 अंक); (108 वां स्थान)
- 2. बेगुसराय, बिहार (0.8 अंक); (106वां स्थान)
- 3. रांची, झारखंड (1.2 अंक); (106 वां स्थान)
- 4. सिमडेगा, झारखंड (1.2 अंक); (105 वां स्थान)
- 5. खगड़िया, बिहार (1.4 अंक); (104 वां स्थान)
- स्वास्थ्य एवं पोषण में सर्वाधिक सुधार करने वाला जिला रायचूर, कर्नाटक है। इसके बाद क्रमश: बीजापुर (छत्तीसगढ़) और चित्रकूट (उ.प्र.) हैं।
- स्वास्थ्य एवं पोषण में सबसे कम सुधार करने वाला जिला नबरंगपुर (उ.प्र.) है।
- शिक्षा में सर्वाधिक सुधार करने वाले जिलों में विजयनगरम (आंध्र प्रदेश), दाहोद (गुजरात) और औरंगाबाद (बिहार) शामिल हैं।

- जबिक शिक्षा में सबसे कम सुधार करने वाला जिला बलरामपुर (उ.प्र.) रहा।
- कृषि में सर्वाधिक सुधार करने वाला जिला कालाहांडी तथा सबसे कम सुधार करने वाला जिला विरुधुनगर (Virudhunagar) (तिमलनाडु) रहा।
- वित्तीय समावेशन में सर्वाधिक सुधार करने वाला जिला नबारंगापुर (Nabarangapura) (ओड़िशा) तथा सबसे कम सुधार करने वाला जिला खूंटी (Khunti), झारखंड रहा।
- कौशल विकास में सर्वाधिक सुधार करने वाला जिला उधम सिंह नगर तथा सबसे कम सुधार करने वाला जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) रहा।
- मूलभूत बुनियादी ढांचा (Basic Infrastructure) में सर्वाधिक सुधार करने वाला जिला दाहोद (गुजरात) तथा सबसे कम सुधार करने वाला जिला अशिफाबाद (तेलंगाना) रहा।
- जनवरी, 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए 'आकांक्षी जिलों के परिवर्तन' के कार्यक्रम का उद्देश्य देश के कुछ अल्प विकसित जिलों को तेजी और प्रभावी ढंग से परिवर्तित करना है।
- इस कार्यक्रम के अनुसार 28 राज्यों में से 117 जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने का लक्ष्य है।

दूसरी डेल्टा रैंकिंग:

- नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2018 को आकांक्षी जिले कार्यक्रम (एडीपी) की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत एडीपी के अंतर्गत दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की।
- इस रैंकिंग से 1 जून 2018 और 31 अक्टूबर 2018 के बीच जिलों द्वारा की गई वृद्धि संबंधी प्रगित का अंदाज लगाया जाएगा।
- सभी जिलों को स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास तथा आधारभूत ढांचे के मानदंडों पर निष्पक्षता को आधार मानकर उनके प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से सूचीबद्ध किया गया है।
- सूचीबद्ध करने में पहली बार नीति आयोग के नॉलेज पार्टनरों, टाटा ट्रस्ट तथा बिल और मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन जैसे संस्थानों द्वारा कराए गए परिवार के सर्वेक्षण से प्राप्त की गई जानकारी को भी शामिल किया गया है।
- इस कार्यक्रम के लिए नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन ने भारत के आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, कृषि एवं जल संसाधन और बुनियादी ढांचे से जुड़े संकेतकों को बेहतर बनाने हेतु आपस में सहयोग कर रहे हैं।

'इंडिया नेटवर्किंग'

महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

- बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव- 2019 में हिस्सा लेने गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 'इंडिया नेटवर्किंग' का आयोजन किया।
- इसमें भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक फिल्म उत्सव के प्रमुख दिग्गजों, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संघों, फिल्म एजेंसियों और प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं ने हिस्सा लिया।
- इस दौरान फिल्मों के सह-निर्माण और इस वर्ष होने वाले आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती समारोह के लिए साझेदारी

- करने के विषयों पर चर्चा की गई।
- इस आयोजन में शिरकत करने वालों को भारत में फिल्म बनाने की आसानी के बारे में बनाई गई नीतियों की भी जानकारी दी गई।
- इसके लिए वेब पोर्टल www.ffo.gov.in का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके जरिए फिल्म शूटिंग का आवेदन किया जा सकता है।
- आयोजन के दौरान यह भी बताया किया कि सिनेमेटोग्राफ अधिनियम में संशोधन के जिरए फिल्म पायरेसी को रोकने के प्रयास भी किए गए हैं।

गृह मंत्रालय

'ई-सहज' पोर्टल

- कंद्रीय गृह सचिव ने सुरक्षा मंजूरी देने के लिये 'ई-सहज पोर्टल का लोकार्पण किया।
- यह पोर्टल आवेदकों को इंटरनेट के जिरये आवेदन करने की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ समय-समय पर प्रगति की जानकारी भी उपलब्ध करायेगा।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

- इस अवसर केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि इस ऑनलॉइन पोर्टल के लोकार्पण के साथ ही इस प्रक्रिया का मानकीकरण होगा और यह तेज, पारदर्शी और निगरानी करने में आसान बनेगी।
- विभिन्न अधिकारी इंटरनेट के जिरये इसका प्रयोग कर दस्तावेजों को देख कर समय से निर्णय ले सकते हैं।
- गृह मंत्रालय ने हाल ही सुरक्षा मंजूरी देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया है और नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- सुरक्षा मंजूरी के प्रस्तावों पर तय समय पर निर्णय लेने के लिये प्रत्येक सप्ताह गृह मंत्रालय में अधिकारियों के सिमिति की बैठक होती है।
- पिछले एक वर्ष में मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी के 1,100 आवेदनों को अनुमित दी है।
- यद्यपि मंजूरी देने के लिये अधिकतम 90 दिनों की समय सीमा है लेकिन मंत्रालय 60 दिनों में ही मंजूरी देने का प्रयास करता है और 2018 में प्रति मंजूरी औसत 53 दिनों का समय लगा जिसे और कम किया जा रहा है।
- 2016 में 209 मामले ऐसे थे जो कि 6 महीनों से भी ज्यादा

- समय से लंबित थे, 2017 में इनकी संख्या घटकर 154 रह गयी जो कि 2018 में और घटकर 47 मामलों पर आ गयी।
- कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में कंपिनयों, बोली लगाने वालों और व्यक्तियों को संबंधित मंत्रालयों से अनुज्ञिप्त, परिमट, मंजूरी और अनुबंध लेने के पहले सुरक्षा मंजूरी लेनी होती है जिसके लिये गृह मंत्रालय समन्वयकर्ता मंत्रालय का काम करता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा अनुमित दिये जाने का उद्देश्य सुरक्षा के संभावित खतरों का मूल्यांकन करना है इसमें आर्थिक खतरे भी शामिल हैं ताकि अहम क्षेत्रों में निवेश के प्रस्तावों और परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले खतरों का आकलन किया जा सके।
- इसका उद्देश्य देश में निवेश को प्रोत्साहन देने और व्यापार की सरलता को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के बीच संतुलन स्थापित करना है।

'एक्स कोप इंडिया-18'

- भारतीय और अमेरिकी वायुसेना के बीच 'एक्स कोप इंडिया-2018' हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में 3 दिसम्बर से 14 दिसंबर, 2018 तक आयोजित किया गया।
- भारतीय वायुसेना एवं अमेरिकी वायुसेना के बीच आयोजित 'एक्स कोप इंडिया-18' द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास की श्रृंखला का चौथा संस्करण था, जो भारत में आयोजित किया गया।
- यह संयुक्त अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल के दो महत्त्वपूर्ण एयरबेस एयर फोर्स स्टेशन कलाईकुंडा और एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह में किया किया गया।
- यह पहली बार है जब पश्चिम बंगाल के दो वायु सैन्यअड्डों
 पर सैन्याभ्यास की योजना बनाई गई है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के मध्य आपसी सहयोग को बढावा देना तथा कौशल का आदान-प्रदान करना है।
- इस अभ्यास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध और मजबूत होंगे वायुसैनिकों को कौशल बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- 🔾 इस सैन्य अभ्यास का लक्ष्य संचालनात्मक समन्वय बढ़ाना है।

अमेरिका के 200 वायुसैनिक

- इस अभ्यास में अमेरिका ने 200 वायुसैनिक 15 एयरक्राफ्ट के साथ हिस्सा लिया। भारतीय वायुसेना एसयू-30 एमकेआई, जगुआर, मिराज 2000, सी-130जे एवं अवाक्स विमान के साथ भाग ली।
- अमेरिका वायुसेना 12 एक्स एफ15 सी/डी और 03 एक्स सी−130 के साथ भाग लिया।

यह अभ्यास काफी अहम

🖸 हिंद प्रशांत इलाके में दोनों देशों की बढ़ती सामरिक साझेदारी

- के मद्देनजर वायु सेनाओं के बीच होने वाला यह अभ्यास काफी अहम है।
- इस अभ्यास के पीछे दोनों देशों द्वारा खुले और मुक्त हिंद प्रशांत इलाके की प्रतिबद्धता दिखती है।

एक्स कोप इंडिया के बारे में

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास है, इसका आयोजन भारतीय वायु सेना तथा अमेरिका वायुसेना के मध्य किया जाता है। इसका आयोजन भारत में ही किया जाता है।
- इस युद्ध अभ्यास का आयोजन पहली बार ग्वालियर में फरवरी,
 2004 में किया गया था।
- इस अभ्यास में उड़ान परीक्षण, प्रदर्शन, विचार-विमर्श इत्यादि शामिल था। इसके पश्चात् इस अभ्यास का आयोजन वर्ष 2005, वर्ष 2006 तथा वर्ष 2009 में किया गया था।
- कोप इंडिया के दौरान विशेषज्ञों के बीच वार्तालाप, एयर मोबिलिटी ट्रेनिंग, बड़े स्तर के सैन्य अभ्यास के अलावा लड़ाकू विमानों के ट्रेनिंग अभ्यास शामिल है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

डिजिटल पूर्वोत्तर दृष्टि पत्र 2022

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री ने 11 अगस्त को गुवाहाटी में 'डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022' को जारी किया।
- इस दृष्टि पत्र के तहत आठ प्रमुख डिजिटल क्षेत्रों-डिजिटल बुनियादी ढांचा, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा, बीपीओ सहित आईटी एवं आईटीईएस को प्रोत्साहन, डिजिटल भुगतान, नवाचार एवं स्टार्टअप और साइबर सुरक्षा की पहचान की गई है।
- डिजिटल पूर्वोत्तर दृष्टि पत्र 2022 के एक हिस्से के तहत गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए एक क्लाउड हब भी स्थापित किया जाएगा।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में राज्य सरकार के 50 हजार कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी दूरदराज के गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने का भी आश्वासन दिया गया है।
- पूर्वोत्तर के छह मेडिकल कॉलेजों में ई-क्लास रूम स्थापित किए जाएंगे। पूर्वोत्तर के लिए कई अन्य परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं जिनमें नदी द्वीप माजुली जिले में एक बीपीओ केंद्र

शामिल है।

<u>नई ट्रेन</u> 'अरुणाचल एक्सप्रेस'

- राष्ट्रीय राजधानी के आनंद विहार टर्मिनल और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन के बीच एक नई ट्रेन सेवा को केंद्रीय राज्य मंत्री ने 1 मार्च को नहरलागुन रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई।
- इस नई ट्रेन को 'अरुणाचल एक्सप्रेस' नाम दिया गया है। यह नहरलागुन और आनंद विहार टर्मिनल के बीच 2,013 किलोमीटर की दूरी करीब 38 घंटे में पूरी करती है।
- यह राष्ट्रीय राजधानी से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली दूसरी और उत्तर पूर्व को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने वाली 14वीं सीधी ट्रेन है।

भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

- प्रधानमंत्री ने 16 मार्च को मिणपुर में 750 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, 1,000 आंगनबाड़ी केंद्रों और कई अन्य महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
- पूर्वोत्तर के लिए केंद्र सरकार का दृष्टिकोण 'परिवहन द्वारा परिवर्तन' है।

पूर्वोत्तर का विकासः सरकार की प्राथमिकता

- प्रधानमंत्री ने 3-4 फरवरी, 2018 को गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम- ग्लोबल इन्वेस्टर्स सिमट 2018 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है।
- एक्ट ईस्ट नीति के तहत आसियान देशों के साथ लोगों का लोगों से संपर्क बढ़ाने, व्यापार संबंधों एवं अन्य संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
- केंद्र सरकार की सभी योजनाएं लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में उन्मुख हैं। इसका लक्ष्य 'जीवन-यापन की सुगमता' में सुधार लाना है।
- 13 जून को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री के नामांकन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
- एनईसी एक वैधानिक निकाय है जिसमें पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इस परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। नई व्यवस्था के तहत एनईसी अब विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी, हथियार एवं गोला बारूद की तस्करी, सीमा विवाद आदि अंतर्राज्यीय मुद्दों पर विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए गए कार्यों को निष्पादित कर सकता है।
- 21 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक 3,000 करोड़ रुपये के वित्तीय पिरव्यय के साथ पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (एनईआईडीएस), 2017 को मंजूरी दे दी।
- एनईआईडीएस अत्यधिक परिव्यय के साथ पहले की दो योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का संयोजन है।
- प्रोत्साहन के सभी घटकों के तहत लाभ की कुल सीमा 200 करोड़ प्रति इकाई होगी।
- यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देगी
 और इससे रोजगार एवं आय सृजन को बल मिलेगा।
- पूर्वोत्तर के 14 जिलों के लिए 'ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स' कार्यक्रम के तहत रोडमैप पर चर्चा के लिए 8 फरवरी को बैठक आयोजित की गई।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में अब तक शुरू किए गए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5,336.18 करोड़ रुपये

- की अनुमानित लागत से व्यापक दूरसंचार विकास योजना, ब्रॉड गेज एवं राजधानी से संपर्क वाली रेल परियोजनाएं, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में 4,754.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पारेषण एवं वितरण प्रणाली के लिए व्यापक योजना (सीएसएसटी एवं डीएस), भारतमाला परियोजना, पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजना (एनईआरएसडीएस) आदि शामिल हैं।
- सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) को लागू कर रहा है।
- इस परियोजना की अविध पांच साल (2017-18 से 2021-22) तक है और इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 3,528 किमी. सड़कों में सुधार किया जाएगा।
- ॖ एनईआर के लिए औषधीय एवं सुगंधित पौधों पर एक अंतर-मंत्रालयी सिमिति की स्थापना 22 फरवरी को की गई।
- यह अंतर-मंत्रालयी सिमिति केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में तालमेल स्थापित करेगी तािक औषधीय एवं सुगंधित पौधों का क्षेत्र जीवंत हो सके और पूरी क्षमता के साथ संसाधनों को विकसित किया जा सके।
- केंद्रीय राज्य मंत्री ने 4 जून, 2018 को प्रधानमंत्री की प्रमुख पहल 'मेक इन इंडिया' की तर्ज पर 'मेक इन पूर्वोत्तर' के लिए प्रेरित किया।
- सरकार ने 29 मई को गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी में एक विशेष 'ब्रह्मपुत्र अध्ययन केंद्र' स्थापित करने की मंजूरी की घोषणा की। इसके लिए लगभग पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने करीब 28 करोड़ रुपये दिए हैं।
- राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं विशेष तौर पर युवितयों के लिए पूर्वोत्तर आजीविका कार्यक्रमों में मदद करेगा। इसके तहत कौशल विकास एवं विशेष प्रशिक्षण के जिरये उन्हें आजीविका कमाने समर्थ और एक व्यक्ति के तौर पर सशक्त बनाया जा सकता है।
- पूर्वोत्तर के लिए एक अन्य ऐतिहासिक पहल के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री ने 29 अक्टूबर को असम के जोरहाट में सीएसआईआर-नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी परिसर में एक नए विज्ञान केंद्र 'टेक्नोलॉजी फैंसिलिटी सेंटर' की आधारशिला रखी।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (2018)

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का यह सातवाँ संस्करण है। इस वर्ष पर्यटन मार्ट की थीम Adventure Tourism रखी गई है। इसका आयोजन हर वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जाता है।

- इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को उजागर करना है। यह पर्यटन मार्ट आठों पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन कारोबार जुड़े समुदायों और उद्यमियों को एक साथ मिलने का मंच उपलब्ध कराता है।
- पर्यटन मार्ट के दौरान विश्व भर के कई देशों के साथ-साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के क्रेता पूर्वोत्तर क्षेत्र के विक्रेताओं के साथ कारोबार संबंधी बैठकों करते हैं।
- इस पर्यटन मार्ट में 18 देशों के 41 विदेशी प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, मलेशिया, म्यांमार, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, थाईलैंड, यूएई और अमेरिका शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन उत्पादों के आपूर्तिकर्त्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू खरीदारों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करने का मौका मिलता है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन बारी-बारी से होता है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट गुवाहाटी, तवांग, शिलांग, गंगटोक और इम्फाल में आयोजित हो चुके हैं।
- छठा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट दिसंबर, 2017 में गुवाहाटी में आयोजित हुआ था।
- दिल्ली में पूर्वोत्तर सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक सम्मेलन एवं सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगा।
- 'द एज ऑफ मल्टीलेटरेलिज्म एंड कनेक्टिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट: अपरचुनिटीज एंड चौलेंजेज' विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 19 से 20 मार्च, 2018 को मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) और एशियन कॉन्फ्लूएंस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

सिक्किम भारत के हवाई लिंक मानचित्र पर

- प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर को सिक्किम में पाकयोंग हवाई अड्डो का उद्घाटन किया। यह हिमालयी राज्य का पहला हवाई अड्डा और देश का 100वां हवाई अड्डा है।
- पाकयोंग हवाई अड्डा को आम आदमी के लिए किफायती सुनिश्चित करने के लिए इस हवाई अड्डे को यूडीएएन योजना का हिस्सा बनाया गया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन

- इस साल फरवरी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वार्षिक बजट में 'राष्ट्रीय बांस मिशन' की घोषणा की।
- इसके लिए 12,290 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
- बांस मिशन का पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष महत्व है।

पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम

- सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए नीति आयोग के वाइस-चेयरमैन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव की सह-अध्यक्षता में नीति आयोग में एक विशेष फोरम बनाने के लिए 21 फरवरी को आदेश जारी किया।
- यह फोरम केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता है और पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए योजनाएं बनाता है।
- नवगठित 'पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम' की पहली बैठक 10
 अप्रैल को त्रिपुरा के अगरतला में हुई थी।
- इस बैठक का आयोजन नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी द्वारा किया गया।
- फोरम ने प्रस्ताव दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाएं प्रधानमंत्री के अनुसार 'एचआईआरए' (राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, रेलवे और एयरवेज) की अवधारणा पर आधारित होंगी।
- इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

केन्द्रीय खान एवं इस्पात मंत्रालय

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

- खनन संबंधी गितिविधियों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोगों व क्षेत्रों के कल्याण हेतु इस योजना की शुरूआत केन्द्र सरकार ने सितंबर, 2015 में की है।
- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) नाम की
- इस योजना की घोषणा केन्द्रीय खान और इस्पात मंत्रालय द्वारा 17 सितंबर, 2015 को नई दिल्ली में की गई।
- डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के उपयोग से विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को खनन प्रभावित क्षेत्रों में इसके तहत कार्यान्वित किया जाएगा।

- यह परियोजनाएं राज्य व केन्द्र सरकार की ओर से पहले से चल रही योजनाओं/परियोजनाओं की सम्पूरक भी होंगी।
- खनन वाले जिलों में लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर खनन के दौरान व बाद में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम करना/दूर करना तथा खनन के परिणामस्वरूप प्रभावित लोगों के लिए दीर्घाविध टिकाऊ जीवन-यापन सुनिश्चित करना इस योजना के उद्देश्यों में शामिल है।
- इस योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के कम-से-कम 60 प्रतिशत भाग का उपयोग पेयजल की आपूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, मिहला एवं बाल विकास, विरुष्ठ एवं विकलांगजनों के कल्याण व पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए किया जाएगा तथा निधि की शेष राशि सड़क, पुल, रेलवे व जलमार्ग परियोजनाओं, सिंचाई तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने पर खर्च की जाएगी।

खनिज संरक्षण एवं विकास नियम 2017 में संशोधन

- एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ए (6) के तहत बढ़ाई गई कारोबारी (मर्चेंट) खिनकों की लीज अविध 31 मार्च, 2020 को समाप्त होगी।
- कुल मिलाकर लगभग 288 खनन पट्टे हैं जिनकी अविध वर्ष 2020 में समाप्त होगी। इनमें से 59 कार्यरत पट्टे (लीज) हैं जिनके तहत प्रमुख खिनजों यथा लौह अयस्क, मैंगनीज एवं क्रोमाइट अयस्क इत्यादि का व्यापक उत्पादन होता है।
- वर्तमान पट्टे से नवीन पट्टों की ओर आसानी से उन्मुख होने के लिए नीलामी प्रक्रिया को बहुत पहले शुरू करने की जरूरत है, तािक इन पट्टों की अविध समािप्त होने से नीलाम किये जाने वाले नए पट्टों और खनिज उत्पादन पर कोई असर न पड़े। इन खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया के लिए ब्लॉकों का अन्वेषण करना आवश्यक है।
- केन्द्र सरकार ने इससे पहले वर्ष 2010 में एक निर्देश जारी किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि सभी मौजूदा पट्टों को पांच वर्षों की अविध में G2 अथवा G1 के अन्वेषण स्तर पर लाना होगा।
- खिनज संरक्षण एवं विकास नियमों, 2017 (एमसीडीआर) में नियम 12 (4ए) को शामिल कर इसे और भी ज्यादा सुदृढ़ किया गया है।
- एक संशोधित अधिसूचना के जिरए यह किया गया है जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

- इस नियम में G2 स्तर पर अन्वेषण की बात कही गई है, जैसा कि खनिज (खनिज सामग्री का साक्ष्य) नियमों, 2015 के नियम 5 के अनुच्छेद (ए) में उल्लेख किया गया है। इस तरह का अन्वेषण वर्ष 2020 में तय अविध समाप्त होने वाले खनन पट्टों में 1 अप्रैल, 2019 तक करना होगा।
- इस नियम में जरूरतों की पूर्ति के लिए आईबीएम की मंजूरी के साथ तैयार की गई अन्वेषण योजना के क्रियान्वयन के लिए समय सीमा का भी उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की समीक्षा समिति

 रिट याचिका (सिविल) संख्या 114 (2014) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 अगस्त, 2017 को दिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 की समीक्षा के लिए अपर सचिव (खान) की अध्यक्षता में एक सिमिति का गठन किया गया।

खानों की स्टार रेटिंग

- सतत विकास फ्रेमवर्क के तहत खान मंत्रालय ने खानों की स्टार रेटिंग की पद्धित विकसित की है।
- खान मंत्रालय ने सतत विकास फ्रेमवर्क के तहत खान गतिविधयों के लिए समावेशी विकास सिद्धांत अपनाया है।
- उससे वर्तमान और भविष्य के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरण हितों पर प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- एक 2 स्तरों वाली पद्धित विकसित की गई है जिसके तहत खान संचालकों को स्वमूल्यांकन टैम्प्लेट में सूचनाएं देनी होंगी और भारत खान ब्यूरो इसकी वैधता की जांच करेगा।
- स्टार रेटिंग के लिए मूल्यांकन टैम्प्लेट (प्रमुख खनिजों के लिए) को दिनांक 23 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया।
- खनन पट्टे के प्रदर्शन के आधार पर 1 से 5 स्टार रेटिंग की व्यवस्था की गई है। ऊंची रेटिंग वाले खान संचालकों को सतत खनन अभ्यासों को शीघ्र अपनाना होगा।
- 4 स्टार प्राप्त करने के लिए एमसीडीआर में स्टार रेटिंग को वैधानिक प्रावधान के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके लिए समय सीमा 2 वर्ष है।
- उपायों के मूल्यांकन के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। इसे 18 अगस्त, 2016 को लांच किया गया।
- खान क्षेत्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- कम महत्त्वपूर्ण खनिजों की स्टार रेटिंग के लिए भी टैम्प्लेट तैयार किया जा रहा है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

ग्रीन गुड डिड्स कैंपेन

- यह कैंपेन, केंद्रीय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक तापन के संदर्भ में लोगों तथा छात्रों को जागरुक करना है।
- केंद्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्री ने ग्रीन गुड डिड्स कैम्पेन में 'ग्रीन सैनिकों' की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
- इस कैंपेन की योजना में इसे व्यापक बनाने हेतु अध्यापकों,
 विद्यार्थियों तथा अन्य स्वयं सेवी संगठनों को शामिल करना है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) है।
- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना को औपचारिक रूप से 30 जून, 2008 को लागू किया गया।
- NAPCC एक व्यापक कार्ययोजना है जो जलवायु पिरवर्तन संबंधी अनुकूलन एवं शमन के उपायों को चिह्नित करती है तथा साथ ही विकास को भी उन्नत करती है।
- विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों जैसे जल, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि तथा अन्य क्षेत्र के कार्यक्रमों को कुछ अतिरिक्त कार्यक्रमों से प्रभावशाली तरीके से जोड़कर आठ लक्ष्यों का एक समृह तैयार करना है।
- जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद इस कार्य योजना का संपूर्ण क्रियान्वयन करने वाली इकाई है।

NAPCC के 8 मुख्य मिशन

- (i) राष्ट्रीय सौर मिशन
 - इसका मुख्य उद्देश्य प्रकाश विद्युत के उत्पादन को बढ़ाकर 1000 मेगावॉट/वर्ष फोटोवोल्टेइक उत्पान का लक्ष्य रखाा है तथा कम से कम 1000 मेगावॉट की संकेन्द्रित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- (ii) परिवर्धित ऊर्जा क्षमता पर राष्ट्रीय मिशन।
- (iii) सुस्थिर निवास सतत्/संपोषणीय वास (Sustainable Habitat) पर राष्ट्रीय मिशन।
 - आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्रकों के भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढावा देना
 - शहरी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन
 - शहरी सार्वजनिक परिवहन को बढावा देना
- (iv) राष्ट्रीय जल मिशन : इसका उद्देश्य मूल्य एवं अन्य उपायों द्वारा जल उपयोग क्षमता में 20 प्रतिशत तक सुधार करना है।

- यह वर्षाजल भण्डारण, संचालन तथा स्प्रिंकलर/ड्रिपिसंचाई
 को अधिक दक्ष बनाने पर बल देता है।
- (v) हिमालयी पारितंत्र संपोषणीयता पर राष्ट्रीय मिशन, इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य स्थानीय समुदाय विशेषकर ग्राम पंचायतों का प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधनों के प्रबंधन हेतु सशक्तिकरण करना है।
- सुस्थिर पर्यटन को बढ़ावा देना ताकि स्थानीय समुदाय की आजीविका का भी नुकसान न हो तथा हिमालयी पारिस्थितिकी की वहन क्षमता भी प्रभावित न हो।
- भू- दृश्य संरक्षण का प्रयास
- पर्वतीय पारितंत्र के सुस्थिर विकास हेतु भूमि उपयोग की उचित योजना एवं जल सरंक्षण प्रबंधन नीति को अपनाना।
- (vi) 'ग्रीन इण्डिया' के लिए राष्ट्रीय मिशन- यह खराब वन भूमि पर (60 लाख हेक्टेयर भूमि पर) वृक्षारोपण का उद्देश्य रखता है तथा साथ ही भारतीय क्षेत्र में वन क्षेत्र को 23% से 33% बढ़ाना है।
 - इस मिशन का लक्ष्य कार्बन सिंक जैसी पारिस्थितिकीय सेवाओं को बढावा देना है।

(vii) संपोषणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA) (viii) जलवायु परिवर्तन पर कूटनीतिक ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन।

<u>प्रोजेक्ट</u> जल संचय

- प्रोजेक्ट जल संचय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत लांच किया गया था, जिससे किसानों को जल संकट से संबंधित एक बहु आयामी समाधान प्रदान किया जा सके।
- इस प्रोजेक्ट के तहत बांध बनाया जाना तथा परम्परागत अहार पाईन सिंचाई व्यवस्था, जो जल निकायों विचलित या सिंचाई हेतु उन्हें खेतों की ओर मोड़ने की व्यवस्था है, का नवीनीकरण किया गया। साथ ही वर्षा जल के संग्रहण के लिए व्यापक जागरुकता अभियान भी चलाया गया।
- इससे न केवल जल संरक्षण को प्रोत्साहन मिला बिल्क इस प्रोजेक्ट के तहत आने वाले कृषि क्षेत्रों में सकारात्म्क रूप से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गयी है।

हरित भारत मिशन

 ग्रीन इण्डिया मिशन उन आठ आधारभूत मिशनों में से है,
 जिसकी रूप रेखा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय एक्शन प्लान के तहत बनाई गई है।

मुख्य लक्ष्य :

- इसका लक्ष्य है भारत में घटते हुए वनावरण को सुधारना, बढ़ाना तथा उसकी रक्षा करना। तथा वनावरण हानि की गम्भीरता को कम करना एवं अनुकूलन उपायों को अपनाना।
- इस मिशन के दो उद्देश्य हैं-
 - (i) वन तथा वनावरण में 5 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी करना।
 - (ii) वर्तमान में वन तथा वनावरण की स्थिति की गुणवत्ता को भी सुधारना।
- ध्यातव्य है कि वन तथा वनावरण की गुणवत्ता सुधार का कार्य दोनों प्रकार के वनों यथा वन एवं मैंग्रोव वन क्षेत्रों में 10 वर्षों के लिए किया जाना है।
- यह मिशन विकेन्द्रीकृत और भागीदारी संकल्पना पर आधारित है तािक जमीनी स्तर पर समुदायों और संगठनों की भागीदारी निर्णय प्रक्रिया, योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा निगरानी आदि में सुनिश्चित हो।

बांध सुरक्षा, पुनर्वास तथा सुधार प्रोजेक्ट

- हाल ही में केंद्रीय जल आयोग द्वारा 'राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कांफ्रेस आयोजित हुई थी।
- यह कांफ्रेस उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम तथा आई.आई.टी.
 रूड्की के सहयोग से संपन्न हुई।
- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय ने विश्व बैंक के वित्तीय सहायता से एक छ: वर्षीय बांध सुरक्षा, पुनर्वास तथा सुधार प्रोजेक्ट (DRIP) को वर्ष 2012 में शुरू किया था।
- मूल रूप से यह योजना जून, 2018 में समाप्त करने के उद्देश्य से छह साल के लिए निर्धारित की गई थी।। योजना की कुल लागत 2100 करोड़ रुपए की थी, जिसमें राज्य घटक 1968 करोड़ रुपए तथा केन्द्रीय घटक 132 करोड़ रुपए का था। व्यय वित्त समिति ने इसकी समय सीमा और लागत को 2020 तक 4666 करोड़ रुपए कर दिया है।
- सात राज्यों में स्थित लगभग 225 बांधों का व्यापक पुनर्वास तथा सुधार प्रारंभ किया गया।
- सुरक्षा एवं वित्तीय रूप संपोषणीय बांधों के संचालन के लिए संस्थागत सुधार के अलावा विनियामकीय उपायों को भी अपनाया गया है।
- वं सात राज्य जहां यह प्रोजेक्ट क्रियान्वित होगा, वं हैं— झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तिमलनाडु और उत्तराखण्ड आदि।

अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कांफ्रेंस :

- भारत 23-24 जनवरी, 2018 को अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कांफ्रेंस की मेजबानी की। इसका आयोजन केंद्रीय जल आयोग ने तिरुवंतनपुरम में किया था।
- बांध सुरक्षा कांफ्रेंस वार्षिक रूप से आयोजित होता है। इसका आयोजन बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं सुधार प्रोजेक्ट के अंतर्गत होता है।

धर्मा/DHARMA

- इसका पूर्ण रूप है-बांध स्वास्थ्य एवं पुनर्वास निगरानी अनुप्रयोग (Dam health and Rehabilitation monitoring Apllication)। यह एक सॉफ्टवेयर है, जिसे कांफ्रेंस के दौरान लॉंच किया गया था।
- धर्मा के माध्यम से सभी बांध से संबंधित आंकड़ों को प्रभावी रूप से डिजिटलीकरण किया जाएगा। इस प्रकार यह एक वेब उपकरण की भी भांति कार्य करेगा।

निष्पादन, लाभ एवं व्यापार स्कीम (PAT)

- निष्पादन, लाभ एवं व्यापार योजना के प्रथम क्रियान्वयन दौर के परिणाम विद्युत मंत्रालय के अधीन 'ब्यूरो ऑफ ऊर्जा' दक्षता ने जारी कर दिया है।
- PAT (Perform, Achieve and Trade) बाजार आधारित एक मैकेनिज्म है जो उपभोग को कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- यह कार्य वह बड़े स्तर के ऊर्जा गहन उद्योगों की प्रत्येक उत्पादन इकाई के लिए कर रहा है।
- इसका क्रियान्वयन 'ऊर्जा दक्षता सुधार पर राष्ट्रीय मिशन' (NMEEE) द्वारा किया जा रहा है।
- यह 'जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय एक्शन प्लान' (NAPCC) 2012 का हिस्सा भी है।
- यह स्कीम बड़े स्तर की ऊर्जा गहन उद्योगों को उनके कानूनी दायित्वों को पूरा करने में सहायता करेगी। ये कानूनी दायित्व ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत आते हैं।
- ऐसे उद्योग जिन्होने समयपूर्व ही ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, उन्हें 'ऊर्जा बचत सर्टिफिकेट' (ESCert) प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ये सर्टिफिकेट दो ऊर्जा विनिमय केन्द्रों-क्षारीय ऊर्जा विनिमय तथा शिक्त विनिमय इंडिया पर बेचे भी जा सकते हैं। अर्थात् ये सर्टिफिकेट व्यापार योग्य भी होंगे।

- ऐसे उद्योग जिन्होंने अपने ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके वे इन दो केंद्रों से यह सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं।
- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) इन सर्टिफिकेट के बाज़ार का रेगुलेटर है, जबिक ऊर्जा दक्षता का ब्यूरो इन सर्टिफिकेट (ESCert) के व्यापार के प्रशासक की भूमिका निभाएगा।
- PAT के द्वितीय दौर में पहले दौर के आठ सेक्टर की तुलना में तीन नये सेक्टर-रेलवे, डिस्कॉम तथा पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों को भी शामिल किया हो।
- पी.ए.टी तृतीय दौर (2017 से 2020) के तहत 116 नई इकाईयां शामिल की जायेगी तथा उन्हें 1.06 मिलियन टन ऑयल के समतुल्य घटौती लक्ष्य दिया जाएगा।

ऊर्जा एवं पर्यावरणीय डिजाईन में लीडरशिप

- यह विश्व में अधिक व्यापक स्तर पर इस्तेमाल योग्य 'हरित भवन रैंकिंग सिस्टम' है तथा यह उच्च निष्पादन को प्राप्त करने हेतु इमारतों के डिजाईन, निर्माण में सहायक होगा।
- निष्पादन स्कोर एवं प्रमाणन स्तर
 - (i) 40-44 प्रमाणित
 - (ii) 50-59 सिल्वर
 - (iii) 60-79 गोल्ड
 - (iv) 80-100 प्लेटिनम
- 🗴 इसे अमेरिकी हरित भवन परिषद ने 2016 में लांच किया था।
- लीड सूची में विश्व के चोटी के दस देश अमेरिका के अलावा है। जो सतत भवन डिजाईन, निर्माण एवं रूपांतरण में महत्त्वपूर्ण उन्नति प्रदर्शित कर रहे हैं।
- LEED (लीड) में ऊर्जा दक्षता, भीतरी पर्यावरणीय गुणवत्ता,
 मैटेरियल का चुनाव, सतह स्थल विकास एवं जल बचत आदि
 मानकों को शामिल किया गया है।
- लीड शहरों हेतु एवं लीड समुदायों हेतु ऊर्जा उपयोग निष्पादन, अपिशष्ट प्रबंधन, जल, पिरवहन तथा जीवन की गुणवत्ता आदि पर अपने स्तर से नजर रखता है।
- अमेरिका स्थित वाशिंगटन डी.सी. शहरों के लिए प्रथम लीड नामित किया गया है। पिछले वर्ष प्लेटिनम सिटी को यह स्थान दिया गया था।

समुद्री पूर्वानुमान सिस्टम

यह प्रणाली तेल रिसाव के संबंध में सलाहकार सेवाएं, उच्च लहर चेतावनी, बंदरगाह चेतावनी, सुनामी और तूफान की चेतावनी के अलावा जहाज मार्गों, मौसम पूर्वानुमान एवं खोज

- तथा बचाव कार्यों में सहायता की पेशकश भी करेगी।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले 'समुद्री सूचना सेवाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय केन्द्र' अर्थात INCOIS ने दक्षिणी-अफ्रीका से सटे हिंद महासागर के कुछ देशों के लिए एक 'समुद्री पूर्वानुमान सिस्टम' का उद्घाटन किया है।
- 🗘 ये देश हैं-कामरोस, मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक आदि।
- चह पहल RIMES (Regional Integrated Multi-Hazard early warning System for Asia and Africa) के तृतीय मंत्री स्तरीय मीटिंग के अवसर पर किया गया।
- यह समुद्री पूर्वानुमान तथा पूर्व चेतावनी सूचना उच्च लहरों, समुद्री तरंगो, पवनों, ज्वार आदि के संबंध में दी जाएगी। साथ ही इस पूर्वानुमान सिस्टम से समुद्र की उप-धरातल के निकट निवास करने वाले मछुआरों, पर्यटन क्षेत्र, तटरक्षकों, समुद्री पुलिस, बंदरगाह प्राधिकारियों, शोध संस्थाओं तथा समुद्र तटीय उद्योगों इत्यादि को सेवायें, प्रदान की जाएंगी। जो मुख्यत: इन देशों से सटे हुए हैं।
- यद्यपि समुद्री पूर्वानुमान सिस्टम का विकास हिंद महासागर से लगे देशों हेतु किया गया है, जो उन्हें न सिर्फ वास्तविक समय आंकड़े उपलब्ध करायेगा, बल्कि यह भारतीय तटरेखा के लिए भी समुद्री पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी सेवाएं उपलब्ध करायेगा।

रिम्स (RIMES)

- यह एक अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर सरकारी संस्था है। जिसके प्रबंधन का दायित्व स्वयं इसके सदस्य देशों के ऊपर है, तािक इन देशों में पूर्व चेतावनी को जेनरेट किया जाए व उसका उपयोग संभव हो।
- रिम्स क्षेत्रीय पूर्व चेतावनी सेवाएं प्रदान करना है। साथ ही सदस्य देशों के मध्य क्षमता निर्माण एवं सुनामी तथा अन्य समुद्री आपदाओं के लिए एण्ड-टू-एण्ड पूर्व चेतावनी जारी करता है।

पास्थितिकीय सेवा सुधार परियोजना

- केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा के साथ एक अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किया।
- 🗘 यह परियोजना 24.64 मिलियन अमरीकी डॉलर की है।
- यह वैश्विक पर्यावरण सुविधा अनुदान पारिस्थितिकीय सेवा सुधार परियोजना के लिए बिल प्रदान करायेगा।
- इस परियोजना का सम्पूर्ण वित्तीयन विश्व बैंक की अनुषंगी संस्था 'वैश्विक पर्यावरण सुविधा ट्रस्ट कोष' द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना की समयाविध पांच वर्षों के लिए होगी।

- परियोजना के क्रियान्वयन का दायित्व पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का होगा।
- परियोजना मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में संचालित होगी। यहां ' राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM) के तहत इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्टि रिसर्च एण्ड एजुकेशन (ICFRE) परियोजना को संचालित कर रहा है।

मुख्य उद्देश्य :

- परियोजना के माध्यम से संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सामुदायिक संगठन एवं वन विभाग के क्षमता को सुदृढ़ता प्रदान करना है। इसके जिरये वन पारिस्थितिकीय सेवाओं में सुधार होगा।
- इस प्रोजेक्ट से वन सम्पदा पर निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार होगा, जो केन्द्रीय भारत की उच्च भूमियों में रहते हैं।
- यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के 'ग्रीन इण्डिया मिशन' में भी सहायक होगा, जिसका लक्ष्य है भारत के वनावरण की रक्षा करना, उसे समृद्ध करना तथा वनावरण में सुधार लाना।

सागर वाणी

- पृथ्वी विज्ञान और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के अवसर पर 27 जुलाई, 2017 को 'सागर वाणी ऐप' की शुरुआत की।
- इस एप के माध्यम से सामुद्रिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी मछुआरों और अन्य संबंधित लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकेगी।
- केन्द्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्थापना दिवस के अवसर पर एक 'एकीकृत सूचना प्रचार-प्रसार व्यवस्था' 'सागर वाणी' को लांच किया गया।
- यह एक मोबाइल ऐप है, जो कई भाषाओं में है इसके जिरये SMS, वायस कॉल/ऑडियो परामर्श, सोशल मीडिया, ई.मेल, जी.एस.टी, फैक्स, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, रेडियो/टेलीविजन प्रसारण इकाई, IVRS, क्लाउड चैनल इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- इसके माध्यम से समुद्र तट पर रहने वाले समुदाय विशेष विशिष्ट रूप से मछुआरों की सहायता की जा सकेगी। साथ ही उनकी आजीविका एवं समुद्र में उनकी सुरक्षा हेतु परामर्श व वार्निंग आदि में यह ऐप सहायक है
- इसकी सहायता से क्षेत्रीय भाषाओं में जागरुकता फैलाई जाएगी।
 इसके लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (A1) तथा विशेष लर्निंग क्षमता से युक्त मशीन का उपयोग किया जाएगा।
- 🗘 ्यह प्रयास भारत में पहली बार होगा, जब टेलीविजन और केवल

नेटवर्क को विषयगत तथा चेतावनी हेतु माध्यम बनाया जाएगा, ताकि प्रचार-प्रसार सेवाओं का उपयोग किया जाए।

इंडिया क्वेक

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी स्थापना दिवस के अवसर पर एक अन्य मोबाईल ऐप 'इंडिया क्वेक' जारी किया है।
- इसका विकास National Center वित्त Seismology (NCS)
 द्वारा किया गया। इसके माध्यम से भूंकप आने के बाद
 के मापदण्डों-का (स्थिति, समय और परिमाण) स्वचितत
 प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
- यह ऐप भूकंप से संबंधित सूचना को तीव्रता से प्रसारित करेगा।
 यह सूचना प्रसारण व्यापक पैमाने पर किया जायेगा जिसमें सूचना प्राप्तकर्ता की संख्या की कोई बाध्यता नहीं होगी।
- यह ऐप भगदड़/अफवाह को भी कम करने में सहायक होगा,
 जो भूकंप के दौरान अक्सर घटित होते हैं।

फार्मर जोन : कृषि का भविष्य

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नई दिल्ली में एक स्मार्ट कृषि कॉन्क्लेव का आयोजन किया।
- इस कृषि कॉन्क्लेव को ब्रिटेन के जैव प्रौद्योगिकी तथा जैव विज्ञान अनुसंधान परिषद (BBSRC) एवं यू.के. अनुसंधान परिषद (RCUK) के सहयोग से आयोजित किया गया।
- कॉन्क्लेव का उद्देश्य था 'फार्मर जोन' हेतु एक मंच प्रदान करना।
- 'फार्मर जोन' स्मार्ट कृषि के लिए खुला श्रोत आंकड़ा प्लेट फार्म है, जिसके माध्यम से जीविवज्ञान अनुसंधान एवं आंकड़ों का अनुसंधान होगा, तािक छोटे तथा सीमांत किसानों की आजीविका को बेहतर बनाया जा सके।
- 'फार्मर जोन' की कल्पना जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई है, ताकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवोन्मेष में एकीकृत किया जाए तथा एक कृषि पारिस्थितिकी का निर्माण हो।
- 'फार्मर जोन' कृषकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त यह जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान, मौसम, मृदा, जल आदि से संबंधित सूचनाओं के जिरये किसानों की मदद करेगा।
- यह किसानों को बीज आदि की जरूरतों तथा बाजार के बारे सूचनाएं भी प्रदान करेगा।
- यह कृषकों को वैज्ञानिको, सरकारी प्राधिकारियों तथा कृषि
 प्रतिनिधियों से जोड़ने का कार्य करेगा। तािक इस माध्यम से
 प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रीय कृषि समाधान किया जा सके।

'वुड इज गुड' अभियान

- सरकार ने एक 'बुड इज गुड' कैम्पेन जारी किया है। यह अभियान 'भूमि उपयोग विज्ञान' (फारेस्ट-प्लस) की साझीदारी से संचालित होगा।
- यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी ऐजेंसी (USAID) तथा भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के बीच हुई है।
- इस कैम्पेन के पीछे विचार यह है कि जलवायु फ्रेंडली संसाधन के रूप में लकड़ी की वस्तुओं को प्रोत्साहित किया जाए, बजाए इसके कि प्लास्टिक एवं स्टील से निर्मित दैनिक वस्तुओं के उपयोग दूसरी वस्तुओं से निर्मित सामानों की तुलना में अधिक कार्बन उदासीन होती है।

फॉरेस्ट-प्लस

- भूमि उपयोग विज्ञान (फॉरेस्ट-प्लस) हेतु साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी ऐजेंसी (USAUD) तथा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के मध्य एक संयुक्त कार्यक्रम है।
- इसके माध्यम से वनोन्मूलन तथा वनों के विनाश की दर को कम करने के लिए भारत में क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा।
- इस प्रोग्राम के जिरये भारत एवं अमेरिकी विशेषज्ञों को एक साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा।
- इससे प्रौद्योगिकी एवं उपकरण के अतिरिक्त वन प्रबंधन से संबंधित तरीके भी अपनाये जाएगें, जिससे वन प्रबंधन की तकनीकी चुनौतियों का समाधान भी होगा।
- इस माध्यम से स्वस्थ्य पारिस्थितिकी निर्माण, कार्बन स्टॉक,
 जैव-विविधता तथा आजीविका जैसी समस्याओं का समाधान होगा।

इंस्पायर 2017

- इंटरनेशनल सिम्पोज्ञियम टू प्रयोट इनोवेशन एण्ड रिसर्च इन एनर्जी इफिशियंसी अर्थात् INSPIRE 2017 इसके प्रथम संस्करण को हाल ही में जयपुर राजस्थान में जारी किया गया।
- यह एनर्जी दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) एवं विश्व बैंक तथा ऊर्जा दक्षता अर्थव्यवस्था के लिए एलायंस (AEEE) की साझेदारी से एक पांच दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन था।
- इंस्पायर 2017 एक अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस है, जो विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने का काम करता है। उन हितधारकों में नीति निर्माता, नवोन्मेषी, वित्त पोषण करने वाले तथा ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति जिन्होंने इस क्षेत्र में उच्च मापदंडों को स्थापित किया है, आदि शामिल है।

- यह एक प्लेटफार्म है, जहां ऊर्जा दक्षता नीतियों, बाजार रूपांतरणकारी नीतियों, उभरती हुई तकनीकों, ऐसे विपणन एवं व्यापार मॉडल, जो रूपांतरणकारी सिद्ध हों, आदि रणनीतियों पर चर्चा होती है।
- इस आयोजन में नीति निर्माता, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विशेषज्ञ, विश्व बैंक समूह, द एनर्जी इंस्टीट्यूट (TERI) अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा ऐजेंसी (IEA) रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) अमेरिका तथा स्वच्छ ऊर्जा मिनिस्ट्रियल के प्रतिनिधि आदि शामिल थे एवं आयोजन का हिस्सा थे।

प्रोटोकॉल फॉर स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज-फी सिटीज

- इसे केंद्र सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने लांच किया है।
- 🗘 इसका विकास स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत किया गया है।
- 🗴 यह स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग सर्वे से भिन्न योजना है।
- इसके अंतर्गत शहरों की रैंकिंग 7 स्टार रैंकिंग व्यवस्था पर आधारित होगी, जिसमें विभिन्न संकेतकों का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाएगा।

स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल का दृष्टिकोण पत्र

- िकसी एक समय बिंदु पर किसी दिन में सार्वजिनक व्यावसायिक एवं शहर के रिहायशी स्थानों पर कितना कूड़ा-कर्कट रहित तथा गंदगी मुक्त हुआ हो।
- अपिशष्ट पदार्थ का 100% वैज्ञानिक विधियों से निस्तारण होना आवश्यक है।
- सभी घरेलू अपशिष्ट का उपचारण शहर में वैज्ञानिक विधियों से होना आवश्यक है एवं स्थानीय निकायों के माध्यम से ठोस अपशिष्ट भी जरुरी है न सिर्फ ठोस अपशिष्ट बल्कि प्लास्टिक एवं निर्माण व विध्वंस से संबंधित अपशिष्ट निष्तारण होना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त शहरों में अपिशष्ट निरंतर कम होते रहना चाहिए। ऐसी नीतियों, युक्तियों का प्रयोग होना चाहिये, जिससे शहरों में अपिशष्ट का उत्पादन कम से कम हो तािक शहर की स्वच्छता एवं सौंदर्यता में वृद्धि हो।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम

 केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 17 अप्रैल, 2018 को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का मसौदा

- जारी किया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम बनाया गया है।
- यह मध्याविध स्तरीय रणनीति है, जिससे देश में बढ़ते हुए वायु
 प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके।
- इसका मुख्य उद्देश्य है एक व्यापक प्रबंधन योजना (वायु प्रदूषण रोकने हेतु) तथा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण एवं नियंत्रण।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम सहयोग एवं साझेदारी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें प्रदूषण के सभी स्रोतों से निपटने की योजना है तथा विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों एवं अन्य हितधारकों के साथ समन्वय आधारित दृष्टिकोण भी अपनाया जएगा।
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम के अंतर्गत एक स्वतंत्र अवयव के रूप में 'प्रौद्योगिकी मूल्यांकन प्रकोष्ठ' की परिकल्पना की गई है। जो ऐसी प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करेगा, जिन्हें वायु प्रदूषण को रोकने नियंत्रित करने तथा न्यूनीकरण में उपयोग किया जा सकता है।

डे-जीरो

- बांधों में साप्ताहिक जल सतह, जिस दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन में सप्ताई किया जाता है। इसे एक शब्दावली 'डे जीरो' दिया गया है।
- यह वह दिवस है जब दक्षिण अफ्रीका में अधिकतर बांध संचालन रूक सकता है और ऐसी आशा की जाती है कि शायद मई 2018 में वे पुन: संचालित हो।
- इस संकट की गंभीरता का अनुभव तीन वर्ष पूर्व अनुभव किया
 गया जब निरंतर तीन वर्षों तक कमजोर वर्षो की स्थिति एवं अत्यधिक पानी की मांग का सामना हुआ।
- इससे निपटने के लिए जल उपभोग पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये जिसके तहत नगरवासियों को बगीचों में पानी देने से मना किया गया तथा कार इत्यादि की धुलाई पर भी पाबंदी लगाई गई, साथ ही अधिकतर सार्वजनिक स्वीमिंग पुल को भी बंद किया गया।

नीला झण्डा या ब्लू फ्लैग

- यह पर्यावरणीय शिक्षा हेतु फाउण्डेशन द्वारा एक प्रमाणन है, जो समुद्र तट सतत नौकायन पर्यटन संचालक एक कठोर प्रतिस्पर्द्धा मापदण्ड से प्राप्त करते हैं।
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक पायलट परियोजना लांच की गई है, ताकि बीच या समुद्र तटों की सफाई एवं विकास

- किया जा सके तथा ऐसे चिन्हित बीचों को 'ब्लू फ्लैग' प्रमाण
- 🔉 भी प्रदान किया जायेगा।
- इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को एक बीच (समुद्र तट) नामित करना होगा तथा उसके विकास के लिये एकीकृत तटीय प्रबंधन प्रोग्राम द्वारा वित्त भी मुहैया कराया जायेगा।

हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GSDP)

- केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने 14 मई, 2018 को हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GSDP) आरंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करना है।
- इस कार्यक्रम के तहत अगले तीन वर्षों में साढ़े पांच लाख से अधिक युवकों को पर्यावरण से जुड़े कार्यों में प्रशिक्षित करके उनका कौशल विकास किया जाएगा।
- इस दौरान 30 प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किये जायेंगे तथा वर्ष 2021 तक प्रशिक्षित युवाओं को पर्यावरण संरक्षण हेतु तैयार किया जायेगा।
- इस अवसर पर GSDP-ENVIS नामक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिससे इच्छुक आवेदक कार्यक्रम की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उद्देश्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में युवाओं के भीतर पर्यावरण से सम्बंधित रोजगार और उद्यमिता पैदा करना है।
- इसके तहत सरकार अगले एक साल के भीतर देश के करीब
 80 संस्थानों में 80,000 युवओं को प्रशिक्षण देगी।
- अगले साल इनकी संख्या 2 लाख हो जाएगी और 2021 तक करीब 5.5 लाख युवा ग्रीन स्किल्ड वर्कर के तौर पर ट्रेनिंग ले चुके होंगे।

पृष्ठभूमि

- हरित कौशल विकास कार्यक्रम (GSDP) को पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2017 में देश के 10 जिलों में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था। इनमें अधिकतर स्कूल ड्राप-आउट युवा शामिल थे।
- इन्हें पैराटैक्सोनॉमिस्ट्स और बॉयोडायवर्सिटी कंजर्वेशनिस्ट के तौर पर प्रशिक्षित किया गया। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए सरकार ने GSPD को पूर्ण रूप से आरंभ करने का निर्णय लिया।

सी-गंगा

- C Ganga एक नया थिंक-टैंक है, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तत्वावधान में बनाया गया है।
- इसके घोषित उद्देश्य हैं भारत को नदी तथा जल विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के नेता के रूप में स्थापित करना।
- यह भारत में नई प्रौद्योगिकी, नवाचार के समाधानों को अपनाने के लिए उत्तरदायी है।
- इसका मुख्यालय आई.आई.टी. कानपुर में है जो कि देश में साइंस तथा तकनीकी संस्थानों में एक प्रमुख संस्थान है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

- इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 16 अक्टूबर, 2014 को किया गया।
- औद्योगिक विकास को सहयोगी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु
 यह योजना प्रारंभ की गई है।
- योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलें की गई हैं-

1. श्रम सुविधा पोर्टल

- ऑनलाइन पंजीकरण को सरल बनाने के लिए श्रिमिकों को एक 'श्रिमिक विशिष्ट पहचान संख्या (LIN) प्रदान किया जाएगा।
- 🖸 यह पोर्टल शिकायतों के समयबद्ध निपटान में सहायक होगा।
- शिकायतें दायर करने को सरल बनाने के लिए सिंगल हार्मोनाइड फॉर्म होगा।

 श्रम निरीक्षकों को 72 घटों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करनी होगी।

2. यादृच्छिक श्रमिक निरीक्षण योजना

 निरीक्षणों की कम्प्यूटराइज्ड सूची यादृच्छिक रूप से जारी की जाएगी, जिससे इंस्पेक्टर राज में कमी लाई जा सके।

3. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के लिए सार्वभौमिक खाता संख्या

- एक सार्वभौमिक खाता संख्या (UAN) EPF प्राप्तकर्ता को जारी की जाएगी जिससे भिवष्य निधि खाते को कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकेगा तथा उनकी सूचना को डिजिटलीकृत करते हुए उनकी सार्वभौमिक पहुंच को सरल किया जाएगा।
- इसके माध्यम से संगठित क्षेत्र के श्रमिकों उनके कार्यक्षेत्रों में तथा किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा लाभों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

4. प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना

- 🗘 इसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को कार्य पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- युवाओं में कौशल विकास के द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा नियोजकों को उनके द्वारा दिए जाने वाले वेतन की 50% प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

5. संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

सूचना प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क का प्रयोग संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य कार्ड में आम आदमी बीमा योजना तथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सम्मिलत करना है।

विविध

'उन्नति' इसरो का क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री ने 17 जनवरी को बेंगलुरू में उन्नित नामक इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो क्षमता निर्माण कार्यक्रम
 के तहत 45 देशों को नैनो उपग्रह बनाने का प्रशिक्षण देगा।
- बेंगलुरू में दो महीने के इस प्रशिक्षण में नैनो उपग्रह की तकनीकों से अवगत कराया जायेगा।
- इसरो के प्रमुख के. सिवान ने अनुसार उन्नित कार्यक्रम तीन चरणों में चलाया जाएगा।
- 🗘 इसमें कुल तीन बैच होंगे। पहले बैच में 17 देशों के 30

प्रतिभागी शामिल होंगे।

- इसके तहत नैनो सैटेलाइट को विकसित और असेंबल करने का तरीका बताया जाएगा।
- इसमें नैनोसैटेलाइट की थ्योरी भी बतायी जाएगी।

गूगल टैक्स

- 🗘 इसकी शुरुआत 1 जून, 2016 को की गई।
- भारत के बाहर की विदेशी ई-कॉमर्स कंपिनयों की आय पर कर लगाने के लिए गूगल टैक्स की घोषणा की गई है।
- 🗘 कोई भी व्यक्ति या संस्था जो एक वित्तीय वर्ष में किसी

- गैर-निवासी तकनीकी कंपनी को 1 लाख से अधिक का भुगतान करती है, तो उसे भुगतान की गई राशि का 6 प्रतिशत गूगल टैक्स के रूप में चुकाना होगा।
- यह कर केवल उसी पिरिस्थिति में लिया जाएगा जबिक राशि का भुगतान इन तकनीकी कंपिनयों से कुछ निश्चित B2B सेवाएँ लेने के लिए किया गया हो।

वन धन योजना

- प्रधानमंत्री द्वारा भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के जन्मदिवस 14 अप्रैल, 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जनपद में आदिवासियों की आय में वृद्धि करने में मूल्यवर्द्धन की भूमिका सुनिश्चित करने संबंधी 'वन धन योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना के प्रमुख तत्व निम्नलिखित प्रकार
- कौशल प्रोन्नयन एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण हेतु 'वन धन विकास केन्द्रों' की स्थापना करना।
- देश के जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण एवं मृल्यवर्द्धन सुविधाओं की स्थापना करना।
- वनोत्पाद संग्रहित करने वाले 30-30 जनजातीय लोगों के 10-10 स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना। इन समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित करके उनहें अपने-अपने उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन हेतु कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराना।
- संबंधित जिले के जिलाधिकारी के नेतृत्व में कार्य करते हुए ये स्वयं सहायता समूह न केवल राज्य के भीतर वरन् राज्यों से बाहर भी बेच सकेंगे।
- इन स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
- संपूर्ण देश में 30000 वन धन विकास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- इस उपागम से जनजातीय लोगों को उनके द्वारा संग्रहित वनोत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा।
- योजना के अंतर्गत जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करने के लिए त्रि-स्तरीय मूल्यवर्द्धन प्रणाली विकसित की जा रही है। सबसे निचले स्तर पर स्वयं सहायता समृहों द्वारा क्रियान्वयन

- निकायों के साथ मिलकर वनोत्पादों की खरीद करना, आजीविका जैसे पहले से कार्यरत स्वयं सहायता समूहों की सेवाओं को प्रयुक्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों/योजनाओं के साथ समाभिरुपता तथा नेटवर्किंग।
- दूसरे चरण में इन स्वयं सहायता समूहों के द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद प्राथमिक प्रसंस्करण के बाद क्रियान्वयन एजेंसियों या द्वितीयक प्रसंस्करण करने वाले कॉर्पोरेट निकायों को आपूर्ति किया जाएगा।
- द्विस्तरीय मूल्यवर्द्धन जिला स्तर पर तृतीयक स्तर, मूल्यवर्द्धन राज्य स्तर पर सृजित किया जाएगा।
- सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल के तहत् बड़े-बड़े कॉर्पोरेटों को भी योजना में शामिल करना।

वनबंधु कल्याण योजना

- केन्द्र ने आदिवासियों के कल्याण के लिए वनबंधु कल्याण योजना (वीकेवाई) आरंभ की है।
- योजना आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, ओड़िशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में एक-एक ब्लॉक में प्रायोगिक स्तर पर आरंभ की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत केन्द्र ने आदिवासियों के लिए विभिन्न सुविधाओं के विकास हेतु प्रत्येक ब्लॉक को 10-10 करोड़ रुपए दिए है।
- इन ब्लॉकों का चयन संबंधित राज्यों की सिफारिश पर किया
 गया है और वहाँ साक्षरता की दर बहुत कम है।
- योजना मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे की किमयाँ दूर करने तथा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य सामाजिक समूहों के बीच मानव विकास सूचकांक संबंधी अंतर को पाटने पर ध्यान केन्द्रित करती है।
- वीकेवाई केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न विकास परियोजनाओं को परिणाम केन्द्रित रूख के साथ एक साथ लाने पर भी ध्यान देगी। आरंभ में उन ब्लॉकों को लक्ष्य किया जा रहा है, जिनकी कुल जनसंख्या में कम-से-कम 33 प्रतिशत हिस्सेदारी आदिवासियों की है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं अभिसमय		
	आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन	
1971 (ईरान)	 वर्तमान में सम्मेलन के 169 करार दल हैं, कुल लगभग 225 मिलियन हेक्टेयर में फैली 2290 आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं, जो रामसर की अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमि सूची में शामिल करने के लिए नामित हैं। रामसर सम्मेलन किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित अकेली वैश्विक पर्यावरणीय संधि है। 	
	संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (स्टॉकहोम सम्मेलन)	
1971	 पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में 119 देशों ने पहली बार 'एक ही पृथ्वी' का सिद्धांत स्वीकार किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) का जन्म हुआ। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा सम्मेलन में की गई। मानवीय पर्यावरण की घोषणा। मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना। नाभिकीय शस्त्रों के परीक्षण पर रोक का प्रस्ताव। 	
	लंदन अभिसमय	
1972 (लंदन)	 यह अभिसमय वैश्वक प्रकृति का है और इसका उद्देश्य समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित एवं समाप्त करना है। कन्वेंशन के अंतर्गत निस्तारण को परिभावित किया गया है। समुद्र में जानबूझकर अपिशष्ट या वाहनों, वायुयानों, या अन्य मानव निर्मित ढांचों, से प्राप्त पदार्थों को डालना, निस्तारण (डिम्पिंग) के अंतर्गत आता है। अभिसमय के अनुच्छेदों का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग, विशेष रूप से निगरानी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, को बढ़ावा देना है। अभिसमय के देशों ने अनुमित के प्रबंधन, अभिलेखों के रख-रखाव और समुद्र की स्थिति की निगरानी करने के लिए एक प्राधिकरण नियुक्त किया गया। 	
	संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (साइट्स)	
1973 (वाशिंगटन)	 यह सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जंगली जानवरों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करना और इनके अस्तित्व पर संकट न पैदा हो यह सुनिश्चित करना इसका मुख्य कार्य है। साइट्स UNEP के द्वारा प्रशासित होता है। भारत इसका सदस्य 1976 से है। 	
	(ट्रैफिक) वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क	
1976 (युनाइटेड किंगडम)	 यह एक गैर सरकारी वैश्विक नेटवर्क है। इसका कार्य वन्यजीवों और पौधों के व्यापार पर निगरानी रखना है तथा उसके उचित प्रबंधन पर बल देना है। साइट्स का सिचवालय इसे अपनी गतिविधियों को संचालित करने में आवश्यक सहयोग देता है। ट्रैफिक का लक्ष्य 2020 तक जैव विविधता पर वन्यजीवों के अवैध और गैर संपोषणीय व्यापार से पड़ने वाले दबाव को कम कर वन्य जीव संरक्षण से मिलने वाले सतत लाभों में वृद्धि करना है। यह नेटवर्क IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। 	

	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
1987	 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को इतिहास में सर्वाधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के रूप में मान्यता दी गई है। विश्व के सभी 197 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसम्बर, 1994 को संकल्प 49/114 अपनाया था, जो ओजोन परत के संरक्षण हेतु 16 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करता है, क्योंकि ओजोन परत में कमी लाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितम्बर, 1987 को हस्ताक्षर किये गये थे। 1 जुलाई, 2015 से एचसीएफसी आधारित एयर कंडीशनर के आयात का भी निषेध किया गया है।
	किगाली समझौता
2016 (रवांडा)	 रंवाडा के नगर किगाली में 197 देशों ने ग्रीनहाउस गैस समूह के प्रबल गैसों का रोकने के लिए समझौता किया है। 21वीं सदी के अंत तक विश्व के तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाने की उम्मीद है। यह ग्रीनहाउस परिवार की ऐसी गैस है, जो घरों एवं कारों में ठंडक देने वाले उपकरणों में प्रयोग की जाती है। सामान्य तौर पर इसे R-22 के नाम से भी जाना जाता है। 1 किग्रा. कार्बन डाइ ऑक्साइड की तुलना में यह गैस 14,800 गुना अधिक गर्मी बढ़ाती है। भारत, चीन एवं अमेरिका जैसे देशों ने 2045 तक HFC के प्रयोग में 85 प्रतिशत कमी करने का संकल्प किया गया है। यह समझौता एक तरह से पेरिस समझौते की पुष्टि है, जिसमें सन् 2100 तक विश्व के तापमान में 20 डिग्री. सेल्सियस की कमी करने का प्रस्ताव किया गया।
	मॉनट्रेक्स रिकॉर्ड
1990	 यह रामसर सूची के एक भाग के रूप में निर्दिष्ट है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड करार दलों के सम्मेलन कॉन्फरेंस ऑफ द कोंट्रेक्टिंग पार्ट्रीज, की सिफारिश 4.8 द्वारा स्थापित किया गया था।
	जैव विविधता पर अभिसमय

	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन
1992 (रियो डि जनेरियो)	 इन विषयों पर हुई चर्चाओं के परिणामस्वरूप 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय', 'जैव-विविधता पर अभिसमय', वन सिद्धांत 'रियो घोषणा', 'एजेंडा 21' और वातावरण आर्थिक विकास और मानविधकारों से संबंधित अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को अपनाया गया। जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन रियो अर्थ समिट 1992 मरूस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन को भी अपनाया गया।
	UNFCC
9 मई, 1992 (रियो डी जनेरियो)	 प्रथम सम्मेलन बर्लिन (1995) में हुआ। जलवायु परिवर्तन पर प्रथम बहुपक्षीय कन्वेंशन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि। वातावरण में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को एक स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक एंथ्रोपोजेनिक हस्तक्षेप को रोकेगा। विकसित औद्योगिक देश जिनसे हरित गृह गैस के उत्सर्जन कटौती की अपेक्षा की जाती है। एनेक्स-1 के देश कहलाए। UNFCC का क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के COP-3 में अपनाया गया।
	मरूस्थलीकरण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय
1994 (पेरिस)	 इन वार्ताओं में उन अफ्रीकी देशों की जरूरतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जो मरुस्थलीकरण के परिणामस्वरूप बार-बार सूखे की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं यह एक कानूनी बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत सिंहत 194 देश तथा यूरोपियम यूरोपियन इसके हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल हैं। ये प्रावधान मरूस्थलीकरण और सूखे से निपटने की दिशा में गरीबी-निवारण के लिए एकीकृत नीति की मांग करते हैं।
	क्योटो प्रोटोकॉल
1997 (जापान)	 यह 16 फरवरी, 2005 से कार्यशील हुआ। क्योटो संधि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने के लिए लक्ष्य तय करता है। 2008 में भारत समेत 183 देशों ने इस संधि को अपनी मंजूरी दी है। इसके विस्तृत नियम को मराकेश (मोरक्को) में 2001 के COP-7 में अपनाया गया। अत: इसे मराकेश समझौता भी कहा जाता है। संधि के अंतर्गत विकसित देशों को वर्ष 2012 तक 5.2% के औसत से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 की उत्सर्जन दरों से नीचे लाने की बाध्यता है। हालाँकि, क्योटो संधि तीन बाजार-आधारित प्रणालियों के तरीके से उनके लक्ष्यों को पूरा करने का भी एक अवसर देती है, वे हैं- (i) उत्सर्जन व्यापार-इसे अंतर्राष्ट्रीय 'कार्बन बाजार' के नाम से जाना जाता है। (ii) स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) (iii) संयुक्त कार्यान्वयन (जेआईई)

	कार्टाजेना सुरक्षा प्रोटोकॉल	
2000 (पेरिस)	• यह जैविविविधता में जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित G.M उत्पादों के मिश्रण को रोकने और सुरक्षित हस्तांतरण हेतु लाया गया अभिसमय है।	
	स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर अभिसमय स्टॉकहोम अभिसमय	
2001 (स्टॉकहोम)	 यह संधि, विषैले रसायनों के उत्पादन, आयात, निर्यात, प्रबंधन और उपयोग पर नियंत्रण रखती है। इसने 12 रसायनों के आरम्भिक समूह, जिनमें अधिकांश पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, के संबंध में कठिन अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित किया है। अभिसमय के अंतर्गत एक 'पीओपी समीक्षा सिमिति' का गठन किया जायेगा, जो नियमित आधार पर अतिरिक्त पीओपी के संबंध में विचार करेगी। विश्व पीओपी अभिसमय पर यूएनईपी ढांचे के अंतर्गत चर्चा हुई तथा इसे दिसम्बर, 2000 में जोहान्सबर्ग (दिक्षण अफ्रीका) में 122 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम रूप दिया गया। यह अभिसमय अभी तक प्रभाव में नहीं आया है। 	
2005	 इसे बोन सम्मेलन भी कहा जाता है। यह 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' UNEP के संरक्षण में कार्य करती है। यह सम्मेलन सभी प्रकार के प्रवासी पशु एवं पिक्षयों को सरंक्षण प्रदान करता है। प्रवासी पशु पिक्षयों के संरक्षण के लिए यह पहला और एकमात्र वैश्विक समझौता है। 	
	वन्यजीव तस्करी के विरूद्ध गठबंधन	
2005	 इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। इसमें सरकारी और गैर सरकारी सहभागियों को शामिल किया जाता है। कानूनों के क्रियान्वयन में सीधे भाग लेने के बजाय यह प्रशिक्षण और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर बल देता है। यह संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (साइट्स) जैसी संस्थाओं को भी सहायता प्रदान करता है। 	
	अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक प्रबंधन हेतु कार्यनीतिक दृष्टिकोण	
2006	 फरवरी, 2006 में भारत सिंहत 190 से अधिक देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायिनक प्रबंधन के प्रति कार्यनीति दृष्टिकोण, जो रसायनों के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देने के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत ढांचा है, के प्रति सहमित व्यक्त की गई थी। देश में पेंट, डिस्टेम्पर और पिग्मेंटों में लेड कैडिमियम, पारा और आर्सेनिक की सूची बनाने संबंधी अध्ययन आंरभ करना। इस उद्देश्य के लिए भारत ने रसायन प्रबंधन के लिए भारत की अवसरंचना और क्षमता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन प्रोफाइल तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ की थी। मंत्रालय द्वारा किए गए अन्य कार्यों में सिम्मिलत थे- इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2012 अधिसूचित करना। ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम के अनुरूप खतरनाक वस्तु (वर्गीकरण, पैकेजिंग तथा लेबिलंग) नियम के मसौदे को अंतिम रूप देना शामिल है। 	

	बाली सम्मेलन
2007 (इंडोनेशिया)	 इस सम्मेलन में बाली रोड मैप को अपनाया गया। यह निर्णयों का एक समुच्चय था जो वैश्विक जलवायु समझौते तक पहुँचने के लिये विभिन्न रास्तों का प्रतिनिधित्व करता था। निर्वनीकरण एवं वन प्रबंधन पर निर्णय। विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी पर निर्णय। अनुकूलन निधि बोर्ड (Adaptataion Fund Board) की स्थापना। उन वित्तीय तंत्रों का निरीक्षण जो मौजूदा जीईएफ (Global Environment Facility- GEF) के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। बाली एक्शन प्लान जो कि एक नई समग्र प्रक्रिया की स्थापना की स्वीकृति। जलवायु परिवर्तन हेतु शमन पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को बढ़ाना।
	पारा संबंधी मिनीमाटा कन्वेंशन
2008	 यूएनईपी की शासी परिषद ने पारा पर एक वैश्विक बाध्यकारी दस्तावेज तैयार करने के लिए निर्णय 25/5 अपनाया। पूर्णाधिकारियों के सम्मेलन, जो 9-11 अक्टूबर, 2013 तक मिनीमाटा और कुआमाटो, जापान में आयोजित किया गया था, में पारे के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में एक वैश्विक संधि ''पारा संबंधी मिनीमाटा कन्वेंशन'' को औपचारिक रूप से अपनाया गया। देश तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकता संगठनों के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया। भारत ने 30 सितम्बर, 2014 को इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर दिया है।
	कोपेनहेगेन सम्मेलन
2019 (कोपेनहेगेन)	 क्योटो प्रोटोकॉल के बाद जलवायु परिवर्तन पर होने वाला 5वां सम्मेलन था। जबिक COP का 15वां अधिवेशन था। सहमिति: कोपेनहेगेन में अमेरिका, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा तैयार किए गए सहमित-पत्र में सभी देशों से अपील की गई कि, जनवरी, 2010 के अंत तक अपने कार्बन कटौती में लक्ष्य की घोषणा करें। सहमित पत्र में इस बात की जरूरत पर बल दिया गया कि, तापमान में बढ़ोत्तरी को 2ºC से नीचे रखा जाय, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता तय नहीं की गई।
	COP-16 कानकुन सम्मेलन
2010 (मेक्सिको)	 194 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विकसित देश वर्ष 2020 तक वे 100 अरब डॉलर, हरित जलवायु कोष (ग्रीन क्लाइमेट फंड) द्वारा उपलब्ध कराएंगे। इस कोष के प्रारूप का निर्माण एक सिमिति द्वारा किया जाएगा, जिसका एक सदस्य विकसित देशों तथा 25 सदस्य विकासशील देशों से होंगे। सरकारें CDM के अंतर्गत परियोजनाओं में CCS (Carbon Capture and Storage) को शामिल करने पर राजी हुई।

	 COP-16 के परिणामस्वरूप तीन तंत्रों का उद्भव हुआ— 1. तकनीकी तंत्र 2. कानकुन अुकुल फ्रेमवर्क 3. हरित जलवायु कोष यह संयुक्त राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है। यह 24 सदस्यीय हरित जलवायु कोष बोर्ड द्वारा शासित है एवं ट्रस्टी द्वारा प्रबंधित है।
	 इसमें विकसित एवं विकासशील देशों का समान प्रतिनिधित्व है। जलवायु परिवर्तन हेतु यह कोष सरकारी निवेश के साथ-साथ निजी क्षेत्रों से भी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
	नागोया प्रोटोकॉल
2010 (जापान)	 COP-10 में ही सीबीडी की जैव विविधता पर वर्ष 2011-2020 रणनीतिक योजना के तहत 20 लक्ष्य तय किए गए जिन्हें 'आइची लक्ष्य' कहा जाता है। नागोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य विकास के साथ-साथ लोगों के लिए जैव विविधता के योगदान को बढ़ाना भी है। 'आईची लक्ष्य' में 20 लक्ष्य हैं जिन्हें पाँच रणनीतिक शीर्षकों में विभाजित किया गया है जिसमें जैव विविध ता क्षय के कारणों, जैवविविधता पर दबाव में कमी, सभी स्तरों पर जैव विविधता की संरक्षा, जैव विविध ता से प्राप्त लाभों को बढ़ाना व क्षमता निर्माण की प्राप्ति शामिल है।
	COP-17
2011 (डरबन)	 सम्मेलन का थीम था- वर्किंग टुगेदर सेविंग टुमॉरो टुडे (Working Together Saving Tomorrow today) जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया। पृथ्वी से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए और विश्व के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किए जाने पर सहमित बनी। भारत ने कानूनी तौर पर ऐसी किसी भी संधि का विरोध किया। ADP (Ad Hoc Working Group on the Durban platform for Enhanced Action) की स्थापना। इसके तहत प्रथम बार भारत और चीन भी उत्सर्जन कटौती के दायरे में आएंगे, साथ ही नए करार के तहत सभी देश एक ही कानूनी व्यवस्था में भी आएंगे।
	दोहा सम्मेलन (CoP-18)
2012 (दोहा)	 सम्मेलन की उपलब्धि यह रही कि क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। डरबन सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर नई संधि का प्रारूप तैयार करने के लिए वर्ष 2015 की समय सीमा तय की गई तािक इस नई-संधि को 2020 से लागू किया जा सकें। इस संधि में 36 देश शािमल है, उनका कुल उत्सर्जन मात्र 15 प्रतिशत है। अमेरिका, जो कि विश्व में कार्बन का दूसरा बड़ा उत्सर्जक है, इस संधि से बाहर है। दूसरी तरफ कनाडा स्वयं को दिसम्बर, 2011 में इस संधि से औपचारिक रूप से हटाने की घोषणा कर चुका है। यह विकासशील देशों में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के रूप में नीतियों और कार्यों का एक सेट है।

- दोहा जलवायु परिवर्तन संधि से संबंधित एक नई संधि सामने आई जिसे दोहा क्लाइमेट गेटवे नाम दिया गया।
- बाली सम्मेलन 2007 में हुई बातचीत के आधार पर दोहा (COP-18) में यह निर्णय लिया गया कि विकासशील देश NAMA के तहत ग्रीनहाउस गैस के शमन के लिए कार्यवाही करेंगे।
- UNFCCC सिचवालय द्वारा एक वेब आधारित प्लेटफार्म NAMA Registiy की स्थापना की गई जिस पर देश राष्ट्रीय स्तर पर किये गए उत्सर्जन शमन कार्यों का विवरण दे सकेंगे तािक उन्हें उचित वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके।

वांरसा सम्मेलन

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 19वें सत्र में विश्व के 190 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या और उसके समाधान पर चर्चा की गई।
- इसमें चीन सिंहत समूह-77 के सभी देश एकजुट थे। चीन व भारत ने 'लाइक माइन्डेड डेवलिपंग कंट्रीज' नामक एक समूह बनाया है तथा विकसित देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है।
- 2014 में पेरू में होने वाली 20वें सत्र की चर्चा में जलवायु-परिवर्तन समझौते के ड्राफ्ट पर विचार-विमर्श किया गया तथा 2015 में पेरिस में होने वाले 21वें चक्र की वार्ताओं में इस समझौते को अंतिम रूप दिया।
- इसमें निम्न मुद्दों पर निर्णय लिए गए;
- डरबन प्लेटफार्म को आगे बढ़ाना
- ग्रीन क्लाइमेट फंड
- दीर्घ अवधि वित्त
- REDD+ हेतु वारसा फ्रेमवर्क
- क्षति एवं नुकसान हेतु वारसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र

• REDD+

- यह UNFCCC के अंतर्गत परिभाषित एक तंत्र है जो विकासशील देशों को निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण में कमी द्वारा उनके उत्सर्जन कटौती के लिए पुरस्कृत करता है।
- UN-REDD कार्यक्रम सीधे तौर पर REDD+ तंत्र से नहीं जुड़ा है बल्कि यह UNDP, UNEP एवं FAO का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम है।

अंतर (REDD & REDD+)

- REDD जहां सिर्फ विकासशील देशों द्वारा उनके वन संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं बचाव करने हेतु प्रोत्साहन राशि तक सिमित है वहीं REDD+ न सिर्फ निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण को देखता है बिल्क वनों के संरक्षण, संपोषणीय प्रबंधन एवं वन कार्बन भंडार के सकारात्मक तत्त्वों हेतु भी प्रोत्साहन राशि देता है।
- इसमें गुणवत्ता संवर्द्धन एवं वन आवरण (Forest Cover) का संवर्द्धन भी शामिल है।
- निर्वनीकरण द्वारा उत्सर्जन कटौती।
- वन निम्नीकरण द्वारा उत्सर्जन कटौती।
- वन कार्बन संग्रह (Forest carbon stock) का संरक्षण।
- वनों का संपोषणीय प्रबंधन।
- वन कार्बन संग्रह का संवर्द्धन।
- REDD+ से संबंधित भारत की पहल
- वर्ष 2008 में वनों का संपोषणीय प्रबंधन एवं वनीकरण तथा पुनर्वनीकरण पर UNFCC का रिपोर्ट सौंपी।
- भारत ने CBD के COP-11 का आयोजन मेजबान का रूप में 2012 में कराय।

2013 (वारसा)

115

	COP-20	
2014 (पेरिस)	 इस करार को 'जलवायु कार्रवाई पर लीमा आह्वान' का नाम दिया है। संशोधित मसौदा में इच्छित राष्ट्रीय संकल्पित योगदान (आईएनडीसी) की किसी अनुमानित समीक्षा प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसे देशों पर ही छोड़ दिया गया है। इसमें रेखांकित किया गया है कि आईएनडीसी में शमन (मिटिगेशन), अनुकूलन, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण सभी तत्त्वों का समावेश हो। वार्ता के बाद वार्ता के अध्यक्ष एवं पेरु के पर्यावरण मंत्री मैनुएल पुलगर-विदाल ने राष्ट्रीय अनुकूल योजना का शुभारंभ किया। 2020 तक जलवायु का ऐतिहासिक समझौते के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। लीमा जलवायु वार्ता के दौरान 'संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम' (UNEP) ने 5 दिसंबर, 2014 को प्रथम जलवायु अनुकूलन गैप रिपोर्ट जारी की। 	
	COP-21 पेरिस समझौता	
2015	 उत्सर्जन सघनता को 2005 के स्तर से कम करके 2030 तक जीडीपी के 33 से 35 प्रतिशत तक घटाना। 'हरित जलवायु कोष' (जीसीएफ) समेत निम्न लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मदद से 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता को अर्जित करना। पार्टीज द्वारा CBIT और GEF की स्थापना हेतु सहमित बनी। संपोषणीय विकास की ओर अग्रसर होने के लिये 17 संपोषणीय विकास लक्ष्य (Goals) और 169 लक्ष्यों (Targets) का एक नया सेट 2015 में विश्व सरकारों द्वारा अपनाया गया। 	
	COP-22	
2016 (मोरक्को)	 क्योटो प्रोटोकॉल की अनुपालन बैठकों के संदर्भ में यह 12वां सत्र था, इसलिए इसे 'CMP-12' के नाम से भी जाना जाता है। 'मराकेश कार्य घोषणा' को स्वीकार किया। पेरिस सम्मेलन (2015) के क्रमश: अनुपालन के संदर्भ में यह पहला सत्र था, अत: इसे 'CMA-1' भी कहते हैं। देशों ने हानि एवं क्षिति हेतु 'वार्सा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र' के लिये एक 5 वर्षीय कार्य-योजना को अपनाया है। देशों द्वारा वैश्विक जलवायु कार्यवाही हेतु 'मराकेश भागीदारी' जैसे एक मंच की स्थापना की गई जो पूर्व 2020 जलवायु कार्यवाही में नॉन-स्टेट एक्टर्स (Non-State Actors) की भागीदारी को सुगम बनाता है। 	
	COP-23	
2017 (फिजी)	 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसयम (UNFCCC) के पक्षकारों का 23वां सत्र (COP 23) का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता फिजी ने की। इस सम्मेलन में एक लैंगिक कार्ययोजना की स्थापना की गई। सम्मेलन में 'तालानोवा वार्ता' (Talanoa Dialogue) [2018 की सुगम (Facilitative) वार्ता हेतु फिजियाई नाम], का शुभारंभ किया गया। 	

	 'ओशन पाथवे पार्टनिशप' का शुभारंभ किया गया। प्रशांत क्षेत्र में 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDC: Nationally Determind Contribution) के कार्यान्वयन के समर्थन हेतु सुवा (Suva), फिजी में एक 'एनडीसी क्षेत्रीय केंद्र' (NDC Regional Hub) की स्थापना की घोषणा की गई। 'जलवायु एवं आपदा जोखिम वित्त तथा बीमा समाधान हेतु 'इंसुरिजिलिएंस वैश्विक साझेदारी' का शुभारंभ किया गया है। 'वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा-पत्र हेतु वैश्विक मंच' का शुभारंभ किया गया। कोप (COP) 24 का आयोजन वर्ष 2018 में पोलैंड में किया गया।
	COP-24
2018 (पोलैंड)	 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क (United Nations Framework Convention on Climate Change& UNFCCC) के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 24वें सत्र का आयोजन 2 से 15 दिसंबर, 2018 तक पोलैंड के काटोविस (Katowice) में किया गया। इस सम्मेलन में तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें शामिल थे- पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिये दिशा निर्देशों/तौर-तरीकों/नियमों को अंतिम रूप देना। सुविधा प्रदान करने वाले तालानोआ संवाद-2018 (2018 Facilitative Talanoa Dialogue) का समापन। 2020 से पूर्व उठाए जाने वाले कदमों का कार्यान्वयन एवं महत्त्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण।
विमानन जलवायु समझौता	
मॉन्ट्रियल	 प्रस्ताव में विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन में प्रतिसंतुलित करने के लिए विमान सेवाओं पर 'कार्बन उत्सर्जन टैक्स' के लिए तंत्र को शामिल किया गया है। यह समझौता पैसेंजर विमानों एवं मालवाहक विमानों (Cargo Flights) जोकि सालाना 1,000 टन से अधिक

ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, पर लागू होगा।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन			
	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम		
1972 नैराबी (केन्या)	 यूनेप पर्यावरण संबंधी समस्याओं के तकनीकी एवं सामान्य निदान हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके कार्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 1975 में स्थापित भूमंडलीय पर्यावरणीय निगरानी प्रणाली (जीईएमएस) शामिल है। 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु एक संधि को विएना सम्मेलन में स्वीकार किया गया। 1989 में खतरनाक कचरे के पारदेशीय संचलन तथा निपटान के नियंत्रण हेतु की गयी 'बेसल संधि' 1992 से लागू हुई। 1992 में रियो डी जेर्नेरियों सम्मेलन में संवहनीय सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना (एजेंडा 21) को स्वीकार किया गया। 		
	ग्रीन क्लाइमेट फंड		
2010 (कोरिया)	• नाबार्ड को राष्ट्रीय कार्यान्वयनकर्ता एनटीटी के रूप में मान्यता दी गई।		
	हेली		
	 HELI, WHO एवं UNEP के द्वारा किया गया एक वैश्विक प्रयास है। HELI की गतिविधियों में राष्ट्र स्तरीय पायलट प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। 		
	दीर्घोपयोगी विकास आयोग		
1992	 सतत् विकास के लिए बना डिवीजन (Division for Sustainable Development, DSD) नेतृत्व प्रदान करता है। यह यूनाइटेड नेशंस के सतत् विकास पर बने सिस्टम के अंदर कुशलता का एक अधिकृत स्रोत है। सतत् विकास के लिए एकीकृत एवं व्यापक रूप से भागीदारीपूर्ण प्रयास को बड़े पैमाने पर लागू करना। एजेंडा 21 के क्रियान्वयन के संदर्भ में सुयोग NGOs द्वारा संबंधित सूचना को प्राप्त करके उसका विश्लेषण करना। 		
	IUCN (Internatinal Union For Conservation of Nature)		
1948 स्वीट्जरलैंड	 यह एक गणतंत्रात्रिक सदस्य सभा है जिसमें 1000 से अधिक सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य संगठन हैं, एवं करीब 11,000 स्वयंसेवी वैज्ञानिक हैं जो 160 से अधिक देशों में रहते हैं। यह वैज्ञानिक शोध का समर्थन करता है, पूरे विश्व में फील्ड प्रोजक्टों का प्रबंधन करता है तथा सरकारी, गैर सरकारी, संयुक्त राष्ट्र, विभिन्न कंपनियों एवं स्थानीय समुदायों को एक जुट करता है जिससे नीतियों एवं कानूनों का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो सके। जैव विविधता का संरक्षण-पौधों एवं पशुओं की प्रजातियों को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। 		

	V-20	
2015 (पेरू)	 वी-20 के सदस्यों में वैश्विक तापन से सर्वाधिक प्रभावित द्वीपीय, तटवर्ती तथा पर्वतीय अवस्थिति वाले देश शामिल हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन कर तथा पूंजी बाजार से संसाधनों के संग्रहण का समर्थन किया गया हैं। वी-20 के सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बाराबडोस, भूटान, कोस्टारिका, इथियोपिया, घाना, केन्या, किरिबाती, मेडागास्कर, मालदीव, नेपाल, फिलीपींस, रवांडा, सेंट लुसिया, तंजानिया, तिमोर लेस्ते, तुवालू, वनुआत तथा वियतनाम है। 	
	वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)	
1961 (मोर्जेस) स्विट्जरलैंड	 वर्ल्ड वाइड फंड नेचर (WWF) एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुन:स्थापन के लिए कार्य करता है। वर्ष 1986 से पहले इसका नाम 'वर्ल्ड वाइड फंड' था जो यूनाइटेड स्टेट्स एवं कनाडा में अभी भी इसका आधिकारिक नाम है। इसका स्लोगन 'फॉर ए लिविंग प्लैनेट' है। यह एक प्रकार का कोष है, जिसमें आधे से अधिक हिस्सा व्यक्तिगत, निजी स्वैच्छिक दान के रूप में आता है जबिक बाकी हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड से पूरा होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है। इस फंड की 45 प्रतिशत आय यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम तथा नीदरलैंड से आती है। कैनेडियन फंड के लिए, कनाडा के टोरेंटो में भी इसका एक हैड ऑफिस है। विश्व के जीव-जंतु, पेड़ पौधे, वन स्थल आकृतिक जल, मिट्टी एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, भूमि के प्रबंधन शोध एवं खोज, अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ सहयोग तथा अन्य उपयुक्त उपायों द्वारा किया जाएगा। 	
	अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कास्ठ संगठन (ITTO)	
1986 (जापान)	 संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित अंतर सरकारी संगठन है। इसका कार्य उष्णकिटबंधीय वन संसाधनों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। यह वन उत्पादों और व्यापार से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करता है और उसका विश्लेषण कर उसे प्रचारित करता है। यह साइट्स एवं जैविविविधता अभिसमय (CBD) के साथ संयुक्त कार्यक्रम भी आयोजित करता है तािक जैविविविधता संरक्षण और संकटाग्रस्त प्रजाित के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। 	
	अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (IWMI)	
1985 कोलंबो (श्रीलंका)	 यह एक गैर सरकारी वैज्ञानिक शोध संगठन तथा गैर लाभकारी संस्था है। इसका कार्य विकासशील देशों में जल और भूमि संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। एक कार्य योजना बनाई है जिससे 'रणनीति 2014-2018' कहा जाता है जिसका शीर्ष है—'जल सुरक्षित संसार'। यह 'अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र पर सहायता संघ' का भी सदस्य है जो भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ा शोध संगठन है। 	

	यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फारेस्ट (UNEF)	
2000	 इसका पहला सम्मेलन वर्ष 2001 में हुआ और सातवां सम्मेलन वर्ष 2007 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। इसका 11वां सम्मेलन मई, 2015 में आयोजित हुआ। 'जोहांसबर्ग घोषणापत्र' और 'सतत विकास लक्ष्य' की प्राप्ति में वनों की भागीदारी को बढ़ाता है। इसका वार्षिक सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। इसके मुख्य उद्देश्य वनों के संरक्षण, प्रंबधन और सतत विकास को बढ़ावा देना है (जैसे रियो घोषणा पत्र वन सिद्धांत, एजेंडा 21 के अध्ययन 11 और वन से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पैनल की नीतियां आदि) 	
	बर्ड लाइफ इंटरनेशनल	
1922 कैम्ब्रिज (यूनाइटेड किंगडम)	 इसका कार्य पिक्षयों और उनके आवासों के संरक्षण का प्रयास कर वैश्विक जैव विविधता को बनाए रखना है। भारत में इसकी महत्त्वपूर्ण सहयोगी संस्था 'बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी' (BNHS) है। यह 'महत्त्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र' की पहचान कर उन की निगरानी और संरक्षण का कार्य भी करता है। यह प्रकृति संरक्षण साझेदारी का सबसे बड़ा और पुराना वैश्विक संगठन है। प्रत्येक सहयोगी संगठन एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करता है जिसकी भित्र पहचान और अपना अलग 'प्रतीक' (लोगो) होता है। 	
	वर्ल्ड नेचर ऑर्गनाइजेशन	
2014 (स्विट्जरलैंड)	 यह ऑर्गनाइजेशन पर्यावरण अनुकूल तकनीकी, अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, हरित, अर्थव्यवस्था, संसाधनों के संरक्षण के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है। यह वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अपनी तरह का अंतर सरकारी संगठन है। 	
	वर्ल्डवॉच इंस्ट्ट्यूट (WWI)	
1947 (वाशिंगटन डी.सी)	 यह संस्था पर्यावरण संबंधी समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करती है तथा उसका व्यावहारिक समाधान भी प्रस्तुत करती है। सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अग्रलिखित क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है:-खाद्य और कृषि, जलवायु और ऊर्जा, पर्यावरण और समाज। 	
वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्ट्टियूट		
	वल्ड ारसासस इास्ट्टयूट	

	वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर (WCMC)
युनाइटेड किंगडम	 यह एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्य कार्य जैव विविधता से संबंधित सूचनाओं का एकत्रण व इनका आकलन प्रस्तुत करना है। यूनेप (UNEP) की यह एक कार्यकारी एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य जैव विविधता के प्रमाणित आंकड़ों को नीति निर्माताओं के समक्ष रखना है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों का समर्थन करता है। जैव विविधता एवं पारितंत्रीय सेवा योजना से संबंधित मॉडल का निर्माण करना। WCMC के उच्च वैज्ञानिकों का मंच पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण एवं बचाव हेतु रिपोर्ट भी तैयार करता है।
	डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिक्स
1983	 यह एक अलाभकारी संगठन है। इसका पंजीकरण भारत सरकार के साथ सोसाइटी रिजस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुआ था। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स एवं इसके सहयोगी संगठन इस प्रदर्शन पर काम करते हैं कि सतत् विकास ना केवल आर्थिक क्षेत्र को लाभ पहुँचाता है बिल्क यह पर्यावरण एवं इससे भी ऊपर लोगों के भी लाभ पहुँचाता है।
	वेटलैंड्स इंटरनेशनल
1996 (नीदरलैंड)	 वेटलैंड्स इंटरनेशनल आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके पुनर्स्थापन (Restoration) के लिये समर्पित एकमात्र 'गैर-सरकारी और गैर-लाभकारी' संस्था। आर्द्रभूमियों को वापस उनकी पूर्वास्था में लाने हेतु प्रतिबद्ध है। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये तीन संस्थाएं कार्यरत थीं- इंटरनेशनल वाटरफाउल एण्ड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो (IWRB), एशियन वेटलैंड ब्यूरो (AWB) और वेटलैंड फॉर द अमेरिका (WA)
	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)
2010 (नई दिल्ली)	 एक विशिष्ट निकाय है। यह पर्यावरण विवादों को बहुअनुशासिनक मामलों सिहत विशेषज्ञता से संचालित करने के लिये सभी आवश्यक तंत्रों से पिरपूर्ण है। यह अधिकरण वर्ष 1908 के नागरिक प्रक्रिया सिहता (Code of Civil Procedure) के द्वारा दी गई सुसिज्जित कार्यविधि से प्रतिबद्ध नहीं है लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित है। अधिकरण के समर्पित अधिकारी पर्यावरण के मामलों में त्विरत न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। अधिकरण को आवेदनों और याचिकाओं को उनकी अपील से 6 माह के अंदर, निपटारे का प्रयास करने का कार्य सौंपा गया है। अधिकरण की बैठक का प्रधान स्थल नई दिल्ली होगा तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई अधिकरण की बैठकों के अन्य 4 स्थल होंगे। NGT के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

बॉम्बे हिस्ट्री सोसाइटी (BHNS)		
1883 (मुम्बई)	 यह जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिये अनुसंधान कार्य करने वाला भारत का सबसे बड़ा गैर-सरकारी संगठन है। यह एक गैर-व्यावसायिक शोध संगठन था, जिसमें आत्माराम पांडुरंग और डॉ. सखाराम अर्जुन नामक दो भारतीय भी शामिल थे। BNHS हॉर्निबल नामक मैगजीन का प्रकाशन करता है। BNHS का लोगो ग्रेट हॉर्निबल का है, जो विलियम द्वारा दिया गया था। 	
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI)		
1890 (कोलकाता)	 गहन सर्वेक्षण के आधार पर देश के पादप संसाधनों के वितरण, पारिस्थितिकी और आर्थिक उपयोगिता पर सुनिश्चित एवं विस्तृत जानकारी एकत्र करना। शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के लिये उपयोगी सामग्री का संग्रह, अभिनिर्धारण (Identify) एवं वितरण। सुव्यवस्थित पादपालयों (Herbarium) में विश्वसनीय संग्रह के अभिरक्षण (Custody) तथा स्थानीय, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय वनस्पतिजात (Flora) के रूप में पादप संसाधनों का प्रलेखन (Documentation)। चुनिन्दा पादप समूहों का प्रबंधनात्मक अध्ययन। भारतीय पादपों के बीज, पराग और बीजाणु एटलस तैयार करना। नृजातीय-खाद्य पदार्थों एवं आर्थिक दृष्टि से उपयोगी अन्य पादप प्रजातियों के पौष्टिक मूल्यों का गुणात्मक विश्लेषण। अध्ययन हेतु सौंपे गए क्षेत्रों का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)। वानस्पतिक उद्यानों, संग्रहालयों एवं औषधीय बागानों (हरबेरियम) का विकास एवं अनुरक्षण करना। 	
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)		
1916	 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना देश के प्राणिजात संसाधनों का अन्वेषण, सर्वेक्षण और प्रलेखीकरण हेतु की गई। प्राणिजात संबंधी सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई प्राणि विज्ञान संबंधी सामग्रियों का वर्गीकरणात्मक अध्ययन करना। देश के प्राणि जगत की संकटापत्र प्रजातियों की सूची बनाना तथा उनकी निगरानी करना। राष्ट्रीय जन्तु विज्ञान संग्रह का अनुरक्षण और विकास करना। 'भारत की प्राणिजात' एवं विभागीय पत्रिकाओं का प्रकाशन। 	
सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र		
1990 (कोयंबटूर)	 यह एक पक्षी शोध संगठन है। इसका संपूर्ण वित्तपोषण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार करता है। यह जैव विविधता संकट से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है और संबंधित स्थानों से अवगत कराता है। इसकी स्थापना प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक एवं पर्यावरणविद् सलीम अली के नाम पर की गई है। यह संगठन पिक्षयों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के साथ-साथ जैव विविधता संरक्षण के लिये आवश्यक तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। 	

वर्ल्ड वाइड फंड नेचर-इंडिया (WWF-INDIA)		
1969	इसका उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण में ह्रास को रोकते हुए प्रकृति के साथ मानव जीवन को सौहाद्रपूर्ण बनाना है।	
	• यह संस्था प्राकृतिक पर्यावरण एवं पृथ्वी पर जीवों के संरक्षण के लिये 40 वर्षों से ज्यादा समय से कार्य कर रही है।	
	• वर्ल्ड वाइड फंड, जो इसका मातृ संगठन है, के साथ सहयोग द्वारा प्रजातियों की उत्तर जीविता और उनके	
	आवास, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण शिक्षा के मुद्दों को चिन्हित कर उनके संरक्षण हेतु कार्य करता है।	
	• विश्व की जैविक विविधता का संरक्षण करना।	
	• यह सुनिश्चित करना कि गैर परंपरागत प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही संपोषणीय है।	
	• प्रदूषण में कमी एवं अनावश्यक उपभोग में कमी को बढ़ावा देना।	
केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड		
	केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड	
	• यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत	
	यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कार्य करता है।	
	 यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कार्य करता है। इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शिक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह क्षेत्र 	
	यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कार्य करता है।	
1974	 यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कार्य करता है। इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शिक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 के तहत तकनीकी सेवाएं भी 	
1974	 यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कार्य करता है। इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 के तहत तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। 	
1974	 यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कार्य करता है। इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शिक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 के तहत तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कुओं और निदयों की स्थिति को सुधारना। 	
1974	 यह एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत कार्य करता है। इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शिक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 के तहत तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में कुओं और निदयों की स्थिति को सुधारना। देश में वायु प्रदूषण के निराकरण अथवा नियंत्रण के लिये वायु गुणवत्ता में सुधार लाना केन्द्रीय प्रदूषण 	